IFCI
LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध

बत्तीसवीं वार्षिक महासभा

दिनांक : 29 अक्टूबर, 2025
दिन : बुधवार
समय : प्रातः 11:30 बजे

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/
अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम(ओएवीएम)
के द्वारा

विषय–वस्तु

निदेशक बोर्ड व प्रमुख अधिकारी 02
वित्तीय विशेषताएं 03
वार्षिक कार्य निष्पादन के रुझान 04
सूचना 05
बोर्ड की रिपोर्ट 22
नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां (स्टेण्डअलोन व समेकित) व प्रबन्धन के उत्तर 54
निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट 62
कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट 80
एससी / एसटी / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूडी का कल्याण 110
एओसी–1 प्रपत्र 112
स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट 114
तुलन–पत्र 126
लाभ एवं हानि का विवरण 127
नकद–प्रवाह विवरण 128
लेखांकन नीतियां तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 131
स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट (समेकित) 194
समेकित तुलन–पत्र 204
समेकित लाभ एवं हानि का विवरण 205
समेकित नकद–प्रवाह विवरण 206
लेखांकन नीतियां तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 209

(19.09.2025 की स्थिति अनुसार)

निदेशक बोर्ड

श्री राहुल भावे	प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री जितेन्द्र असाटी	सरकारी निदेशक
श्री शैलेश कुमार	सरकारी निदेशक
प्रो. नारायणस्वामी बालाकृष्णन	गैर–कार्यकारी निदेशक
प्रो. अरविन्द सहाय	गैर–कार्यकारी निदेशक
श्री अरविंद कुमार जैन	गैर–कार्यकारी निदेशक
श्री उमेश कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक
श्री राजीव सचदेव	गैर–कार्यकारी निदेशक

(19.09.2025 की स्थिति अनुसार)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री बी वी एस अच्युता राव

प्रमुख अधिकारी

कार्यकारी निदेशक

श्री प्रसून

श्री सचिकान्त मिश्रा

मुख्य महाप्रबन्धक/वरिष्ठ निदेशक

श्री सुनीत शुक्ला
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

श्री राजीव सक्सेना

सुश्री पूजा एस महाजन
(बोर्ड की सचिव)

श्री अतुल सक्सेना
(एसएचसीआईएल में एमडी और सीईओ के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)

महाप्रबन्धक/निदेशक

श्री बिकाश कांति रॉय

श्री शमीक दासगुप्ता
(आईएलडी में कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रति. नियुक्ति पर)

श्री आलोक सभरवाल

श्री मनोज कुमार परिदा
(एसएचसीआईएल में मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर

श्री हिमांशु शर्मा

श्री जगदीश गरवाल
मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)

श्री मुकेश गुप्ता

सुश्री रीता जान

श्री वी अनीश बाबू
(आईवीसीएफ में एमडी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर)

सुश्री सी सैंती

श्री बी बी साहू
मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) एवं मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ)

श्री ऐलन सैविओ पचेको
(आईएफएल में एमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार)

श्री रवि रंजन मिश्रा

श्री अभिनाश दास

श्री दीपक मिश्रा

श्री राजेश कुमार गुप्ता

श्री शक्ति कुमार

श्री पी जी जयशंकर
(मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ))

सुश्री छवि सिंघल

श्री विजय कुमार गोयल

कंपनी सचिव

सुश्री प्रियंका शर्मा

सांविधिक लेखा–परीक्षक

एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल

वित्तीय विशेषताएं

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति अनुसार (पुनःस्थापित)
देयताएं तथा इक्विटी			
वित्तीय देयताएं	7,583.37	8,707.01	8220.32
गैर–वित्तीय देयताएं	66.79	86.48	83.68
शेयर पूंजी	2,694.31	2,489.61	2195.93
अन्य इक्विटी	(958.72)	(1,275.41)	(1,569.83)
	9,385.75	**10,007.69**	8,930.10
परिसम्पत्तियां			
गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	3,158.73	3,555.91	4022.61
वित्तीय परिसम्पत्तियां	6,176.54	6,402.37	4907.45
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	50.48	49.41	0.04
	9,385.75	**10,007.69**	8,930.10

	2024-2025	**2023-2024**	**2022-2023 (पुनःस्थापित)**
अर्जन			
कुल आय (करोड़ रुपए)	841.86	895.94	754.76
क्षति पूर्व लाभ	147.80	148.63	(55.36)
कर–पूर्व लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए)	372.17	483.80	(185.57)
कर–पश्चात् लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए)	43.80	128.25	(287.58)
कुल समग्र आय	21.39	88.10	(319.35)
अनुपात			
जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी	-23.04%	-48.35%	-70.66%
ऋण–इक्विटी अनुपात	2.18	4.49	9.28

वार्षिक कार्य – निष्पादन रुझान

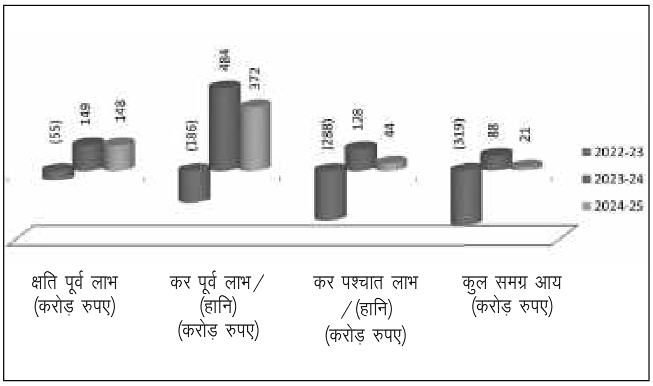

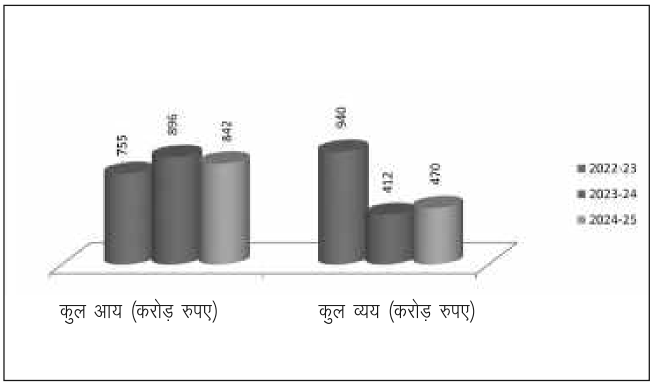

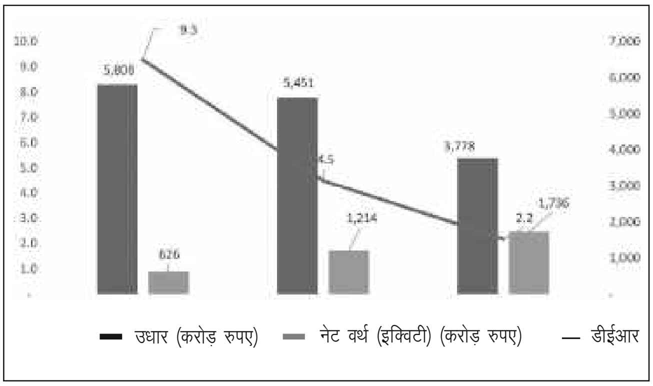

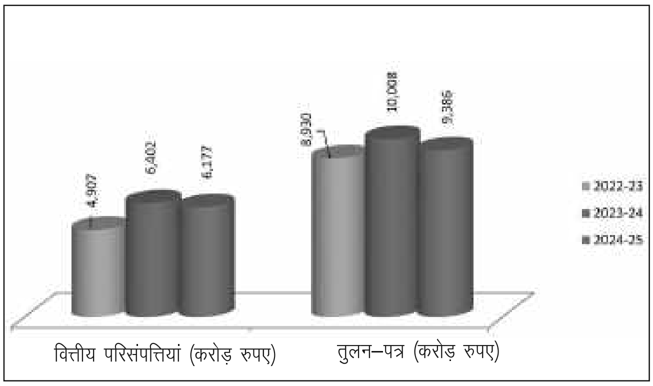

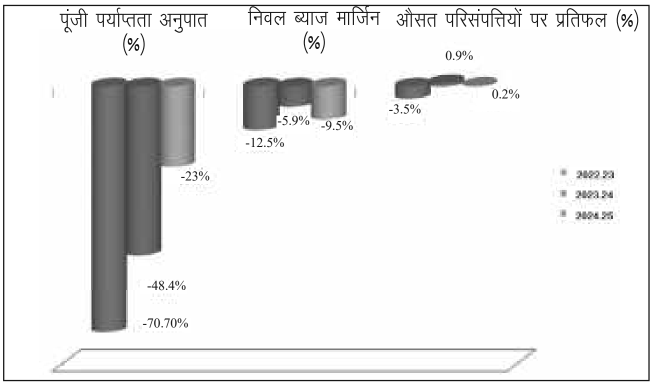

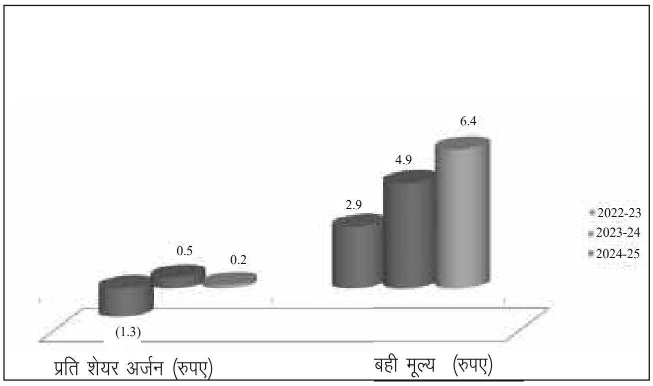

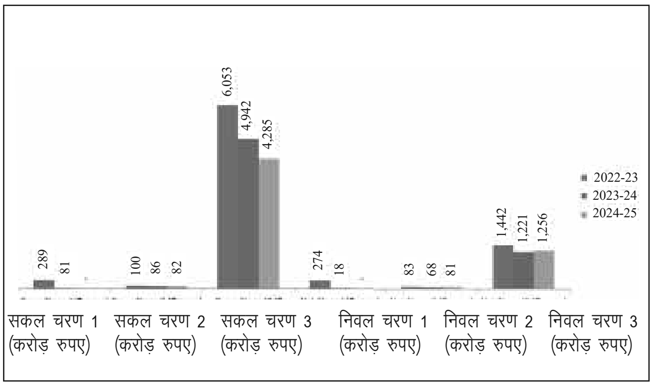

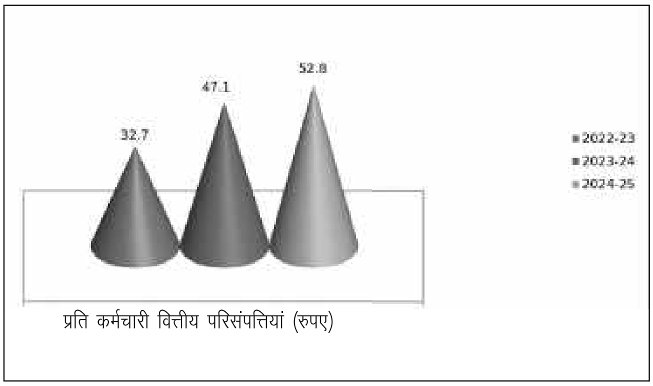

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों की बत्तीसवीं (32वीं) वार्षिक महासभा (एजीएम) बुधवार, 29 अक्टूबर, 2025 को सुबह 11:30 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के प्रचालन के लिए आयोजित की जाएगी :

सामान्य कार्य संव्यवहार

1. निम्नलिखित पर विचार करना और अपनाना –

   क. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय विवरण, साथ ही निदेशक बोर्ड और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां; और

   ख. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

2. श्री अरविंद कुमार जैन (डीआईएन : 07911109) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक महासभा में चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और 142 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना और निम्नलिखित प्रस्ताव को, संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के, एक **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना :

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) की धारा 139(5) और 142 तथा अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक(कों) के पारिश्रमिक को तय करने और निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जैसा कि उचित समझा जाए।"

विशेष कार्य–संव्यवहार

4. श्री राहुल भावे (डीआईएन : 09077979) की प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा, यदि उचित समझा जाए तो, इसे **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना :–

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1 सी) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू विनियमों और/या किसी अन्य लागू कानूनों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित), कंपनी की आंतरिक नियमावली के अनुच्छेद 162 के अनुसार, श्री राहुल भावे (डीआईएनः 09077979), जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा 21 मार्च, 2025 के आदेश द्वारा आईएफसीआई लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) के रूप में नियुक्त किया गया था, को पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाएगा और बाद में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में निदेशक बोर्ड द्वारा 21 मार्च, 2025 (सुबह) को नियुक्त किया गया है, और जिनके संबंध में कंपनी को निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होगा और वे अपनी नियुक्ति के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए (अर्थात 21 मार्च, 2025 (सुबह)) या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।"

5. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के उप सचिव श्री शैलेश कुमार (डीआईएन : 11226831) की सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा, यदि उचित समझा जाए तो, इसे एक **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना :–

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152, 161 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1ग) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू विनियमों और/या किसी अन्य लागू कानूनों (तत्समय प्रवृत्त किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या पुनर्अधिनियमन सहित), कंपनी की आंतरिक नियमावली के अनुच्छेद 124 के अनुसार, श्री शैलेश कुमार (डीआईएन : 11226831), उप सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई, 2025 के पत्र (29 जुलाई, 2025 को संप्रेषित) द्वारा कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है और तदनुसार निदेशक मंडल द्वारा 05 अगस्त, 2025 को नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में नोटिस प्राप्त हुआ है, उन्हें एतद्द्वारा उक्त नियमों और शर्तों पर कंपनी के सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा तय की जा सकती हैं।'

6. श्री राजीव सचदेव (डीआईएन : 10681633) की निदेशक के रूप में नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा, यदि उचित समझा जाए तो, इसे **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं :–

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 149, 152 और अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियम 17 (1ग) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अन्य लागू प्रावधानों और/या किसी अन्य लागू कानून (किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन या उसके वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, कंपनी की आंतरिक नियमावली के अनुच्छेदों के अनुसार, श्री राजीव सचदेव (डीआईएनः 10681633), जिन्हें अधिनियम की धारा 161(1) के अनुसार 25 अगस्त, 2025 से बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और जिनके संबंध में, कंपनी को अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, कंपनी, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

7. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो मेसर्स सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने के संबंध में **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करना।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24 ए (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और समय–समय पर इसके तहत जारी परिपत्रों के अनुसार और निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, मेसर्स सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव (प्रोप्राईटरी कन्सर्न), दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या : आई2012डीई915000) को वित्तीय वर्ष 2025–26 से शुरू होकर 2029–30 तक लगातार पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

पंजीकृत कार्यालय :
आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली–110019
सीआईएन : एल74899डीएल1993जीओआई053677
टेलीफोन : 011–41732000
वेबसाइट : www.ifciltd.com
ई–मेल : complianceofficer@ifciltd.com
दिनांक : 19 सितम्बर, 2025

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

टिप्पणियां :

1. मद संख्या 4, 5, 6 और 7 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य निर्धारित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्टीकरण के विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

2. परिपत्र संख्या 03/2023 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के अनुसार, परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पढ़ा जाए, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय–समय पर जारी अन्य संगत परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 32वीं वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधन के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

3. 32वीं वार्षिक महासभा के लिए सभागार, प्रथम तल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110 019 को बैठक का स्थान माना जाएगा।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 सहित, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') (संशोधित) के विनियम 44 और इस संबंध में एमसीए द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों सहित, एमसीए परिपत्र दिनांक 22 सितंबर, 2025 के अनुसार, कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को अधिकृत ई–वोटिंग सेवा–प्रदाता के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम ('स्थल मतदान') के दौरान सदस्यों द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

5. यह एजीएम एमसीए और सेबी द्वारा जारी किए गए उपरोक्त परिपत्रों का पालन करते हुए वीसी/ओएवीएम माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न नहीं किया गया है। इसी कारण से उपस्थिति पर्ची और रूट मैप भी इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं है। लेकिन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (धाराओं) 112 और 113 का पालन करते हुए, सदस्यों के प्रतिनिधि जैसे भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल या कॉर्पोरेट निकाय वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधन के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और ई–वोटिंग सुविधा से अपना वोट डाल सकते हैं।

6. जिन लागू एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए सूचना भी शामिल है, केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के पास पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 36 (1) (ख) के अनुसार, कंपनी उन सदस्यों को पत्र भेज रही है जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरएंडएसटीए/डीपी के पास पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें कंपनी की वेबसाइट का वेब–लिंक दिया गया है जहाँ वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है और उसे देखा जा सकता है।

7. एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना सीडीएसएल (ई–वोटिंग सेवा प्रदाता होने के नाते) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की गई है।

8. जिन शेयरधारकों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हो पायी है, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी को रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड एसटीए) को helpdeskdelhi/mcsregistrars.com पर अपने विवरण अर्थात् आर एंड एसटीए में अपना पंजीकृत नाम, पता, ईमेल आईडी, पैन, डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर और धारण किए गए शेयरों की संख्या भेजें।

9. सदस्य सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधन माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधन के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

इसमें बड़े शेयरधारक (2 प्रतिशत या अधिक शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक, लेखा–परीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा ऋणधारक सम्बन्ध समिति के अध्यक्ष, लेखा–परीक्षक शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रतिबन्ध के बिना एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की गई है।

10. संस्थागत शेयरधारकों को कम्पनी की 32वीं एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अनुरोध और प्रोत्साहित किया जाता है।

11. वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

12. बैठक के दौरान सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। प्रश्न complianceofficer@ifciltd.com पर बुधवार, 22 अक्टूबर, 2025 तक या उससे पहले भी पूछे जा सकते हैं।

13. संलग्न सूचना और व्याख्यात्मक वक्तव्य में उल्लिखित सभी दस्तावेज, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अन्य दस्तावेज भी, सूचना के प्रसार की तिथि से वार्षिक आम बैठक की तिथि तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य अपना नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो संख्या तथा स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करते हुए complianceofficer/ifciltd.com पर कंपनी को ई–मेल भेज सकते हैं। इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक, शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर सभी कार्यदिवसों में सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखा जाने वाला रजिस्टर एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक मोड से निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

14. सदस्यों का रजिस्टर और इक्विटी शेयरों की शेयर–अन्तरण बहियां गुरुवार, 23 अक्तूबर, 2025 से बुधवार, 29 अक्तूबर, 2025 तक (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेंगी।

15. नियुक्त और पुनर्नियुक्त किए जा रहे निदेशकों का संक्षिप्त विवरण सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 36 (3), अधिनियम के प्रावधानों और आम बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–2) की आवश्यकताओं के अनुसार संलग्न है और यह नोटिस का हिस्सा है।

16. सेबी की अपेक्षाओं के अनुसार, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण/अपडेशन अपने उन डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास जमा करें, जिनके पास उनके डीमैट खाते चल रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने केवाईसी विवरण/अपडेशन कंपनी या आरएंडएसटीए को प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे विवरण के लिए आईएफसीआई की वेबसाइट www.ifciltd.com पर देखें।

17. बैठक में संयुक्त धारक के भाग लेने के मामले में केवल वही संयुक्त धारक, जिसका नाम पहले धारक के रूप में पंजीकृत है, ई–वोटिंग या ई–वोटिंग के माध्यम से एजीएम में वोट देने का पात्र होगा।

18. सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 40 (1) के परंतुक के अनुसार, 01 अप्रैल, 2019 से कम्पनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में धारित नहीं की जाती। तद्नुसार भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर डीमैट रूप में धारित करें।

19. सेबी के 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र के अनुसार, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह माह की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है, जिसका उद्देश्य केवल उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण विलेखों को पुनः जमा कराना है जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों/ प्रक्रिया/या अन्य किसी कमी के कारण अस्वीकृत, वापस कर दिए गए थे या उन पर कार्य नहीं किया गया था। हस्तांतरण के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभूतियाँ उचित प्रक्रिया पूरी करने के बाद केवल डीमैट विधि में जारी की जाएंगी। पात्र प्रतिभूति धारकों से अनुरोध है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना अनुरोध कंपनी/आर एंड एसटीए को प्रस्तुत करें।

ई–वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (आभासी बैठकें) से बैठक में भाग लेने के लिए शेयरधारकों को अनुदेश निम्नानुसार हैं :

चरण 1: डीमैट विधि में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉज़िटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

चरण 2: भौतिक विधि में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट विधि में गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

(i) मतदान की अवधि रविवार, 26 अक्तूबर 2025 शुरू होती है और मंगलवार, 28 अक्तूबर 2025 पर समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक, कट–ऑफ तिथि अर्थात्, बुधवार 22 अक्टूबर, 2025 के अनुसार भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सीडीएसएल द्वारा उसके बाद मतदान के लिए ई–वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

(ii) जो शेयरधारक बैठक की तारीख से पहले ही वोट डाल चुके हैं उन्हें बैठक के स्थान पर वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के तहत, सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियों को, सभी शेयरधारक संकल्पों के संबंध में, अपने शेयरधारकों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। जबकि, यह देखा गया है कि लोक गैर–संस्थागत शेयरधारकों/रिटेल शेयरधारकों की भागीदारी स्तर पर नगण्य रहती है। वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई–वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इससे विभिन्न ईएसपी पर शेयरधारकों द्वारा पंजीकरण और अनेक प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में, सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉग–इन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई–वोटिंग सक्षम बनाने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ दोबारा पंजीकरण कराए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल त्वरित अभिप्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी बल्कि ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी भी रहेगी।

चरण 1: डीमैट विधि में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉज़िटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

(i) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा के बारे में सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/ पी/2020/242 दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में, डीमैट विधि में स्टॉक रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉज़िटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की सुविधा दी जाती है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी अपडेट करें।

(ii) सेबी के उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, डीमैट विधि सीडीएसएल/एनएसडीएल में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठकों में शामिल होने के लिए लॉग–इन करने की विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का स्वरूप	**लॉग–इन विधि**
सीडीएसएल डिपॉज़िटरी के साथ डी–मैट विधि के रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) जिन प्रयोक्ताओं ने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग–इन कर सकते हैं। उन्हें किसी अभिप्रमाणीकरण के बिना ई–वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईजी/ईजीएस्ट पर लॉग–इन करने के लिए प्रयोक्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग–इन आइकन और माइ ईजी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें।

	2) सफल लॉग–इन के बाद ईजी/ईजीएस्ट प्रयोक्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई–वोटिंग विकल्प देख सकेगा जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वोटिंग प्रगति पर है। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोक्ता दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता का ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि प्रयोक्ता सीधे ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर देख सकें। 3) यदि प्रयोक्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉग–इन और माइ ईजी न्यू (टोकन) टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4) प्रयोक्ता वैकल्पिक रूप से www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई–वोटिंग लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद सिस्टम डीमैट खाते में पंजीकृत मोबाइल और ई–मेल पर ओटीपी भेजकर प्रयोक्ता को भाग लेने के लिए उनका अभिप्रमाणीकरण किया जाता है। सफल अभिप्रमाणीकरण के बाद, प्रयोक्ता ई–वोटिंग के विकल्प देख पाएगा जहां ई–वोटिंग जारी है और सभी ई–वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक उसकी सीधी पहुंच हो जाएगी।
एनएसडीएल डिपॉज़िटरी के पास डी–मैट विधि के रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले शेयरधारक	1) ओटीपी आधारित लॉग–इन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन नंबर, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ई–मेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज

	करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल अभिप्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई–वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम और ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता एनएसडीएल की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2) दौरान मौजूदा आईडीईएएस प्रयोक्ता पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर जा सकते हैं। ई–सेवा होम पेज पर, ''लॉग–इन'' के तहत ''लाभार्थी स्वामी'' आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएएस' सेक्शन में उपलब्ध है। इस पर आपको अपना मौजूदा प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा। सफल अभिप्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्य वर्धित सेवाओं के तहत ई–वोटिंग सेवाएं देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के तहत ''ई–वोटिंग तक पहुंच'' पर क्लिक करें और आप ई–वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता, अर्थात् एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 3) यदि प्रयोक्ता आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है तो https://eservices.nsdl.com. पर पंजीकरण कराने काविकल्प उपलब्ध है। ''आईडीइएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण'' का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें।

	4) एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं या तो अपने पर्सनल कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएलः https://www.evoting.nsdl.com/ को टाइप करते हुए वेब ब्राउजर खोलें। ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुल जाने पर ''लॉग–इन'' आइकॉन पर क्लिक करें जो शेयरधारक/मेम्बर सेक्शन पर उपलब्ध है। इससे एक नया स्क्रीन खुल जाएगा। आपको यहां अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास मौजूद आपका 16 अंकों वाला डीमैट एकाउंट नम्बर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड डालना होगा। सफलतापूर्वक अभिप्रमाणीकरण होने के बाद एनएसडीएल डिपोजटरी साइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते है। कम्पनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात् एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें और इससे आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि या वर्चुअल बैठक में उपस्थित होने या बैठक के दौरान अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाने का निर्देश दिया जाएगा। 5) शेयरधारक/सदस्य निर्बाध वोटिंग के अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप ''एनएसडीएल स्पीड'' सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। NSDL Mobile App is available on App Store Google Play

अपने **डिपॉज़िटरी भागीदार** के माध्यम से लॉग–इन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक (डी–मैट विधि के रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले)	ई–वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी भागीदार के माध्यम से अपने डी–मैट खाते की लॉग–इन क्रेडिट का उपयोग करते हुए भी लॉग–इन कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉग–इन होने के बाद आप ई–वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे। जब आप ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं तो प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक हो जाने के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉज़िटरी भागीदार की साइट पर जाने का निदेश दिया जाएगा जहां आप ई–वोटिंग की सुविधा देख सकेंगे। कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या मीटिंग के दौरान वर्चुअल मीटिंग और वोटिंग में शामिल होने के लिए ई–वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणीः जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड भूल गए हैं उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगैट यूजर आईडी और फॉरगैट पासवर्ड ऑप्शन का उपयोग करें।

भागीदार अर्थात् सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉग–इन से सम्बन्धित किसी तकनीकी मामले के लिए डी–मैट विधि के रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हैल्पडैस्क।

लॉगइन का प्रकार	हैल्पडैस्क के विवरण
सीडीएसएल के पास डी–मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग–इन में किसी तकनीकी रुकावट के लिए सदस्य सीडीएसएल के helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के पास डी–मैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉग–इन में किसी तकनीकी रुकावट के लिए सदस्य एनएसडीएल के evoting@nsdl.co.in पर ई–मेल भेज कर अनुरोध कर सकते हैं या 022–4886 7000 तथा 022–2499 7000 पर संपर्क कर सकते है।

चरण 2 : भौतिक प्रमाणपत्रों के रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट विधि में गैर–व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

(i) **भौतिक शेयरधारकों और डीमैट फॉर्म में व्यक्तिगत होल्डिंग के अलावा गैर–शेयरधारकों** के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग–इन विधि।

1) शेयरधारक ई–वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें।
2) ''शेयरहोल्डर्स'' मॉड्यूल्स पर क्लिक करें।
3) अब अपना यूजर आईडी डालें
   क. सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों का बेनेफिशरी आईडी डालें;
   ख. एनएसडीएल के लिए : 8 अंकों वाले डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का क्लाइंट आईडी डालें।
   ग. भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक कम्पनी में पंजीकृत अपना फोलियो नम्बर डालें।
4) इसके उपरांत यथाप्रदर्शित इमेज वैरिफिकेशन की प्रविष्टि करें और लॉग इन पर क्लिक करें।
5) यदि आपके पास डीमैट के रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग ऑन किया है और इससे पहले किसी और कम्पनी की ई–वोटिंग की है तो आपको अपना मौजूदा पासवर्ड ही इस्तेमाल करना होगा।
6) यदि आप पहली बार इसका प्रयोग कर रहे हैं तो नीचे बताया गया तरीका अपनाएं :

	डीमैट में शेयर रखने वाले भौतिक शेयरधारकों और व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा अन्य के लिए।
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 वर्णों व अंकों वाला 'पैन नं. डालें (डीमैट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)। जिन सदस्यों ने अपना पैन कम्पनी/डिपॉज़िटरी भागीदार के पास अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी/आर एंड एसटीए द्वारा भेजे गए अनुक्रम नं. का प्रयोग करें या कम्पनी/आर एंड एसटीए से सम्पर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म–तिथि	लॉग–इन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कम्पनी में दिए गए रिकार्ड के अनुसार, लाभाशं बैंक विवरण या जन्म–तिथि (दिन दिन/माह माह/ वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष के फॉर्मेट में) डालें। • यदि दोनों विवरण डिपॉज़िटरी या कम्पनी के रिकार्ड में नहीं हैं तो कृपया लाभांश बैंक विवरण में सदस्यता आईडी/फोलियो नं. की प्रविष्टि करें।

(ii) इन विवरणों की उपयुक्त रूप से प्रविष्टि करने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

(iii) उस समय भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक सीधे तौर पर कम्पनी की चयन स्क्रीन पर जाएंगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य अब 'पासवर्ड क्रिएशन' मैन्यू में जाएंगे, जहां उन्हें अनिवार्य रूप से नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का इस्तेमाल केवल डीमैट धारकों द्वारा ही किसी अन्य कम्पनी के संकल्पों के लिए वोट देने के लिए भी किया जा सकता है बशर्ते कि वह कम्पनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के जरिए ई–वोटिंग का विकल्प अपनाएं। इस बात की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।

(iv) भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले सदस्य इस सूचना में निर्दिष्ट संकल्पों पर केवल ई–वोटिंग के लिए ही इन विवरणों का प्रयोग कर सकते हैं।

(v) आईएफसीआई के लिए के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(vi) वोटिंग पृष्ठ पर आपको 'संकल्प विवरण' दिखाई देगा और उसके सामने वोट देने के लिए आपको 'हां/नहीं' का विकल्प दिखाई देगा। अपनी इच्छा के अनुसार 'हां' अथवा 'नहीं' का विकल्प चुनें। 'हां' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत हैं और 'नहीं' विकल्प का अर्थ होगा कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(vii) यदि आप समग्र संकल्प विवरण देखना चाहते हैं तो 'संकल्प फाइल लिंक' पर क्लिक करें।

(viii) संकल्प का चयन करने के बाद आपने वोट करने का निर्णय किया है तो 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। तब आपको एक पुष्टि बॉक्स दिखाई देगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ओके' बटन पर क्लिक करें और यदि आप अपना वोट बदलना चाहते हैं तो 'कैंसिल' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट में संशोधन करें।

(ix) एक बार संकल्प पर अपने वोट को 'कंफर्म' करने के बाद आपको अपना वोट संशोधित करने की सुविधा नहीं होगी।

(x) आप वोटिंग पेज पर 'प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें' बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xi) यदि डीमैट खाताधारक अपना लॉग–इन करने का पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड एंटर करें और 'फॉरगेट पासवर्ड' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दें।

(xii) बीआर/पीओए अपलोड करने का विकल्प हो तो इसे अपलोड करने का एक वैकल्पिक प्रावधान भी है, जो सत्यापन के लिए संवीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xiii) **व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों तथा अभिरक्षकों के लिए केवल रिमोट वोटिंग हेतु अतिरिक्त सुविधा**

- व्यक्तिगत शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों (अर्थात् किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, गैर निवासी भारतीय आदि को छोड़कर) तथा अभिरक्षक के लिए यह अपेक्षित है कि वे www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करें और "कॉर्पोरेट" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें।
- संस्था को हस्ताक्षरित तथा मुहर लगे पंजीकरण प्रपत्र की एक स्कैन की गई कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल करनी होगी।
- लॉग–इन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉग–इन और पासवर्ड का प्रयोग करते हुए एक अनुपालन प्रयोक्ता का सृजन करना होगा। अनुपालन प्रयोक्ता उन्हें उन खातों के साथ जोड़ेगा, जहां वह वोट करना चाहता है।
- लॉग–इन में जुड़े खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप की जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में इसे डीलिंक किया जा सकता है।
- उन्हें बोर्ड संकल्प व मुख्तारनामे की स्कैन की गई एक प्रति सिस्टम में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी जिसे उन्होंने यदि किसी अभिरक्षक के पक्ष में जारी किया हो, ताकि पड़ताल करने वाला प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।
- वैकल्पिक रूप से, गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों द्वारा सम्बन्धित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकरण पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो वोट देने के लिए अधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित, पड़ताल अधिकारी और कम्पनी को ई–मेल पते अर्थात् complianceofficer@ifciltd.com (कंपनी द्वारा निर्दिष्ट ई–मेल) पर भेजना होगा, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है और सीडीएसएल ई–वोटिंग प्रणाली से पड़ताल अधिकारी को सत्यापित करने के लिए इसे अपलोड नहीं किया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से तथा बैठक के दौरान ई–वोटिंग के लिए एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश :

1) एजीएम के दौरान बैठक तथा ई–वोटिंग में भाग लेने की प्रक्रिया ऊपर दिए गए ई–वोटिंग के अनुदेशों के अनुसार ही है।

2) ई–वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के अनुसार सफलतापूर्वक लॉग–इन करने के बाद वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां कम्पनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।

3) जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट किया है वे बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि वे एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

4) शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5) इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों को कैमरा और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा, ताकि बैठक के दौरान किसी तरह की कोई बाधा न हो।

6) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। अतः यह सिफारिश की जाती है कि वे स्थिर वाइ–फाइ या लेन कनेक्शन का उपयोग करें, ताकि ऊपर दी गई किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

7) जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैठक की तिथि से **कम से कम 7 दिन पहले** अपना अनुरोध complianceofficer@ifciltd.com पर भेजकर स्पीकर के तौर पर खुद का पंजीकरण करा सकते हैं। जो शेयरधारक एजीएम के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रश्न रखना चाहते हैं, वे **बैठक से 7 दिन पहले** अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/ फोलियो नंबर, ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए complianceofficer@ifciltd.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ई–मेल द्वारा भेजे जायेंगे।

8) जिन शेयरधारकों ने स्पीकर के रूप में अपने आप को पंजीकृत कराया है केवल वे ही बैठक के दौरान अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं/प्रश्न पूछ सकते हैं।

9) केवल वही शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने के लिए अन्यथा रोका नहीं गया है, एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

10) यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और यदि उसी शेयरधारक ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अवैध माना जाएगा, क्योंकि एजीएम के दौरान

ई–वोटिंग की सुविधा केवल एजीएम में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों को ही उपलब्ध है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ई–मेल/मोबाइल नं. कंपनी/जमाकर्ताओं के साथ पंजीकृत नहीं हैं।

1) भौतिक शेयरधारकों के लिए – कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे विवरण ई–मेल के द्वारा कम्पनी की ई–मेल आईडी **complianceofficer@ifciltd.com पर या आर एण्ड एसटीए की ई–मेल आईडी admin@mcsregistrars.com; helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर भेजें।**

2) डीमैट शेयरधारकों के लिए – कृपया अपने संबंधित **डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)** के पास अपना ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

3) व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए– कृपया अपने संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास अपना ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें। जो ई–वोटिंग और डिपॉज़िटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।

   यदि एजीएम में उपस्थित होने तथा सीडीएसएल की ई–वोटिंग प्रणाली से ई–वोटिंग के सम्बन्ध में आपका कोई प्रश्न अथवा समस्या हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800 21 09911 पर सम्पर्क कर सकतें है।

श्री राकेश दलवी

वरिष्ठ प्रबन्धक
सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस (इंडिया लिमिटेड)
ए विंग, 25वां तल, मैराथान फ्यूचरेक्स
मफतलाल मिल कम्पाउंड्स
एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई)
मुम्बई – 400 013
ई–मेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com
टोल फ्री नं. 1800 21 09911

अन्य जानकारियां :

1) कंपनी के केवल वे शेयरधारक जो कट–ऑफ तिथि (अर्थात् गुरुवार, 19 सितंबर, 2024) को भौतिक या डीमैट शेयरधारक हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग से या एजीएम में वीसी/ओएवीएम से स्थल मतदान की सुविधा से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। कोई भी व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के तौर पर लेना चाहिए।

2) रिमोट ई–वोटिंग अवधि रविवार, 26 अक्तूबर, 2025 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और मंगलवार, 28 अक्तूबर, 2025 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद सीडीएसएल के रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

3) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

4) शेयरधारक वोटिंग का केवल एक ही तरीका चुन सकते हैं, अर्थात् रिमोट ई–वोटिंग या एजीएम में वीसी/ओएवीएम से स्थल वोटिंग। दोनों तरीकों से वोटिंग करने के मामलों में, रिमोट ई–वोटिंग सुविधा से डाला गया वोट अंतिम माना जाएगा और एजीएम में वीसी/ओएवीएम से की गई ई–वोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

5) निदेशक मंडल ने श्री देवेश कुमार वशिष्ठ (एफसीएस एफ8488, सीओपी 13700) की अनुपस्थिति में श्री प्रवीण कुमार (एफसीएस एफ10315, सीओपी 13411), डीपीवी एंड एसोसिएट्स, एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़, फरीदाबाद को संवीक्षक (स्क्रूटिनाइजर) के रूप में नियुक्त किया है, ताकि वे रिमोट ई–वोटिंग और वेन्यू वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच कर सकें और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।

6) स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट सहित घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तुरंत और परिणाम घोषित होने के बाद कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अंकित किए जाएंगे। स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट सहित मतदान के परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी प्रस्तुत किए जाएंगे।

7) आईएफसीआई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपनी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को एकल आधार पर शामिल नहीं कर रहा है। जबकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 136 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए इन कंपनियों के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध होंगे।

8) एक समान नामों से एक से अधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्र संलग्न करते हुए आर एंड एसटीए को लिखें ताकि वे बेहतर सेवा देने के लिए धारकों को एक फोलियो में समेकित कर सकें।

9) दिनांक 05 मई, 2020 के एमसीए परिपत्र 20/2020 के साथ पठित दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के एमसीए परिपत्र 17/2020 के अनुसार एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है, जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/डिपॉज़िटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा, यदि कोई अपडेशन होगा तो उसकी जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध कराई जाएगी।

10) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205ए के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 1994 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक घोषित सभी अदावाकृत लाभांश को पहले ही केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में हस्तांतरित कर दिया है, जैसा कि अप्रदत्त लाभांश (केंद्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में हस्तांतरण) नियमावली, 1978 द्वारा अपेक्षित है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ए में संशोधन और धारा 205–सी के प्रावधान के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 1994–95 से 1998–99 के अदावाकृत लाभांश निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में हस्तांतरित कर दिया गया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 1999–2000 से 2007–08 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया था। वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2015–16 के लिए दावा न किए गए लाभांश को भी कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में अन्य लागू कानून/ नियम/विनियमों के साथ आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं। जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा–परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 (यथा संशोधित) के साथ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिया गया है। दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ में हस्तांतरित शेयरों का दावा www.iepf.gov.in पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ से किया जा सकता है।

11) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों के संबंध में फॉर्म संख्या एसएच–13 डीमैट खाते में रखे शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों को और यदि शेयर भौतिक विधि में रखे गए हैं, तो कंपनी के आर एंड एसटीए के पास जमा करके अपना नामांकन पंजीकृत करें। यदि भौतिक शेयर रखने वाला कोई शेयरधारक पहले के नामांकन को हटाने या रद्द करने और एक नया नामांकन दर्ज करने की इच्छा रखता है, तो वह इसे आईएसआर–3 या एसएच–14, जैसा भी मामला हो, में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त फॉर्म हमारी वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=en/content/mandatory-kyc-details-etc से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

12) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में विवादों को हल करने के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2023, 04 अगस्त, 2023 के परिपत्र के साथ पठित मुख्य परिपत्र संख्या सेबी / एचओ/ओआईएई/ओआईएईऋआईएडी–1/पी/सीआईआर/2023/145, 31 जुलाई, 2023, और अन्य सभी लागू परिपत्रों (उनके अद्यतन/संशोधन सहित) ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन (ओडीआर पोर्टल) बनाया है। इस परिपत्र में मौजूदा विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित किया जाता है, निवेशकों के हित को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन सुलह और मध्यस्थता की पेशकश की जाती है। ओडीआर पोर्टल में निवेशकों/ग्राहकों और सूचीबद्ध कंपनियों (उनके आर एंड एसटीए सहित) या प्रतिभूति बाजार में निर्दिष्ट मध्यस्थ संस्थाओं के बीच विवादों का समाधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें संस्थागत या कॉर्पोरेट ग्राहकों और निर्दिष्ट मध्यस्थों/विनियमित संस्थाओं के बीच विवादों को भी कवर किया जाता है।

13) कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी के बॉन्ड/डिबेंचर भी बीएसई लिमिटेड में लिस्टेड हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण मद संख्या 4

मद सं. 4

भारत सरकार, वित्तीय मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने पत्र संख्या एफ संख्या 2/4/2020–आईएफ–आई दिनांक 21 मार्च, 2025 के माध्यम से श्री राहुल भावे (डीआईएनः 09077979) को आपकी कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया था। श्री राहुल भावे ने 21 मार्च, 2025 (पूर्वान्ह) से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर 21 मार्च, 2025 (पूर्वान्ह) से कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री राहुल भावे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (1ग) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। उपर्युक्त के मद्देनजर, इस सूचना के मद संख्या 4 में दिए गए साधारण प्रस्ताव को पारित करके, श्री राहुल भावे को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि (अर्थात 21 मार्च, 2025) से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी के बोर्ड में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में नियुक्त करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।

श्री राहुल भावे का संक्षिप्त परिचय सेबी सूचीकरण विनियमन के विनियमन 36,

अधिनियम के प्रावधानों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–2) के तहत अनिवार्य रूप से नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के बारे में जानकारी में दिया गया है, जो नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री राहुल भावे कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक इस समाधान में रुचि रखते हैं।

कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी वित्तीय या अन्य रूप से इस समाधान से कोई संबंध या हित नहीं है।

तदनुसार, आपका बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 4 में दिए गए साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 5

भारत सरकार, वित्तीय मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने पत्र संख्या 6/2(xv)/2022–बीओ.I दिनांक 24 जुलाई, 2025 के माध्यम से, आईएफसीआई लिमिटेड की आंतरिक नियमावली के अनुच्छेद 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शैलेश कुमार (डीआईएनः 11226831), उप सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्तीय मंत्रालय को अगले आदेश तक कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया।

निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति ने कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में श्री शैलेश कुमार की नियुक्ति की सिफारिश की थी और बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, सेबी सूचीकरण विनियम, और कंपनी की आंतरिक नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उन्हें 05 अगस्त, 2025 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 (1ग) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए।

उपर्युक्त के मद्देनजर, कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में श्री शैलेश कुमार की नियुक्ति के लिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन मांगा जा रहा है।

श्री शैलेश कुमार का संक्षिप्त परिचय सेबी सूचीकरण विनियमन 2015 के विनियमन 36 (3), अधिनियम के प्रावधानों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–2) के तहत अनिवार्य नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की सूचना में दिया गया है, जो नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री शैलेश कुमार का कंपनी के उप–प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक संकल्प में हित है। कंपनी के अन्य निदेशकों (अन्य सरकारी निदेशक को छोड़कर जो अपनी आधिकारिक क्षमता में) या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी इस संकल्प में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्यथा हित नहीं है।

तदनुसार, आपका बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 6

श्री राजीव सचदेव (डीआईएन : 10681633) को निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा 25 अगस्त, 2025 को आपकी कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर बने रहेंगे और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 (1ग) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति अगली आम बैठक में ली जाए। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत निदेशक पद के लिए उनकी प्रत्याशी को प्रस्ताव देते हुए एक वैध सूचना प्राप्त हुई है और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति भी दे दी है।

श्री राजीव सचदेव का संक्षिप्त परिचय सेबी सूचीकरण विनियमन 2015 के विनियमन 36 (3), अधिनियम के प्रावधानों और सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–2) के तहत अनिवार्य नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की सूचना में दिया गया है, जो नोटिस के साथ संलग्न है।

श्री राजीव सचदेव का कंपनी के उप–प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक संकल्प में हित है। कंपनी के अन्य निदेशकों (अन्य सरकारी निदेशक को छोड़कर जो अपनी आधिकारिक क्षमता में) या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी इस संकल्प में किसी प्रकार का वित्तीय या अन्यथा हित नहीं है।

तदनुसार, आपका बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद सं. 7

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार, संगत नियमों के साथ प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट के साथ एक कार्यरत कंपनी सचिव (पीसीएस) द्वारा दी गई सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।

इसके अलावा, सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियमन) के विनियमन 24ए के अनुसार, जिसे 12 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, सेबी सूचीकरण विनियमन (तीसरा संशोधन) 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है, इस संबंध में सेबी द्वारा जारी संगत परिपत्रों के साथ पठित, एक सूचीबद्ध इकाई अपने निदेशक मंडल की सिफारिश के आधार पर, एक व्यक्ति को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में लगातार अधिक से अधिक पांच वर्षों की एक अवधि या एक सचिवीय लेखा परीक्षा फर्म को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में अपनी वार्षिक आम बैठक में

शेयरधारकों के अनुमोदन से लगातार पांच वर्षों की अधिक से अधिक दो अवधियों के लिए नियुक्त या पुनर्नियुक्त कर सकती है।

तदनुसार, निदेशक मंडल ने 08 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स कंपनी सेक्रेटरीज (एक प्रोपराइटरी कंसर्न), दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या : आई2012डीई915000) को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक लगातार पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त करने को मंजूरी दी, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

मेसर्स सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स, आईसीएसआई के साथ 2012 में पंजीकृत, कार्यरत कंपनी सचिवों की एक स्वामित्व वाली संस्था है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), एफडीआई/फेमा, कानूनी मामले, संपर्क, कर, लेखा परीक्षा, उचित परिश्रम, विलय एवं अधिग्रहण, समापन और अन्य ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है।

मेसर्स सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स ने कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है और पुष्टि की है कि उनकी प्रस्तावित नियुक्ति भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अंदर होगी, वे अधिनियम, सेबी सूचीकरण विनियमों और सेबी एवं आईसीएसआई द्वारा जारी संगत परिपत्रों के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। इसके अलावा, फर्म के पास एक वैध सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र भी है।

मेसर्स सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स को सचिवीय लेखा परीक्षा सेवाओं के लिए पांच वर्षों की अवधि हेतु देय समेकित पारिश्रमिक/शुल्क 3,50,000 रुपए है। सचिवीय लेखा परीक्षक को देय प्रस्तावित समेकित शुल्क जैम (जीईएम) पोर्टल पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।

सचिवीय लेखा परीक्षा सेवाओं के अतिरिक्त, कंपनी मेसर्स सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स से बैंकों, वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित विभिन्न वैधानिक विनियमों और प्रमाणपत्रों के तहत, समय–समय पर अपेक्षित लेखा परीक्षा संबंधी सेवाओं और अन्य अनुमेय गैर–सचिवीय लेखा परीक्षा सेवाओं के लिए प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकती है, जिसके लिए उन्हें लेखा परीक्षा समिति के परामर्श से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अलग से पारिश्रमिक दिया जाएगा।

मेसर्स सूर्या गुप्ता एंड एसोसिएट्स इस प्रस्ताव में रुचि रखती है क्योंकि यह उसकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में वित्तीय या अन्य रूप से कोई संबंध या रुचि नहीं है।

तदनुसार, आपका बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 7 में दिए गए साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

पंजीकृत कार्यालय :
आईएफसीआई टावर
61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली–110019
सीआईएन : एल74899डीएल1993जीओआई053677
टेलीफोन : 011–41732000
वेबसाइट : www.ifciltd.com
ई–मेल : complianceofficer@ifciltd.com
दिनांक : 19 सितम्बर, 2025

निदेशक बोर्ड के आदेशानुसार

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 36 (3), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सामान्य बैठक (एसएस–2) पर सचिवीय मानकों के अनुपालन में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के बारे में सूचना निम्नानुसार हैं :

विवरण	श्री अरविंद कुमार जैन	श्री राहुल भावे	श्री शैलेश कुमार	श्री राजीव सचदेव
जन्म तिथि व आयु	13 जनवरी, 1957 (68 वर्ष)	11 जून, 1973 (52 वर्ष)	19 दिसंबर, 1970 (54 वर्ष)	06 सितंबर, 1965 (60 वर्ष)
कार्यात्मक क्षेत्रों में अर्हताएं और सुवज्ञिता	श्री अरविंद कुमार जैन एम.एससी. (सांख्यिकी) में स्वर्ण पदक विजेता और विधि स्नातक हैं। वे पंजाब एवं सिंध बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक हैं और उन्हें ट्रेजरी कॉर्पोरेट क्रेडिट, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, इक्विटी एवं ऋण पूंजी जुटाने, अनुपालन और जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता के साथ लगभग 40 वर्षों का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है।	श्री भावे आईआईएम अहमदाबाद से सार्वजनिक प्रबंधन और नीति में एमबीए और सांख्यिकी में स्नातकोत्तर हैं। वे एक योग्य सीएआईआईबी व्यावसायिक भी हैं। श्री राहुल भावे ने आईएफसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति से पहले आईएफसीआई लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। श्री भावे विभिन्न क्षेत्रों में 24 वर्षों से अधिक के वाणिज्यिक बैंकिंग अनुभव वाले वरिष्ठ बैंकर हैं और उन्होंने देश भर में सेवा की है। वे 2020 से राष्ट्रीय आवास बैंक में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने एचएफसी के प्रभावी पर्यवेक्षण और जमीनी स्तर पर ऋण वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पुनर्वित्त के माध्यम से देश में एक मजबूत आवास और आवास वित्तीय प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। उन्हें वाणिज्यिक बैंक में जोन का नेतृत्व करने का अनुभव है। रिटेल परिचालन में विशेषज्ञता के अलावा, उन्हें पुनर्वित्त, पर्यवेक्षण, वसूली, जोखिम प्रबंधन और आईटी के क्षेत्रों में भी अनुभव है। उन्होंने बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन में उभरती प्रौद्योगिकियों पर आरबीआई और आईबीए द्वारा स्थापित समितियों में भी काम किया है।	श्री शैलेश कुमार एम.एससी. (भौतिकी) और एमबीए (वित्त) हैं। श्री शैलेश कुमार एक प्रतिष्ठित सीएसएस अधिकारी और शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति हैं। शिक्षा मंत्रालय के वित्तीय प्रभाग में अपनी पेशेवर यात्रा की शुरुआत करते हुए, उन्होंने शिक्षा वित्तपोषण के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक सटीकता और नीतिगत अंतर्दृष्टि को अग्रणी बनाया। वे बाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में स्थानांतरित हो गए, जहाँ उन्होंने विमानन सुरक्षा नीति के विकास और पर्यवेक्षण में योगदान दिया और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय (अब विदेश मंत्रालय में विलय हो चुका है) में, वे प्रवासन नीति के कार्यान्वयन में शामिल रहे। वर्तमान में, श्री शैलेश कुमार वित्तीय मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) में कार्यरत हैं, जहाँ वे ऋण वसूली प्रभाग और विधि प्रकोष्ठ का कार्यभार संभालते हैं। उनका कार्य भारत के वित्तीय संस्थानों और वसूली रूपरेखा को सुदृढ़ करने हेतु नीति निर्माण और कार्यनीति पर विचार–विमर्श करना है।	श्री राजीव सचदेव बी.एससी. (भौतिकी) हैं। श्री राजीव सचदेव 1988 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में 16वें बैच के प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए। वे एक अत्यधिक अनुभवी पेशेवर हैं जिन्होंने एलआईसी में 37 वर्षों से अधिक सेवा की है (सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे)। श्री सचदेव ने विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं और बीमा उद्योग तथा आवास वित्तीय एवं क्रेडिट कार्ड जैसे अन्य वित्तीय उत्पादों की गहरी समझ प्रदर्शित की है। उन्हें एलआईसी की विभिन्न शाखाओं, मंडलीय और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। वे जबलपुर जिला शाखा के मुख्य प्रबंधक और एलआईसी के दिल्ली मंडल–3 के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक (प्रभारी) भी रहे। उन्होंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और बीमा लोकपाल के साथ भी काम किया है। वह एलआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने कार्यनीतिक पहलों को आकार देने, ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने

				और संगठनात्मक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पारिश्रमिक सहित नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की मुख्य शर्तें एवं नियम	उन्हें बैठक के शुल्क (यदि कोई हो, जैसा भी लागू हो) के अलावा कोई पारिश्रमिक (शुल्क और कमीशन सहित) नहीं दिया जाता है।	जो नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।	उन्हें कोई पारिश्रमिक (शुल्क और कमीशन सहित) नहीं दिया जाता है।	उन्हें बैठक के शुल्क (यदि कोई हो, जैसा भी लागू हो) के अलावा कोई पारिश्रमिक (शुल्क और कमीशन सहित) नहीं दिया जाता है।
आईएफसीआई लिमिटेड में समिति सदस्यता/ अध्यक्षता (सूचना की तिथि के अनुसार)	1) पणधारक संबंध समिति – अध्यक्ष 2) लेखा परीक्षा समिति – सदस्य 3) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति – सदस्य 4) असहयोगी उधारकर्ताओं और वसूली एवं एनपीए प्रबंधन समिति की समीक्षा समिति – सदस्य 5) कार्यकारी समिति – सदस्य 6) जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों की समीक्षा समिति – सदस्य 7) निदेशकों की प्रबंधन समिति – अध्यक्ष	1) कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति – अध्यक्ष 2) गैर–सहकारी उधारकर्ता और वसूली समीक्षा समिति एवं एनपीए प्रबंधन समिति – अध्यक्ष 3) कार्यकारी समिति – अध्यक्ष 4) आईटी कार्यनीति समिति – सदस्य 5) निदेशकों की प्रबंधन समिति – सदस्य 6) विलफुल डिफॉल्टर्स पर समीक्षा समिति – अध्यक्ष	1) पणधारक संबंध समिति – सदस्य 2) जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति – सदस्य	1) पणधारक संबंध समिति – सदस्य 2) व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति – सदस्य 3) जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति – सदस्य 4) कार्यकारी समिति – अध्यक्ष 5) आईटी कार्यनीति समिति – सदस्य 6) निदेशकों की प्रबंधन समिति – सदस्य
अन्य कंपनियों /कंपनी बोर्ड में निदेशिताएं	1. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड 2. नवसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड 3. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड 4. सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड 5. बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1. स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड 3. आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड 4. प्रबंधन विकास संस्थान 5. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान 6. आईएफसीआई सोशल फाउंडेश	शून्य	1. एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड

	6. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड 7. आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 8. फेयर कनेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 9. शिवालय कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 10. विजयपुर – कुंजवानी हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड			
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता /अध्यक्षता (सूचीबद्ध कंपनी सहित)	1. पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड – (i) लेखा परीक्षा समिति (ii) जोखिम समिति (iii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (iv) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति 2. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड – (i) लेखापरीक्षा समिति (ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (iii) कार्यकारी समिति (iv) एनपीए समीक्षा समिति (v) जोखिम और एएलएम समिति 3. बीओआई ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड – (i) लेखा परीक्षा समिति (ii) जोखिम समिति	शून्य	शून्य	शून्य

	4. नवसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड – (i) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, (ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (iii)ऋण समिति 5. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड – (i) लेखा परीक्षा समिति (ii) जोखिम समिति (iii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (iv) आईटीएसएससी समिति (v) एससीबीएफ एंड एम समिति 6. सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (i) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति			
सूचीबद्ध संस्थाएं, जिनसे व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में त्यागपत्र दिया है	उषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य

पहली नियुक्ति की तिथि और कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या और बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	श्री अरविंद कुमार जैन 09 नवंबर, 2022 से कंपनी के बोर्ड में हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित सभी सात बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।	श्री राहुल भावे को 28 नवंबर, 2023 को उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। बाद में, भारत सरकार के पत्र के अनुसार, वे कंपनी के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के पद से हट गए और 21 मार्च, 2025 (पूर्वान्ह) से कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित सभी सात बोर्ड बैठकों में उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में भाग लिया है।	श्री शैलेश कुमार को 05 अगस्त, 2025 को सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अपनी नियुक्ति की तिथि से अब तक उन्होंने एक बोर्ड बैठक में भाग लिया है।	श्री राजीव सचदेव को 25 अगस्त, 2025 को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया। अपनी नियुक्ति की तिथि से अब तक उन्होंने एक बोर्ड बैठक में भाग लिया है।
लाभार्थी स्वामी के रूप में शेयरधारिता सहित कंपनी में शेयरधारिता	उनके पास न ही उनके नाम पर और न ही लाभार्थी स्वामी के रूप में आईएफसीआई लिमिटेड में कोई शेयर है।	उनके पास न ही उनके नाम पर और न ही लाभार्थी स्वामी के रूप में आईएफसीआई लिमिटेड में कोई शेयर है।	उनके पास न ही उनके नाम पर और न ही लाभार्थी स्वामी के रूप में आईएफसीआई लिमिटेड में कोई शेयर है।	उनके नाम पर आईएफसीआई लिमिटेड में 110 इक्विटी शेयर हैं।
कंपनी के किसी अन्य निदेशक, प्रबंधक और अन्य केएमपी के साथ संबंध	उनका कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से कोई संबंध नहीं हैं।	उनका कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से कोई संबंध नहीं हैं।	उनका कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से कोई संबंध नहीं हैं।	उनका कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से कोई संबंध नहीं हैं।
अयोग्यता / वंचन	इसके अलावा, उन्हें किसी भी सेबी आदेश या किसी अन्य प्राधिकरण के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से अयोग्य या वंचित नहीं किया गया है	इसके अलावा, उन्हें किसी भी सेबी आदेश या किसी अन्य प्राधिकरण के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से अयोग्य या वंचित नहीं किया गया है	इसके अलावा, उन्हें किसी भी सेबी आदेश या किसी अन्य प्राधिकरण के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से अयोग्य या वंचित नहीं किया गया है	इसके अलावा, उन्हें किसी भी सेबी आदेश या किसी अन्य प्राधिकरण के आधार पर निदेशक का पद धारण करने से अयोग्य या वंचित नहीं किया गया है

निदेशकों की विस्तृत प्रोफाइल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बोर्ड की रिपोर्ट

1.0 सेवा में सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक **मंडल** ("आपकी कंपनी" या "आईएफसीआई") आपके समक्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण सहित आईएफसीआई लिमिटेड की 32वीं (बत्तीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा। प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

2.0 वित्तीय सारांश और कंपनी के कार्यों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के वित्तीय कार्य–निष्पादन का सारांश निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपए)

विवरण	स्टेण्डअलोन		समेकित	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
कुल आय	841.86	895.94	2,064.16	2,114.82
घटाएं :				
क्षति हानि भत्ता, मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन से पूर्व कुल व्यय	669.86	723.15	1,453.69	1,580.42
वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	(224.37)	(335.17)	(224.85)	(294.28)
मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन	24.20	24.16	83.34	80.89
कुल व्यय	469.69	412.14	1,312.18	1,367.03
अपवादात्मक मदें	0.00	0.00	2.95	(3.09)
कर–पूर्व लाभ / (हानि)	372.17	483.80	749.03	750.88
कर व्यय	328.37	355.55	400.42	509.83
सहयोगी कम्पनियों के लाभ में हिस्से से पूर्व लाभ / (हानि)	43.80	128.25	348.61	241.05
सहयोगी कम्पनियों के लाभ में कुल व्यय का हिस्सा	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	43.80	128.25	348.61	241.05
अन्य समग्र आय (कर घटा कर)	(22.41)	(40.15)	6,662.09	334.33
कुल समग्र आय	21.39	88.10	7,010.70	575.38
निवल लाभ / (हानि) के कारण –				
कम्पनी के मालिक	NA	NA	171.04	103.66
गैर–नियंत्रक हित	NA	NA	177.57	137.40
कुल समग्र आय के कारण –				
कम्पनी के मालिक	NA	NA	3,682.63	260.78
गैर–नियंत्रक हित	NA	NA	3,328.07	314.61
प्रति शेयर अर्जन				
प्रत्येक 10 रुपए का प्रति शेयर बेसिक अर्जन	0.17	0.52	0.65	0.42
प्रत्येक 10 रुपए का प्रति शेयर डाईल्यूटिड अर्जन	0.17	0.52	0.65	0.42

टिप्पणी : आंकड़े लगभग करोड़ रु. में पूर्णांकित किए गए हैं।

उपरोक्त आंकड़े यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन अधिसूचित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 और लेखा मानकों के अनुपालन में भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार की गई वित्तीय विवरणियों से उद्धृत हैं।

भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या आपकी कंपनी के किसी अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी विनियमन / मार्गदर्शन / स्पष्टीकरण / निर्देश के जारी / लागू होने पर, आपकी कंपनी द्वारा उसे लागू किया जाएगा।

3.0 वित्तीय कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 128.25 करोड़ रुपए की तुलना में 43.80 करोड़ रुपए का एकल कर–पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज

किया। कुल समग्र आय 21.39 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष के 88.10 करोड़ रुपए से कम है। लाभप्रदता में गिरावट मुख्यतः ब्याज आय में कमी के कारण हुई। वसूली बढ़ाने और परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई कई कार्यनीतिक पहलों से नकदी प्रवाह में सुधार हुआ है और तुलन पत्र बेहतर हुई है। चालू वित्तीय वर्ष तक, प्रावधान कवरेज अनुपात 69.31 प्रतिशत है, जबकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात (–)23.04 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष के (–) 48.35 प्रतिशत से बेहतर है। टियर–1 पूंजी भी (–) 48.36 प्रतिशत से सुधरकर (–) 23.04 प्रतिशत हो गई। आपकी कंपनी ने समेकित आधार पर पिछले वर्ष के 241.05 करोड़ रुपए से बढ़कर 348.61 करोड़ रुपए का कर–पश्चात लाभ (पीएटी) प्राप्त किया। कुल व्यापक आय 575.38 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,010.70 करोड़ रुपए हो गई, जो मुख्य रूप से हमारी सहायक कंपनी के स्वामित्व वाले एक निवेश के उचित मूल्यांकन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई।

4.0 मंजूरियां, संवितरण और वसूली

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने कोई नया ऋण मंजूर नहीं किया। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान ऋण/अग्रिम राशियों का कोई संवितरण नहीं किया गया।

आपकी कंपनी ने गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से वसूली का कार्य सक्रियता से किया, जिससे वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एनपीए व सिक्योरिटी प्राप्तियों (एसआर) से 580 करोड़ रु. की वसूली हुई।

आपकी कंपनी बहु–आयामी रिजॉल्यूशन मोड और कार्यनीतियों के माध्यम से एनपीए और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों से वसूली के लिए अपने आक्रामक दृष्टिकोण को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.0 ट्रेजरी, निवेश और विदेशी मुद्रा परिचालन

आपकी कंपनी ने तरलता प्रबंधन के साथ लाभदेयता को अधिकतम करने की दिशा में हर संभव प्रयास किये हैं और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विविध वित्तीय उपकरणों में अधिशेष निधि का निवेश करने में सावधानी बरती है।

रुपए के परिचालन के मामले में, कंपनी का उद्देश्य कम से कम जोखिम लेकर अधिशेष निधि को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करना और अधिशेष निधि से अनुकूलतम लाभ पाना है। कंपनी का अंतर्निहित निवेश सिद्धांत ही सुरक्षा, तरलता और जोखिम नियंत्रण था। तदनुसार, आपकी कंपनी ने ट्रेजरी बिल, सरकारी प्रतिभूतियों, सावधि जमा और म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश किया। वर्ष के दौरान औसत परिनियोजन अर्थात् डिप्लॉयमेंट वित्तीय वर्ष 2023–24 में 887.91 करोड़ रुपए के प्रति 1,145.18 करोड़ रुपए था और वार्षिक रिटर्न 7.28 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 45.44 करोड़ रुपए के प्रति निवेश से 107.99 करोड़ रुपए की ब्याज आय अर्जित की। उच्च ब्याज दर और अधिक तरलता के कारण ब्याज आय अधिक रही।

31 मार्च, 2025 तक आपकी कंपनी का निवल निवेश पोर्टफोलियो पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 2,959 करोड़ रुपए के प्रति 2,477 करोड़ रुपए रहा।

विदेशी मुद्रा (एफसी) परिचालन एफसी देयताओं की सेवा तक ही सीमित थे और 18 अप्रैल, 2024 को 334.25 करोड़ रुपए का बकाया केएफडब्ल्यू ऋण पूर्व–भुगतान किया गया था।

6.0 संसाधन जुटाना और उधार प्रक्रिया की रूपरेखा

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी रेटिंग बाधाओं और कमजोर वित्तीय मानकों के कारण नए संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकी। लेकिन आपकी कंपनी ने प्रभावी तरलता प्रबंधन के माध्यम से नियत तिथियों पर और उससे पहले अपनी देयताओं का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने 1,923 करोड़ रु. (1,373 करोड़ रु. मूलधन और 550 करोड़ रु. ब्याज) का कर्ज चुकाया, जिसमें 31 मार्च, 2025 को देय भुगतान शामिल था।

31 मार्च, 2025 तक आपकी कंपनी की बकाया मूल देनदारी 3,778.05 करोड़ रुपए थी, जिसमें केवल रुपए का उधार शामिल था। 31 मार्च, 2025 को बकाया ब्याज देयता (अर्थात अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं) 571 करोड़ रु. थी। 31 मार्च, 2025 तक बकाया उधारियों का विस्तृत विवरण नीचे दर्शाया गया है :

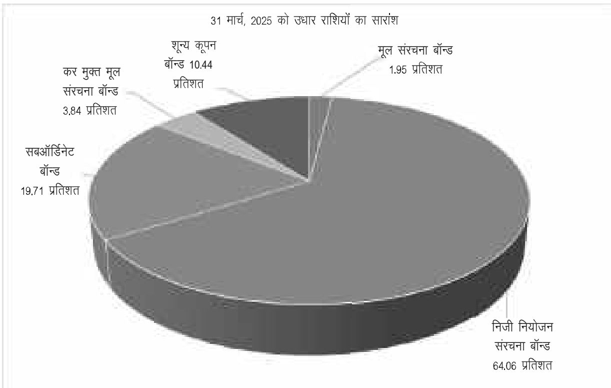

आपकी कंपनी निवेशक सेवाओं के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और निवेशकों की शिकायतों के समय पर समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और उनका पालन करने के लिए प्रयासरत है। आपकी कंपनी ने निवेशकों के अनुकूल कई पहलें की हैं, जैसे आर एंड टीए में केवाईसी विवरण अपडेट प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना, प्रतिभूतियों का डीमटेरियलाइजेशन, ब्याज और भुगतान–योग्य आय का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निवेशकों की शिकायतों व अनुरोधों को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन सर्विस रिक्वेस्ट पोर्टल का संचालन आदि।

7.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

ऊर्जा संरक्षण – कंपनी के प्रचालन में कोई विनिर्माण या प्रसंस्करण गतिविधियाँ शामिल नहीं हैं। यह उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इसके लिए बिजली की सामान्य खपत की आवश्यकता होती है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ड) के प्रावधान कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (3) के साथ पठित, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। फिर भी, आपकी कंपनी ने ऊर्जा के बेहतर उपयोग को प्राथमिकता दी है। आईएफसीआई टॉवर को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया हुआ है।

प्रौद्योगिकी समावेशन– सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में व्यावसायिक परिचालन को बदल दिया है। आपकी कंपनी में, आईटी व्यावसायिकों की हमारी बाहरी टीम ने सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआईआईएस) के नाम से एक सिस्टम विकसित किया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख व्यावसायिक कार्यों के साथ–साथ गैर–मुख्य कार्यों में भी उपयोग होता है। यह सिस्टम 20 से अधिक वर्षों से सफलतापूर्वक प्रचालित किया जा रहा है और इसे लगातार नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया गया है। आपकी कंपनी उचित डेटा बैकअप सुनिश्चित करती है और डेटा एवं व्यावसायिक सूचना प्रणालियों की सुरक्षा के लिए एक आपदा पुनर्प्राप्ति साइट भी उपलब्ध कराती है। आपकी कंपनी ने भारत सरकार (जीओआई) की विभिन्न उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए वेब पोर्टल डिजाइन, विकसित और प्रबंधित किए हैं। आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) भी विकसित किए हैं ताकि नीट परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों का आधार–आधारित सत्यापन किया जा सके। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने मंत्रालयों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जियोफेंसिंग बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान सुव्यवस्थित वीडियो संचार और लाइवकंटेंट साझा करने की सुविधा के लिए वेबएक्स मीटिंग्स और टीम मीटिंग का उपयोग करते हुए अधिक बैठकें बुलाई गईं। इन सुविधाओं ने शेयरधारकों को वेबएक्स के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने में भी सक्षम बनाया है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निम्नलिखित पहलें की हैं :–

- डिजिटलीकरण अभियान के तहत, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, दस्तावेजों और फाइलों को एन्क्रिप्शन के साथ ओरेकल डेटाबेस में स्थानांतरित किया गया है। सीआईआईएस मॉड्यूल के माध्यम से दस्तावेजों और फाइलों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है!
- सेबी के नियमों के अनुपालन में, संविदा कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा शेयरों की धारिताओं का विवरण प्राप्त करने के लिए एक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित और तैनात किया गया है। विभिन्न कार्यों के लिए नए मॉड्यूल भी आंतरिक रूप से विकसित किए गए हैं।
- घटना रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग और समाधान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए मैनेज–इंजन सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।
- नियमित सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा और समय पर पैच अपडेट के माध्यम से नेटवर्क और मूल संरचना की सुरक्षा को मजबूत किया गया है।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आईएफसीआई वेबसाइट की उपयोगिता का आकलन करने हेतु सुगम्यता लेखापरीक्षा का कार्य पूरा किया गया।

  इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान किसी भी प्रौद्योगिकी का आयात नहीं किया गया और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर कोई व्यय नहीं किया गया।

8.0 विदेशी मुद्रा अर्जन

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह लगभग 332.66 करोड़ रु. और कोई विदेशी मुद्रा आय नहीं थी।

9.0 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास विभिन्न नीतियों और प्रक्रियात्मक मैनुअलों के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग पर ठोस आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी की एक अनुभवी आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा पिछले वर्षों में डिजाइन और कार्यान्वित किए गए इकाई स्तरीय नियंत्रण रूपरेखा को आंतरिक लेखा परीक्षा के समानांतर आवृत्ति के साथ, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए नमूना परीक्षणों के अधीन किया गया था। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता पर संतुष्टि के आधार पर, निदेशक मंडल का मानना है कि पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वे प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

10.0 सतर्कता

आपकी कंपनी के मुख्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित सतर्कता विभाग है, जो आईएफसीआई, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और सहायक कंपनियों के सतर्कता मामलों की देखरेख करता है।

विभाग का व्यापक कामकाज निवारक सतर्कता, जासूसी सतर्कता और दंडात्मक सतर्कता में विभाजित है।

निवारक सतर्कता पर विशेष ध्यान देते हुए, विभाग समय–समय पर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण करता है। प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय प्रभारी, सहायक कंपनियों और संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाता है, ताकि सुधारात्मक उपाय या प्रणालीगत सुधार आरंभ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सकें। यह समय–समय पर प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार के लिए सलाह भी देता है। यह मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार शिकायतों और अन्य संदर्भित मामलों का निपटान सुनिश्चित करता है।

नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, 28 अक्तूबर से 03 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम थी – ''सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि'' ।

11.0 व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और (10) तथा सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति /सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत, आईएफसीआई के निदेशक और कर्मचारी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आईएफसीआई की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को प्रबंधन के समक्ष रख सकते हैं, तथा शिकायतें मिलने पर हर प्रकार के उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायतकर्ता के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इस नीति में उचित और असाधारण मामलों में लेखा–परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुँच का भी प्रावधान है। व्हिसल ब्लोअर नीति https://www.ifciltd.com/2025/Whistle%20Blower%20Policy_Vigil%20Mechanism.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

12.0 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटन

एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है और 31.03.2025 तक उक्त समिति के सदस्य इस प्रकार हैं :

1. श्रीमती पूजा महाजन (सीजीएम) – पीठासीन अधिकारी
2. सुश्री लता लोचव – बाहरी सदस्य
3. महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
4. सुश्री शिखा गुप्ता, उप महाप्रबंधक
5. सुश्री तृणा तेजस्विनी, उप महाप्रबंधक (विधि)

उपरोक्त किसी भी आंतरिक सदस्य की अनुपस्थिति में, सुश्री प्रियंका शर्मा, डीजीएम वैकल्पिक सदस्य हैं। समिति के कोरम में सभी सदस्य शामिल होंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त शिकायतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

विवरण	संख्या
वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान यौन उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	2
नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप	शून्य

13.0 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

आपकी कंपनी मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर रही है।

14.0 सूचना का अधिकार

आईएफसीआई ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आईएफसीआई पर लागू होने के बाद, 2013 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करता रहा है। आईएफसीआई ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आवश्यक प्रकटन किए हैं, जो आपकी कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध हैं। आईएफसीआई ने अपने मुख्यालय, नई दिल्ली में एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नियुक्त किया है और अखिल भारतीय स्तर पर सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखों को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में भी नियुक्त किया है। आईएफसीआई ने केंद्रीय सूचना आयोग के 15 नवंबर, 2010 के निर्देश के अनुसरण में एक पारदर्शिता अधिकारी भी नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के प्रावधानों की प्रत्यक्ष जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भी अपलोड किया गया है। सूचना तक आसान पहुँच के लिए आईएफसीआई लिमिटेड की वेबसाइट पर आरटीआई मैनुअल भी अपलोड किया गया है। वैधानिक निर्देशों के अनुपालन में, आरटीआई आवेदन और उनके संबंधित उत्तर, आरटीआई अपील और उनके संबंधित निर्णय भी आईएफसीआई लिमिटेड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024–2025 में आईएफसीआई को कुल 90 आरटीआई आवेदन और 35 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं, जिनका निपटारा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया गया।

15.0 राजभाषा का प्रचार :

आपकी कंपनी को सरकार के राजभाषा अधिनियम, 1963 का अनुपालन करने का गौरव प्राप्त है, जिसके लिए मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (ओएलआईसी) स्थापित की गई हैं। हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए ओएलआईसी की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। कंपनी के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड सुविधा उपलब्ध है और शेयरधारकों तथा आम जनता के लाभ के लिए इसकी वेबसाइट भी द्विभाषी है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा आईएफसीआई में राजभाषा के प्रचार के लिए हिंदी प्रतियोगिताओं के साथ–साथ हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी के कई अधिकारियों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उनमें से कुछ इन प्रतियोगिताओं में विजेता भी रहे।

16.0 प्रबंधन विचार – विमर्श और विश्लेषण

1 उद्योग संरचना और विकास*

2024 में वैश्विक आर्थिक विस्तार लगातार जारी रहा, हालांकि भू–राजनीतिक तनाव, भू–आर्थिक विखंडन, बढ़ते व्यापार तनाव और बढ़े हुए सार्वजनिक ऋण के बीच विकास असमान रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, 2024 में 3.3 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 3.5 प्रतिशत) की वैश्विक वृद्धि दर ऐतिहासिक औसत (2000–19) 3.7 प्रतिशत से कम थी।

चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक परिवेश के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2024–25 के दौरान मजबूत व्यापक आर्थिक मूल संरचना और सक्रिय नीतिगत उपायों के बल पर लचीलापन प्रदर्शित किया। यद्यपि 2024–25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई, फिर भी भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। व्यय पक्ष में उपभोग मांग और निवल निर्यात में सुधार, और आपूर्ति पक्ष में सेवा क्षेत्र में तेजी और कृषि उत्पादन में सुधार से आर्थिक गतिविधियों को बल मिला।

वर्ष 2024–25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत रही, जो एक वर्ष पहले 2.7 प्रतिशत थी। यह वृद्धि पर्याप्त जलाशय स्तरों और अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के कारण हुई। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2024–25 में घटकर 4.3 प्रतिशत रह गई, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण जीवीए में कमी थी। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं से कई प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में विकास को गति देने में मदद मिली। नवंबर 2024 तक, पीएलआई योजना के तहत निवेश योजनाओं के तहत कुल प्रतिबद्ध लक्ष्य के 57 प्रतिशत तक पहुंच गया। जीवीए में 64.1 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, सेवा क्षेत्र 2024–25 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल आपूर्ति का मुख्य आधार बना रहा।

भारतीय रिजर्व बैंक की जून 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, अर्थव्यवस्था स्वस्थ गति से बढ़ रही है और वित्तीय प्रणाली से वास्तविक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। बैंकिंग प्रणाली का लचीलापन भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण रहा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार दर्ज करना जारी रखा है, जीएनपीए

*स्रोत : आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 और आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025 के अंश।

अनुपात और एनएनपीए अनुपात क्रमशः 2.3 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत के कई दशकों के निचले स्तर पर आ गए हैं। अर्ध–वार्षिक स्लिपेज अनुपात, जिसके माध्यम से अर्ध–वार्षिक की शुरुआत में मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में एनपीए में नई वृद्धि को मापा जाता है, 0.7 प्रतिशत पर स्थिर रहा। मार्च 2025 तक, एससीबी का पूंजी–जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात बढ़कर 17.3 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2024–25 में एससीबी की लाभप्रदता मजबूत रही, कर के बाद लाभ में 16.9 प्रतिशत (वर्ष–दर–वर्ष) की वृद्धि हुई।

केंद्र सरकार ने राजकोषीय मोर्चे पर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे, जिसे कर राजस्व में वृद्धि का समर्थन प्राप्त हुआ, साथ ही व्यय की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया। मामूली चालू खाता घाटा और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार से बाह्य क्षेत्र को लचीलापन प्रदान किया गया, जबकि पूंजी प्रवाह में अस्थिरता देखी गई।

2 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसीस)

आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, दिसंबर 2024 के अंत तक एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल ऋण में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई, हालांकि असुरक्षित ऋण में वृद्धि धीमी रही। इस अवधि के दौरान लाभप्रदता संकेतकों और एनपीए अनुपात में और सुधार जारी रहा, जबकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात मजबूत बना रहा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून 2025 में जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, एनबीएफसी (उच्च और मध्यम स्तर) की ऋण वृद्धि सितंबर 2024 में 16.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 20.7 प्रतिशत (वर्ष–दर–वर्ष) हो गई। गतिविधि आधारित वर्गीकरण पर विचार करते हुए, एनबीएफसी की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी (बकाया ऋणों के संदर्भ में), अर्थात एनबीएफसी–आईएफसी की ऋण वृद्धि मार्च 2024 की तुलना में बढ़ी है। एनबीएफसी–एमएफआई का पोर्टफोलियो 2024–25 की दूसरी छमाही में सिकुड़ गया क्योंकि ऋणदाताओं ने पोर्टफोलियो में तनाव के जवाब में विवेकपूर्ण कदम उठाए।

एनबीएफसी–यूएल और एनबीएफसी–एमएल दोनों में चूक के स्तर में सुधार हुआ। सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी–एमएल द्वारा अग्रिम राशियों में 58.7 प्रतिशत हिस्सेदारी) का जीएनपीए अनुपात सुधरकर 1.4 प्रतिशत हो गया, जबकि एनबीएफसी–एमएल जैसी निजी स्वामित्व वाली एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात सितंबर 2024 के समान स्तर (5.2 प्रतिशत) पर बना रहा। एनबीएफसी का सिस्टम स्तर सीआरएआर मार्च 2025 में 25.8 प्रतिशत पर स्वस्थ था। एनबीएफसी–यूएल लगातार लगभग 8 प्रतिशत के उच्च एनआईएम को बनाए रख रहे थे, जबकि एनबीएफसी–एमएल द्वारा लगभग 4 प्रतिशत था। परिणामस्वरूप, आरओए और आरओई के संदर्भ में एनबीएफसी–यूएल की लाभप्रदता एनबीएफसी–एमएल की तुलना में बहुत अधिक थी। तरलता के मोर्चे पर, एनबीएफसी–यूएल अधिक असुरक्षित थे, क्योंकि एनबीएफसी–एमएल की तुलना में उनकी कुल परिसंपत्तियों में अल्पकालिक देनदारियों का अनुपात अधिक था। एनबीएफसी–यूएल की कुल परिसंपत्तियों में दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का हिस्सा 55.0 प्रतिशत रहा, जबकि एनबीएफसी–एमएल के लिए यह लगभग दो–तिहाई था।

3 अवसर और चुनौतियां

भारत को आत्मनिर्भर बनाने, आयात निर्भरता को कम करने, भारत में वैश्विक औद्योगिक चैंपियन बनाने और 'दुनिया के लिए भारत में निर्माण' करने के लिए, भारत सरकार ने कई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की हैं। स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जिसके लिए भारत सरकार ने बल्क ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस पार्क का शुभारंभ किया है। वर्तमान में, आईएफसीआई 14 पीएलआई योजनाओं में से 10 के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमए) है।

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की पीएलआई योजनाओं और अन्य योजनाओं के लिए एक पसंदीदा भागीदार (परियोजना निगरानी/नोडल एजेंसी की क्षमता में) बनने के प्रयास ने न केवल एक अतिरिक्त राजस्व धारा प्रदान की है, बल्कि बहुत अधिक दृश्यता भी प्रदान की है।

पीएलआई योजनाएं भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की आधारशिला हैं। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और भारत को विनिर्माण जगत में वैश्विक चैंपियन बनाना है। पीएलआई योजनाओं के पीछे की कार्यनीति आधार वर्ष में भारत में निर्मित उत्पादों की वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इन्हें विशेष रूप से उभरते और कार्यनीतिक क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, सस्ते आयात पर अंकुश लगाने और आयात बिलों को कम करने, घरेलू रूप से निर्मित वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने, घरेलू क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।

सलाहकार सेवाओं में विविधता लाने की आपकी कंपनी की कार्यनीति के हिस्से के रूप में, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान भारत सरकार की योजनाओं को प्राप्त करना जारी रखा है, जिसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम–2024 (ईएमपीएस), इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसएमईसी), पीएम ई–ड्राइव, आईटी हार्डवेयर 2.0 शामिल हैं।

भारत सरकार की पीएलआई और अन्य योजनाएं निम्नलिखित हैं, जहां आईएफसीआई को नोडल एजेंसी/प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीएमए) नियुक्त किया गया है :

क्र. सं.	पीएलआई एवं अन्य योजनाओं का विवरण	योजनाओं का विवरण निम्न पोर्टल/वेबसाइट पर उपलब्ध है
1.	बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन (पीएलआई–एलएसईएम) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)	https://pli.ifciltd.com/
2.	आईटी हार्डवेयर 2.0 के लिए उत्पादन–लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना	https://2.pliithw.com/
3.	क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटीरियल्स (केएसएमएस)/ड्रग इंटरमिडियेट्स (डीआईएस) /एक्टिव फार्मास्युटिकल्स इनग्रिडिएन्टस (एपीआई) के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई–बल्क ड्रग्स)	https://plibulkdrugs.ifciltd.com/
4.	चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई (पीएलआई–एमडी)	https://plimedicaldevices.ifciltd.com/
5.	बल्क ड्रग्स पार्कों को बढ़ावा देने की योजना	https://pharma-dept.gov.in/schemes/scheme-promotion-bulk-drug-parks
6.	चिकित्सा यंत्रों पार्कों को बढ़ावा देने की योजना	https://pharma-dept.gov.in/schemes/scheme-promotion-medical-device-parks
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएफपीआई)	https://plimofpi.ifciltd.com/
8.	वाइट गुड्स के लिए पीएलआई (पीएलआई –डब्ल्यूजी)	https://pliwhitegoods.ifciltd.com/
9.	ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई–ऑटो)	https://pliauto.in/
10.	पीएलआई टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स : एमएमएफ सेगमेंट और टेक्निकल टेक्सटाइल्स	https://plitextiles.ifciltd.com/
11.	ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना	https://plidrone.ifciltd.com/
12.	पीएलआई योजना 'उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' (पीएलआई–एसीसी	https://pliacc.in/
13.	इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों और सेमी कंडक्टर (एसपीईसीएस) के विनिर्माण को प्रोत्साहन की योजना	https://specs.ifciltd.com/
14.	संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एम–एसपीएस) की योजना	https://www.msips.in/MSIPS/HomePage
15.	भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना चरण II (एफएएमई–II)	https://fame2.heavyindustries.gov.in/
16.	प्रधानमंत्री ई–ड्राइव (नवीन वाहन संवर्धन में इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति) योजना	https://pmedrive.heavyindustries.gov.in/
17.	भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसएमईसी)	https://heavyindustries.gov.in/scheme-promote-manufacturing-electric-passenger-cars-india-0
18.	भारत सेमीकंडक्टर मिशन	https://ism.gov.in/
18a.	सेमीकंडक्टर फैब्स	
18b.	डिस्प्ले फैब्स	
18c.	आईएसएम–असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)	
19.	चीनी विकास निधि हेतु नोडल एजेंसी (एसडीएफ)	https://sdfportal.in/Login
20.	कर्नाटक नवाचार और प्रौद्योगिकी संस्था (केआईटीएस) – कर्नाटक सरकार	https://k-tech.karnataka.gov.in/

देश के निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों में योगदान देने के अपने प्रयास में, आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन) और स्थिरता सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए एक नया सलाहकार वर्टिकल स्थापित किया था। इस वर्टिकल में बैंकों और कॉर्पोरेट्स के लिए संपूर्ण ईएसजी सेवाएँ प्रदान करने हेतु एक व्यापक ईएसजी तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है।

देश में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान बीएसई के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत, आपकी कंपनी एसएमई एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के इच्छुक एसएमई का वित्तीय मूल्यांकन और उचित परिश्रम करेगी और भारत में एसएमई के बीच ईएसजी प्रथाओं को आगे बढ़ाएगी। आईएफसीआई ने महत्वाकांक्षी एसएमई के लिए कार्यनीतिक साझेदारी और व्यावसायिक अवसरों पर एक कार्यशाला भी आयोजित की है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपनी उधारी में 28 प्रतिशत की कमी की, जिसे सलाहकार आय और वसूली से बल मिला। आपकी कंपनी ने बहुआयामी कार्यनीतियाँ अपनाकर, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों और गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के समाधान पर अपना आक्रामक ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है।

आपकी कंपनी, समूह स्तर पर समूह तालमेल और मूल्य अधिकतमीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। आईएफसीआई अपनी सहायक कंपनी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान दे रही है।

एसएचसीआईएल, आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहायक कंपनी, देश में सबसे बड़े डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों में से एक है, इसके अलावा यह कस्टोडियल संपत्तियों के मामले में देश का सबसे बड़ा प्रीमियर कस्टोडियन है और संस्थागत निवेशकों, म्यूचुअल फंड, बैंकों, बीमा कंपनियों आदि को ट्रेडिंग और कस्टोडियल सेवाएं प्रदान करता है। यह विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्टांप शुल्क, ई–कोर्ट शुल्क और ई–पंजीकरण के संग्रह के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के रूप में भी कार्य करता है। एसएचसीआईएल ने भारत में ई–स्टाम्पिंग के क्षेत्र में परिवर्तनकारी कार्य किया है, जिससे न केवल लागत बचत के कारण वित्तीय लाभ बढ़ा है अपितु राजस्व हानि रोकने में भी सहायता मिली है। इसने कागज खपत में भी कमी की है, जिससे पारिस्थिकीय स्थिरता व्यापक रूप से बढ़ी है। एसएचसीआईएल ने भारत में ई–स्टाम्पिंग पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है, वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, स्टॉक धारक ने गोवा राज्य में ई–स्टाम्पिंग शुरू की है।

आईएफसीआई की एक अन्य सहायक कंपनी आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ) भारत सरकार की सामाजिक क्षेत्र की पहलों को बढ़ावा दे रही है। भारत सरकार ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को उद्यमशीलता समर्थन देने के लिए 'अपनी तरह की पहली योजनाएं' शुरू की हैं। आईवीसीएफ द्वारा प्रबंधित योजनाएं हैं– अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ–एससी), अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम), पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ–बीसी), अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ–एसटी) और एसएजीई वेंचर फंड (एसएजीई) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आईवीसीएफ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए डीआईसीसीआई और सीआईआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, आईवीसीएफ ने अनुसूचित जाति और समाज के पिछड़े वर्गों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप टीएन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के समन्वय में, आईवीसीएफ द्वारा अनुसूचित जनजातियों के बीच स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ताकि प्रमुख पणधारकों जैसे वीसी निधि और प्रभाव निवेशकों को एक साथ लाया जा सके और जनजातीय उद्यमियों को सशक्त बनाने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की कार्यनीतियों पर चर्चा की जा सके। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आईवीसीएफ ने पणधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में कई वेबिनार/सेमिनार आयोजित किए।

सभी सहायक कंपनियों का विवरण आईएफसीआई की वेबसाइट www.ifciltd com पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्तीय मंत्रालय से दिनांक 22 नवंबर, 2024 के पत्र एफ.सं. 2/22/2016–आईएफ–1 के माध्यम से एक संचार प्राप्त हुआ है, जिसमें 'आईएफसीआई समूह के समेकन' पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है, जिसमें आईएफसीआई लिमिटेड और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई लिमिटेड की अन्य समूह कंपनियों का विलय / समामेलन शामिल है :

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
i	कंपनी स्तर पर समेकन	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और आईआईडीएल रियलटर्स लिमिटेड का सूचीबद्ध इकाई आईएफसीआई लिमिटेड के साथ एकीकरण।
ii	ब्रोकिंग व्यापार संस्थाओं / उनकी कुछ सहायक कंपनियों का समेकन	स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड और आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड का एक एकल इकाई में समेकन, जो उपरोक्त क्रम संख्या (प) में समेकित सूचीबद्ध इकाई की प्रत्यक्ष सहायक कंपनी होगी।
iii	अन्य समूह संस्थाएं कंपनी की प्रत्यक्ष सहायक कंपनियों के रूप में जारी रह सकती हैं।	अन्य समूह संस्थाएं – अर्थात स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड, आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड और एमपीकॉन लिमिटेड उपरोक्त क्रम संख्या (प) में समेकित सूचीबद्ध संस्था की प्रत्यक्ष सहायक कंपनियां होंगी।

डीएफएस ने आगे आवश्यक कार्रवाई करने तथा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के अनुसार प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी है।

बोर्ड ने 22 नवंबर, 2024 को आयोजित बैठक में, ऊपर बताए अनुसार आईएफसीआई समूह के समेकन पर विचार करने और नियामक/वैधानिक/लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, रूपरेखा और मानकों आदि के अनुसार इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

आपकी कंपनी ने समेकन प्रक्रिया के लिए एक लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया है। लेनदेन सलाहकार के मूल्यांकन के अनुसार, आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड ने 14 जुलाई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में समूह समेकन के अनुमोदन हेतु भारत सरकार को निम्नलिखित अनुशंसा की :

क्र. सं.	ब्यौरा	विवरण
i	कंपनी स्तर पर समेकन और (विलय 1)	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का सूचीबद्ध इकाई आईएफसीआई लिमिटेड के साथ एकीकरण। आईएफसीआई लिमिटेड (समेकित इकाई) को एक एनबीएफसी के रूप में बने रहने का प्रस्ताव है और यह ऋण देने के साथ–साथ कस्टोडियल सेवाओं, ई–स्टाम्पिंग, सलाहकार आदि में अवसरों की खोज जारी रखेगी।
ii	ब्रोकिंग व्यवसाय संस्थाओं / उनकी कुछ सहायक कंपनियों का समेकन (विलय 2) (Merger 2)	स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड, आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड और आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड का एक एकल इकाई में एकीकरण, जो आईएफसीआई लिमिटेड की प्रत्यक्ष सहायक कंपनी होगी, अर्थात उपरोक्त क्रम संख्या (प) में सूचीबद्ध समेकित इकाई।
iii	अन्य समूह संस्थाएं कंपनी की प्रत्यक्ष सहायक कंपनियों के रूप में जारी रह सकती हैं	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड और एमपीकॉन लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड की प्रत्यक्ष सहायक कंपनियां होंगी, अर्थात उपरोक्त क्रम संख्या (प) में सूचीबद्ध समेकित इकाई।

बोर्ड ने आईएफसीआई लिमिटेड की प्रत्यक्ष सहायक कंपनी एमपीसीओएन लिमिटेड में आईएफसीआई की शेयरधारिता के विनिवेश की भी भारत सरकार से अनुमोदन हेतु अनुशंसा की।

उपरोक्त समेकन और विनिवेश लागू नियामक/वैधानिक अनुमोदनों और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, रूपरेखा और मानकों आदि के तहत हैं।

4. खंड–वार या उत्पाद–वार प्रदर्शन

आपकी कंपनी का प्राथमिक व्यापार वित्तीय सहायता प्रदान करना है और यह एकल खंड रिपोर्टिंग रूपरेखा के तहत कार्य करती है।

5. समग्र परिदृश्य*

आरबीआई की जून 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार, बढ़ते भू–राजनीतिक तनाव और आर्थिक एवं व्यापार नीति अनिश्चितताओं के कारण निकट भविष्य में वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम काफी बढ़ गए हैं। अमेरिकी व्यापार नीतियों में बदलाव और उसकी आर्थिक नीतियों को लेकर स्पष्टता की कमी के कारण कई बाजारों में अस्थिरता और कीमतों में भारी गिरावट आई है। परिणामस्वरूप, वित्तीय स्थितियाँ सख्त हो गई हैं और विकास की संभावनाएँ कमजोर हो गई हैं। हालांकि टैरिफ में भारी बढ़ोतरी के कारण बाजार अप्रैल की शुरुआत के निचले स्तर से उबर गए हैं, लेकिन व्यापार पैटर्न और आर्थिक दृष्टिकोण के विकास को लेकर काफी अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अलावा, हाल में बाजार उथल–पुथल के बावजूद, कई बाजारों में परिसंपत्ति मूल्यांकन बुनियादी बातों की तुलना में उच्च बना हुआ है और जोखिम कुछ बड़ी प्रौद्योगिकी फर्मों में निवेश पर केंद्रित हैं। कुल मिलाकर, वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम उच्च बने हुए हैं, क्योंकि अभूतपूर्व व्यापार और नीति अनिश्चितताएँ और अप्रत्याशितता मौजूदा कमजोरियों – बढ़ते सार्वजनिक ऋण, गैर–बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ क्षेत्र में उच्च उत्तोलन और परिसंपत्ति मूल्यांकन में वृद्धि के साथ मिलकर प्रतिकूल झटकों को बढ़ा सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बढ़ते व्यापार तनाव और बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता का हवाला देते हुए अपने अप्रैल 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में वैश्विक विकास अनुमान को घटाकर 2025 में 2.8 प्रतिशत और 2026 में 3.0 प्रतिशत कर दिया है। अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों ने भी अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमानों को कम किया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने जून 2025 में जारी अपने आर्थिक परिदृश्य में, 2025 के लिए वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर 2.9 प्रतिशत कर दिया है। इसी प्रकार, विश्व बैंक ने जून 2025 की अपनी वैश्विक आर्थिक संभावनाओं में, वैश्विक जीडीपी वृद्धि (पीपीपी भार का उपयोग करते हुए) 2024 में 3.3 प्रतिशत से घटकर 2025 में 2.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट, 2024–25 के अनुसार, वर्ष 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था न केवल अपने

ऐतिहासिक औसत (2000–19) 3.7 प्रतिशत से नीचे, बल्कि 2024 की 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से भी नीचे रहने की संभावना है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक मूल संरचना के सहारे स्वस्थ गति से बढ़ रही है और वर्ष 2024–25 के दौरान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। वर्ष 2025–26 में भारतीय अर्थव्यवस्था का परिदृश्य आशाजनक बना हुआ है, जिसे उपभोग मांग में सुधार, राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते हुए सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर, बैंकों और कॉर्पोरेट्स की मजबूत तुलन पत्र, सुगम वित्तीय स्थिति, सेवा क्षेत्र का निरंतर लचीलापन और उपभोक्ता एवं व्यावसायिक आशावाद में मजबूती के साथ–साथ मजबूत व्यापक आर्थिक मूल संरचनाओं से समर्थन मिल रहा है।

वर्ष 2025–26 में सामान्य से बेहतर दक्षिण–पश्चिम मानसून और उत्पादकता बढ़ाने वाली कई सरकारी नीतियों के चलते कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाएं अनुकूल प्रतीत होती हैं।घरेलू माँग में सुधार, उच्च क्षमता उपयोग, कॉर्पोरेट और बैंकों की मजबूत तुलन पत्र, और उपभोक्ता एवं व्यावसायिक आशावाद के बल पर 2025–26 में विनिर्माण क्षेत्र में और तेजी आने की उम्मीद है। सरकार द्वारा विनिर्माण आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित करने और मौजूदा पीएलआई योजना तथा राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के माध्यम से नीतिगत समर्थन से 'मेक इन इंडिया' पहल को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। निर्माण क्षेत्र के भी वर्ष 2025–26 में अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद है।

वैश्विक आर्थिक और व्यापार नीति संबंधी बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद और मजबूत वित्तीय प्रणाली के बल पर लचीलापन प्रदर्शित करती रही है। इसके अलावा, चूँकि भारत की वृद्धि मुख्यतः घरेलू माँग पर निर्भर है, इसलिए बाहरी झटकों का प्रभाव सीमित रहा। सेवा क्षेत्र के विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों में निरंतर गति, मजबूत कृषि उत्पादन और सामान्य से बेहतर दक्षिण–पश्चिम मानसून पूर्वानुमान, और मजबूत वस्तु एवं सेवा कर संग्रह अर्थव्यवस्था की निरंतर गति और लचीलेपन को रेखांकित करते हैं। लंबे समय से चले आ रहे भू–राजनीतिक तनाव, बढ़ी हुई अनिश्चितता और व्यापार व्यवधान, और मौसम संबंधी अनिश्चितता से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां विकास के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती हैं। इसके अलावा, वैश्विक विकास में मंदी घरेलू उत्पादन पर दबाव डालेगी। निकट और मध्यम अवधि के दृष्टिकोण से मुख्य मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ स्थायी संरेखण का अधिक विश्वास मिलता है।

हाल के वर्षों में भारत की राजकोषीय स्थिति और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका कारण निरंतर राजकोषीय समेकन, व्यय की गुणवत्ता में सुधार और केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति के लिए नाममात्र आधार के रूप में ऋण–जीडीपी अनुपात को निर्धारित करना है। विदेशी क्षेत्र का लचीलापन भारत की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में एक प्रमुख योगदान कारक रहा है। 2024–25 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत पर चालू खाता घाटा, सेवाओं के निर्यात और प्रेषण में निरंतर वृद्धि द्वारा समर्थित, काफी हद तक प्रबंधन योग्य बना हुआ है। पूंजी खाते में, 2024–25 के दौरान उच्च सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्शाता है कि भारत एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना हुआ है। हालाँकि, 2024–25 के दौरान शुद्ध पूंजी प्रवाह चालू खाते के घाटे से कम रहा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। व्यापार परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता के बावजूद, भारत के बाह्य भेद्यता संकेतक मजबूत बने हुए हैं और उनमें सुधार जारी है। 20 जून, 2025 तक 697.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार, भुगतान संतुलन के आधार पर 11 महीने से अधिक के व्यापारिक आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है; मार्च 2025 के अंत में बाह्य ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 19.1 प्रतिशत रहा; अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर अल्पकालिक ऋण का हिस्सा मार्च 2025 के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार का 45.4 प्रतिशत रहा; और शुद्ध अंतररा ट्रीय निवेश स्थिति में सुधार हुआ।

आगे चलकर, आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव कम होना, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में नरमी और सामान्य से बेहतर दक्षिण–पश्चिम मानसून की संभावना के चलते कृषि उत्पादन में वृद्धि, 2025–26 में मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए शुभ संकेत हैं। जबकि, वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार विखंडन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अनिश्चितताएँ विकास के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए सकारात्मक जोखिम पैदा करती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 2025–26 के दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए तैयार है, जिसे निजी खपत में वृद्धि, बैंकों और कॉर्पोरेट्स की मजबूत तुलन पत्र, आसान वित्तीय स्थिति और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर से समर्थन प्राप्त है।

6. जोखिम और चिंताएं

जोखिमों को दूर करने के लिए, आपकी कंपनी ने क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और परिसंपत्ति–देयता प्रबंधन के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएमपी) बनाई है जो इसके व्यवसाय मॉडल के साथ एकीकृत व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का एक भाग है।

आपकी कंपनी बदलते आर्थिक और कारोबारी माहौल को ध्यान में रखते हुए, सामान्य उधार नीति, आईआरएमपी, चलनिधि जोखिम प्रबंधन और इसकी अन्य व्यापारिक नीतियों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। आईएफसीआई के जोखिम प्रबंधन दूरदृष्टि वक्तव्य और गुणात्मक जोखिम

*स्रोत : आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 और आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025 के अंश।

वक्तव्य भी तैयार किए गए है। गुणात्मक जोखिम एपिटाइट वक्तव्य में शामिल मानदंडों का समय–समय पर परीक्षण किया जाता है।

आपकी कंपनी विवेकपूर्ण सीमाओं के विरुद्ध वास्तविक एक्सपोज़र की निगरानी, विभिन्न परिदृष्यों के तहत तनाव परीक्षण, वार्षिक रेटिंग माइग्रेशन अभ्यास, रेटिंग वितरण, आंतरिक और बाहरी रेटिंग की मैपिंग के माध्यम से पोर्टफोलियो स्तर के जोखिमों का आकलन करती है।

इंड –एएस कार्यान्वयन के भाग के रूप में, आपकी कंपनी रेटिंग ग्रेड–वार डिफॉल्ट की संभावना (पीडी), डिफॉल्ट के कारण हानि (एलजीडी) और अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का अनुमान लगाती है।

कार्यकारी अधिकारियों की जोखिम और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई), मौजूदा नियामक उपाय के आधार पर समय–समय पर गतिशील तरलता स्थिति, संरचनात्मक तरलता अंतराल और ब्याज दर संवेदनशीलता स्थिति का विश्लेषण करती है। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का मिड–ऑफिस कार्य जोखिम प्रबंधन प्रणाली को रिपोर्ट करता है और एक स्वतंत्र जोखिम निगरानी अधिकारी के रूप में काम करता है। परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियां मौजूद हैं, जिन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और डेटा के दूरस्थ बैकअप द्वारा सहायता प्राप्त है। आपदा प्रबंधन नीति, आईटी सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा और आपकी कंपनी की बीमा योग्य परिसंपत्तियों के साथ–साथ आपकी कंपनी के पास गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों का उपयुक्त बीमा और सीआरएआर, लाभप्रदता और तरलता पर संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए तरलता स्थिति का प्रबंधन भी मौजूद है।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां, उनकी पर्याप्तता और आंतरिक लेखा–परीक्षा

आपकी कंपनी के पास अपने व्यवसाय और संबद्ध कार्यों के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। आंतरिक लेखा–परीक्षा विभाग द्वारा इन आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता का नियमित आधार पर सत्यापन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 से, अनुभवी कर्मियों की एक टीम द्वारा आंतरिक लेखा–परीक्षा की जा रही है। निदेशकों की लेखा–परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्षेत्र के आधार पर लेन–देन की गंभीरता और महत्त्व के आधार पर इस तरह के लेखा परीक्षा की समयावधि त्रैमासिक से वार्षिक होती है। इसके अलावा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की पर्याप्तता सुनिश्चित करने की कवायद भी आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की टिप्पणियों के आधार पर, प्रक्रिया ओनरों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है जिससे नियंत्रण प्रणाली मजबूत होती है।

आपकी कंपनी सभी गैर–जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए 03 फरवरी, 2021 के परिपत्र द्वारा जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के दिशानिर्देशों के आधार पर लेखा परीक्षा करती है।

8. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्चे में भौतिक विकास, सेवारत लोगों की संख्या सहित

एक सकारात्मक और उच्च–प्रदर्शनकारी कार्य संस्कृति के निर्माण के कंपनी के मिशन को आगे बढ़ाने में कुशल मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे मानव संसाधन प्रयास कर्मचारी जुड़ाव को मजबूत करने, केरियर विकास को बढ़ावा देने और एक विविध एवं समावेशी वातावरण बनाने पर केंद्रित हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से कई पहल शुरू कीं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कर्मचारियों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और लगभग 97.45 प्रतिशत कर्मचारियों को वित्त, प्रभावी बातचीत, एआई और मशीन लर्निंग, उन्नत एमएस–एक्सेल, ईएसजी, पीओएसएच, जीईएम के माध्यम से खरीद, संचार कौशल, नेतृत्व और अन्य व्यवहार कौशल के क्षेत्रों में 1,754 मानव–घंटे का प्रशिक्षण दिया गया।

आपकी कंपनी ने सेवारत संसाधनों और निरंतर कौशल और पुनः कौशल प्रयासों के लिए मूल्य प्रस्ताव की पेशकश करके विभिन्न प्रतिधारण कार्यनीतियों को लागू किया है। कर्मचारियों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए व्यावसायिक परामर्श सहित कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई।

आपकी कंपनी ने तैनात अधिकारियों के लिए प्रणालियों का डिजिटल एकीकरण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, जिससे आईएफसीआई के आंतरिक डिजिटल मूल संरचना के साथ सहज संरेखण सुनिश्चित होता है। यह एकीकरण तैनात अधिकारियों को आईएफसीआई में प्रयुक्त समान डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रक्रियाओं के माध्यम से डेटा तक पहुंचने, उसे अद्यतन करने और प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एकरूपता और परिचालन दक्षता को बढ़ावा मिलता है।

संबंध पणधारकों के अधिकारों की नियमित रूप से समीक्षा की गई है और परामर्शी निर्णय लेने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने और असाइनमेंट की डिलीवरी में गति और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसे ठीक किया गया है। अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करने के लिए संगठन की मूल्य प्रणाली को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जा रहा है और इस दिशा में स्टाफ जवाबदेही से संबंधित नीतियों को भी मजबूत किया गया है।

आपकी कंपनी ने विविध प्रकार के आयोजनों और समारोहों की व्यवस्था करके कर्मचारी सामंजस्य और अपने कर्मचारियों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी है। इन क्रियाकलापों में अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाना, आईएफसीआई फाउंडेशन डे मनाना, स्वतंत्रता दिवस मनाना, स्वच्छ भारत अभियान में लगना दिवाली मनाना, नववर्ष का आयोजन करना तथा अंतररा ट्रीय दिवस मनाना शामिल है। महिला कर्मचारियों के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए भी सत्र आयोजित किए गए हैं।

आपकी कंपनी ने मानव संसाधन संचालन को लगातार सुव्यवस्थित करने के लिए और बेहतर सूचना प्रबंधन हेतु सलाहकारिता सेवाओं के लिए एक नई मानव संसाधन सूचना प्रणाली (एचआरआईएस) को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

9. अनु. जाति /अनु. जनजाति /अ. पि. वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निःशक्त व्याक्तियों का कल्याण

आपकी कंपनी अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के कल्याण से संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इन निर्देशों का अक्षरशः और पूरी भावना से कार्यान्वयन करती है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके, कंपनी सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण और उन्नति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना भी शामिल है।

1 जनवरी, 2025 तक, आपकी कंपनी में कुल 118 नियमित कर्मचारी कार्यरत थे (डीएमडी और सीवीओ को छोड़कर)। इनमें से 19 कर्मचारी (16 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग से, 11 (9 प्रतिशत) अनुसूचित जाति से और 1 (1 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति से थे।

01 जनवरी, 2025 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण :

क्रम. सं.	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	वर्ग I	117	11	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वर्ग III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वर्ग IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	संविदा पर	20	1	-	3	-	18	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	138	12	1	22	0	18	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0

01 जनवरी, 2025 को विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्रम सं.	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्रम सं.	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ. जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	जोड़	अ. जा.	अ. ज.जा.	जोड़	अ. जा.	अ. ज. जा.
3	ई	18	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	डी	27	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	34	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	31	5	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	वर्ग III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	वर्ग IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	संविदा पर	20	1	-	3	-	18	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	138	12	1	22	0	18	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0

दिव्यांग जनों का समूह–वार प्रतिनिधित्व (31.12.2024 तक)

क्रम सं.	समूह	कर्मचारियों के प्रकार (01.01.2024 के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2024 (अर्थात 01.01.2024 से 31.12.2024) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																				
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नति									
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या				
		कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	जोड़	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	जोड़	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	जोड़	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	जोड़
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
1	वर्ग-I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वर्ग-III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वर्ग-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी :

(i) वीएच से अभिप्राय दृष्टि से निःशक्त (अंधेपन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से निःशक्त (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)

(iii) ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से निःशक्त (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)

(iv) आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तत्र

10. प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025	वित्तीय वर्ष 2024	टिप्पणी	महत्वपूर्ण परिवर्तन *
ब्याज कवरेज अनुपात	1.69	1.84	ब्याज और करों से पूर्व आय/ कुल ब्याज व्यय (कर–पूर्व लाभ + वित्तीय लागत)/वित्तीय लागत	नही (<25%)
चालू अनुपात	1.52	1.12	चालू परिसम्पत्ति/चालू देयता	जी हाँ (>25%)
ऋण इक्विटी अनुपात	2.18	4.49	कुल उधार/निवल मूल्य	जी हाँ (>25%)
परिचालन लाभ मार्जिन (प्रतिशत)	17.56	16.59	परिचालन लाभ /कुल राजस्व (कर–पूर्व लाभ + क्षति)/ कुल राजस्व	नही (<25%)
निवल लाभ मार्जिन (प्रतिशत)	2.54	9.83	कुल समग्र आय/ कुल राजस्व	जी हाँ (>25%)
निवल मूल्य पर प्रतिफल (प्रतिशत)	1.45	9.58	कुल समग्र आय/ औसत निवल मूल्य	जी हाँ (>25%)

'स्पष्टीकरणः– अनुपातों में परिवर्तन परिचालन आय में वृद्धि के कारण हुआ, जो कि चरण 3 आय और मेमो रिकवरी की मान्यता के कारण ब्याज आय में वृद्धि के कारण प्रभावित हुआ। इसके अलावा, चूंकि देनदार टर्नओवर अनुपात या इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात कंपनी (एनबीएफसी) पर लागू नहीं होते हैं, इसे उपरोक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया है।

कुल व्यापक आय में कमी के कारण निवल मूल्य पर लाभ वित्तीय वर्ष 2023–24 में 88.10 करोड़ रुपए से घटकर वित्तीय वर्ष 2024–25 में 21.93 करोड़ रुपए रह गया।

17.0 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

1. आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ)

आईएफसीआई ने हमेशा अपने व्यवसाय को समग्र और जिम्मेदारी से संचालित करने का प्रयास किया है। आईएफसीआई में, आर्थिक प्रदर्शन के साथ–साथ, समुदाय और सामाजिक प्रबंधन इसके समग्र व्यावसायिक विकास के महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। आईएफसीआई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों को सबसे पहले अपनाने वाली कंपनियों में शामिल रहा है। 1948 में अपनी स्थापना के बाद से ही यह सामाजिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में शामिल रहा है। आज, यह आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन (आईएसएफ), एक पंजीकृत ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी (एमसीए पंजीकरण संख्या सीएसआर–00005110) के माध्यम से सामाजिक व सामुदायिक विकास और विभिन्न उपेक्षित क्षेत्रों में काम कर रहा है। आईएसएफ आईएफसीआई और आईएफसीआई समूह की सीएसआर गतिविधियों के लिए एक शाखा की तरह कार्य कर रहा है। आईएसएफ अपने मूल्यों अर्थात समावेशिता, अखंडता, प्रतिबद्धता और संवेदना द्वारा निर्देशित है जिसका समग्र दृष्टिकोण "भारत के प्रमुख सीएसआर संस्थानों में से एक बनना और समावेशिता के साथ स्थायी सामाजिक प्रभाव पैदा करना" है। इसका प्रमुख फोकस शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण पर है। ट्रस्ट आयकर अधिनियम की धारा 12ए और 80जी के तहत छूट के लिए पंजीकृत है। ट्रस्ट सीएसआर संशोधन नियम, 2021 के अनुरूप कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ भी पंजीकृत है। आईएफसीआई और आईएसएफ ने अपनी सीएसआर परियोजनाओं के माध्यम से भारत के लगभग 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया है।

2. सीएसआर व्यय / आबंटन

चूंकि पिछले तीन वर्षों के लिए आईएफसीआई लिमिटेड का औसत निवल लाभ नकारात्मक था, आईएफसीआई को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए कोई राशि आबंटित करने की आवश्यकता नहीं थी। कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 में संशोधन के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–1** में बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनती है।

18.0 सचेतक कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले कुछ कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भविष्योन्मुखी' हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से किसी हद तक भिन्न हो सकते हैं।

19.0 वर्ष के दौरान नियुक्त / त्याग पत्र देने वाले निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान और इस बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख तक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए थे :

क) सरकार ने 27 मार्च, 2024 के अपने आदेश द्वारा श्री जितेंद्र असाटी, निदेशक, डीएफएस, (डीआईएन : 10042542) को कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया था। तदनुसार, श्री जितेंद्र असाटी, निदेशक, डीएफएस को 4 अप्रैल, 2024 से आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया।

ख) सरकार ने 27 मार्च, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से श्री सुरजीत कार्तिकेयन, निदेशक, डीएफएस, (डीआईएन : 09634785) को कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया था। तदनुसार, श्री सुरजीत कार्तिकेयन, निदेशक, डीएफएस को 4 अप्रैल, 2024 से आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया।

ग) सरकार ने 03 अप्रैल, 2024 के अपने आदेश के तहत कंपनी के एमडी एवं सीईओ श्री मनोज मित्तल (डीआईएन : 01400076) का कार्यकाल 11 जून, 2024 को समाप्त होने वाले उनके वर्तमान कार्यकाल से आगे 2 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया था, अर्थात 12.06.2024 से 11.06.2026 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो। बाद में, सरकार ने 26 जुलाई, 2024 के अपने आदेश के तहत श्री मनोज मित्तल को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त किया था। सिडबी के सीएमडी के रूप में उनके कार्यभार ग्रहण करने के मद्देनजर, 27 जुलाई, 2024 से श्री मनोज मित्तल आईएफसीआई लिमिटेड के एमडी और सीईओ नहीं रहेंगे।

घ) सरकार ने 21 मार्च, 2025 के अपने आदेश द्वारा श्री राहुल भावे (डीआईएन : 09077979) को आपकी कंपनी के बोर्ड में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) नियुक्त किया है। परिणामस्वरूप, श्री भावे कंपनी के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के

पद से हट गए हैं और 21 मार्च, 2025 (दोपहर) से आपकी कंपनी के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1ग) के अनुसार, आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

ङ) श्री सुरजीत कार्तिकेयन (डीआईएन : 09634785), सरकारी निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामांकन वापस लेने पर 29 जुलाई, 2025 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहेंगे।

च) सरकार ने 24 जुलाई, 2025 के अपने आदेश (29 जुलाई, 2025 को प्राप्त सूचना) के माध्यम से वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के उप सचिव, श्री शैलेश कुमार को कंपनी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया था। तदनुसार, डीएफएस के उप सचिव, श्री शैलेश कुमार को 5 अगस्त, 2025 से आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया। सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसार, आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

छ) श्री सुरेन्द्र बेहरा (डीआईएन : 09784122), गैर–कार्यकारी निदेशक, त्यागपत्र देने के पश्चात 19 अगस्त, 2025 से कंपनी के बोर्ड में नहीं रहेंगे।

ज) श्री राजीव सचदेव को 25 अगस्त, 2025 से बोर्ड द्वारा अतिरिक्त निदेशक (गैर–कार्यकारी–गैर–स्वतंत्र) के रूप में नियुक्त किया गया। सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (आईसी) के अनुसार, आगामी एजीएम में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

झ) प्रो. अरविंद सहाय (डीआईएन : 07911109) आगामी वार्षिक सामान्य बैठक के समापन पर रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण उन्होंने फिर से नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है।

20.0 निगमित शासन प्रणाली और अनुपालन

सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

क) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी की विभिन्न वित्तीय सुविधाओं/उपकरणों को दी गई क्रेडिट रेटिंग निगमित अभिशासन रिपोर्ट में की गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

ख) निदेशक मंडल और लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट का हिस्सा है, जो वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिखाई देती है। इसके अलावा, रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं रहा है, जहाँ बोर्ड ने लेखा–परीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो।

ग) बोर्ड और समितियों की संरचना का विवरण और वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, निगमित अभिशान रिपोर्ट का हिस्सा है, जो वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दी गई है।

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को कंपनी की वेबसाइट पर विभिन्न नीतियों/दस्तावेजों/विवरणों को रखना जरूरी है। कंपनी की वर्तमान वेबसाइट www.ifciltd.com है और सभी आवश्यक जानकारी उस पर अपलोड की जा रही है और ये https://www.ifciltd.com/?q=en/content/disclosure-under-regulation-46-and-62-sebi-%E2%80%93-lodr पर उपलब्ध है।

ङ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी के पास कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। हालांकि, आईएफसीआई एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पास है, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय है।

च) जैसा कि लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित किया गया है, व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट ('बीआरएसआर') वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

छ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, न तो वैधानिक लेखा–परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा–परीक्षकों ने अपनी–अपनी लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में किसी धोखाधड़ी की सूचना दी है।

ज) कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आरबीआई, एसबीआई और अन्य नियामक प्राधिकरणों की सलाह के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत सभी रिटर्न/डेटा/विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

झ) निवेशक सेवाओं के लिए की गई प्रमुख पहल आपकी कंपनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या वेब–आधारित क्वेरी सबमिशन सिस्टम के माध्यम से प्राप्त निवेशकों

की शिकायतों को तुरंत नोट किया गया और उनका निवारण किया गया।

ञ) 31 मार्च, 2025 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 149 (6) और सेबी एलओडीआर के विनियमन 16 (1) (ख) के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्होंने अधिनियम की धारा 149 (7) और सेबी एलओडीआर के विनियमन 25 के तहत घोषणा प्रदान की है।

21.0 अन्य प्रकटीकरण :

क) आपकी कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के लिए समय विस्तार देने हेतु रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (आरओसी) – दिल्ली और हरियाणा के पास आवेदन किया है। तदनुसार, यह वार्षिक आम बैठक आरओसी द्वारा अनुमत समय अवधि के अंदर बुलाई जा रही है।

ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अपर्याप्त लाभ को देखते हुए, इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है। साथ ही, सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एक लाभांश वितरण नीति तैयार की है जो आपकी कंपनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/2025/IFCI_Limited%20Equity%20Dividend%20Distribution%20Policy.pdf. पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी ने किसी भी आरक्षित निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की।

ग) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जो आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी बनी हो या नहीं रही हो। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी की दो 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियाँ' अर्थात् स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमपीकॉन लिमिटेड हैं। महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण संबंधी नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/2025/Policy%20for%20Determination%20of%20Material%20Subsidiary.pdf पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के फॉर्म एओसी–1 से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं रही।

घ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कंपनी की पूंजी संरचना में परिवर्तन निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी के प्रवर्तकों, अर्थात् भारत सरकार (जीओआई) को 40.33 रुपए (केवल चालीस रुपए तैंतीस पैसे) 30.33 रुपए (केवल तैंतीस रुपए तैंतीस पैसे) के प्रीमियम सहित, प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 12,39,77,188 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में 18 अप्रैल, 2024 को कुल मिलाकर 500,00,00,000 रुपए (पांच सौ करोड़ रुपए) तक पहुंच गए। इक्विटी शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप, कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता 70.32 प्रतिशत से बढ़कर 71.72 प्रतिशत हो गई (18 अप्रैल, 2024 तक)।

इसके अलावा, कंपनी के प्रमोटरों अर्थात् भारत सरकार (जीओआई) को 8,07,23,280 इक्विटी शेयर 61.94 रुपए (केवल इकसठ रुपए और चौरानबे पैसे) 51.94 रुपए (केवल इक्यावन रुपऐ और चौरानबे पैसे) के प्रीमियम सहित, प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 28 फरवरी, 2025 को कुल मिलाकर 500,00,00,000 रुपए (पांच सौ करोड़ रुपए) तक आबंटित किए गए। इक्विटी शेयरों के आबंटन के परिणामस्वरूप, 28 फरवरी, 2025 तक भारत सरकार की शेयरधारिता मौजूदा 71.72 प्रतिशत से बढ़कर 72.57 प्रतिशत हो गई।

उपरोक्त आबंटनों के परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50,00,00,00,000 रुपए थी, जिसमें 10 रुपए प्रत्येक के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर और 10 रुपए प्रत्येक के 1,00,00,00,000 वरीयता शेयर शामिल थे।

कंपनी की जारी पूंजी 2761,56,17,850 रुपए है, जिसमें 10 रुपए प्रत्येक के 2,76,15,61,785 इक्विटी शेयर शामिल हैं, सब्सक्राइब्ड पूंजी 2695,63,10,310 रुपए है, जिसमें 10 रुपए प्रत्येक के 2,69,56,31,031 इक्विटी शेयर शामिल हैं और पेड–अप कैपिटल 2694,31,43,310 रुपए है, जिसमें 10 रुपए प्रत्येक के 2,69,43,14,331 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

ङ) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की ऋण संरचना में परिवर्तन निम्नानुसार है :

वर्ष के आरम्भ में प्रतिभूतियों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान जारी	वर्ष के दौरान मोचित	वर्ष के अन्त में प्रतिभूतियों की कुल संख्या
111,51,674	-	97,37,539	14,14,135

च) चूंकि कंपनी मुख्य रूप से गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने की क्षमता में कंपनियों को वित्तपोषित करने के व्यवसाय में संलग्न है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186, उपधारा (1) को छोड़कर, के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

छ) आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमा पूंजी नहीं जुटाई।

ज) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, विनियामकों या न्यायालय द्वारा कंपनी की चालू स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए। इसके अलावा, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कंपनी के व्यापार में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

झ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है। इसलिए, ऐसे विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, एमडी और सीईओ सहित कंपनी के किसी भी निदेशक को वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आपकी कंपनी की किसी भी सहायक कंपनी द्वारा कोई कमीशन नहीं दिया गया, जिसके बोर्ड में वे आपकी कंपनी के नामित निदेशक थे। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशकों या कंपनी के किसी भी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 (जहाँ तक लागू हो) और सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने नामांकन और पारिश्रमिक नीति तैयार की है। जबकि, एमसीए द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुसार, इस नीति को बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

ट) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=en/content/financial-report पर उपलब्ध है।

ठ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दर्ज किए गए सभी संबंधित पार्टी लेन–देन (आरपीटी) व्यापार के सामान्य क्रम में और आसानी से सबकी पहुंच में थे। आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन–देन दर्ज नहीं किया गया। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ज) के तहत फॉर्म एओसी–2 में संबंधित पक्ष लेन–देन का खुलासा लागू नहीं होता है और इसलिए यह बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

ड) बोर्ड, अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य निष्पादन प्रदर्शन मूल्यांकन, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा किया गया था। सुधार के प्रमुख क्षेत्रों पर निदेशकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, आवश्यक कदम उठाए गए, अर्थात निदेशकों को प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए नामित किया गया, और कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय को तिमाही आधार पर पत्र भेजकर आईएफसीआई के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति का अनुरोध किया गया। कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय इस मामले से अवगत है। बोर्ड को परिपत्रों, प्रस्तावों और ई–मेल के माध्यम से विकास/अद्यतनों से अवगत कराया गया है। इसके अलावा, बोर्ड को समय–समय पर प्रमुख घटनाक्रमों से अवगत कराया जाएगा।

ढ) रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आपकी कंपनी के खिलाफ कोई मामला दायर नहीं किया गया था और न ही कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

ण) आपकी कंपनी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों के लिए डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण निम्नानुसार है :

डिबेंचर न्यासी का नाम	संपर्क के विवरण
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड	दि रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर वेस्ट, मुंबई – 400 028 फोन नं.: +91 022 6230 0451 ई–मेलः debenturetrustee@axistrustee.in वेबसाइटः www.axistrustee.in
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, सर पी एम रोड, फोर्ट, मुंबई – 400 001 फोन नं.: 022-4080 7000 ई–मेलः itsl@idbitrustee.com वेबसाइटः www.idbitrustee.com
सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमओ बिल्डिंग, तीसरी मंजिल (पूर्वी विंग) 55 एमजी रोड, फोर्ट मुंबई – 400 001 फोन नं.:022-2261 6217 ई–मेलः info@cfsl.in वेबसाइटः www.cfsl.in

त) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, इक्विटी शेयरों से संबंधित कोई भी दावा नहीं किया गया। लाभांश राशि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित नहीं की जानी थी। जबकि, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए बॉन्ड के संबंध में दावा न की गई राशि 3,86,515 रु. थी।

थ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिससे एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर के संबंध में विवरण की रिपोर्टिंग की आवश्यकता पड़े।

द) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से की गई खरीद का प्रतिशत 75.16 प्रतिशत था।

22.0 लेखा–परीक्षक

एस मान एंड कंपनी (डीई 1161) (फर्म पंजीकरण संख्या 000075एन) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आपकी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप

में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की आवश्यकता के अनुसार, लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

23.0 लेखा–परीक्षकों द्वारा व्यक्त अर्हताएं, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी अथवा डिस्क्लेमर

(i) सांविधिक लेखा–परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों को कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों द्वारा अर्हक नहीं किया गया। तथापि, सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने कुछ 'मैटर ऑफ इन्फोसिस' का प्रावधान किया। एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा–परीक्षकों की संपूर्ण रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

(ii) सचिवीय लेखा–परीक्षक

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव फर्म को कंपनी के सचिवीय लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा–परीक्षक की टिप्पणियां एवं उनके बारे में प्रबंधन के उत्तर निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
क.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (क) और 17 (1) (ख) के लागू प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) और धारा 149 (4) के दूसरे प्रावधान के अनुसरण में, कंपनी के पास 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (क) और 17 (1) (ख) के लागू प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) और धारा 149 (4) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम 1 महिला स्वतंत्र निदेशक होगी। इस संबंध में, यह प्रस्तुत करना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के विनियम 149 (6) (क) के प्रावधानों के अनुसार, महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय के पास निहित है और वह इस मामले से अवगत है। हमारे अनुरोधों पर विचार करते हुए श्री उमेश कुमार गर्ग को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नामित किया गया और उन्हें दिनांक 10 मई 2023 से नियुक्त किया गया। एक बार जब महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय द्वारा की जाती है, तो उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
ख.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) (ख) और 18 (2) (ख) के अनुसरण में; स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होने के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की संरचना और लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम पूरा नहीं हुआ।	कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) (ख) एवं 18 (2) (ख) के अनुरूप नहीं थी। श्री उमेश कुमार गर्ग को 10 मई, 2023 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, श्री गर्ग को 8 अगस्त, 2023 से निदेशक मंडल में शामिल किया गया। हालांकि, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी भी प्रतीक्षा है। कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, समिति का गठन तदनुसार किया जाएगा।
ग.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 (1) (ग) के अनुसरण में, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन पारिश्रमिक समिति की संरचना पूरी नहीं हो सकी।	कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव के कारण, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 (1) (ग) के अनुरूप नहीं थी। श्री उमेश कुमार गर्ग को 10 मई, 2023 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद, श्री गर्ग को 8 अगस्त, 2023 से निदेशक मंडल में शामिल किया गया। जबकि, अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
		निदेशकों की नियुक्ति अभी भी प्रतीक्षित है। कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय द्वारा अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद, समिति का गठन तदनुसार किया जाएगा।
घ.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1) के अनुसार, सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक किसी गैर–सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होगा, चाहे वह भारत में निगमित हो या नहीं। जबकि, कंपनी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों, अर्थात् स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और एमपीसीओएन लिमिटेड, के निदेशक मंडल में आईएफसीआई लिमिटेड का कोई भी स्वतंत्र निदेशक कंपनी के निदेशक के रूप में नहीं है।	कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी गैर–सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1) का अनुपालन नहीं कर रही थी।
ङ.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25 (3) के अनुसरण में, सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक गैर–स्वतंत्र	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25 (3) के तहत परिकल्पित इकाई के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, क्योंकि कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
	निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित करनी होगी और सभी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। जबकि, सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की।	

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट के साथ–साथ 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों' अर्थात् आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमपीकॉन लिमिटेड की सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक–II** में संलग्न हैं।

24.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणियां, सीएजी पूरक लेखा–परीक्षा धारणाओं पर आईएफसीआई की समेकित टिप्पणियों सहित, **परिशिष्ट–III** में दी गई हैं।

25.0 निदेशक दायित्व विवरण

निदेशक दायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अनुसार, एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि :

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्त्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

(ii) निदेशकों ने उक्त लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया और ऐसे निर्णय व अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि में कंपनी के लाभ व हानि का सही और निष्पक्ष परिदृश्य सामने रख जा सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव उके लिए उचित और पर्याप्त देखभाल व्यवस्था की थी,

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को चालू कारोबार के आधार पर तैयार किया था,

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे,

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी तरीके से काम कर रही थीं।

26.0 आभार

आपके निदेशक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य नियामक निकायों, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक और राज्य सरकारों के सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके निदेशक सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विदेशी अनुषंगी बैंकों, बैंकिंग संस्थानों के अन्य सदस्यों और निवेशकों से प्राप्त बहुमूल्य सहायता और निरंतर सहयोग के लिए आभारी हैं। आपके निदेशक आपकी कंपनी के सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रयासों और समर्पित सेवा के लिए उनकी भी भरपूर सराहना करते हैं।

अरविंद कुमार जैन
निदेशक
डीआईएन : 07911109
पता: आईएफसीआईआई टावर,
61 नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली–110019

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979
पता: आईएफसीआईआई टावर
61 नेहरु प्लेस,
नई दिल्ली–110019

दिनांक: 19 सितंबर, 2025

अनुबंध–I

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा :

   (i) आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई) 1948 में अपनी स्थापना के आरंभ से ही देश भर में सामाजिक–आर्थिक विकास की मार्फत समाज को सशक्त बनाने का दृष्टिकोण रखता है। आईएफसीआई सीएसआर नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं :

   - बेहतर निगरानी और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक संरचना/परिसम्पत्तियां (जिनमें आईएसएफ को सौंपी गई इसकी कुल निधियों का कम से कम 70 प्रतिशत शामिल है) सृजित करने के लिए वित्तीय सहयोग से सम्बन्धित गतिविधियां
   - हम जिस समुदाय के साथ कार्य करते हैं उनके सुधार के लिए परिवर्तन लाने हेतु सहायक क्रियाकलाप करना जैसे भूख तथा कुपोषण, निर्धनता, स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा और कौशल विकास, रोजगार और प्रौद्योगिकी उद्भवन, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण और प्रौढ़ों की देखभाल संबंधी हमारे प्रयासों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव का सृजन करने का प्रयास करना।

   (ii) चूंकि वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, तत्काल पिछले तीन वर्षों के लिए आईएफसीआई का औसत निवल लाभ नकारात्मक रहा। अतः आईएफसीआई द्वारा (कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन) सीएसआर गतिविधियों हेतु कोई राशि आबंटित करना अपेक्षित नहीं था। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सीएसआर नीति को वित्तीय व र्ा 2024–25 के लिए अपनाया गया, जैसा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023–24 में किया गया था।

2. सीएसआर समिति की संरचना (31 मार्च, 2025 तक) :– कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (9) को शामिल करने के मद्देनजर और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में घाटे के कारण आईएफसीआई के नगण्य सीएसआर खर्च के आलोक में वर्तमान सीएसआर समिति को समाप्त कर दिया गया है और सीएसआर समिति के कार्यों का निर्वहन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। यह निर्णय 23 जून 2021 से प्रभावी कर दिया गया है।

3. वेब–लिंक प्रदान करें, जहां बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं को कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	वेब–लिंक
1	सीएसआर समिति	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) और 135 (9) के अनुसार तथा पिछले वित्तीय वर्ष में हुई हानियों तथा कम्पनी के नाममात्र सीएसआर व्यय को देखते हुए निदेशकों की सीएसआर समिति को 23 जून, 2021 से समाप्त कर दिया गया।
2	सीएसआर नीतियां	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/our-csr-policy
3	सीएसआर परियोजना	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/our-csr-policy

4. यदि लागू हो, तो नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें। **लागू नहीं**

5. (क) धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ – **(75,04,0081,239.72 करोड़ रुपए)**

   (ख) धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत – **शून्य**

   (ग) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों/क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष राशि – **शून्य**

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, – **शून्य**

   (ङ) वित्तीय वर्ष हेतु कुल सीएसआर दायित्व (ख)+(ग)+(घ) – **शून्य**

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (जारी परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के अलावा दोनों) – **शून्य**

   (ख) धारा 135 की उप धारा (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत – **शून्य**

   (ग) प्रभाव निर्धारण पर व्यय की गई राशि, यदि कोई हो, – **शून्य**

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (क+ख+ग) – **शून्य**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गई कुल राशि–(रुपए)	व्यय न की गई राशि (रुपए)				
	व्यय धारा 135 की उप धारा (6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अन्तरित कुल राशि		धारा 135 की उप धारा (5) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अन्तरित राशि		
	राशि (रुपए में)	अन्तरण की तिथि	निधि का नाम	राशि (रुपए में)	अन्तरण की तिथि
शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

(च) समायोजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, – **शून्य**

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	शून्य
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii) – (i)]	शून्य
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों से उत्पन्न अधिशेष राशि, यदि कोई हो	शून्य
(v)	अगले वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii-iv)]	शून्य

7. (क) पिछले तीन वर्षों के लिए खर्च न की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के विवरण :

क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपए में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अप्रयुक्त सीएसआर राशि में शेष राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रुपए में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपए में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	हस्तांतरण की तिथि		
1	2021-22	0	0	0	-	-	0	-
2	2022-23	0	0	0	-	-	0	-
3	2023-24	0	0	0	-	-	0	-

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है : **नहीं**

यदि हां, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें – **लागू नहीं**।

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित की गई उक्त परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें : **लागू नहीं**।

9. यदि कम्पनी धारा, 135 की उप धारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असमर्थ रही तो इसके कारण बताए – चूंकि लगातार पिछले तीन वर्षों में कम्पनी का औसत निवन लाभ नकारात्मक रहा था अतः कम्पनी द्वारा कोई सीएसआर बजट का आबंटन करना अपेक्षित नहीं था अतः **लागू नहीं**

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक
व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

अनुबंध – II

प्रपत्र संख्या एमआर–3
सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
(31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए)
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
आईएफसीआई लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईएफसीआई टावर,
61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019

हमने प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा आईएफसीआई लिमिटेड, (जिसे इसमें आगे 'कम्पनी' या 'आईएफसीआई' कहा गया है) द्वारा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन में सचिवीय लेखा–परीक्षा की है। सचिवीय लेखा–परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

प्रस्तुत की गई कंपनी की खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों तथा सचिवीय लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में लेखा–परीक्षा अवधि जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष (लेखा–परीक्षा अवधि) शामिल है, के दौरान इसमें नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली उस सीमा तक और उस रूप में है और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियम तथा उप–विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी मुद्रा प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधर;

(v) यथाप्रयोज्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम तथा मार्गनिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण तथा टेकओवर्स) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हित) विनियम, 2021

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

(च) कम्पनी अधिनियम और ग्राहकों से लेन–देन के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम का रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करना) विनियम, 2021;

(ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और भागीदार) विनियम, 2018

(vi) कम्पनी पर लागू (उद्योग पर यथा लागू) अन्य विशिष्ट विधियों के अधीन अनुपालन/प्रक्रियाओं/प्रणालियों का सत्यापन कम्पनी के निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की गई आन्तरिक अनुपालन प्रणाली के अधीन आवधिक प्रमाणपत्र के आधार पर किया जा रहा है।

क) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2022 (पीएमएलए)।

ख) व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी–एनडी–एसआई) के लिए आरबीआई दिशानिर्देश और मास्टर दिशानिर्देश।

ग) वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों से संबंधित कानून।

हमने निम्नलिखित प्रयोज्य खण्डों के अनुपालन की भी जांच की हैः

(i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय–समय पर यथा संशोधित सचिवीय मानक – सामान्यतया पालन किया गया।

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लि. और बीएसई लि. के साथ भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015

कम्पनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गनिर्देशों, मानको आदि के उपबंधों का पालन किया है :

I. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(ए) और 17(1)(बी) के प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और धारा 149(4) के दूसरे प्रावधान के अनुसरण में, कंपनी के पास 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

II. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) के अनुसरण में, विनियमन 18 (1)(ख) और 18 (2) (ख) सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होने के कारण पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा–परीक्षा समिति और नामांकन पारिश्रमिक समिति की संरचना पूरी नहीं हुई।

III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के अनुसरण में, विनियमन 19 (1) (ग) सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति न होने के कारण पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा–परीक्षा समिति और नामांकन पारिश्रमिक समिति की संरचना पूरी नहीं हुई।

IV. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24 (1) के अनुसरण में, सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होना चाहिए, चाहे कंपनी भारत में निगमित हो या नहीं। हालाँकि, कंपनी की प्रमुख सहायक कंपनियाँ, अर्थात् स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड और एमपीसीओएन लिमिटेड के बोर्ड में आईएफसीआई लिमिटेड का कोई भी स्वतंत्र निदेशक कंपनी के निदेशक के रूप में नहीं है।

V. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25(3) के अनुसरण में, सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक गैर–स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित करनी होगी और सभी स्वतंत्र निदेशक ऐसी बैठक में उपस्थित रहने का प्रयास करेंगे। हालाँकि, सूचीबद्ध इकाई के स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

प्राप्त विवरणों के अनुसार, डीपीई दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि आईएफसीआई का नाम dipam.gov.in. पर उपलब्ध सीपीएसई की सूची में नहीं दिया गया है।

आम तौर पर बोर्ड मीटिंग करने के लिए निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स भी पर्याप्त रूप से भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और निदेशकों से बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित अपेक्षित निदेशकों/सदस्यों की सहमति से किए गए थे और असहमति/मतभेद, यदि कोई हो, को संबंधित मिनटों अर्थात् कार्यवृत्तों में विधिवत दर्ज/शामिल किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने 31 मार्च, 2024; 30 जून, 2024; 30 सितंबर, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17, 18 और 19 के तहत गैर–अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसके खिलाफ कंपनी ने कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने और कंपनी पर कोई अन्य कार्रवाई नहीं करने के अनुरोध के साथ जवाब प्रस्तुत किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां हुईं :

1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने 18 अप्रैल, 2024 और 28 फरवरी, 2025 को विधिवत आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में भारत सरकार को 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रिफरेन्शियल आबंटन करके धन जुटाने के लिए इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

2 वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 22 नवंबर, 2024 के पत्र के माध्यम से 'आईएफसीआई समूह के समेकन' पर विचार करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। तदनुसार, बोर्ड ने 22 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 'आईएफसीआई समूह के समेकन' पर विचार किया और इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनीक कोडः पी2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 2725/2022

सीएस श्वेता जैन
साझेदार
एसीएस संख्या : 7152
सीपी संख्या : 27503

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.05.2025
यूडीआईएन : एफ007152जी000269128

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो ''अनुलनक–क'' के रूप में संलग्न है और जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवा में,

सदस्यगण

आईएफसीआई लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर,
61, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019

इस पत्र के साथ इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकार्ड का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व लेखा–परीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए रिकार्डो के निरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने वे लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं और प्रथाएं अपनाई हैं, जो सचिवीय रिकार्डों की विषय–वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं।यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया है कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों और खाता–बहियों के सही होने और उपयुक्त होने का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा–परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों/ अभ्युक्तियों और कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन की राय ली है।
5. निगमन के उपबंधों तथा अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन करने का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने और उन पर अपनी राय देने तक सीमित थी कि क्या कम्पनी में उचित बोर्ड कार्य–विधियां और अनुपालन प्रणाली है अथवा नहीं।
6. सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनीक कोडः पी2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 2725/2022

सीएस श्वेता जैन
साझेदार
एसीएस संख्या : 7152
सीपी संख्या : 27503

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.05.2025
यूडीआईएन : एफ007152जी000269128

फॉर्म सं. एमआर–3
सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
एमपीकॉन लिमिटेड
सीआईएन : यू74140एमपी1979जीओआई001502
ग्राउंड फ्लोर, 35, राजीव गांधी, भवन परिसर–2,
श्यामला हिल्स, भोपाल, म. प्र. 462002

हमने **एमपीकॉन** लिमिटेड (जिसे आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा उस पर लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यास के पालन का सचिवीय लेखा–परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा–परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिल सके।

कंपनी की खाता–बहियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक समाप्त वित्तीय वर्ष (''समीक्षाधीन अवधि'') को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है आरै यह भी कि कंपनी के पास इस सीमा तक, इस तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की उचित बोर्ड – प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद हैं:

हमने कंपनी द्वारा बनाई गई खाता–बहियों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्डों की जांच की है और कंपनी द्वारा हमारे साथ साझा किए गए अभिलेखों, दस्तावेजों और सूचनाओं पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार भरोसा किया है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक, **(समीक्षाधीन लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं).**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:

- क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**
- ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(समीक्षाधीन लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं).**
- ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**
- घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**
- ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**
- च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षा निधि) विनियम, 2009 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(vi) कंपनी के लिए अन्य विशिष्ट लागू कानूनों (जैसा कि उद्योग पर लागू होता है) के तहत अनुपालन/प्रक्रियाएं/प्रणालियां कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के तहत आवधिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सत्यापित की जा रही हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; **(अनुपालन किया गया)**

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015। **(समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।**

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्यतः ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान :

– कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें कंपनी की आंतरिक नियमावली के अनुच्छेदों में निर्दिष्ट निदेशकों की संरचना के अनुसार कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों, जिनमें नामित निदेशक भी शामिल हैं, का उचित संतुलन है। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों से संबंधित प्रक्रियाएं अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में की गईं। कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता कंपनी पर लागू होती है, लेकिन उपयुक्त प्रत्याशियों के अंतिम रूप देने के लंबित रहने के कारण कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है।

– बोर्ड की बैठकों के कार्यक्रम के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर सात दिन पहले भेजे जाते हैं, सिवाय उन बैठकों के जो कम समय की सूचना पर आयोजित की जाती हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

– अध्यक्ष द्वारा विधिवत दर्ज और हस्ताक्षरित बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार, बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए थे और कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किए गए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, उपलब्ध कराई गई जानकारी और कंपनी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि इस अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कोई अन्य विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

कृते पीयूष बिंदल एंड एसोसिएट्स
"कंपनी सचिव"

पीयूष बिंदल
प्रोप्राइटर
एफसीएस – 6749
सीपी. नं. 7442
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 922/2020
फर्म का पंजीकरण संख्या : एस2012एमपी186400
यूडीआईएन : एफ006749जी000677661

दिनांक : 28.06.2025
स्थान : भोपाल

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो अनुलग्नक ख के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवा में, सदस्यगण,
एमपीकॉन लिमिटेड
सीआईएन : U74140MP1979GOI001502
ग्राउंड फ्लोर, 35, राजीव गांधी, भवन परिसर–2,
श्यामला हिल्स, भोपाल, म. प्र. 462002

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. सचिवीय रिकॉर्डों का रखरखाव करना, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी तरीके से काम करती हैं, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारी

2. सचिवीय अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए इन सचिवीय रिकॉर्डों, मानकों और प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

3. हमारा मानना है कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारे लिए अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से जानकारी प्राप्त की है।

अस्वीकरण

5. सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन प्रदान करती है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के मामलों का संचालन करने में उनकी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का उल्लेख करती है।

6. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा–पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

7. हमने सचिवीय रिकॉर्डों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखा–परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय रिकॉर्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए हमने अवलोकन किया और सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया है। हमारा मानना है कि अपनाई गई प्रक्रियाओं और प्रथाओं से हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान किया गया है।

कृते पीयूष बिंदल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

पीयूष बिंदल
(प्रोप्राइटर)
एफसीएस – 6749
सीपी. सं. 7442
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 922/2020
फर्म पंजीकरण नं. **S2012MP186400**
यूडीआईएनः **F006749G000677661**

दिनांक : 28.06.2025
स्थान : भोपाल

सेवा में,

सदस्यगण,

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सेंटर प्वाइंट, यूनिट नं. 301, तीसरा तल,

डॉ. बी अंबेडकर रोड, परेल,

मुंबई – 400012

विषय : वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट को निम्नलिखित के साथ पढ़ा जाना चाहिए

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की दायित्व है। हमारा दायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने वे लेखा–परीक्षा पद्धतियां और कार्यविधियां अपनाई हैं, जो सचिवीय रिकार्डों की विषय–वस्तु के सही होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर किया गया है कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई पद्धतियां और कार्यविधियां हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित था हमने विधियों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन की राय ली है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबंधन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते डी. ए. कामत एंड कंपनी
कंपनी सचिव
आईसीएसआई विशिष्ट कोड : P2002MH045900
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1714/2022

रचना शानबाग
भागीदार
एफसीएस सं. 8227
सीपी सं. 9297
यूडीआईएन : F008227G000913703

स्थान : मुंबई
दिनांक : 01.08.2025

फॉर्म सं. एमआर–3
सचिवीय लेखा–परीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के लिए

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबन्धकीय कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

सेंटर प्वाइंट, यूनिट नं. 301, तीसरा तल,

डॉ. बी अंबेडकर रोड, परेल, मुंबई – 400012

हमने **स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईएनः U67190MH1986GOI040506)** जिसे इसमें आगे 'कम्पनी' कहा गया है; द्वारा प्रयोज्य सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा बेहतर निगमित शासन प्रक्रियाओं का पूर्ण अनुपालन किए जाने की सचिवीय लेखा–परीक्षा की है। सचिवीय लेखा–परीक्षा इस प्रकार की गई थी कि जिससे हमें निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपनी राय व्यक्त के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध हो सके।

कम्पनी की लेखा–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत की गई विवरणियों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों तथा सचिवीय लेखा–परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में लेखा–परीक्षा अवधि जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष, के दौरान कम्पनी ने नीचे वर्णित सांविधिक उपबंधों का पालन किया है और यह भी कि कम्पनी में उपयुक्त बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन कार्य प्रणाली, उस सीमा तक और उस रूप में और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन, मौजूद हैं।

हमने कंपनी द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से किया गया जिससे मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

I. हमने निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा रखी गई खाता–बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रस्तुत की गई विवरणियों, विभिन्न सहयोगी व्यावसायिकों द्वारा जारी की गई रिपोर्टों एवं कम्पनी द्वारा रखे गए प्रयोज्य रिकार्डों और रजिस्टरों की जांच की है :

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"); और उसके अधीन बनाए गए नियम;
2. प्रतिभूति सेबी कस्टोडियन विनियम 1996;
3. प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और उसके तहत बनाए गए नियम;
4. डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
5. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम, विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागी) विनियम, 2021;
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियमन, 2014;
8. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015;
9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियमन, 2008;
10. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015;
11. एएमएफआई की आवश्यकता के अनुसार म्यूचुअल फंड वितरक के लिए आचार संहिता;
12. पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) द्वारा पालन की जाने वाली परिचालन गतिविधियों के लिए दिशानिर्देश

13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999 – **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**

14. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 – **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**

15. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धकरण) विनियम, 2009 – **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**

16. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 1998 – **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**

17. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गमन और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 – **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**

18. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 – **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**

19. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008 – **(समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं)**

20. स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समय–समय पर जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र (लागू सीमा तक);

21. डिपोजिटरी द्वारा समय–समय पर जारी नियम, विनियम, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र (लागू सीमा तक);

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने इस रिपोर्ट में बताई गई सीमा तक ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हमने कंपनी सचिव संस्थान, भारत द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक–1 और 2 के लागू और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 118 (10) के तहत जारी और एमसीए द्वारा अधिसूचित प्रावधानों के अनुपालन की जांच की है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

कंपनी के निदेशक बोर्ड का गठन गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत तरीके से किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक बोर्ड की संरचना में परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट पहले ही भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय सभी निदेशक मंडल की सर्वसम्मत सहमति से किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित घटनाएं/कार्रवाई नहीं की हैं :

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। कंपनी ने वैधानिक/नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं / ईमेल का उचित रूप से जवाब दिया है, जिसमें जहाँ भी आवश्यक समझा गया, सुधारात्मक उपाय भी शामिल हैं।

कृते डी. ए. कामत एंड कंपनी
कंपनी सचिव
आईसीएसआई विशिष्ट कोड : P2002MH045900
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1714/2022

रचना शानबाग
भागीदार
एफसीएस सं. 8227
सीपी सं. 9297
यूडीआईएन : F008227G000913703

स्थान : मुंबई
दिनांक : 01.08.2025

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा–परीक्षक, अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा–परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 15 मई 2025 की उनकी लेखा–परीक्षा की रिपोर्ट के द्वारा किया जा चुका है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अधीन, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा–परीक्षा कर ली है। यह अनुपूरक लेखा–परीक्षा सांविधिक लेखा–परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखा–परीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकार्डो की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मैं अपनी अनुपूरक लेखा–परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जिन पर मेरी राय देना अनिवार्य हैं जिससे कि वित्तीय विवरणों और इससे संबंधित लेखा–परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझा जा सके:

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क.1 संपत्तियाँ : वित्तीय परिसंपत्तियां

क.1.1 निवेश (नोट संख्या 8) : 1197.06 करोड़

(क) कंपनी ने सन ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसजीईएल) के 17,48,600 इक्विटी शेयरों में शून्य निवेश दर्शाया है। हालाँकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एसजीईएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक इक्विटी शेयर का उचित मूल्य 11.02 रुपए है। तदनुसार, एसजीईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 1.93 करोड़ रुपए (अर्थात, 17,48,600 शेयरों की संख्या 1.02 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था।

प्रति शेयर नवीनतम उपलब्ध मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ ₹1.93 करोड़ कम दर्शाया गया है।

(ख) उपरोक्त में सी गोल्ड एक्वा फार्म्स लिमिटेड (एसजीएएफएल) के इक्विटी शेयरों (अर्थात 2,50,000 शेयरों की संख्या/81.93 रुपए प्रति शेयर) में 2.05 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। हालाँकि, यह देखा गया कि एसजीएएफएल का नाम बदलकर प्रभांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीआईएल) कर दिया गया है और 2011–12 के दौरान 1:10 के अनुपात में पूंजी में कमी आई है। तदनुसार, आईएफसीआई का निवेश घटकर 25,000 इक्विटी शेयरों का रह गया है। पीआईएल के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और 31 मार्च 2025 को बाजार मूल्य 119.82 रुपए प्रति शेयर था। तदनुसार, पीआईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 0.30 करोड़ रुपए (अर्थात 25,000 शेयरों का 119.82 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था।

31 मार्च 2025 तक प्रति शेयर बाजार मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 1.75 करोड़ रुपए तक अधिक दर्शाया गया है।

(ग) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 52 (ख) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ''संबंधित परिचालन विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही रिपोर्टिंग अवधि के लिए बाह्य या आंतरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन किया जाता है''।

हालाँकि, 36 मामलों में, निवेश मूल्य पिछली तिथियों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च 2025 के अनुसार। इसके अलावा, लेखा टिप्पणियों में इस आशय का कोई खुलासा नहीं किया गया था। 31 मार्च 2025 तक उचित मूल्य के अभाव में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता।

वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.2, क.1.2 (ii), क.1.2 (ख) और ए.1.2. (घ) के माध्यम से इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.1.2 बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां (टिप्पणी संख्या 17): 50.48 करोड़ रुपए

उपरोक्त में शिगा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी) के इक्विटी शेयरों में 50.44 करोड़ रुपए (5,10,00,000* 9.89) का निवेश शामिल है, जो लागत (79.89 रुपए प्रति शेयर) और उचित मूल्य (79.99 रुपए प्रति शेयर) में से जो कम है, उस पर किया गया है। कंपनी ने एसईपीएल में अपने शेयरों का मूल्यांकन (अप्रैल 2024) एसईपीएल के दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से करवाया और 79.99 रुपए प्रति शेयर और 9.68 रुपए प्रति शेयर का उचित मूल्य निकाला गया। कंपनी ने एसईपीएल में अपने निवेश का मूल्यांकन करने के लिए 79.89 रुपए प्रति शेयर (अर्थात प्रति शेयर लागत मूल्य) और 79.99 रुपए (उपर्युक्त दोनों उचित मूल्यों में से जो अधिक हो) में से जो कम हो, उसका उपयोग किया। हालाँकि, उचित मूल्य 29.89 रुपए प्रति शेयर के बजाय 29.68 रुपए प्रति शेयर (कम उचित मूल्य और लागत मूल्य, जो भी कम हो) लिया जाना चाहिए था। तदनुसार, एसईपीएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 49.37 करोड़ रुपए (अर्थात, 5,10,00,000 शेयर* 9.68 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति और लाभ को 1.07 करोड़ रुपए (850.44 करोड़ रुपए में से 49.37 करोड़ रुपए घटा कर) प्रत्येक से अधिक दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 अगस्त 2025

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख), के अधीन 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के आईएफसीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129 (4) सहित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा–परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा–परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा–परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। इसका वर्णन उनके द्वारा प्रस्तुत 15 मई 2025 की लेखा–परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का एक पूरक लेखा परीक्षण किया है। हम अनुलग्नक–क में उल्लिखित आईएफसीआई लिमिटेड (कंपनी) और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण पर पूरक लेखा परीक्षण करते हैं, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सहायक कंपनी) का पूरक लेखा परीक्षण नहीं किया है। यह पूरक लेखा परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य दस्तावेजों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मैं अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं :

क. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क.1 संपत्तियाँ : वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क.1.1 निवेश (टिप्पणी संख्या 8) : 15322.75 करोड़ रुपए

(क) कंपनी ने सन ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसजीईएल) के 17,48,600 इक्विटी शेयरों में शून्य निवेश दर्शाया है। हालाँकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एसजीईएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक इक्विटी शेयर का उचित मूल्य 11.02 रुपए है। तदनुसार, एसजीईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 1.93 करोड़ रुपए (अर्थात, 17,48,600 रुपए शेयरों की संख्या * 1.02 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था।

प्रति शेयर नवीनतम उपलब्ध मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ 1.93 करोड़ कम दर्शाया गया है।

(ख) उपरोक्त में सी गोल्ड एक्वा फार्म्स लिमिटेड (एसजीएएफएल) के इक्विटी शेयरों (अर्थात 2,50,000 शेयरों की संख्या / 81.93 रुपए प्रति शेयर) में 2.05 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। हालांकि, यह देखा गया कि एसजीएएफएल का नाम बदलकर प्रभांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीआईएल) कर दिया गया है और 2011–12 के दौरान 1:10 के अनुपात में पूंजी में कमी आई है। तदनुसार, आईएफसीआई का निवेश घटकर 25,000 इक्विटी शेयरों का रह गया है। पीआईएल के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और 31 मार्च 2025 को बाजार मूल्य 119.82 रुपए प्रति शेयर था। तदनुसार, पीआईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 0.30 करोड़ रुपए (अर्थात 25,000 शेयरों की संख्या * 119.82 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था।

31 मार्च 2025 तक प्रति शेयर बाजार मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 1.75 करोड़ रुपए तक अधिक दर्शाया गया है।

(ग) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 52 (ख) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि ''संबंधित परिचालन विभाग प्रत्येक तिमाही रिपोर्टिंग अवधि के लिए बाह्य या आंतरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करता है''।

हालाँकि, 36 मामलों में, निवेश मूल्य पिछली तिथियों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च 2025 के अनुसार। इसके अलावा, लेखा टिप्पणियों में इस आशय का कोई खुलासा नहीं किया गया था। 31 मार्च 2025 तक उचित मूल्य के अभाव में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता।

वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.2, क.1.2 (ii), क.1.2 (ख) और क.1.2. (घ) के माध्यम से इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क.1.2 बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां (टिप्पणी संख्या 17): 50.48 करोड़ रुपए

(i) उपरोक्त में शिगा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी) के इक्विटी शेयरों में 50.44 करोड़ रुपए (5,10,00,000 रुपए * 9.89) का निवेश शामिल है, जो लागत मूल्य (79.89 रुपए प्रति शेयर) और उचित मूल्य (79.99 रुपए प्रति शेयर) में से कम है। कंपनी ने एसईपीएल में अपने शेयरों का मूल्यांकन (अप्रैल 2024) एसईपीएल के दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से करवाया और 79.99 रुपए प्रति शेयर और 9.68 रुपए प्रति शेयर का उचित मूल्य निकाला गया। कंपनी ने एसईपीएल में अपने निवेश का मूल्यांकन करने के लिए 79.89 रुपए प्रति शेयर (अर्थात प्रति शेयर लागत मूल्य) और 79.99 रुपए (उपर्युक्त दो उचित मूल्यों में से जो अधिक हो) में से कम का उपयोग किया। हालाँकि, उचित मूल्य 29.89 रुपए प्रति शेयर के बजाय 29.68 रुपए प्रति शेयर (कम उचित मूल्य और लागत मूल्य, जो भी कम हो) लिया जाना चाहिए था। तदनुसार, एसईपीएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 49.37 करोड़ रुपए (अर्थात, 5,10,00,000 शेयर * 9.68 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति और लाभ को 1.07 करोड़ रुपए (850.44 करोड़ रुपए में से 49.37 करोड़ रुपए घटाकर) अधिक दर्शाया गया है।

ख. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ और लेखा की टिप्पणियां

ख.1 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (नोट 37)

आकस्मिक देयताएँ

भारतीय लेखा मानक 37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के पैरा 86 में यह प्रावधान है कि जब तक निपटान में किसी बहिर्वाह की संभावना दूर न हो, तब तक कोई भी इकाई रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देयता की प्रत्येक श्रेणी के लिए आकस्मिक देयता की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण और जहां व्यावहारिक हो, उसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान प्रकट करेगी।

आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय सही कर देयता घोषित नहीं करने के कारण व्यापार और कर विभाग से 1.00 करोड़ रुपए की मांग प्राप्त हुई, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त, अपील–1, दिल्ली–उत्तर के समक्ष अपील दायर की है और मामला 31 मार्च 2025 तक विचाराधीन था।

अतः, 1.00 करोड़ रुपए की राशि को लेखा पुस्तकों में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत उपरोक्त प्रकटन न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं को 1.00 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है।

इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त मुद्दे को वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या ई4 के माध्यम से प्रकट किया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 अगस्त 2025

अनुलग्नक–क

आईएफसीआई लिमिटेड की सहायक कंपनियों के नाम, जिनका पूरक लेखा–परीक्षण किया गया।

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार
1.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	सहायक कम्पनी
2.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	सहायक कम्पनी
3.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	सहायक कम्पनी
4.	एमपीकॉन लिमिटेड	सहायक कम्पनी
5.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कम्पनी

आईएफसीआई लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आईएफसीआई की समेकित टिप्पणियाँ

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
क. **क.1** **क.1.1**	**समेकित लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ** **संपत्तियाँ : वित्तीय परिसंपत्तियां** **निवेश (नोट संख्या 8) : 15322.75 करोड़ रुपए** (क) कंपनी ने सन ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसजीईएल) के 17,48,600 इक्विटी शेयरों में शून्य निवेश दर्शाया है। हालाँकि, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एसजीईएल के वित्तीय विवरणों के आधार पर नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक इक्विटी शेयर का उचित मूल्य 11.02 रुपए है। तदनुसार, एसजीईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 1.93 करोड़ रुपए (अर्थात, 17,48,600 शेयरों की संख्या 11.02 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था। प्रति शेयर नवीनतम उपलब्ध मूल्यांकन पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ 1.93 करोड़ कम दर्शाया गया है।	इसके बाद से यह मान 30.06.2025 तक अद्यतन कर दिया गया है।
	(ख) उपरोक्त में सी गोल्ड एक्वा फार्म्स लिमिटेड (एसजीएएफएल) के इक्विटी शेयरों (अर्थात 2,50,000 शेयरों की संख्या / 81.93 रुपए प्रति शेयर) में 2.05 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। हालाँकि, यह देखा गया कि एसजीएएफएल का नाम बदलकर प्रभांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीआईएल) कर दिया गया है और 2011–12 के दौरान 1:10 के अनुपात में पूंजी में कमी आई है। तदनुसार, आईएफसीआई का निवेश घटकर 25,000 इक्विटी शेयरों का रह गया है। पीआईएल के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और 31 मार्च 2025 को बाजार मूल्य 119.82 रुपए प्रति शेयर था। तदनुसार, पीआईएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 0.30 करोड़ रुपए (अर्थात 25,000 शेयरों का 119.82 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था। 31 मार्च 2025 तक प्रति शेयर बाजार मूल्य पर विचार न करने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए निवेश और लाभ को 1.75 करोड़ रुपए तक अधिक दर्शाया गया है।	इसके बाद से यह मान 30.06.2025 तक अद्यतन कर दिया गया है।
	(ग) लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 52 (ख) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "संबंधित परिचालन विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही रिपोर्टिंग अवधि के लिए बाह्य या आंतरिक रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आवश्यक वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन किया जाता है"। हालाँकि, 36 मामलों में, निवेश मूल्य पिछली तिथियों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था, न कि रिपोर्टिंग तिथि अर्थात 31 मार्च 2025 के अनुसार। इसके अलावा, लेखा टिप्पणियों में इस आशय का कोई खुलासा नहीं किया गया था।	वित्तीय वर्ष 2025–26 में 36 संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा।

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
	31 मार्च 2025 तक उचित मूल्य के अभाव में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता। वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 और 2023–24 के दौरान क्रमशः टिप्पणी संख्या क.2, क.1.2 (ii), क.1.2 (ख) और ए.1.2. (घ) के माध्यम से इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	
क.1.2	**बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां (टिप्पणी संख्या 17) : 50.48 करोड़ रुपए**	
	उपरोक्त में शिगा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल, आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी) के इक्विटी शेयरों में 50.44 करोड़ रुपए (5,10,00,000* 29.89) का निवेश शामिल है, जो लागत (89.89 रुपए प्रति शेयर) और उचित मूल्य (79.99 रुपए प्रति शेयर) में से जो कम है, उस पर किया गया है। कंपनी ने एसईपीएल में अपने शेयरों का मूल्यांकन (अप्रैल 2024) एसईपीएल के दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय आंकड़ों के आधार पर दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं से करवाया और 29.99 रुपए प्रति शेयर और 9.68 रुपए प्रति शेयर का उचित मूल्य निकाला गया। कंपनी ने एसईपीएल में अपने निवेश का मूल्यांकन करने के लिए 79.89 रुपए प्रति शेयर (अर्थात प्रति शेयर लागत मूल्य) और 79.99 रुपए (उपर्युक्त दोनों उचित मूल्यों में से जो अधिक हो) में से जो कम हो, उसका उपयोग किया। हालाँकि, उचित मूल्य 9.89 रुपए प्रति शेयर के बजाय 79.68 रुपए प्रति शेयर (कम उचित मूल्य और लागत मूल्य, जो भी कम हो) लिया जाना चाहिए था। तदनुसार, एसईपीएल के इक्विटी शेयरों में निवेश का मूल्य 49.37 करोड़ रुपए (अर्थात, 5,10,00,000 शेयर* 79.68 रुपए प्रति शेयर) होना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्ति और लाभ को 1.07 करोड़ रुपए (850.44 करोड़ रुपए में से 249.37 करोड़ रुपए घटा कर) प्रत्येक से अधिक दर्शाया गया है।	यह अवलोकन अनुपालन के लिए नोट किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जाएगा।
ख. **ख.1**	**प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ और लेखा की टिप्पणियां** **आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (नोट 37)** **आकस्मिक देयताएँ** भारतीय लेखा मानक 37 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां) के पैरा 86 में यह प्रावधान है कि जब तक निपटान में किसी बहिर्वाह की संभावना दूर न हो, तब तक कोई भी इकाई रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकस्मिक देयता की प्रत्येक श्रेणी के लिए आकस्मिक देयता की प्रकृति	**यह मामला आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) से संबंधित है। आईएफएल के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया इस प्रकार है :** वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण किया जाएगा

एओ सं.	सीएजी की टिप्पणियाँ	आईएफसीआई प्रबंधन की टिप्पणियाँ
	का संक्षिप्त विवरण और जहां व्यावहारिक हो, उसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान प्रकट करेगी। आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय सही कर देयता घोषित नहीं करने के कारण व्यापार और कर विभाग से 1.00 करोड़ रुपए की मांग प्राप्त हुई, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड ने इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त, अपील–1, दिल्ली–उत्तर के समक्ष अपील दायर की है और मामला 31 मार्च 2025 तक विचाराधीन था। अतः, 1.00 करोड़ रुपए की राशि को लेखा पुस्तकों में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत उपरोक्त प्रकटन न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं को 1.00 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है। इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त मुद्दे को वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या ई4 के माध्यम से प्रकट किया गया था।	

(राहुल भावे)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

(अरविंद कुमार जैन)
निदेशक
डीआईएन : 07911109

(सुनीत शुक्ला)
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(प्रियंका शर्मा)
कंपनी सचिव

दिनांक : 19 सितंबर, 2025

निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट

1. शासन प्रणाली के संबंध में कम्पनी का दर्शन

निगमित शासन प्रणाली निष्पक्षता, इक्विटी, पारदरवशता उत्तरदायित्व तथा सूचना के प्रसार के सिद्धान्त पर आधारित है। आईएफसीआई निगमित शासन प्रणाली के उच्चतम मानकों को बनाए रखने में विश्वास रखता है क्योंकि यह इसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। आईएफसीआई सर्वोत्तम निगमित शासन प्रणाली को व्यवहार में लाने तथा कारोबार के संचालन में उच्चतम नीतिपरक मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध है।

हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन कंपनी की आचार संहिता तथा नैतिकता, कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों और समिति चार्टरों से सशक्त हुआ है। हमारी बोर्ड और प्रबंधन प्रक्रियाएं, लेखा–परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना के आधारभूत सिद्धांतों को दर्शाती हैं।

2. निदेशक बोर्ड

(क) निदेशक बोर्ड का गठन, श्रेणी व उपस्थिति :

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के बोर्ड में 8 (आठ) निदेशक शामिल थे, जिनमें से 7 (सात) निदेशक गैर–कार्यकारी निदेशक थे, जिनमें 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे, जबकि 1 (एक) कार्यकारी निदेशक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) रूप में पदनामित थे।

बोर्ड की संरचना सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 (सूचीकरण विनियम) के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि बोर्ड में में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। 31 मार्च, 2025 तक बोर्ड की संरचना, आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या, बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति और उन सभी कंपनियों का ब्यौरा, जिनमें वे निदेशक पद पर बने रहे और ऐसी समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या, जिनमें वे निदेशक थे, नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	उपस्थिति विवरण			अन्य सभी कम्पनियों में निदेशिताओं/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या		
			वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान हुई बोर्ड बैठकों की संख्या		26 सितंबर, 2024 को हुई वार्षिक महासभा	निदेशिताएं (आईएफसीआई सहित)	समितियों की सदस्यता (आईएफसीआई सहित)	समितियों की अध्यक्षता (आईएफसीआई सहित)
			आयोजित	उपस्थिति				
1	श्री राहुल भावे (#)	कार्यकारी निदेशक – प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ)	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	4	-	-
2	श्री जितेंद्र असाति (@)	गैर–कार्यकारी –सरकारी निदेशक	7	6	नहीं	2	2	-
3	श्री सुरजीत कार्तिकेयन (@)	गैर–कार्यकारी –सरकारी निदेशक	7	5	नहीं	2	1	-
4	प्रोफेसर नारायणस्वामी बालाकृष्णन	गैर–कार्यकारी निदेशक	7	7	हाँ	1	1	-
5	प्रोफेसर अरविंद सहाय	गैर–कार्यकारी निदेशक	7	5	हाँ	3	5	-
6	श्री सुरेंद्र बेहरा	गैर–कार्यकारी निदेशक	7	7	हाँ	1	1	-
7	श्री अरविन्द कुमार जैन	गैर–कार्यकारी निदेशक	7	7	हाँ	8	5	2
8	श्री उमेश कुमार गर्ग	गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक	7	7	हाँ	1	2	1
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने वाले निदेशक								
1	श्री मनोज मित्तल (*)	कार्यकारी निदेशक – प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ)	1	1	उपलब्ध नही	4	-	-
2	श्री राहुल भावे (#)	कार्यकारी निदेशक – उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी)	7	7	हाँ	4	-	-

(#) भारत सरकार के पत्र संख्या 2/4/2020–आईएफ–I दिनांक 21 मार्च, 2025 के अनुसार, श्री राहुल भावे उप प्रबंध निदेशक नहीं रहेंगे और उन्हें 21–03–2025 (पूर्वाह्न) से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) नियुक्त किया गया।

(@) श्री जितेंद्र असाति और श्री सुरजीत कार्तिकेयन को 04–04–2024 से गैर–कार्यकारी सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

(*) श्री मनोज मित्तल 27–07–2024 से एमडी एवं सीईओ (कार्यकारी निदेशक) नहीं रहेंगे।

टिप्पणियां :

1. बैठकों की संख्या में उस अवधि के दौरान हुई बैठकों को दर्शाया गया है, जिसमें निदेशक बोर्ड के सदस्य थे।
2. ऊपर दर्शाई गई अन्य निदेशिताओं में (आईएफसीआई लि. सहित) सभी सार्वजनिक कम्पनियां ामिल हैं, चाहे वे सूचीबद्ध हैं या नहीं हैं। अन्य निगमित निकायों, निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और गैर–लाभकारी संगठनों में धारित निदेशिताओं को उक्त तालिका में शामिल नहीं किया गया हैं।
3. उक्त समिति सदस्यता/अध्यक्षता में केवल लेखा–परीक्षा समिति और आईएफसीआई लि. सहित सभी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों (चाहे सूचीबद्ध हों या नहीं) में स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति शामिल है। अन्य निगमित निकायों में धारित समिति सदस्यता/अध्यक्षता ऊपर तालिका में शामिल नहीं की गई है।
4. सदस्यता की संख्या में समितियों में धारित अध्यक्षता शामिल है।
5. सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशकों के सम्बन्ध में, अन्य निदेशिता और समिति सदस्यता की स्थिति निदेशक द्वारा किए गए अन्तिम प्रकटन पर आधारित है।
6. कोई भी निदेशक एक दूसरे या कम्पनी के किसी प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिक से सम्बन्धित नहीं है।
7. बोर्ड का कोई भी निदेशक इन सभी कम्पनियों, जिनमें वे निदेशक हैं, में 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है और 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार, अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में उनकी स्थिति के बारे में निदेशकों द्वारा आवश्यक प्रकटन किया गया है।
8. निदेशक की स्वतंत्रता, जहां भी लागू हो, लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित मानदंडों द्वारा निर्धारित की जाती है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक थे – श्री उमेश कुमार गर्ग, जो स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते थे और प्रबंधन से स्वतंत्र है।
9. सूचीबद्ध कंपनियों (केवल जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) में अन्य निदेशिता, जहां आईएफसीआई के बोर्ड का सदस्य निदेशक हैं और निदेशिता की श्रेणी : 31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार, निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में कोई अन्य बोर्ड सदस्य निदेशिता धारण नहीं करता है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	अन्य सूचीबद्ध कंपनियों का नाम और निदेशिता की श्रेणी
1.	प्रो. अरविंद सहाय	बिरला न्यू लिमिटेड (पूर्व में एचआईएल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (स्वतंत्र निदेशक)

(ख) आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या एवं तारीखें :

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशक मंडल की 7 (सात) बैठकें हुईं। वर्ष 2024 में आयोजित बैठकों की तारीखें 30 अप्रैल, 8 अगस्त, 18 सितंबर, 13 नवंबर और 22 नवंबर को बैठकें होंगी और 2025 में 29 जनवरी और 12 फरवरी को बैठकें होंगी।

(ग) नए निदेशकों की नियुक्ति/निदेशकों की पुनर्नियुक्ति का विवरण वार्षिक आम बैठक की सूचना का हिस्सा होता है।

(घ) 31 मार्च, 2025 तक किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय उपकरण नहीं थे।

(ङ) स्वतंत्र निदेशक के लिए परिचित होने का कार्यक्रम

(च) निदेशक बोर्ड कौशल/विशेषज्ञता प्रलेख/सक्षमता तय करने का चार्ट/मैट्रिक्स तथा उन निदेशकों के नाम जिनके पास ऐसा कौशल/विशेषज्ञता/सक्षमता है।

1.	शैक्षिक योग्यता	(i) कोई स्नातक/स्नातकोत्तर/एम.फिल/डाक्टरेट/ऐसी अन्य अर्हता रखता हो जैसा ठीक समझा जाए। (ii) कोई अन्य पेशेवर योग्यता/डिग्री/डिप्लोमा/ऐसी अन्य अर्हता रखता हो जैसा ठीक समझा जाए।
2.	अनुभव/विशेषज्ञता	(i) उचित कौशल, अनुभव और वित्त, विधि, प्रबंधन, बिक्री विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, कारपोरेट अभिशासन, तकनीकी प्रचालन या कम्पनी के कारोबार से संबंधित अन्य विषयों में एक या अधिक क्षेत्रों में जानकारी रखता हो। (ii) तरजीही रूप से अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम या मध्य पेशा पेशेवर विकास प्रशिक्षण किया हो जिसने उसको व्यवसाय परिवेश में बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल बनाया हो।

31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार, बोर्ड के सभी निदेशक ऊपर दी गई शैक्षिक योग्यता और अनुभव/सुविज्ञता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

(छ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान स्वतंत्र निदेशक द्वारा त्यागपत्र देने का कोई मामला नहीं था।

3. **लेखा–परीक्षा समिति :**

(क) विचारार्थ विषय :

लेखा–परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी के लेखा–परीक्षा कार्य के संचालन की प्रभावशीलता को देखना, आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करना, बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ आवधिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। समिति आंतरिक लेखा–परीक्षकों और वैधानिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्टों की निष्पक्ष समीक्षा करने और प्रबंधन द्वारा पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है। समिति उनकी फीस के निर्धारण का भी प्रस्ताव/सिफारिश करती है।

समिति अन्तर निगमित ऋणों तथा निवेशों की संवीक्षा, कम्पनी की वचनबद्धता या परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन, आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तथा जोखिम प्रबन्धन का मूल्यांकन, सार्वजनिक पेशकश की मार्फत जुटाई गई निधियों के अन्तिम उपयोग का अनुवर्तन, सतर्कता कार्य–प्रणाली की निगरानी तथा कम्पनी के सम्बन्धित पक्षकारों से संव्यवहारों का अनुमोदन अथवा उसके पश्चात् कोई आशोधन का कार्य करती है। समिति धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करती है और इसकी सूचना भी देती है।

(ख) समिति का गठन, बैठकें तथा उपस्थिति :

31 मार्च, 2025 को, आईएफसीआई की लेखा–परीक्षा समिति में 5 (पांच) निदेशक शामिल थे। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, समिति की 4 (चार) बैठकें होंगी। व ि 2024 में, बैठकें 30 अप्रैल, 8 अगस्त, 13 नवंबर और 2025 में, बैठकें 12 फरवरी को होंगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की संरचना और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति / समाप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री उमेश कुमार गर्ग	अध्यक्ष	08.08.2023	4	4
2.	श्री जितेंद्र असाति (*)	सदस्य	30.04.2024	4	2
3.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	1
4.	प्रो नारायास्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.01.2020	4	4
5.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	4	4
निदेशक जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सदस्य नहीं रहेंगे					
1.	श्री राहुल भावे (#)	सदस्य	21.03.2025	4	4

(*) श्री जीतेन्द्र असाति को दिनांक 30.04.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(#) श्री राहुल भावे को दिनांक 21.03.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

संवैधानिक लेखा–परीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक होने पर, समिति के निर्णयानुसार, लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कंपनी सचिव, लेखा–परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

4. **नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति :**

(क) विचारार्थ विषय :

समिति के विचारार्थ विषय में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों और नामित निदेशकों को छोड़कर) बनने के योग्य हैं तथा वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति की सिफारिश करना है। समिति बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को देय किसी भी रूप में सभी पारिश्रमिकों एवं स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करने की सिफारिश करती है। समिति पेशा प्रबंध और उत्तराधिकार योजना सहित एचआर मामलों पर नीति का अनुशीलन भी करती है।

(ख) कार्य निष्पादन मूल्यांकन :

आईएफसीआई की नामांकन एवं पारिश्रमिक नीति ने स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मंडल के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन के मानदंड में उनकी भूमिका, कार्य और विभिन्न अन्य विशेषताएं शामिल हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाता है और वित्तीय

वर्ष 2024–25 के लिए भी यह किया गया है।

ग) समिति की संरचना, बैठकें और उपस्थिति :

31 मार्च, 2025 तक समिति में 5 (पाँच) निदेशक थे, जो सभी गैर–कार्यकारी निदेशक थे। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक थे। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, समिति की 2 (दो) बैठकें 30 अप्रैल और 7 अगस्त, 2024 को हुईं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की संरचना और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

क्र.सं.	**निदेशक का नाम**	**श्रेणी**	**नियुक्ति / समाप्ति की तिथि**	**वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठकों की संख्या**	
				आयोजित	**उपस्थिति**
समिति के सदस्य					
1.	श्री उमेश कुमार गर्ग	अध्यक्ष	08.08.2023	2	2
2.	श्री सुरजीत कार्तिकेयन (*)	सदस्य	30.04.2024	2	1
3.	प्रो नारायाणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	04.06.2020	2	2
4.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	2	1
5.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	2	2

(*) श्री सुरजीत कार्तिकेयन को 30.04.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(घ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए पारिश्रमिक के विवरण निम्नानुसार हैं:

(i) श्री मनोज मित्तल, प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 01.04.2023 से 26.07.2024 तक

विवरण	**(लाख रुपए में)**
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	12.92
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	1.23
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	0.86
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	3.44
अन्य–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.49
अन्य–अवकाश किराया रियायत	2.18
कुल	**21.12**

(ii) श्री राहुल भावे, उप प्रबंध निदेशक, 21.03.2025 से 31.03.2025 तक

विवरण	**(लाख रुपए में)**
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	1.09
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	0.09
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	0.07
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	0.22
आय कर अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार अनुलाभ	0.07
अन्य–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00
कुल	**1.54**

(iii) श्री राहुल भावे, उप प्रबंध निदेशक, 01.04.2024 से 20.03.2025 तक

विवरण	**(लाख रुपए में)**
वेतन तथा भत्ते (अनुलाभों को छोड़कर)	32.25
अनुलाभ भत्ता (आईएफसीआई द्वारा अनुलाभ पर वहन किए गए कर सहित)	2.86
भविष्य निधि व अन्य निधियों में अंशदान	2.11
आय कर अधिनियम की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ	8.28
आय कर अधिनियम की धारा 17(3) के अनुसार अनुलाभ	0.86
अन्य–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00
कुल	**46.36**

निदेशकों की नियुक्ति और नियुक्ति की शर्तें, जिनमें पारिश्रमिक, नोटिस अवधि, विच्छेद शुल्क आदि शामिल हैं, यदि कोई हों, प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय द्वारा तय किए जाते हैं।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कम्पनी द्वारा सरकारी नामित निदेशकों को छोड़कर गैर–कार्यापालक निदेशकों को बैठक के लिए शुल्क अदा किया गया। बोर्ड की बैठक के लिए 40,000 रुपए और निदेशकों की समिति की बैठक के लिए 20,000 रुपए शुल्क अदा किया गया। इसके अलावा बोर्ड की अध्यक्षता और निदेशकों की समिति की बैठक की अध्यक्षता के लिए क्रमशः 10,000 रुपए और 5,000 रुपए अतिरिक्त बैठक शुल्क भी देय था।

गैर–कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक की फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक (कमीशन सहित) नहीं मिलता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र निदेशक थे।

इसके अलावा, गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड कंपनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=en/content/disclosure-under-regulation-46-and-62-sebi-%E2%80%93-lodr पर पोस्ट किए गए हैं।

(च) कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, उनमें से किसी के पास भी 31 मार्च, 2025 को आई.एफ.सी.आई. का कोई शेयर या कोई अन्य परिवर्तनीय प्रलेख नहीं है।

(छ) कंपनी के निदेशकों के पास कोई स्टॉक ऑप्शन्स नहीं हैं।

5. हितधारक संबंध समिति :

(क) 31 मार्च, 2025 तक समिति में 5 (पांच) निदेशक शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, 2024 में समिति की 4 (चार) बार 30 अप्रैल, 07 अगस्त, 13 नवंबर और 2025 में 12 फरवरी को बैठक हुई। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की संरचना और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गई है :

क्र.सं.	**निदेशक का नाम**	**श्रेणी**	**नियुक्ति / समाप्ति की तिथि**	**वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठकों की संख्या**	
				आयोजित	**उपस्थिति**
समिति के सदस्य					
1.	श्री अरविन्द कुमार जैन	अध्यक्ष	09.11.2022	4	4
2.	श्री सुरजीत कार्तिकेयन (*)	सदस्य	30.04.2024	4	2
3.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	0
4.	श्री सुरेन्द्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	4	4
5.	श्री उमेश कुमार गर्ग	सदस्य	08.08.2023	4	4
निदेशक जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सदस्य नहीं रहेंगे					
1.	श्री राहुल भावे (#)	सदस्य	21.03.2025	4	4

(*) श्री सुरजीत कार्तिकेयन को 30.04.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(#) श्री राहुल भावे 21.03.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

(ख) अनुपालन अधिकारी का नाम व पदनाम

श्रीमती प्रियंका शर्मा, कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
ई–मेल : complianceofficer@ifciltd.com

(ग) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, शेयरधारकों और सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के बांड्धारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा बकाया शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैः

इक्विटी शेयर और बांड	
वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	**411**
31 मार्च, 2025 को बकाया	**0**
शेयरधारक की संतुष्टि के अनुसार हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या	**0**

(*) न्यायालय/सीडीआरएफ में बकाया मामलों से सम्बन्धित शिकायतों/मुद्दों को छोड़कर।

कम्पनी ने 1996 में सार्वजनिक निर्गम के अन्तर्गत जारी आईएफसीआई फैमिली बांडों को अवधि पूरी होने पर/कॉल ऑप्शन का प्रयोग करते हुए मोचित कर दिया था। बांडधारकों को मोचन राशि की अदायगी कर दी गई है। मोचन राशि के पुराने चैकों का बांडधारकों के अनुरोध पर भुगतान किया जा रहा है। निवेशकों से आईईपीएफ से निधि की वापसी के लिए प्राप्त आवेदनों पर समय समय पर कार्यवाही की जा रही है।

(घ) कंपनी ने शेयर हस्तांतरण, ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन आदि के अनुमोदन के लिए अपने अधिकारियों की एक समिति गठित की है। चूंकि 08 जून, 2018 के सेबी गजट अधिसूचना और 03 दिसंबर, 2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 01 अप्रैल, 2019 के बाद भौतिक शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए अधिकारियों की शेयर हस्तांतरण समिति अब महीने में चार बार के बजाय आवश्यकतानुसार बैठक करती है। शेयर हस्तांतरण आदि के सभी अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और संबंधित सेबी परिपत्र के अनुसार निर्धारित समय के भीतर पुष्टि–पत्र जारी किए गए। मुकदमेबाजी वाले कुछ मामलों को छोड़कर, 15 दिनों से अधिक समय तक कोई शेयर हस्तांतरण का मामला लंबित नहीं था।

निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाने और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में निवेशकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सेबी ने 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी–पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 के माध्यम से 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली है, ताकि निवेशक उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण विलेखों को पुनः दर्ज करा सकें जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों/प्रक्रिया में कमी/या अन्य कारणों से अस्वीकार/वापस कर दिए गए थे/जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस विंडो के दौरान हस्तांतरण के लिए पुनः दर्ज किए गए शेयरों को केवल डीमैट रूप में ही संसाधित किया जाएगा और ऐसे हस्तांतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आन्तरिक लेन–देन निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने अप्रकाशित मूल्य प्रभावित करने वाली सूचना के उचित प्रकटन के लिए कार्य–विधि/प्रक्रिया संहिता तथा नामित व्यक्ति और उनके निकटतम रिश्तेदार द्वारा लेन–देन पर नियंत्रण करने, अनुवर्तन करने और सूचना देने के लिए आचार संहिता को अपनाया है। कम्पनी ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की अवधारणा का पालन करती है, जिस समय मूल्य प्रभावित करने वाली अप्रकाशित सूचना प्रस्तुत की जानी होती है, उस समय कम्पनी अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को आईएफसीआई की प्रतिभूतियों का लेन–देन करने से रोकने के लिए ट्रेडिंग विण्डो बंद होने की अवधारणा का भी पालन करती है। कम्पनी ने 31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आन्तरिक लेन–देन निषेध) विनियम, 2015 के अधीन उपयुक्त प्रकटन प्राप्त किए हैं।

च) निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है, जिसे कम्पनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=en/content/code-conduct पर डाला गया है।

6- जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति :

(क) विचारार्थ विषय :

जोखिम एवं परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की जानी है और यह संतोषजनक है कि जोखिमों को प्रबंधित करने की नीतियां और प्रक्रियाएं पहले से मौजूद हैं। समिति का कार्य जोखिम के नजरिए से संस्था की व्यावसायिक कार्यनीतियों और योजनाओं का गंभीर रूप से मूल्यांकन करना और बोर्ड को इस बारे में उचित सलाह देना है। समिति प्रमुख नीतियों, साइबर सुरक्षा और इससे जुड़े जोखिम की समीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।

(ख) समिति की संरचना, बैठकें और उपस्थिति :

31 मार्च, 2025 तक समिति में 5 (पांच) निदेशक शामिल थे। समिति ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 4 (चार) बार बैठक की, जो 2024 में 30 अप्रैल, 07 अगस्त, 13 नवंबर और 2025 में 12 फरवरी को हुई। 31 मार्च, 2025 तक समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठकों की संख्या	
				आयोजित	उपस्थिति
समिति के सदस्य					
1.	श्री सुरेन्द्र बेहरा	अध्यक्ष	09.11.2022	4	4
2.	श्री जितेंद्र असाति (*)	सदस्य	30.04.2024	4	2
3.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	1
4.	प्रो नारायण स्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	14.02.2019	4	4
5.	श्री उमेश कुमार गर्ग	सदस्य	08.08.2023	4	4
निदेशक जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सदस्य नहीं रहेंगे					
1.	श्री राहुल भावे (#)	सदस्य	21.03.2025	4	4

(*) श्री जीतेन्द्र असाति को दिनांक 30.04.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(#) श्री राहुल भावे को दिनांक 21.03.2025 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

7. अन्य समितियों के विवरण :

कंपनी में अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां भी हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित ऐसी अन्य समितियों की बैठकों की संख्या, तिथियों और भाग लेने वाले सदस्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(क) कार्यकारी समिति – वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की बैठकें 30 अप्रैल, 25 जून, 14 अगस्त, 11 सितंबर, 26 सितंबर, 25 अक्टूबर, 2024 में 13 नवंबर और 2025 में 28 जनवरी को आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2025 को समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री राहुल भावे *	अध्यक्ष	16.01.2024	8	8
2.	प्रोफेसर नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.10.2017	8	8
3.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	8	8
4.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	8	8
	निदेशक जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सदस्य नहीं रहेंगे				
1.	श्री मनोज मित्तल ($)	अध्यक्ष	27.07.2024	2	0

(*) श्री राहुल भावे दिनांक 06.08.2024 से समिति के अध्यक्ष बने।

($) श्री मनोज मित्तल 27.07.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

(ख) आईटी–कार्यनीति समिति– समिति की वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 4 (चार) बार बैठक – 25 जून, 07 अगस्त, 2024 में 13 नवंबर और 2025 में 12 फरवरी को हुई। 31 मार्च, 2025 तक समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री उमेश कुमार गर्ग	अध्यक्ष	19.03.2024	4	4
2.	श्री राहुल भावे	सदस्य	16.01.2024	4	4
3.	श्री जितेंद्र असाति (*)	सदस्य	30.04.2024	4	3
4.	प्रोफेसर नारायणस्वामी बालाकृष्णन	सदस्य	30.10.2017	4	4

5.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	4	4
6.	श्री पुष्पिंदर सिंह	बाहरी सदस्य	10.08.2021	4	4

(*) श्री जितेंद्र असाति को 30.04.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

नामित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) समिति में आमंत्रित सदस्य हैं।

(ग) कारोबार दायित्व सूचना समिति – समिति की वित्तीय वर्ष 2024–25 में केवल एक बैठक 07 अगस्त, 2024 को हुई। 31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार समिति के गठन और उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				**आयोजित**	**उपस्थिति**
1.	श्री राहुल भावे	अध्यक्ष*	16.01.2024	1	1
2.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	1	0
3.	श्री सुरेंद्र बेहरा	सदस्य	09.11.2022	1	1
	निदेशक जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सदस्य नहीं रहेंगे				
1.	श्री मनोज मित्तल ($)	अध्यक्ष	27.07.2024	लागू नहीं	लागू नहीं

(*) श्री राहुल भावे 06.08.2024 से समिति के अध्यक्ष बने।

($) श्री मनोज मित्तल 27.07.2024 से समिति के सदस्य नहीं रहे

(घ) गैर–सहकारी उधारकर्ताओं और वसूली एवं एनपीए प्रबंधन समिति पर समीक्षा समिति – समिति ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 2024 में 30 अप्रैल, 07 अगस्त, 13 नवंबर और 2025 में 12 फरवरी को 4 (चार) बार बैठकें कीं। 31 मार्च, 2025 तक समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थी :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	नियुक्ति/समाप्ति की तिथि	वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान बैठकों की संख्या	
समिति के सदस्य				**आयोजित**	**उपस्थिति**
1.	श्री राहुल भावे	अध्यक्ष*	16.01.2024	4	4
2.	श्री सुरजीत कार्तिकेयन (#)	सदस्य	30.04.2024	4	2
3.	प्रोफेसर अरविंद सहाय	सदस्य	30.10.2017	4	1
4.	श्री अरविन्द कुमार जैन	सदस्य	09.11.2022	4	4
निदेशक जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान सदस्य नहीं रहेंगे					
1.	श्री मनोज मित्तल ($)	अध्यक्ष	27.07.2024	1	1

(*) श्री राहुल भावे दिनांक 06.08.2024 से समिति के अध्यक्ष बने।

(#) श्री सुरजीत कार्तिकेयन को दिनांक 30.04.2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।

($) श्री मनोज मित्तल 27.07.2024 से समिति के अध्यक्ष नहीं रहे।

(ङ) निदेशकों की प्रबंधन समिति – 31.03.2025 तक, समिति में 6 निदेशक : श्री अरविंद कुमार जैन समिति के अध्यक्ष और श्री राहुल भावे, एमडी एवं सीईओ, प्रो. एन. बालकृष्णन, प्रो. अरविंद सहाय, श्री सुरेंद्र बेहरा और श्री उमेश कुमार गर्ग सदस्य शामिल थे। समिति की एक बैठक वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान 11 सितंबर, 2024 को हुई। बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

(च) विलफुल डिफॉल्टर्स पर समीक्षा समिति – 31.03.2025 तक, समिति में तीन निदेशक : श्री राहुल भावे, एमडी एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष और श्री अरविंद कुमार जैन एवं प्रो. एन. बालकृष्णन सदस्य शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

(छ) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, बोर्ड ने अपनी समितियों की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

8. महासभा :

(क) स्थान एवं समय, जहां पिछली तीन वार्षिक महासभाएं आयोजित की गईं :

क्र. सं.	वार्षिक आम सभा की तारीख	स्थान	समय
1.	26.09.2024	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से।	प्रातः 11.30 बजे
2.	20.12.2023		
3.	22.12.2022		

(ख) पोस्टल बैलेट :

पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

इसके अलावा, आगामी एजीएम तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना नहीं है।

(ग) पिछली तीन वार्षिक महासभा में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण :

महासभा की तारीख	कम्पनी अधिनियम के अनुसार	विशेष संकल्पों का विवरण
26.09.2024	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 71 के तहत	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
		प्रोफेसर नारायणस्वामी बालकृष्णन (डीआईएन : 00181842) का 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर कंपनी के गैर–कार्यकारी, गैर–स्वतंत्र निदेशक के रूप में निदेशक पद पर बने रहना
20.12.2023	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 71 के तहत	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन
	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149, 150, 152 के तहत	स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री उमेश कुमार गर्ग (डीआईएनः 00599426) की नियुक्ति को मंजूरी
22.12.2022	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 71 के तहत	प्रतिभूतियों के निजी धारण का अनुमोदन

(घ) स्थान और समय, जहां असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित की गई :

ईजीएम दिनांक	स्थान	समय
18.04.2024	वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से।	प्रातः 11.30 बजे
28.02.2025		

(ङ) असाधारण महासभा बैठक में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण :–

ईजीएम दिनांक	कम्पनी अधिनियम के अनुसार	विशेष संकल्पों का विवरण
18.04.2024	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62	भारत सरकार को इक्विटी के शेयरों का अधिमान आबंटन
28.02.2025		

9. **प्रकटन :**

(क) सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी इंड एएस 24 (पूर्व में लेखांकन मानक–18) की अपेक्षानुसार वर्ष के दौरान, सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में लेखा की टिप्पणियों में किया गया है। सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार सामान्य कारोबार के दौरान मिलकर और नियमानुसार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कोई महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार नहीं किए गए। कम्पनी में महत्वपूर्ण सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार तथा सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार से संबंधित लेन–देन के बारे में एक नीति है और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.ifciltd.com?q=en/content/policies पर डाला गया है।

(ख) लेखांकन विवेचना का प्रकटन

कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण, कंपनियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ("इंड एएस") और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 अनुभाग ।।। के अनुसार, समय–समय पर संशोधित नियमों के तहत तैयार किए गए हैं। इन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया और 11 अक्टूबर 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया। आरबीआई या अन्य नियामकों द्वारा जारी किए गए सभी नियमों, मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निर्देशों को यथानुसार लागू किया जाएगा।

(ग) जोखिम प्रबंधन

कारोबार जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसमें कारोबार नामतः क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम से होने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रबंधन और कम

करना है। जोखिम प्रबंध प्रणाली की प्रभावशीलता उचित और प्रभावी जोखिम प्रबंधन संरचना बनाना है। आरबीआई बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में आपकी कम्पनी ने संगठनात्मक संरचना में आवश्यक भूमिका केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि जोखिम प्रबंधन कार्यो को करने में सुविधा हो।

आईएफसीआई में जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना में निदेशक बोर्ड, निदेशकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी), कार्यपालकों की जोखिम और परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) और एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग (आईआरएमडी) शामिल है।

आपकी कंपनी समय–समय पर ऋण नीति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, ट्रेजरी व निवेश नीति, आदि की समीक्षा करती है ताकि उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को मजबूती से और उचित तरीके से अपनाया किया जा सके और विभिन्न वित्तपोषण/निवेश गतिविधियों से सीख लेकर, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमन का पालन करते हुए टर्नअराउंड समय में कमी लाने की दिशा में प्रयास किया जा सके। आईटी गवर्नेंस पर आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार, आईएफसीआई ने बोर्ड स्तर की आईटी कार्यनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया है। साइबर/सूचना सुरक्षा के प्रबंधन के लिए आईटीएससी की देखरेख में एक सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) भी बनाई गई है। आईएससी का नेतृत्व आईएफसीआई के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) करते हैं।

(घ) प्रबंधन विचार–विमर्श व विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचार–विमर्श व विश्लेषण बोर्ड रिपोर्ट का भाग है और यह वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

(ङ) पूंजी बाजार के सम्बंध में अनुपालन न करने के विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, सिवाय 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तक स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा माफ किए गए जुर्माने को शामिल करने के बाद 4,71,14,140 रु. (लागू करों सहित) के जुर्माने के, तो बोर्ड और समितियों जैसे लेखा–परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना से संबंधित सेबी (सूचीकरण की बध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17 (1) और (2 ए), 18 (1), 19 (1) और (2), 20 तथा 21 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए था। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पूर्णतया कंपनी और उसके निदेशक मंडल के अधिकार–क्षेत्र में नहीं है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया गया था कि वे कंपनी पर जुर्माना न लगाएं और न ही इस संबंध में कोई कार्रवाई करें। निदेशक समितियों में स्वतंत्र निदेशक श्री उमेश कुमार गर्ग को शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप हो गई है। तदनुसार, इन समितियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) द्वारा लगाए गए जुर्माने को माफ करने के लिए आवेदन स्टॉक एक्सचेंजों में जमा कर दिया गया है। हमारे आवेदन के मद्देनजर, एनएसई ने जून 2020 से सितंबर 2023 की अवधि के लिए 44,01,400/– का जुर्माना माफ कर दिया है।

(च) आदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण

1. कंपनी ने आईएफसीआई के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के अभाव में सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 24 (1) के अलावा सिवाय बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना के संदर्भ में सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में उल्लिखित कॉर्पोरेट प्रशासन की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया है। प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय को पत्र भेजकर अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति / नामांकन का अनुरोध किया गया था।
2. श्री सूर्यकांत गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव ने सेबी (सूचीकरण की बध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015, की अनुसूची 5 के भाग ग में दिए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निगमित शासन प्रणाली पर रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। उक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त, श्री सूर्यकांत गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव ने यह भी प्रमाणित किया है कि कम्पनी के बोर्ड पर किसी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त करने या बने रहने से विवर्जित या आयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(छ) सहायक कंपनियाँ

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की 6 (छह) सहायक कंपनियां अर्थात् आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड, एमपीकॉन लिमिटेड, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड थी। कंपनी की 7 (सात) स्टेप–डाउन सहायक कंपनियां भी थीं, जैसे आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड, आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड, आईएफआईएन सिक्योरिटी फाइनेंस लिमिटेड, स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड और स्टॉकहोल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड। कंपनी ने ''मटेरियल'' सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए एक नीति भी तैयार की है और इसे कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com/?q=en/content/policies में प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ज) मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणपत्र

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (8) के अंतर्गत दिया गया प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग है।

(झ) सतर्कता तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) और (10) के प्रावधानों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के संदर्भ में एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति है जिसे वर्ष के दौरान अपडेट किया गया। व्हिसिल ब्लोअर नीति के तहत, आईएफसीआई के निदेशक और कर्मचारी, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आईएफसीआई की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं/शिकायतों के बारे में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सूचित कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। नीति असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करती है। इसके तहत किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से वंचित नहीं किया गया है।

(ञ) बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

बोर्ड ने कम्पनी के कारोबार मॉडल तथा कम्पनी के कारोबार मानदंडों के जोखिम प्रोफाइल तथा निदेशकों के रूप में उनके दायित्वों के लिए अपने बोर्ड सदस्यों हेतु निदेशक प्रशिक्षण की एक नीति बनाई है।

(ट) विवेकसम्मत अपेक्षाओं के पालन का विवरण

कम्पनी ने शेयरधारक के अधिकार के संबंध में सूचीकरण विनियमावली, 2015 के विनियम 27 (1) की निम्नलिखित विवेकसम्मत अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और उन्हें अंगीकार किया हैः वित्तीय कार्य–निष्पादन की छमाही परिणाम प्रत्येक शेयरधारक को अलग–अलग न भेजकर उसे समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया गया और उसे उन स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रसारित किया गया जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

(ठ) खाता बहियों में कोई भी व्यय डेबिट नहीं किया गया है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रशासनिक और कार्यालय व्यय और वित्तीय व्यय कुल व्यय का क्रमशः 29.20 प्रतिशत और 114.37 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह 42.36 प्रतिशत और 138.97 प्रतिशत था।

(ड) लिस्टिंग विनियमों के नियमन 32 (7 ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी में अभिदान हेतु भारत सरकार (भारत सरकार) से शेयर आवेदन राशि के रूप में 8 मार्च, 2024 को 500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। उक्त धनराशि में से, 40.33 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (30.33 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के सुरक्षा प्रीमियम सहित) की दर से 12,39,77,188 इक्विटी शेयर भारत सरकार को आबंटित किए गए। इस धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे जुटाया गया था।

इसके अलावा, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान अपनी शेयर पूंजी में निवेश हेतु भारत सरकार (जीओआई) से 28 जनवरी, 2025 को 500 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। इसके बाद, इस धनराशि के निवेश के फलस्वरूप, भारत सरकार को 61.94 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (51.94 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के सुरक्षा प्रीमियम सहित) की दर से 8,07,23,280 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए। इस धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे जुटाया गया था।

(ढ) सांविधिक लेखापरीक्षक या नेटवर्क फर्म/नेटवर्क कम्पनी, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक भाग है, सभी कंपनियों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध कम्पनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा दी गई सभी सेवाओं के लिए अदा किया गया कुल शुल्क – 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेण्डअलोन और समेकित के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक को अदा किए गए शुल्क के ब्यौरे नीचे बताए गए हैं:

क्र. सं.	लेखा–परीक्षकों को भुगतान का विवरण	स्टैंडअलोन सूचना (करोड़ रुपए में)	समेकित सूचना (करोड़ रुपए में)
1.	लेखा–परीक्षा शुल्क	0.26	1.49
2.	प्रमाणन और अन्य सेवाएं के लिए शुल्क	0.12	0.20
3.	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.04	0.15
	कुल	**0.42**	**1.84**

(ण) क्रेडिट रेटिंग

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग का बदलाव :–

निम्न द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2024	वित्तीय वर्ष 2024–24 के दौरान बदलाव	31 मार्च, 2025
दीर्घकालिक (बांड / एनसीसी / सावधि ऋण)			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) बी+	रेटिंग (बीडब्ल्यूआर) बी+ 07.11.2024 से पुनः पुष्टि	(बीडब्ल्यूआर) बी+
आईसीआरए	(आईसीआरए) बी+	रेटिंग (आईसीआरए) बी+ 03.12.2024 से पुनः पुष्टि	(आईसीआरए) बी+
सीएआरई	(सीएआरई) बीबी	रेटिंग (सीएआरई) बी+ 03/12.2024 से पुनः पुष्टि	(सीएआरई) बीबी
अल्पावधि (वाणिज्यिक पत्र / अल्पकालिक उधार)			
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) ए4	रेटिंग (बीडब्ल्यूआर) ए4 07.11.2024 से पुनः पुष्टि	(बीडब्ल्यूआर) ए4
आईसीआरए	(आईसीआरए) ए4	रेटिंग (आईसीआरए) ए4 03.12.2024 से पुनः पुष्टि	(आईसीआरए) ए4
सबऑर्डिनेट बॉन्ड			
सीएआरई	(सीएआरई) बीबी	रेटिंग (सीएआरई) बीबी 03.12.2024 से पुनः पुष्टि	(सीएआरई) बीबी
आईसीआरए	(आईसीआरए) बी+	रेटिंग (आईसीआरए) बी+ 03.12.2024 से पुनः पुष्टि	(आईसीआरए) बी+
ब्रिकवर्क	(बीडब्ल्यूआर) बी+	रेटिंग (बीडब्ल्यूआर) बी+ 07.11.2024 से पुनः पुष्टि	(बीडब्ल्यूआर) बी+

* विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बीएसई और एनएसई की वेबसाइट देखें।

(त) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटन :

(क) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान दाखिल शिकायतों की संख्याः– शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या :– शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या :– शून्य

(थ) ऋणों या अग्रिम राशियों पर प्रकटीकरण : कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किसी भी ऐसी फर्म या कंपनी को कोई ऋण या अग्रिम या उधार नहीं दिया गया है, जिनमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित हो। शून्य

(द) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों पर प्रकटीकरण :

महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का नाम	निगमन की तारीख	निगमीकरण का स्थान	वैधानिक लेखा परीक्षक का नाम	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति की तिथि
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	28/07/1986	मुंबई, महाराष्ट्र	वी. सिंघी एंड एसोसिएट्स	21.09.2024
एमपीसीओएन लिमिटेड	23/03/1979	भोपाल, मध्य प्रदेश	दीपक गोयल एंड एसोसिएट्स	21.09.2024

(ध) वर्ष के दौरान कोई कमोडिटी होल्डिंग और/या ट्रेडिंग नहीं हुई। विदेशी मुद्रा जोखिम 'शून्य' था क्योंकि बकाया विदेशी मुद्रा देयता अप्रैल 2024 के महीने के दौरान पूर्व–भुगतान कर दी गई थी।

(न) पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से उसमें हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण

(i) 31 मार्च 2025 तक कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम
1	श्री प्रसून, ईडी

2	श्री सचिकान्त मिश्रा, ईडी
3	श्री बी. वी. एस. अचुता राव, सीवीओ
4	श्री सुनीत शुक्ला, सीजीएम एवं सीएफओ
5	श्रीमती पूजा महाजन, सीजीएम
6	श्री अतुल सक्सेना, सीजीएम*
7	श्री राजीव सक्सेना वरिष्ठ निदेशक
8	श्री जगदीश गरवाल, जीएम एवं सीआरओ
9	श्रीमती प्रियंका शर्मा, डीजीएम एवं कंपनी सचिव

* स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) में प्रतिनियुक्त

(ii) वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, श्री राजीव सक्सेना को कंपनी का वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया।

10. संचार के साधन :

आईएफसीआई के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार–पत्रों में प्रकाशित होते हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैंडर्ड (सभी अंग्रेजी संस्करणों) और बिजनेस स्टैंडर्ड (दिल्ली एनसीआर हिंदी संस्करण) में प्रकाशित किए गए थे। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियाँ कंपनी की वेबसाइट (www.ifciltd.com) पर भी प्रदर्शित की जाती हैं। सभी मूल्य–संवेदनशील जानकारी जल्द से जल्द उन स्टॉक एक्सचेंजों, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को सूचना के माध्यम से सार्वजनिक की जाती है, जहां इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं। वर्ष के दौरान, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष कोई प्रेजेन्टेशन नहीं किए गए।

11. शेयरधारकों के संबंध में सामान्य सूचना :

(i) **वार्षिक महासभा**

दिनांक : 29 अक्टूबर, 2025

दिन : बुधवार

समय : प्रातः 11:30 बजे

(ii) **वित्तीय कैलेण्डर (अस्थायी) : 2025–26**

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के परिणाम : 08 अगस्त, 2025

30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही के परिणाम : नवम्बर, 2025 का दूसरा सप्ताह

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही के परिणाम : फरवरी, 2026 का दूसरा सप्ताह

31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के परिणाम : मई, 2026 का तीसरा सप्ताह

(iii) **लेखाबंदी की तारीखें** : 23 अक्टूबर, 2025 से 29 अक्टूबर, 2025 तक

(iv) **लाभांश अदायगी की तारीख** : वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कम्पनी ने इक्विटी शेयरों पर किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है।

(v) **स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता :**

(क) इक्विटी शेयर दोनो एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है :

–बीएसई लि. (बीएसई)
निगमित सेवाएं विभाग
फिरोज जीजीभोय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुम्बई–400001

–दि नेशनल स्टॉक एकसचेंज ऑफ इण्डिया लि. (एनएसई)
एक्सचेंज प्लाजा,
प्लॉट नं. सी 1, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई–400051

टिप्पणी :

(ख) वित्तीय वर्ष 2003–04 के दौरान, आईएफसीआई ने सभी फैमिली बांडों का मोचन कर दिया था और स्टॉक एक्सचेंजों को इन बांडों की सूचीबद्धता समाप्त करने की सूचना दे दी थी। सीरीज 49 से सीरीज 60 के अधीन निजी धारण के अधीन जारी किए गए बांड, इंफ्रास्ट्रक्चर बांड (सीरीज 4) सबऑर्डिनेट बांड (सीरीज 5), कर–मुक्त बांड तथा पूर्ववर्ती एसएलआर बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी प्रतिभूत बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध दोनों एनसीडी को वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान भुनाया गया था।

(ग) वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क बीएसई तथा एनएसई को अदा किया जा चुका है।

(vi) **निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण :**

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनी की किसी भी प्रतिभूति की ट्रेडिंग करने से रोका नही गया है।

(vii) रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट्स (उनके पत्राचार विवरण सहित) :

इक्विटी शेयरों और फैमिली बांड दोनों के लिए	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड 179–180, तृतीय तल, डीएसआईडीसी शेड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 वेबसाइट : www.mcsregistrars.com ई–मेल : helpdeskdelhi@mcsregistrars.com, bondsreply@mcsregistrars.com संपर्क नंबर : 011-41406149-50-51
इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (श्रृंखला I और II) के लिए	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के सामने, नई दिल्ली–110062 वेबसाइट : www.beetalfinancial.com ई–मेल : ifci@beetalfinancial.com ifciinfrabonds@gmail.com संपर्क नंबर : 011-29961281-83
इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (सीरीज 3, 4 और 5) और प्रतिभूति असंपरिवर्तनीय डिबेंचर ट्रांच 1 और 2 के लिए	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31 और 32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500032 वेबसाइट : www.kfintech.com ई–मेल : einward.ris@kfintech.com संपर्क नंबर : 040-67162222
सबऑर्डिनेट बांड (श्रृंखला 1 और 3) के लिए	एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी–101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई–400083 वेबसाइट : www.in.mpms.mufg.com ई–मेल : bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com team.bonds@in.mpms.mufg.com संपर्क नंबर : 022-49186000/8108116767
अन्य सभी निजी प्लेसमेंट, कर मुक्त बांड और किसी पूछताछ के लिए	आईएफसीआई लिमिटेड आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली – 110019 सीआईएन : L74899DL1993GOI053677 वेबसाइट : www.ifciltd.com ई–मेल : ppbonds@ifciltd.com tier2bonds@ifciltd.com संपर्क नंबर : 011- 41732000-41792800

(viii) शेयर–अन्तरण पद्धति :

दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के साथ पठित सेबी की दिनांक 08 जून, 2018 के राजपत्र की अधिसूचना के अनुसरण में 01 अप्रैल, 2019 से शेयरों का भौतिक अन्तरण रोक दिया गया है, अतः शेयरों के अन्तरण के पुराने मामले की त्रुटियों को ठीक करने के बाद भौतिक रूप से प्राप्त शेयर आदि उनकी प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर अन्तरित कर दिए जाते हैं, बशर्ते कागजात वैध तथा सभी प्रकार से पूरे हों। निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाने और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में निवेशकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, सेबी ने 2 जुलाई, 2025 के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी–पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 के माध्यम से 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली है, ताकि निवेशक उन भौतिक शेयरों के हस्तांतरण विलेखों को पुनः दर्ज करा सकें जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए थे, लेकिन दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी / या अन्य कारणों से अस्वीकार / वापस कर दिए गए थे / जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस विंडो के दौरान हस्तांतरण के लिए पुनः दर्ज किए गए शेयरों को केवल डीमैट रूप में ही संसाधित किया जाएगा और उक्त हस्तांतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

(ix) शेयरधारिता का वितरण (31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार) :

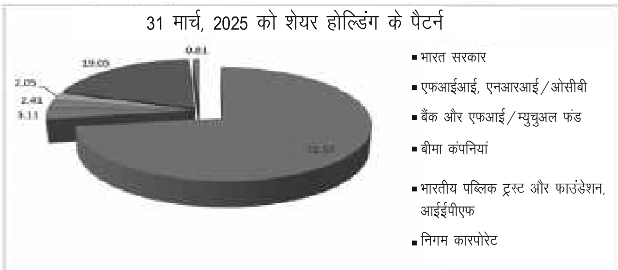

31 मार्च, 2025 को आईएफसीआई में शेयरधारकों की इक्विटी शेयरधारिता की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं:

(x) **शेयरों को डी–मैट करना तथा तरलता :**

31 मार्च, 2025 तक कम्पनी के लगभग 99.72 प्रतिशत इक्विटी शेयरों को पहले ही डी–मैट किया जा चुका है। आईएफसीआई के शेयर देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं और इनकी खरीद–फरोख्त सक्रिय रूप से होती है।

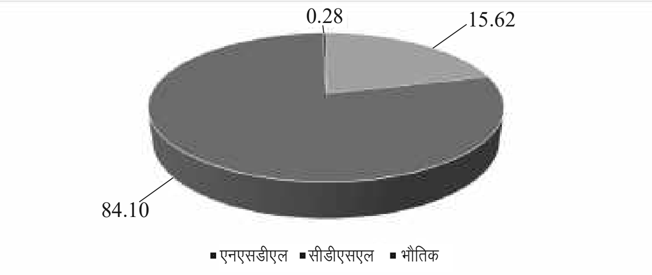

(xi) **बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर) / अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर) / वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण :**

इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तन के लिए कोई जीडीआर/एडीआर या वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय प्रलेख विचाराधीन नहीं है।

(xii) **संयंत्र स्थान :** कंपनी एक एनबीएफसी–एनडी–एसआई है और संयंत्र में इसकी कोई विनिर्माण इकाई नहीं है।

(xiii) **पंजीकृत कार्यालय :** आईएफसीआई एक सरकारी वित्तीय संस्थान और एक सरकारी कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110 019 है।

क्षेत्रीय कार्यालय : हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई।

सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 में दिए गए अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कम्पनी ने बोर्ड के सदस्यों और अपने कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को अपनाया है। इस प्रकार अपनाई गई आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भी पुष्टि की जाती है कि कम्पनी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कम्पनी के सभी कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों से उन पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा प्राप्त हुई है।

(क) शेयरधारिता का स्वरूप :

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार आईएफसीआई के इक्विटी शेयरों की शेयरधारिता का स्वरूप नीचे दिया गया है :

श्रेणी	31.03.2025 को		31.03.2024 को	
	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत सरकार	1,95,52,77,096	72.57	1,75,05,76,628	70.32
बैंक, वित्तीय संस्थान और म्यूचुअल फंड्स	6,50,60,450	2.41	8,39,12,105	3.37
बीमा कंपनियाँ	5,51,72,202	2.05	6,60,06,512	2.65
निगमित निकाय	2,17,15,343	0.81	4,21,29,514	1.69
एफआईआई, एनआरआई और ओसीबी	8,38,57,828	3.11	6,72,77,116	2.70
सार्वजनिक	51,32,31,412	19.05	47,97,11,988	19.27
कुल	**2,69,43,14,331**	**100**	**2,48,96,13,863**	**100.00**

(ख) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार वितरण अनुसूची विस्तार का विश्लेषण :

क्र. सं.	श्रेणी से	तक	शेयर धारकों की संख्या	कुल शेयर धारकों का प्रतिशत	इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
1	1	500	846386	84.8288	99448281	3.6910
2	501	1000	74407	7.4574	59514769	2.2089
3	1001	2000	39872	3.9962	59930085	2.2930
4	2001	3000	13124	1.3153	33481094	2.2243
5	3001	4000	6154	0.6168	22051777	0.8184
6	4001	5000	5032	0.5043	23792388	0.8830
7	5001	10000	7574	0.7591	55877575	2.0738
8	10001 और उससे ऊपर		5209	0.5221	2340218362	86.8576
कुल			9,97,758	100.0000	269,43,14,331	100.0000

12. **डीमैट सस्पेंस खाते/दावारहित सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण –**

शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के आरंभ में सस्पेंस खाते में बकाया शेयर	शून्य
वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए सूचीबद्ध इकाई से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या।	शून्य
वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर हस्तांतरित किए गए उनकी संख्या	शून्य
शेयरधारकों की कुल संख्या और वर्ष के अंत में सस्पेंस खाते में बकाया शेयर	शून्य

टिप्पणी : इन शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि इन शेयरों का वास्तविक ओनर इन शेयरों पर दावा नहीं कर लेता।

13. लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30ए के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और कर्मचारियों द्वारा कोई समझौता नहीं किया गया है या निष्पादित नहीं किया गया है।

14 **सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में प्रदत्त आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा**

यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और अपने कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता अपनाई है। अपनाई गई यह आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह भी पुष्टि की जाती है कि कंपनी को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में, कंपनी के कर्मचारियों और बोर्ड के सदस्यों से, उन पर लागू आचार संहिता के अनुपालन की घोषणा प्राप्त हो गई है।

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसार प्रमाण–पत्र

सेबी (सूचीकरण दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसरण में निम्नानुसार यह प्रमाणित किया जाता है :

(क) वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकद–प्रवाह विवरण की समीक्षा की गई और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई तथ्यात्मक असत्य विवरण नहीं दिया गया है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छुपाया गया है अथवा ऐसे विवरण नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(ii) ये सभी विवरण कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया, जो धोखाधड़ी युक्त, अवैध अथवा कम्पनी की आचार–संहिता के विरुद्ध हो।

(ग) हम आन्तरिक नियंत्रण स्थापित करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए उन्हें बनाए रखने का दायित्व स्वीकारते हैं और कि हमने कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा हमने ऐसे आन्तरिक नियंत्रणों के निरूपण या परिचालन में उन कमियों, यदि कोई हों, जिनकी हमें जानकारी थी, की सूचना लेखा–परीक्षकों एवं लेखा–परीक्षा समिति को दी है और हमने इन कमियों को दूर करने के प्रयास किए हैं और इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव करते हैं।

(घ) हमने लेखा–परीक्षकों तथा लेखा–परीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचना दी है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा कि इन्हें वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रकटन करने के बारे में और

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना, जिनकी हमें जानकारी मिली एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कम्पनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की उसमें संलिप्तता, यदि कोई हो, के बारे में।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण इंड एएस के आधार पर तैयार किए गए हैं जो 18 जनवरी, 2016 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को कम्पनी पर लागू होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य विनियामकों द्वारा जारी कोई अनुप्रयोग/मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण/निदेशों को उनके जारी होने पर क्रियान्वित किया जाएगा/प्रयोज्य बनाया जाएगा।

(सुनीत शुक्ला)
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(प्रसून)
कार्यकारी निदेशक

(राहुल भावे)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(डीआईएन : 09077979)

दिनांक : 15 मई, 2025
स्थान : नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक रिपोर्ट

मैसर्स आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आईएफसीआई लिमिटेड ("कम्पनी") द्वारा निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 में निर्धारित किया गया था।

निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबन्धन का है। हमारी जांच कम्पनी द्वारा निगमित शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कम्पनी की लेखा–परीक्षा है और न ही कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि :

1. कंपनी ने आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न होने के कारण, निदेशक–मण्डल, लेखा–परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना संबंधी अनुपालन को छोड़कर, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की सभी उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया है।

2. आईएफसीआई लिमिटेड के बोर्ड में किसी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशकों के रूप में नियुक्त करने या बने रहने से रोका या आयोग्य नहीं ठहराया गया है।

   हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कम्पनी की भावी लाभप्रदता और न ही कम्पनी के कार्यों का संचालन करने में प्रबन्धन की क्षमता या प्रभावशीलता के प्रति आश्वासन है।

कृते सूर्या गुप्ता एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सूर्यकान्त गुप्ता
प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव
सीपी नं. : 10828
सदस्यता सं.: एफ9250
यूडीआईएनः F009250G000897621
सहकर्मी समीक्षा सं. : 907/2020

दिनांक : 31.07.2025
स्थान : दिल्ली

कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

खण्ड क : सामान्य सूचना

I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण

1.	सूचीबद्ध संस्था की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L74899DL1993GOI053677
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आईएफसीआई लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1993
4.	कार्यालय का पंजीकृत पता	आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019
5.	कारपोरेट पता	आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019
6.	ई–मेल :	complianceofficer@ifciltd.com
7.	फोन :	011-41732000
8.	वेबसाइट :	www.ifciltd.com
9.	वित्तीय वर्ष, जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही हैं	2024-25
10.	स्टॉक एक्सचेंजों का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध है	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11.	प्रदत्त पूंजी	2694,31,43,310 रुपए
12.	नाम और संपर्क विवरण उस व्यक्ति का (फोन, ईमेल) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है :	श्रीमती प्रियंका शर्मा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी फोन : 011–41732000 ईमेल : complianceofficer@ifciltd.com
13.	रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत किए गए प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात एकल कंपनी के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात मूल कंपनी और सभी सहायक संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, को एक साथ लेकर) किए गए हैं।	इस रिपोर्ट में किए गए प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर हैं
14.	आकलन या आश्वासन प्रदाता का नाम	लागू नहीं
15.	प्राप्त आकलन या आश्वासन का प्रकार	लागू नहीं

II. उत्पाद/सेवाएं

16. कारोबारी क्रियाकलापों का विवरण (टर्नओवर का 90 प्रतिशत हिस्सा) :

क्र. सं.	मुख्य क्रियाकलाप का विवरण	कारोबारी क्रियाकलाप का विवरण	संस्था के कारोबार का प्रतिशत
1.	वित्त–पोषण कार्य	ब्याज आय, लाभांश आय और निवेश के उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ	67.37%

17. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के टर्नओवर का 90 प्रतिशत हिस्सा) :

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का प्रतिशत योगदान
1.	वित्त–पोषण कार्य	64920	67.37%

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं :

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	शून्य	04 संख्या	04 संख्या
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

19. संस्था द्वारा किन बाजारों को सेवा दी जा रही है।

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	4 (मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता)
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है? लागू नहीं है क्योंकि आईएफसीआई निर्यात कार्य नहीं करती है।

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण : ग्राहकों में बुनियादी संरचना, विनिर्माण, सेवाओं, रियल एस्टेट, कृषि–आधारित और अन्य विविध क्षेत्रों में लगे उद्योगों/क्षेत्रों के कॉर्पोरेट शामिल हैं। 31 मार्च, 2025 तक, आईएफसीआई के पास कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की संख्या 411 है।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण :

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग कर्मचारियों सहित) :

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)	सं. (ग)	प्रतिशत (ग/क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	116	77	66.38	39	33.62
2.	स्थायी (ङ) के अलावा अन्य	23	19	82.61	4	17.39
3.	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	139	96	69.06	43	30.94
	श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	1	1	100.00	शून्य	शून्य
5.	स्थायी (छ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**कुल श्रमिक (च + छ)**	1	1	100.00	शून्य	शून्य

ख. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक :

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)	सं. (ग)	प्रतिशत (ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	1	शून्य	शून्य	1	100.00
2.	स्थायी (ङ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ङ)**	1	शून्य	शून्य	1	100.00
	दिव्यांग श्रमिक					
4.	स्थायी (च)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	स्थायी (छ) के अलावा अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	**कुल दिव्यांग श्रमिक (च + छ)**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	प्रतिशत (ख/क)
निदेशक बोर्ड	8	0	00.00
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक *	3	1	33.33

* प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव शामिल हैं

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर (पिछले 3 वर्षों के रुझान प्रकट करें)

	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)'			वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर दर)*			वित्तीय वर्ष 2022–23 (पिछले वित्तीय वर्ष से पहले के वर्ष में टर्नओवर दर)*		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	6.20%	6.98%	13.18%	5.00%	5.77%	10.77%	5.26%	5.45%	10.71%
स्थायी श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*स्वैच्छिक रूप से अलग होना (अर्थात त्याग पत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)।

v. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित)

23. (क) होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. स.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम में से क्या है, इंगित करें	सूचीबद्ध संस्थान द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	क्या कॉलम 'क' में इंगित संस्थान, वित्तीय 2024–25 में सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारिक दायित्व पहल में भाग लेता है? (हाँ/नहीं)
1	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)	सहायक	52.86%	नही

क्र. स.	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी / संयुक्त उद्यम में से क्या है, इंगित करें	सूचीबद्ध संस्थान द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	क्या कॉलम 'क' में इंगित संस्थान, वित्तीय 2024–25 में सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारिक दायित्व पहल में भाग लेता है? (हाँ / नहीं)
2	स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एसडीएमएसएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएचसीआईएल द्वारा 100 प्रतिशत धारित	नहीं
3	स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड (एसएसएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएचसीआईएल द्वारा 100 प्रतिशत धारित	नहीं
4	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड (एसएसआईएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	एसएचसीआईएल द्वारा 100 प्रतिशत धारित	नहीं
5	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन)	सहायक	94.78%	नहीं
6	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड (आईसीओएम)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईएफआईएन द्वारा 100 प्रतिशत धारित	नहीं
7	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड (आईसीएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईएफआईएन द्वारा 100 प्रतिशत धारित	नहीं
8	आईएफआईएन सिक्योरिटी फाइनेंस लिमिटेड (आईएसएफएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईएफआईएन द्वारा 100 प्रतिशत धारित	नहीं
9	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल)	सहायक	100.00 प्रतिशत	नहीं
10	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड (आईआरपीएल)	स्टेप डाउन सहायक कम्पनी	आईआईडीएल द्वारा 100 प्रतिशत धारित	नहीं
11	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ)	सहायक कम्पनी	98.59%	नहीं
12	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल)	सहायक कम्पनी	99.90%	नहीं
13	एमपीकॉन लिमिटेड	सहायक कम्पनी	79.72%	नहीं
14	किटको	सहयोगी कम्पनी	20.26%	नहीं

VI. **सीएसआर विवरण**

24. (i) **क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है :** हाँ

(ii) **टर्नओवर (रुपए में)** 8,41,86,08,291.53 रुपए

(iii) **निवल मूल्य (रुपए में)** 17,35,57,84,524.45 रुपए

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) के बारे में शिकायत/शिकायतें :

स्टेक होल्डर समूह, जिससे शिकायत प्राप्त हुई	किया गया शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है? (हाँ/नहीं) (यदि हां तो शिकायत निवारण नीति का वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2023–24		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां https://www.ifciltd.com/?q=en/content/fair-practices-code https://www.ifciltd.com/?q=en/content/policies https://www.ifciltd.com/2025/Citizen_Charter_Hindi_English_final_December_2024.pdf	365	-		3,910	-	-
शेयरधारक '		47	-	-	20	-	-
कर्मचारी और श्रमिक		01	01	लंबित शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।	05	02	लंबित शिकायतों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
ग्राहक		-	-	-	-	-	-
वैल्यू चैन साझेदार	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
अन्य (कृपया निदिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

* निवेशकों (शेयरधारकों के अलावा) में बॉन्डधारक शामिल हैं

26. संस्था के महत्त्वपूर्ण उत्तरदायी व्यवसाय आचरण के मुद्दों का सामान्य विवरण

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थायित्व के ऐसे मुद्दों उल्लेख करें, जिनसे आपके व्यवसाय में जोखिम या अवसर उत्पन्न होते हैं। साथ ही उनकी पहचान का औचित्य, जोखिम कम करने के लिए अपनायी गई कार्यनीति और उनके वित्तीय घटकों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें;

क्र. सं.	निरूपित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे	जोखिम है या अवसर (आर/ओ) इंगित करे।	जोखिम/अवसर के निरूपण का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
1.	व्यावसायिक नैतिकता एवं शासन	अवसर	कारोबार पद्धतियों को नैतिकता एवं शासन प्रणाली के उच्चतम मानकों के अनुरूप बनाने से कंपनी को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे कंपनी को जिम्मेदार और नैतिक निर्णय लेने में भी सहायता मिलती है, जिससे कॉर्पोरेट घोटालों और धोखाधड़ी को रोका जा सकता है।	–	**सकारात्मक** नैतिक व्यवहार अपनाने से ग्राहक निष्ठा में सुधार होता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी में हितधारकों का विश्वास बढ़ता है। इससे खर्चों में भी कमी आती है, क्योंकि कंपनी को अनैतिक या गैर–जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण वित्तीय हानियां होने का जोखिम नहीं होता।

क्र. सं.	निरूपित किए गए महत्त्वपूर्ण मुद्दे	जोखिम है या अवसर (आर/ओ) इंगित करे।	जोखिम/अवसर के निरूपण का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
2.	अनुपालन	जोखिम एवं अवसर	**जोखिम** अनुपालन विफलता के जोखिम के कारण कानूनी दंड, मौद्रिक शुल्क और जुर्माना लगाया जा सकता है और कंपनी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। **अवसर** लागू नियमों और विनियमों का निरंतर अनुपालन, निवेशकों का विश्वास बनाए रखता है और हितधारकों के भरोसे को मजबूत करता है, जिससे प्रतिष्ठा और वित्तीय लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है।	संबंधित अनुपालन अधिकारी नियमित रूप से नवीनतम और अद्यतन कानूनी नियमों और विनियमों के संबंध में अपडेट का पालन करते हैं और इन अद्यतनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। समूचे संगठन के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।	**सकारात्मक** इससे गैर–अनुपालन के कारण लागत में बचत होती है जो अन्यथा हो सकती है। ऐसे खर्चों में जुर्माना, दंड और अन्य कानूनी शुल्क शामिल हैं। **नकारात्मक** जुर्माना/शुल्क/जुर्माना लगने से प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम भी पैदा होते हैं।
3.	डेटा सुरक्षा	जोखिम एवं अवसर	**जोखिम** डेटा सुरक्षा के लिए जोखिम से साइबर सुरक्षा हमले और आगे डेटा उल्लंघन हो सकते हैं जो कंपनी की डेटा की सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। **अवसर** डेटा पर बढ़ती निर्भरता के कारण, डेटा सुरक्षा बनाए रखने से कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ–साथ बेहतर प्रतिष्ठा भी हासिल होती है। इससे उन खर्चों की भी बचत हो सकती है जो संभावित रूप से सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़े मुद्दों के कारण पैदा हो सकते हैं।	डेटा सुरक्षा पर एक मजबूत नीति होने से डेटा सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है।	**सकारात्मक** यह जोखिमों को कम करने और डेटा सुरक्षा नियमों व विनियमों के गैर–अनुपालन से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने में मदद करता है। डेटा सुरक्षित रखने से कंपनी का संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहेगा।
4.	पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण	अवसर	कंपनी के वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों पहलुओं के प्रकटीकरण से संबंधित हितधारकों और शेयरधारकों के बीच कंपनी के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनाने में मदद मिलती है। पारदर्शिता बनाए रखने, विशेष रूप से कंपनी के गैर–वित्तीय विवरणों, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन प्रणाली–संबंधी पहलुओं के विवरण शामिल रहते हैं, इससे कंपनी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है।	–	**सकारात्मक** इससे निवेशकों में विश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे निवेशकों से अधिक निवेश प्राप्त होता है।
5.	कर्मचारी कल्याण	अवसर	कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक, छुट्टियाँ, अवकाश और कौशल विकास के अवसर जैसे लाभ प्रदान करने से कर्मचारियों की संतुष्टि और निष्ठा बढ़ती है और साथ ही, मौजूदा प्रतिभा को बनाए रखने और नई प्रतिभा को आकर्षित करने में मदद मिलती है।	–	**सकारात्मक** कर्मचारी कल्याण प्रदान करने से कर्मचारियों की संतुष्टि, निष्ठा, उत्पादकता बढ़ेगी और उन्हें रोके रखने में मदद मिलेगी, जिससे कंपनियों को आवश्यक कार्यबल बनाए रखने और सकारात्मक छवि बनाने में मदद मिलेगी। इससे अनुपस्थिति और भर्ती से संबंधित व्यय भी कम हो जाते हैं।

क्र. सं.	निरूपित किए गए महत्वपूर्ण मुद्दे	जोखिम है या अवसर (आर/ओ) इंगित करे।	जोखिम/अवसर के निरूपण का तर्क	जोखिम के मामले में, अनुकूल या कम करने का तरीका	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
6.	डिजिटाइजेशन	अवसर	परिचालन प्रक्रियाओं का तेजी से और निरंतर डिजिटलीकरण करने से, व्यवसाय–संचालन को पेपर–लेस प्रोसेसिंग चक्र में पहुंचाने में मदद मिलती है।	–	**सकारात्मक** इससे लागत बचत सुनिश्चित होती है और सरकार की हरित पहल में भी योगदान सुनिश्चित होता है।

खंड ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबार को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा 2018 में उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एन.जी.आर.बी.सी.) निर्धारित किए गए थे, जो 2011 में एमसीए द्वारा व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जिम्मेदारियों के बारे में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों (एनवीजी) के आधार पर बनाए गए हैं। एन.जी.आर.बी.सी. को नियामक अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं से परे प्रदर्शन करने और उन्हें पर्यावरण एवं सामाजिक लक्ष्यों सहित व्यापक विकासात्मक लक्ष्यों में योगदान करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

एन.जी.आर.बी.सी. नीचे दिए गए पी1–पी9 नामक नौ सिद्धांतों की पैरवी करता है :

पी1 कारोबार का संचालन और शासन प्रणाली को ईमानदारी से और नैतिक, पारदर्शी व जवाबदेह तरीके से करना चाहिए।

पी2 कारोबार को ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए एवं ऐसी सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों।

पी3 कारोबार को अपने कर्मचारियों और अपनी मूल्य शृंखला के सभी कर्मचारियों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 कारोबार को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 कारोबार को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए।

पी7 कारोबार को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति में कार्यरत होते हैं, तो उन्हें पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शी तरीके से यह कार्य करना चाहिए।

पी8 कारोबार को सदैव समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

पी9 कारोबार को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें उचित महत्व प्रदान करना चाहिए।

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
नीति एवं प्रबन्धन प्रक्रिया									
1. क. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को समाहित करती हैं। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	संबंधित नीतियों के लिंक इस रिपोर्ट के अंत में दिए गए हैं। कृपया अनुलग्नक–1 देखें।	नीति एक आंतरिक दस्तावेज है, जो केवल कर्मचारियों के लिए ही सुलभ है।		संबंधित नीतियों के लिंक इस रिपोर्ट के अंत में दिए गए हैं। कृपया अनुलग्नक–1 देखें।		नीति एक आंतरिक दस्तावेज है, जो केवल कर्मचारियों के लिए ही सुलभ है।	-	संबंधित नीतियों के लिंक इस रिपोर्ट के अंत में दिए गए हैं। कृपया अनुलग्नक–1 देखें।	

प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
2. क्या संस्था ने नीति/नीतियों को प्रक्रियाओं में कार्यान्वित है। (हाँ/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	हां	हां
3. क्या सूचीकृत नीतियां आपके वेल्यू चेन पार्टनरों पर भी लागू हैं? (हाँ/नहीं)	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां	हां	-	हां	हां
4. आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के साथ मैप किए गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/ प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. संस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।	-	-	-	-	-	@	-	-	-
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उददेश्यों को पूरा करने में संस्था का कार्य निष्पादन और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उसके कारण बताएं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

शासन प्रणाली, नेतृत्व और निरीक्षण

7. ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कारोबार देयता रिपोर्ट के लिए उत्तरदायी निदेशक का कथन (सूचीबद्ध कंपनी को इस प्रकटीकरण के संबंध में कुछ छूट प्राप्त है)

आईएफसीआई लि. अपने कारोबार का संचालन करते समय पर्यावरण, समुदायों के सामाजिक कल्याण और सर्वोत्तम शासन प्रणाली के प्रति सजग है। कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का नियमानुसार पालन करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, ईएसजी के तहत कंपनी में सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से या इस संबंध में भारत सरकार की पहलों का समर्थन करके योगदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों एवं व्यावसायिक सहयोगियों को स्वच्छ, सुरक्षित, स्वस्थ और निष्पक्ष कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करती है। अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए, आईएफसीआई ने एक विशेष सीएसआर नीति एवं आचार संहिता भी बनाई है।

8. कारोबार उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	निदेशकों की व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति की सिफारिश पर बोर्ड
9. क्या कंपनी के पास सस्टेनेबिलिटी संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/ निदेशक की कोई निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/ नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण दें।	हां, आईएफसीआई के पास बीआरएसआर के लिए बोर्ड की एक विनिर्दिष्ट समिति है अर्थात निदेशकों की कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण :

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य–कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
उपरोक्त नीतियों के अनुरूप निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	कंपनी में एक सुस्थापित नीति समीक्षा प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कंपनी की सभी नीतियों का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है या आवश्यकतानुसार उनकी समीक्षा की जाती है। यदि आवश्यक हो, तो नीतियों और संबंधित प्रक्रियाओं में संशोधन लागू किए जाते हैं ताकि निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद, निदेशक मंडल की समिति को इन समीक्षित और, यदि लागू हो, संशोधित नीतियों को उनके विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।									वार्षिक समीक्षा								

11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का किसी बाह्य एजेंसी से स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
	नहीं, तथापि, आईएफसीआई के बोर्ड द्वारा नीतियों की आंतरिक समीक्षा और मूल्यांकन नियमित आधार पर किया जाता है।								

@हरित भवनों के लाभ :

हरित भवनों के प्रकट और अप्रकट दोनों ही तरह के बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं। सबसे स्प ट प्रकट लाभ हैं पानी और ऊर्जा की खपत में कमी। ऊर्जा और जल दक्षता के माध्यम से प्रचालन बचत 5 से 10 प्रतिशत तक हो सकती है। भवन में उत्पन्न उपभोक्ता अपशिष्ट को भी काफी कम किया जा सकता है। मौजूदा हरित भवनों के अमूर्त लाभों में बेहतर वायु गुणवत्ता, स्वास्थ्य और निवासियों की संतुष्टि का उच्च स्तर शामिल है। रेटिंग प्रणाली में शामिल राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ :

- जल संरक्षण
- उपभोक्ता अपशिष्ट का प्रबंधन
- ऊर्जा दक्षता
- शुद्ध सामग्रियों पर निर्भरता में कमी
- निवासियों का स्वास्थ्य और कल्याण।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात सभी सिद्धांत एक नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं :

प्रश्न	पी.1	पी.2	पी.3	पी.4	पी.5	पी.6	पी.7	पी.8	पी.9
संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)									
इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)									
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/या मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)							रु		

(#) आईएफसीआई एक एनबीएफसी होने के नाते, यह सिद्धांत लागू नहीं होता या इसकी प्रयोज्यता सीमित है। इसके अलावा, आईएफसीआई सार्वजनिक नीति का समर्थन नहीं करता। हालाँकि, कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लागू निर्देशों / दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करती है।

खंड ग : सिद्धांत–वार कार्य निष्पादन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1– कारोबार को पूरी निष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित होने चाहिए और इन सिद्धान्तों द्वारा अधिशासित होने चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. वित्तीय वर्ष में, इन सिद्धांतों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का प्रतिशत कवरेज :

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल विषय/ सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक बोर्ड(बीओडी)	1	नियामक अद्यतन–सिद्धांत 1	100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	6	– निदेशक विकास कार्यक्रम – बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए तकनीकी / डिजिटल पहल, निवारक सतर्कता, – जेम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद – एनबीएफसी – अनुपालन – नियामक, निवेश और व्यापार सुगमता सुधार	100%

बीओडी और केएमपी के अलावा कर्मचारी	32	– पॉश के प्रति जागरूकता, – सार्वजनिक खरीद – बैंकों के लिए अनुपालन, – सूचना प्रौद्योगिकी, एसएमई लिस्टिंग – बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए तकनीकी/डिजिटल पहल – गैर–वित्तीय अधिकारियों के लिए वित्त कार्यक्रम, – व्यावसायिक प्रदर्शन के लिए प्रभावी बातचीत कौशल, – नैतिक शासन और साइबर लचीलापन विकसित करना – व्यवसाय के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, संगठनात्मक अनुपालन में सुधार – केवाईसी, सीडीडी और एएमएल पर कार्यक्रम – मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सतर्कता सत्र – प्रभावी विश्लेषण के लिए उन्नत एमएस एक्सेल, – निवारक सतर्कता, साइबर सुरक्षा जागरूकता – ईएसजी, जलवायु परिवर्तन, और भविष्य के लिए तैयार संगठनों का निर्माण – एमएस एक्सेल, पीओएसएच कर्मचारियों में जेम के बारे में जागरूकता – जेम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, – संसदीय प्रक्रियाएँ, प्रश्न और आश्वासन, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम, – नियामक, निवेश और व्यापार सुगमता सुधार।	89.93%
श्रमिक	1	फायर मॉक ड्रिल	100%

टिप्पणी : उक्त विषयों/सिद्धांतों पर आयोजित प्रशिक्षणों ने कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सतर्क, नैतिक और जवाबदेह बनाने के साथ–साथ कारोबार की स्थिरता और जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद की हैं।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों की कार्यवाही में अदा किए गए जुर्माने/दंड/क्षतिपूर्ति/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (कंपनी या निदेशकों/केएमपी द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में दिया गया है (नोट करें : संस्था सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए अनुसार वास्तविक आधार पर प्रकटीकरण करेगी) :

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (भारतीय रुपए में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/नहीं)**
दंड/जुर्माना*	-	-	-	-	-
समझौता	-	-	-	-	-
चक्रवृद्धि शुल्क	-	-	-	-	-
गैर–मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (भारतीय रुपए में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/नहीं)**
कारावास	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-

*नोट : वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, एनएसई और बीएसई ने कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की अनुपस्थिति के कारण लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित बोर्ड और विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियों की संरचना से संबंधित प्रावधानों का पालन न करने पर 77,52,600 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह उल्लेख करना उचित है कि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय के पास है। कंपनी बोर्ड और उसकी समितियों की संरचना

के संबंध में लिस्टिंग विनियमों का पालन नहीं कर रही है, जो कंपनी और उसके निदेशक मंडल के नियंत्रण से बाहर है। तदनुसार, आईएफसीआई प्रशासनिक रूप से प्रभारी मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति का अनुरोध कर रहा है।

3. उपर्युक्त प्रश्न–2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण दिया गया है जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है। **लागू नहीं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया है कि वे कंपनी के विरुद्ध जुर्माना न लगाएं और/या 11 नवंबर, 2024 के सेबी मास्टर सर्कुलर के तहत कोई कार्रवाई न करें, क्योंकि आईएफसीआई एक सरकारी कंपनी है और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय के पास है।**

4. क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का कोई वेब–लिंक प्रदान करें।

अपने परिचालन में निष्पक्ष व्यवहार और पारदर्शिता की गारंटी देने के लिए, कंपनी द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय अपनाए गए हैं :

(i) फेयर प्रैक्टिस कोड – आईएफसीआई में फेयर प्रैक्टिस कोड के दिशानिर्देश कंपनी की वेबसाइट http://www.ifciltd.com/?q=en/content/fair-practice-code पर दिए गए इस लिंक पर उपलब्ध है।

(ii) कंपनी भ्रष्टाचार विरोधी और रिश्वतखोरी के संबंध में सीवीसी की प्रक्रियाओं और मानदंडों तथा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए शिकायतों से संबंधित पीआईडीपीआई संकल्प (जनहित प्रकटीकरण और शिकायतकर्ता संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प) जिसमें सीवीसी एक नामित एजेंसी है, का भी पालन करती है।

(iii) उपरोक्त के अलावा, आईएफसीआई ने व्हिसल ब्लोअर नीति भी अपनाई हैं और यह लिंक https://www.ifciltd.com/?q=en/content/policies पर उपलब्ध है।

(iv) अनुबंध या ठेके देने के बारे में, आईएफसीआई के पास एक केंद्रीकृत खरीद नीति है जिसे आईएफसीआई के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है।

5. निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या, जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोप में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई :

कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों पर रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसलिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है।

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हितों के टकराव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में जुर्माने/दण्ड से संबंधित मुद्दों पर नियामक/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं, क्योंकि कोई मामला रिपोर्ट नही हुआ है।**

8. देय खातों के दिनों की सं. ((देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में: **कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त बिंदु शून्य है।**

9. कारोबार में खुलापन

ट्रेडिंग हाउस, डीलर और संबंधित पक्षकारों में खरीद और बिक्री के सौदों का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण व अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें :

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
खरीदों का संकेन्द्रण	क. कुल खरीदों के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीदारी	शून्य	शून्य
	ख. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	शून्य	शून्य
	ग. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीदारी	शून्य	शून्य
बिक्री का संकेन्द्रण	क. कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में डीलरों/वितरकों को बिक्री	शून्य	शून्य
	ख. डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्रियां की जाती है	शून्य	शून्य
	ग. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्रियां	शून्य	शून्य

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
शेयर में आरपीटी का हिस्सा	क. खरीदारी (संबंधित पक्षकारों के साथ खरीदारी/कुल खरीदारी)	शून्य	शून्य
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षकारों को बिक्री/कुल बिक्री)	शून्य	शून्य
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षकारों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	शून्य	शून्य
	घ. निवेश (संबंधित पक्षकारों में निवेश/कुल निवेश)	31 मार्च, 2025 तक सहायक कंपनियों में बकाया निवेश 1524.27 करोड़ रु. है, अर्थात कुल निवेश का 43.85 प्रतिशत	31 मार्च, 2024 तक सहायक कंपनियों में बकाया निवेश 1546.41 करोड़ रु. है, अर्थात कुल निवेश का 39.29 प्रतिशत

नेतृत्व संकेतक

1. वित्त वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रमः

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय / सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
शून्य		

2. क्या कंपनी के पास बोर्ड सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/उनका प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ, इन विवादों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के अंतर्गत एक सुपरिभाषित प्रक्रिया लागू है, जिसमें अन्य बातों के अलावा हितों के टकराव से निपटने की प्रक्रिया भी शामिल है। इसके अलावा, निदेशकों को उन चर्चाओं या निर्णयों में भाग लेने से बचना चाहिए जहाँ हितों का टकराव हो सकता है। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन को आचार संहिता का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

यह संहिता https://www.ifciltd.com/?q=en/content/code-conduct **पर उपलब्ध है।**

सिद्धांत 2 : कारोबार को स्थायी और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए

अनिवार्य संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में संस्था द्वारा आरएण्डडी एवं पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेश का कुल आरएंडडी और पूंजीगत (कैपेक्स) व्यय निवेश में प्रतिशत।

शून्य, चूंकि कंपनी वित्तीय सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है, अतः इन प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय का दायरा सीमित है।

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी तौर पर निवेश प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाएं हैं?

उद्योग के कुछ मानक हमारे व्यावसायिक संचालन की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए हमारी कंपनी पर लागू नहीं हो सकते हैं। फिर भी, कंपनी भारत सरकार द्वारा निर्धारित खरीद दिशानिर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करती है।

कंपनी ने आईफसीआई की केंद्रीकृत खरीद नीति लागू की है। इसकी अंतिम समीक्षा मई 2025 में की गई थी, जिसमें नवीनतम नीतियों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में (i) माल की खरीद पर मैनुअल, (ii) कार्यों की खरीद पर मैनुअल और (पपप) परामर्श एवं अन्य सेवाओं की खरीद पर मैनुअल जैसे नियम शामिल थे, जिनमें सार्वजनिक खरीद पर सीवीसी के सभी दिशानिर्देशों को समाहित कर दिया गया है।

यह नीति https://www.ifciltd.com/?q=en/content/policy-manual लिंक पर उपलब्ध है।

आईएफसीआई एक सुव्यवस्थित और कुशल सोर्सिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम) और सीपीपी पोर्टल (केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल) की सेवाओं का लाभ उठा रहा है।

ख. यदि हाँ, तो कितना प्रतिशत निवेश स्थायी रूप से प्राप्त किया गया?

वित्तीय वर्ष 2024–2025 के दौरान, कुल खरीद में से 75.16 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम) के माध्यम से की गई।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–अपशिष्ट (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट पदार्थ के सम्बन्ध में अंत में अपने उत्पादों को सुरक्षित तरीके से दुबारा इस्तेमाल करने के लिए, उनके दुबारा उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान की प्रक्रियाओं का वर्णन करें। **कंपनी ने अपने व्यवसाय और परिचालन की प्रकृति के कारण दिन–प्रतिदिन उपयोग के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक आधारित स्टेशनरी वस्तुओं और क्रॉकरी वस्तुओं का उपयोग बंद कर दिया है और अधिकृत विक्रेता के माध्यम से थोड़ी मात्रा में कागज और खाद्य अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है।**

4. क्या संस्था की गतिविधियों पर विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू होता है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें। **लागू नहीं, क्योंकि कंपनी मूर्त उत्पादों के विनिर्माण या बिक्री में शामिल नहीं है।**

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कंपनी ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग हेतु) या अपनी किन्हीं सेवाओं (सेवा उद्योग हेतु) का जीवन चक्र अवलोकन/आकलन (एलसीए) किया है? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

   एनबीएफसी कंपनी होने के नाते आईएफसीआई पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है या इसकी सीमित प्रयोज्यता है। हालाँकि, कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी किए गए लागू निर्देशों/दिशानिर्देशों का पालन करने की दिशा में प्रयासरत है।

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से उत्पन्न होने वाली कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम हैं, जैसा कि जीवन चक्र अवलोकन/आकलन (एलसीए) या कोई अन्य ज्ञात जोखिम, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें, साथ में जोखिम कम करने के लिए की गई कार्रवाई का उल्लेख भी करें। **लागू नहीं**

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग हेतु) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग हेतु) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

   व्यवसाय और संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा किया गया पुनर्नवीनीकरण या पुनः उपयोग की में लायी गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत नगण्य है।

4. उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त किए गए उत्पादों और पैकेजिंग की, मात्रा (मीट्रिक टन में) पुनः उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित तरीके से निपटान संबंधी विवरण, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार प्रदान करें: **लागू नहीं, क्योंकि आईएफसीआई उत्पादों के विनिर्माण का कार्य नहीं करती है।**

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों का प्रतिशत)। **लागू नहीं, व्यवसाय और संचालन की प्रकृति को देखते हुए।**

सिद्धांत–3 : संस्था द्वारा अपनी वैल्यू चेन्स में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान किया जाए और उसे बढ़ावा दिया जाए।

अनिवार्य संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण के लिये उपायों का विवरण :

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा *		दुर्घटना बीमा **		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे–केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/क)	संख्या (ङ)	प्रतिशत (ङ/क)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/क)
		स्थायी कर्मचारी (अधिकारी)									
पुरुष	77	77	100	77	100	शून्य	शून्य	77	100	77	100
महिला	39	39	100	39	100	39	100	शून्य	शून्य	39	100
कुल	116	116	100	116	100	39	33.62	77	66.38	116	100
*आईएफसीआई की अपनी चिकित्सा योजना है।											
** आईएफसीआई के पास सभी स्थायी कर्मचारियों को कवर करने वाली ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है।											
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	19	0	0	0	0	शून्य	शून्य	0	0	19	100
महिला	4	0	0	0	0	4	100	शून्य	शून्य	4	100
कुल	23	0	0	0	0	4	17.39	0	0	23	100

ख. श्रमिकों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का विवरण :

श्रेणी	(कर्मचारी) द्वारा कवर किए गए श्रमिकों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्त्व लाभ		डे–केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)	संख्या (घ)	प्रतिशत (घ/क)	संख्या (ङ)	प्रतिशत (ङ/क)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/क)
		स्थायी श्रमिक									
पुरुष	1	1	100	1	100	शून्य	शून्य	1	100	1	100
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	1	100	1	100	शून्य	शून्य	1	100	1	100
		स्थायी श्रमिकों के अलावा									
पुरुष	लागू नहीं										
महिला	लागू नहीं										
कुल	लागू नहीं										

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्यों सहित) हेतु किए गए कल्याणकारी उपायों पर व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित प्रारूप में है :–

	वित्तीय वर्ष 2024–25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	**वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर खर्च की गई लागत	0.02% (समूह सावधि जीवन बीमा पॉलिसी)	0.04% (समूह सावधि जीवन बीमा पॉलिसी)
टिप्पणी :– कंपनी के कर्मचारियों के लिए ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर व्यय लागत।		

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृति लाभों का विवरण :–

	वित्तीय वर्ष 2024–25 चालू वित्तीय वर्ष			**वित्तीय वर्ष 2023–24 पिछला वित्तीय वर्ष**		
लाभ	**कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या**	**कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या**	**कटौती और प्राधिकरण के पास जमा किया (हाँ/नहीं/ लागू नहीं)**	**कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या**	**कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या**	**कटौती और प्राधिकरण के पास जमा किया (हाँ/नहीं/ लागू नहीं)**
भविष्य निधि	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ग्रेच्युटी	100	100	हाँ	100	100	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-	-

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, संस्था के परिसर/कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए आसान पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कंपनी द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, आईएफसीआई लिमिटेड के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुलभ हैं।

दिव्यांग जनों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप, आईएफसीआई ने रैंप, रेलिंग, वॉशरूम जैसी विशेष सुविधाएं स्थापित की हैं और उनकी जरूरतों के अनुसार अन्य आवश्यक बदलाव भी किए हैं:–

1. **रैंप/रेलिंग और असेंबली एरिया** :– आईएफसीआई के पास दिव्यांग जनों के लिए विशेष रैंप, असेंबली एरिया और रेलिंग की सुविधा है। उनके लिए समर्पित प्रवेश और निकास द्वार आसानी से सुलभ हैं, जिनमें कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं। परिसर में भी रैंप और रेलिंग की व्यवस्था की गई है और यह व्हीलचेयर प्रयोक्ताओं के लिए अनुकूल है। सुरक्षाकर्मी भी उनकी मदद करते हैं।
2. **वॉशरूम** :– दिव्यांग जनों के लिए आईएफसीआई टावर में अलग शौचालय उपलब्ध है। वे साफ तौर पर पहचाने जाने योग्य और पहुंच योग्य हैं। अंदर पर्याप्त जगह है।
3. **विश्राम कक्ष** :– दिव्यांग जनों के लिए विश्राम कक्ष ग्राउंड फ्लोर लॉबी में है, जहां वे जरूरत पड़ने पर या थकान महसूस होने पर आराम कर सकते हैं।
4. **लिफ्ट** :– दिव्यांग जनों के लिए लिफ्ट में रेलिंग, ब्रेल बटन और आवाज पहचानने की सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं। ये सेवाएँ प्रत्येक मंजिल पर उपलब्ध कराई गई हैं।

4. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो पॉलिसी का वेब–लिंक प्रदान करें।

हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार आईएफसीआई की समान अवसर नीति है। वेब लिंक इस प्रकार है: https://www.ifciltd.com/2019/Equal%20Opportunity%20Policy%201.pdf

5. माता–पिता बनने पर छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक*	
लिंग	कार्य पर वापसी का दर	प्रतिधारण दर (प्रतिशत)	कार्य पर वापसी का दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	2	100	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	3	100	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	5	100	लागू नहीं	लागू नहीं

* वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी ने पैतृत्व छुट्टी का लाभ नहीं उठाया।

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई कार्यप्रणाली उपलब्ध है? यदि हाँ, तो कार्यप्रणाली का संक्षेप में विवरण दें।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो कार्यप्रणाली का संक्षिप्त विवरण)
स्थायी श्रमिक	हाँ, आईएफसीआई की तीन चरण की शिकायत निवारण नीति है जिसमें रोजगार की स्थिति के संबंध में पूर्वनिर्धारित व्यवस्था है। शिकायतों का समाधान निम्नलिखित ढाचें के अनुसार किया जाता है: चरण 1 : रिपोर्टिंग अधिकारी चरण 2 : शिकायत निवारण समिति (एचआर समीक्षा समिति) चरण 3 : एमडी और सीईओ
स्थायी श्रमिक के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, आईएफसीआई की तीन चरण की शिकायत निवारण नीति है जिसमें रोजगार की स्थिति के संबंध में पूर्वनिर्धारित व्यवस्था है। शिकायतों का समाधान निम्नलिखित संरचना के अनुसार किया जाता है: चरण 1 : रिपोर्टिंग अधिकारी चरण 2 : शिकायत निवारण समिति चरण 3 : एमडी और सीईओ
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	लागू नहीं

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता : शून्य

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024–25					वित्तीय वर्ष 2023–24				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल अपग्रेडेशन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल अपग्रेडेशन पर	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)		सं. (ङ)	प्रतिशत (ङ / घ)	सं. च	प्रतिशत (च / घ)
	कर्मचारी									
पुरुष	77	शून्य	शून्य	66	85.71	84	शून्य	शून्य	60	71.43
महिला	39	शून्य	शून्य	38	97.44	46	शून्य	शून्य	37	80.43
कुल*	116	शून्य	शून्य	104	89.66	130	शून्य	शून्य	97	74.65
	श्रमिक									
पुरुष	1	1	100	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महिला	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	1	100	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्य–निष्पादन और कैरियर विकास की समीक्षा विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024–25			वित्तीय वर्ष 2023–24		
	कुल (क)	संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	कुल (ग)	सं. (ङ)	प्रतिशत (ङ / घ)
कर्मचारी (अधिकारी)						
पुरुष	77	37	48	84	84	100
महिला	39	20	51	46	46	100
कुल	116	57	49	130	130	100
श्रमिक (वर्कमेन)						
पुरुष	1	1	100	1	1	100
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	1	100	1	1	100

कार्य–निष्पादन और कैरियर विकास समीक्षाओं के विवरण में वे सभी स्थायी कर्मचारी शामिल हैं जो संबंधित वित्तीय वर्ष में आईएफसीआई में वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के दायरे में थे। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान कार्यरत सभी कर्मचारियों और कामगारों की समीक्षा की जा रही है।

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

क. क्या संस्था द्वारा व्यवसाय परक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? **(हाँ / नहीं)**। यदि हाँ, तो उक्त प्रणाली की कवरेज?

हाँ, आईएफसीआई ने सुरक्षा मानकों के अनुरूप एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। अग्निशामक यंत्र, अन्य अग्निशमन प्रणालियाँ, स्मोक डिटेक्टर, अलार्म सिस्टम जैसे सभी सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं। सुरक्षा जाँच और सुरक्षा मूल्यांकन किए जाते हैं। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषयों पर शैक्षिक सामग्री और सत्रों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना और प्रशिक्षण प्रदान करना हमारे कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन के आवश्यक घटक हैं।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और कंपनी द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

इकाई द्वारा कोई खतरनाक कचरा उत्पन्न नहीं किया जाता, हालांकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से स्वयं को बचाये रखने के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ/नहीं) **इकाई द्वारा कोई खतरनाक कचरा नहीं उत्पन्न किया जाता, हालांकि, दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।**

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों के लिए गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)। **हाँ**

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण : **इस अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई।**

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें : आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं।

आईएफसीआई चोटों और बीमारियों को रोककर सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अग्निशमन प्रणाली और उपकरण, अग्नि सुरक्षा क्षेत्र, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, लिफ्टों का रखरखाव, आपातकालीन संकेत, आपातकालीन निकास द्वार और लॉबी क्षेत्र जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं। हर साल मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। चिकित्सा जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया। मनोरंजन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए, परिसर में कर्मचारियों के लिए एक व्यायामशाला भी उपलब्ध है।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
कार्य करने की स्थिति	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

14. वर्ष के लिए आकलन :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया था (कम्पनी या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष के द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	100% (प्रधान कार्यालय और 4 क्षेत्रीय कार्यालय) आईएफसीआई कार्यस्थल के वातावरण को स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने और कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करता है।
कार्य करने की स्थिति	-

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हों) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/समस्याओं के समाधान के लिए की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। **शून्य, वित्तीय वर्ष 2024–25 में सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर नियंत्रण।**

नेतृत्व संकेतक

1. क्या कंपनी (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु होने पर कोई जीवन बीमा या कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है। **हां**

2. उन उपायों का ब्यौरा दें, जिनसे सुनिश्चित हो सके कि कंपनी द्वारा किए गए भुगतान में से वैधानिक बकाया काट लिया गया है और वैल्यू चेन भागीदारों द्वारा उसे जमा करा दिया गया है। **हां, मूल्य श्रृंखला भागीदारों के साथ कार्य करते समय, अनुबंध/समझौते की शर्तों में वैधानिक बकाया राशि के भुगतान का प्रावधान है।**

3. उन कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या बताएं, जिन्हें कार्य के दौरान चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न–11 में वर्णित किया गया है) जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उपयुक्त रोजगार दिया गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में नियुक्त किया गया : **शून्य**

4. क्या कंपनी निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए ट्रांजिशन सहायता कार्यक्रम संचालित करती है? (हां नहीं)।

हां, आईएफसीआई की एक आंतरिक नीति है जिसमें निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्ति के माध्यम से सेवानिवृत्त अधिकारी के अनुभव और विशेषज्ञता के उपयोग का प्रावधान किया गया है।

5. वैल्यू चेन भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण :

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (उन भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	मूल्य श्रृंखला साझेदारों के साथ जुड़ते समय, आईएफसीआई यह सुनिश्चित करता है कि सभी विक्रेता अपने कार्यालयों, विनिर्माण प्रक्रियाओं और सेवाओं में सुरक्षा प्रथाओं का पालन करें।
काम करने की स्थिति	

6. वैल्यू चेन भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रक्रियाओं और कार्य–दशाओं के आकलन से पैदा होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी सुधारात्मक कार्यवाहियों का विवरण प्रदान करें : **विभिन्न विक्रेताओं की वर्तमान सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं।**

सिद्धांत 4 : संस्थाओं को अपने सभी के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. कंपनी के प्रमुख स्टेकहोल्डर समूहों की पहचान करने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

ऐसी कोई प्रक्रिया परिभाषित नहीं की गई है, हालांकि सूचीबद्ध कंपनी की कारोबारी क्रियाकलापों और एनबीएफसी होने के नाते, हितधारकों की श्रेणियों का उल्लेख नीचे बिंदु संख्या–2 में किया गया है।

2. अपनी कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ होने वाले सम्पर्कों का ब्यौरा दें।

हितधारक समूह	**क्या कमजोर और उपेक्षित समूह के रूप में पहचान की गई है (हाँ/नहीं)**	**संवाद चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट, अन्य)**	**आपसी सम्पर्क (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक) अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)**	**सम्बंध का उद्देश्य और दायरा और इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए मुख्य विषय**
प्रमोटर	नहीं	ईमेल, पत्र, व्यक्तिगत मुलाकात, प्रस्तुतियाँ	जब भी आवश्यकता हो	प्रमोटर सरकार है, इसलिए यह अनुबंध अनुमोदन और अनुमति पर आधारित है।
प्रतिभूति धारक (इक्विटी और बॉन्डधारक)	नहीं	ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, नोटिस, वेबसाइट आदि	घटना आधारित , अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक	ऋण चुकौती, मीटिंग अपडेट, केवाईसी संबंधी, शिकायत संबंधी
ग्राहक (सलाहकारी कारोबार)	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात, प्रस्तुतियाँ	घटना आधारित	कार्य आदेश/परियोजना संबंधित
कर्मचारी (सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित)	नहीं	ईमेल, वेबसाइट, इंट्रानेट, आंतरिक बैठकें	घटना आधारित	प्रशिक्षण, कार्य आदेश, शिकायत आदि
नियामक अधिकारी	नहीं	ईमेल, टेलीफोन, वेबसाइट आदि	त्रैमासिक, घटना आधारित	अनुपालन अपडेट
ऋणी	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात	मासिक, त्रैमासिक	फॉलो अप और नियमित अपडेट
ऋणदाता	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात	मासिक, त्रैमासिक, घटना आधारित	फॉलो अप, नियमित अपडेट

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लेख करें या यदि परामर्श दिया गया है, तो ऐसे परामर्शों से बोर्ड को फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।

आईएफसीआई में, हम अपनी कार्यनीतियों और उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से संप्रेषित करने के लिए पणधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। आईएफसीआई पर्यावरण और सामाजिक विषयों के संबंध में संबंधित मंत्रालयों द्वारा नियमित अंतराल पर निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करता है।

2. क्या हितधारक परामर्श का उपयोग पर्यावरणीय एवं सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो उदाहरण सहित विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को कंपनी की नीतियों और क्रियाकलापों में कैसे शामिल किया गया। **लागू नहीं**

3. कमजोर/हाशिये पर मौजूद हितधारक समूहों की समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों और कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

आईएफसीआई जीईएम में पंजीकृत है और कंपनी एम.एस.एम.ई. से खरीद को बढ़ावा देती है। इसके अलावा, आईएफसीआई भी टीआरईडीएस पर पंजीकृत है। एमएसएमई को समय पर भुगतान किया जाता है।

सिद्धांत 5 : कंपनियों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक, जिन्हें मानव अधिकार मुद्दों और संस्था की नीति(यों) के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है : **शून्य**

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिया जाने वाला न्यूनतम वेतन का विवरण निम्न प्रारूप में दें :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024–25 चालू वित्तीय वर्ष					वित्तीय वर्ष 2023–24 पिछला वित्तीय वर्ष				
	कुल (क)	न्यूनतन वेतन के बराबर		न्यूनतन वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतन वेतन के बराबर		न्यूनतन वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	प्रतिशत (ख/क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग/क)		संख्या (ङ)	प्रतिशत (ङ/घ)	संख्या (च)	प्रतिशत (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	77	शून्य	शून्य	77	100	98	शून्य	शून्य	98	100
महिला	39	शून्य	शून्य	39	100	50	शून्य	शून्य	50	100
स्थायी के अलावा										
पुरुष	19	शून्य	शून्य	19	100	11	शून्य	शून्य	11	100
महिला	4	शून्य	शून्य	4	100	1	शून्य	शून्य	1	100
श्रमिक										
स्थायी										
पुरुष	1	शून्य	शून्य	1	100	1	शून्य	शून्य	1	100
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
स्थायी के अलावा										
पुरुष	शून्य	-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-
महिला	शून्य	-	-	-	-	शून्य	-	-	-	-

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण :

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी :

	पुरूष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी संबंधित श्रेणी	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी संबंधित श्रेणी
निदेशक बोर्ड (बीओडी)	-	-	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (एमडी और डब्ल्यूटीडी शामिल है)	3	46.36 लाख	1	40.90 लाख
बीओडी और केएमपी के अलावा	94	30.98 लाख (प्रतिनियुक्ति के लिए, पारिश्रमिक का भुगतान सम्बंधित संगठन द्वारा किया जाता है।)	42	34.34 लाख
कामगार	1	9.04 लाख	-	-

टिप्पणी : पारिश्रमिक की गणना के लिए कर्मचारियों की संख्या में 31 मार्च, 2025 को स्थायी और संविदात्मक दोनों कर्मचारी शामिल हैं।

ख. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल वेतन :

	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	31.45%	30.71%

4. क्या आपके पास कारोबार के दौरान पैदा होने वाले मानवाधिकार संबंधी शिकायत की सुनवाई करने के लिए कोई जिम्मेदार सम्पर्क–केन्द्र (व्यक्ति/समिति) है? **नहीं**

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

कर्मचारी शिकायतों का निवारण एक शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें मानवाधिकार से संबंधित ऐसे मुद्दों को शामिल करने की भी व्यापक गुंजाइश है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के बारे में की गई शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	0	0	-	0	0	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	-	0	0	
बाल मजदूरी	0	0	-	0	0	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	-	0	0	-
मजदूरी	0	0	-	0	0	-
मानव अधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0	-	0	0	-

7. वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान और पिछले वर्ष में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज की गई शिकायतें : **शून्य**

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में प्रतिकूल परिणामों से शिकायतकर्ता की रक्षा करने की प्रणाली।

यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिसमें कानून शिकायतकर्ता को किसी भी प्रतिकूल परिणाम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, आईएफसीआई में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी और कर्मचारी संघ भी हैं, जो कार्यस्थल पर भेदभाव सहित समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करते हैं।

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसरण में, जहां भी आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है। व्हिसल ब्लोअर नीति https://www.ifciltd.com/2025/Whistle%20Blower%20Policy_Vigil%20Mechanism.pdf पर उपलब्ध है।

9. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं) – **हां**

10. वर्ष के लिए आकलन :

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्षकार द्वारा)
बाल श्रम	शून्य
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	

11. ऊपर दिए गए प्रश्न–10 में आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें : **शून्य**

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों/मुद्दों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही कारोबारी प्रक्रिया का विवरण।

कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मानवाधिकारों से संबंधित सभी मुद्दों को भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, आईएफसीआई के पास दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति भी है।

2. कंपनी द्वारा संचालित मानवाधिकार संबंधी अनुपालन और उनके कवरेज का विवरण। **लागू नहीं**

3. क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए भी सुलभ है? **हाँ, आईएफसीआई सभी के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने पर केंद्रित है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, जो हमारी टीम और ग्राहक समुदाय के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हमारे कार्यालय सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें रैंप, व्हीलचेयर–सुलभ शौचालय और स्पष्ट संकेत जैसी सुविधाएँ हैं ताकि सभी के लिए आराम और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। हम अपने समावेशी प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं क्योंकि हमारा मानना है कि विविधता को अपनाने से हमारी कंपनी मजबूत होती है और हमारे हितधारकों का जीवन समृद्ध होता है।**

4. वैल्यू चेन भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण : **शून्य**

5. उपरोक्त प्रश्न–4 में वर्णित आकलनों से होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं**

सिद्धांत 6 : कंपनी को पर्यावरण की रक्षा और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए तथा इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा इन्टेन्सिटी का विवरण :

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन खपत (ख)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	शून्य	शून्य
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ)	7785.41 गीगाजूल	8212.75 GJ
कुल ईंधन खपत (ङ)	5.7 गीगाजूल	2.95 गीगाजूल
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (च)	शून्य	शून्य
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (घ+ङ+च)	7791.10 गीगाजूल	8215.70 गीगाजूल
कुल खपत ऊर्जा (क+ख+ग+घ+ङ+च)	7791.10 गीगाजूल	8215.70 गीगाजूल
प्रति रुपया टर्नओवर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	11.45 गीगाजूल/करोड़	9.78 गीगाजूल/करोड़
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपये की ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से राजस्व)	233.90 गीगाजूल/करोड	198.42 गीगाजूल/करोड
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	-	-

टिप्पणी : कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/समीक्षा की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं**

2. क्या संस्था के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के तौर पर पहचान की गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, बताएं : **शून्य**

3. निम्नलिखित प्रारूप मे जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरणों का विवरण उपलब्ध कराएं :

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा निकासी (किलोलीटर में)		
धरातल का पानी	शून्य	शून्य
भूजल	शून्य	शून्य
थर्ड पार्टी जल	360 किलोलीटर	199 किलोलीटर
समुद्री जल/अलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
अन्य	170 किलोलीटर	169 किलोलीटर (पेय जल)
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	530 किलोलीटर	339 किलोलीटर
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	388* किलोलीटर	248* किलोलीटर
प्रति रुपए टर्नओवर पर जल की तीव्रता (कुल पानी की खपत/परिचालनों से राजस्व)	0.57 किलोलीटर/करोड़	0.295 किलोलीटर/करोड़
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपये के टर्नओवर पर जल की तीव्रता (कुल पानी की खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	11.64 किलोलीटर/करोड	11.56 किलोलीटर/करोड
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता	-	-
जल की तीव्रता (वैकल्पिक) – कम्पनी द्वारा संगत मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	-	-

* यह माना जाता है कि निकाले गए पानी का 73 प्रतिशत उपभोग कर लिया जाता है तथा शेष पानी बाहर निकाल दिया जाता है।

टिप्पणी : कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/समीक्षा की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं**

4. डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें :

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल तक	-	-
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल तक	-	-
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल तक	-	-
- कोई उपचार नहीं		

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया	-	-
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य (सीवेज डिस्चार्ज)	142 किलोलीटर	91 किलोलीटर
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)	142 किलोलीटर	91 किलोलीटर

टिप्पणी : कृपया बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन/समीक्षा की गई है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं**

5. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई प्रणाली कार्यान्वित की है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का ब्यौरा दें। **लागू नहीं**

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें : **लागू नहीं हैं क्योंकि आईएफसीआई एक विनिर्माण कंपनी नहीं है।**

7. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप–1 और स्कोप–2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें :

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन)	मीट्रिक टन सीओ2 समतुल्य	1548.431	1633.425
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विभाजन)	मीट्रिक टन सीओ2 समतुल्य	5.283	6.073
प्रति रुपए टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)	परिचालन से समेकित कुल राजस्व का प्रति करोड़	0.00000023	0.00000020
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से समेकित कुल राजस्व का प्रति करोड़	0.0000047	0.0000040
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है।		-	-

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण दें। **शून्य**

9. वित्तीय वर्ष 2024–25 और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें : **इस इकाई से कोई खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है; दैनिक नियमित कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।**

10. आपके प्रतिष्ठान में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक व जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई व्यवस्था का वर्णन करें। **हालांकि, इस इकाई से कोई खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है; दैनिक कचरे का निपटान एएमसी सेवा प्रदाता के माध्यम से किया जाता है।**

11. क्या संस्था के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय संरक्षित क्षेत्र आदि) जिनमें पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमतियां आवश्यक है, में कार्यस्थल/कार्यालय हैं, तो कृपया उल्लेख करें। निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें :

क्र. सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन के प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो उसका विवरण दें।
लागू नहीं			

12. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का विवरण :

क्र. सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन के प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो उसका विवरण दें।
लागू नहीं			

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का पालन कर रही है, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालन का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में दें :

क्र. सं.	उस कानून / विनियम / दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना / दंड / कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो,
हां, आईएफसीआई अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में सभी लागू पर्यावरण विनियमों का अनुपालन करता है।				

नेतृत्व संकेतक

1. जल समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और डिस्चार्ज (किलोलीटर में) : **शून्य**

   जल समस्यागस्त क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक केन्द्र/प्लांट के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

   (i) क्षेत्र का नाम

   (ii) संचालन की प्रकृति

(iii) निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और डिस्चार्ज :

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	लागू नहीं	
(ii) भूजल		
(iii) तीसरे पक्ष का जल		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपया कारोबार में पानी की तीव्रता (पानी की खपत / कारोबार)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – संगत मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में	लागू नहीं	
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल में		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल निस्सरित जल (किलोलीटर में)		

टिप्पणी : यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (नहीं/हां) यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं।**

2. कृपया वित्तीय वर्ष 2024–25 और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें :

पैरामीटर	**इकाई**	**वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)**	**वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)**
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो ग्रीनहाउस गैसों का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6 एनएफ3 में विभाजन)	**मीट्रिक टन सीओ2 समकक्ष**	**शून्य**	
प्रति रुपए के कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन			
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – संगत मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है			

टिप्पणी : यह बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? यदि हां, तो बाहरी एजेंसी का नाम। **नहीं।**

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें, साथ ही रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का भी विवरण प्रदान करें। **लागू नहीं**

4. यदि कंपनी ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन/प्रदूषित निकासी/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या तराकों का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार ऐसी पहलों के परिणाम के साथ–साथ उसका विवरण प्रदान करें : **लागू नहीं**

5. क्या कंपनी के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में/वेब लिंक का विवरण दें।

हाँ, आईएफसीआई के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक निरंतरता नीति लागू है। ओरेकल डेटाबेस और सीआईआईएस एप्लिकेशन ओरेकल क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर (ओसीआई) पर होस्ट किए जाते हैं, और डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट का रखरखाव आईएफसीआई डेटा सेंटर, 10वीं मंजिल, मुख्यालय, नई दिल्ली में ऑन–प्रिमाइसेस किया जाता है। ई–ऑफिस समाधान ओरेल क्लाउड पर होस्ट किया गया है, जिसका प्राथमिक डेटा सेंटर मुंबई में और डीआर साइट हैदराबाद में स्थापित है। नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में डिजास्टर रिकवरी (डीआर) अभ्यास अर्ध–वार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं।

6. कंपनी की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख करें। इस संबंध में कंपनी द्वारा कौन से रोकथाम या अनुकूलन उपाय किए गए हैं। **शून्य**

7. मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था। **लागू नहीं**

8. कितने ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न या प्राप्त किए गए हैं : **शून्य**

   क. सूचीबद्ध इकाई द्वारा

   ख. शीर्ष दस (क्रमशः खरीद और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में) मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा

सिद्धांत 7 : यदि कंपनी के कारोबार से सार्वजनिक और नियामक नीति प्रभावित होती है, तो उसे हर कार्य पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

   कंपनी दो (2) व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सदस्य है।

   ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिनकी कंपनी सदस्य है/संबद्ध है।

क्र. सं.	**व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों का नाम**	**व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)**
1.	भारतीय बैंक संघ	राष्ट्रीय
2.	भारतीय बैकिंग और वित्तीय संस्थान	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें। **शून्य**

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति स्थितियों का विवरण : **शून्य**

सिद्धांत 8 : कंपनी को समावेशी विकास और साम्यिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण। **शून्य**

2. ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) की जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें, जिनमें आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) किये जा रहे हैं : **लागू नहीं**

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

आईएफसीआई ने शिकायत प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की सरकार की पहल के अनुरूप अपने लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के साथ एकीकृत करके एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा प्रबंधित यह व्यापक राष्ट्रीय मंच विभिन्न क्षेत्रों में शिकायतों को दर्ज करने और उनके समाधान के लिए एक केंद्रीकृत केंद्र के रूप में कार्य करता है। सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से, नागरिकों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करने का अवसर मिलता है, जिनमें स्थापित राष्ट्रीय मानकों के अनुसार और निर्धारित समय–सीमा के अंदर सीधे संबोधित की जाने वाली सेवाएँ भी शामिल हैं, जो समयबद्ध और प्रभावी समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, आईएफसीआई द्वारा एक समर्पित शिकायत निवारण पोर्टल – 'सेवा अनुरोध पोर्टल' – भी विकसित किया गया है। ईमेल आईडी, हेल्पलाइन नंबर, डाक पता और सेवा अनुरोध पोर्टल तक पहुँचने का लिंक सहित सभी प्रासंगिक संपर्क विवरण आईएफसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुखता से उपलब्ध हैं।

4. आपूर्तिकर्त्ताओं से प्राप्त इनपुट साम्रगी का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट का प्रतिशत) :

	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से सीधे ही प्राप्त	9.76%	0.96%
भारत के अंदर से सीधे ही	100%	100%

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का विवरण, कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में दें।

स्थान	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
ग्रामीण	0	0
अर्ध शहरी	0	0
शहरी	0	0
महानगरीय	100%	100%

(आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किए गये स्थान – ग्रामीण/अर्ध–शहरी/शहरी/महानगरीय)

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलनों में पता चले किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण दें (संदर्भ : उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न–1) : **विनियामक आवश्यकता के तहत वर्ष के दौरान किसी भी परियोजना के प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता नहीं थी।**

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचान किए गए नामित पिछड़े जिलों में आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें : **शून्य**

3. (क) क्या आपके पास कोई प्राथमिकता वाली अधिग्रहण नीति है, जिसके आधार पर आप छोटे/कमजोर समूह के आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं) : **हाँ. आईएफसीआई के पास निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक केंद्रीकृत अधिग्रहण नीति है।**

(ख) आप किन छोटे/कमजोर समूहों से सामग्री/सेवाओं की अधिग्रहण करते हैं?

आईएफसीआई इन सीमांत/कमजोर समूहों से अधिग्रहण करता है: एमएसएमई उद्यम

(ग) यह कुल अधिग्रहण (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है? **9.76 प्रतिशत**

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्त वर्ष के दौरान) आपकी कंपनी द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदाओं से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण : **शून्य, क्योंकि आईएफसीआई पारंपरिक ज्ञान के आधार पर कंपनी द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदाओं में शामिल नहीं है।**

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी भी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या जारी सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है। **शून्य**

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण : **शून्य**

सिद्धांत 9 : संस्थाओं को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायत और फीडबैक प्राप्त करने और उनका जवाब देने की प्रक्रिया का वर्णन करें।

आईएफसीआई द्वारा निवेशकों के प्रश्नों/शिकायतों / परिवादों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता और ध्यान दिया जाता है।

कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों / परिवादों के कुशल निवारण हेतु रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंट (आरएंडटीए) नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रश्नों का निवारण कंपनी के संबंधित विभाग द्वारा सीधे किया जाता है।

आईएफसीआई को निवेशकों के प्रश्न, शिकायतें और शिकायतें विभिन्न माध्यमों से, ऑफलाइन और ऑनलाइन, प्राप्त होती हैं। निवेशक ईमेल, हेल्पलाइन नंबर, डाक पत्र जैसे कई विकल्पों का उपयोग करके या आईएफसीआई द्वारा आंतरिक रूप से विकसित एक समर्पित शिकायत निवारण पोर्टल, 'सेवा अनुरोध पोर्टल' के माध्यम से सीधे आईएफसीआई से संपर्क कर सकते हैं। आईएफसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल आईडी, हेल्पलाइन नंबर, डाक पता और सेवा अनुरोध पोर्टल तक पहुँचने का लिंक सहित सभी संगत संपर्क विवरण प्रमुखता से उपलब्ध हैं।

ईमेल के माध्यम से प्राप्त प्रश्नों या शिकायतों का उत्तर आमतौर पर ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है। जिन मामलों में समाधान के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, वहाँ पारदर्शिता और निवेशक–मित्रता के संकेत के रूप में निवेशक को एक अंतरिम उत्तर भी भेजा जाता है।

इसके अतिरिक्त, निवेशक सेबी के स्कोर्स, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), और आरबीआई की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) जैसे बाहरी शिकायत निवारण प्लेटफार्मों के माध्यम से अपनी समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं। इन प्लेटफार्मों पर प्राप्त शिकायतों को आईएफसीआई द्वारा देखा और उनका जवाब दिया जाता है, और रजिस्ट्रार एवं स्थानांतरण एजेंटों (आरएंडटीए) के समन्वय में अंतरिम उत्तर और/या कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं।

आईएफसीआई में आंतरिक रूप से सेवा प्रदान किए जाने वाले बांडों के संबंध में, सभी शिकायतों का उत्तर आईएफसीआई द्वारा सीधे निवेशकों को दिया जाता है।

निवेशकों की पहुंच आसान बनाने के लिए, सभी आरएंडटीए के संपर्क विवरण भी आईएफसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं।

यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी निवेशकों की शिकायतों का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से समाधान किया जाए।

निवेशकों की शिकायतों को कम करने के लिए आईएफसीआई द्वारा कई पहल की गई हैं, जिनमें निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाना शामिल है। निवेशकों की शिकायतों को कम करने के लिए अब निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें केवाईसी का अद्यतनीकरण, बायबैक सूचना फॉर्म भेजना, अवैतनिक / दावा नहीं की गई राशि का विवरण भेजना, ऑनलाइन पोर्टल का प्रावधान, ऑफलाइन अनुरोध और ईमेल के माध्यम से अनुरोध, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और आईएफसीआई कार्यालय में हेल्पडेस्क की व्यवस्था जैसे सक्रिय कदम शामिल हैं।

इसके अलावा, निवेशकों की शिकायतें और अनुरोध निम्नलिखित पर भी प्राप्त किए जाते हैं :

- बॉन्डधारक अनुभाग के माध्यम से आईएफसीआई वेबसाइट
- ई–मेल आईडी complianceofficer@ifciltd.com
- ई–मेल आईडी bondscomplianceofficer@ifciltd.com
- इन्फ्रा बांडों के लिए ई–मेल आईडी infrabonds@ifciltd.com
- अधीनस्थ बांडों के लिएई–मेल आईडी tier2bonds@ifciltd.com
- बांडों के सार्वजनिक निर्गम के लिए ई–मेल आईडी ifcipublicissue@ifciltd.com
- निजी धारण बांडों के लिए ई–मेल आईडी ppbonds@ifciltd.com

निवेशकों की शिकायतों के समाधान पर बेहतर नियंत्रण के लिए, आईएफसीआई लिमिटेड में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र की संरचित मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टिंग के माध्यम से बारीकी से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, वित्तीय सेवा विभाग के निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार की गई एक मासिक रिपोर्ट, शिकायतों की प्रकृति, स्थिति, समय–सीमा और समाधान का विवरण देते हुए, शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है। इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुपालन में, हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) को एक व्यापक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें श्रेणीवार आँकड़े, अनसुलझे मुद्दे, मूल कारण विश्लेषण और शिकायतों को कम करने की पहल शामिल होती हैं। रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित इन रिपोर्टों का उद्देश्य समय पर निवारण, समय–सीमा का पालन और निवेशक सेवा मानकों में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना है।

निवेशकों से प्राप्त कुछ सामान्य शिकायतें इस प्रकार हैं :

क. बॉड प्रमाणपत्रों में गलतियों का सुधार करना

ख. डुप्लीकेट बॉड प्रमाणपत्र जारी करना

ग. प्रतिभूति का रिमैटरियलाइजेशन और डिमैटरियलाइजेशन

घ. ट्रांसमिशन

ङ. विभाजन

च. बैंक खाता, पता, ईमेल आईडी अपडेट करना

छ. अवरुद्ध अवधि में बॉड के लिए कॉरपोरेट कार्रवाइयां

ज. वारंटों का पुनःवैधीकरण/बकाया राशि का भुगतान

झ. आईईपीएफ में अन्तरित लाभांश/शेयर/राशि की स्थिति।

2. निम्नलिखित के बारे में कुल उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर में इन उत्पादों और/सेवाओं के टर्नओवर का प्रतिशत :

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरण संबंधी और सामाजिक पैरामीटर लागू नहीं सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग 100 प्रतिशत	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :

	वित्तीय वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)		**टिप्पणियां**	**वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)**		**टिप्पणियां**
	वर्ष के दौरान प्राप्त	**वर्ष के अंत में लंबित समाधान**		**वर्ष के दौरान प्राप्त**	**वर्ष के अंत में लंबित समाधान**	
डेटा गोपनीयता	शून्य			शून्य		
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ						
अनुचित व्यापार प्रथाएँ						
अन्य						

4. सुरक्षा मसलों के कारण प्रॉडक्ट रिकॉल की घटनाओं का विवरण : **लागू नहीं**

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? **(हाँ/नहीं)** यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

हाँ. आईएफसीआई की अपनी आईएस व साइबर सुरक्षा नीति है, नीति की वार्षिक समीक्षा की जाती है। नीति एक आंतरिक दस्तावेज है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण, साइबर सुरक्षा और ग्राहक डेटा गोपनीयता, उत्पाद रिकॉल की घटनाओं, उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या जारी किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान दें। **शून्य**

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें : **शून्य**

क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो

नेतृत्व संकेतक

1. ऐसे चैनल/प्लेटफॉर्म, जहां से कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

   आईएफसीआई विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद/सेवाएँ प्रदान करती है। आईएफसीआई द्वारा प्रदान किए जा रहे वित्तीय उत्पाद कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें https://www.ifciltd.com/?q=en/content/financial-products पर देखा जा सकता है।

2. उपभोक्ताओं को उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

   संगत विवरणों से युक्त कंपनी की वेबसाइट रियल टाइम आधार पर अपडेट की जाती है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान आने / उनके बंद होने से पैदा होने वाले जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए मौजूद प्रणाली।

   आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने से होने वाले सभी जोखिमों की जानकारी आईएफसीआई की वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाती है।

4. क्या कंपनी उत्पादों के बारे में स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी कंपनी ने कंपनी के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, कंपनी के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्रतः कंपनी से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां नहीं)

   हाँ। एक एनबीएफसी होने के नाते कंपनी विभिन्न वित्तीय उत्पाद प्रदान करती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके निवेशकों तथा उसके उधारकर्ताओं से कंपनी की वेबसाइट https://www.ifciltd.com/?q=en/content/financial-products के माध्यम से उसके सभी वित्तीय उत्पादों का पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाए।

कारोबार दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट का अनुबंध–1

कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों के लिंक नीचे दिए गए है :–

नीतियों के नाम	वेब–लिंक
उचित व्यवहार संहिता	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/fair-practices-code
आचार संहिता	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/code-conduct
व्हिसल ब्लोअर / सतर्कता तंत्र	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/whistle-blower-policy
सीएसआर नीति	https://www.ifciltd.com/?q=en/content/our-csr-policy
मानवाधिकार नीति	https://www.ifciltd.com/2025/Human%20Rights%20Policy.pdf

अन्य नीतियां आन्तरिक दस्तावेज हैं और केवल संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।

अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का कल्याण

आपकी कंपनी अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के कल्याण से संबंधित भारत सरकार के दिशानिर्देशों

के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इन निर्देशों को अक्षरशः और पूरी तरह से लागू करती है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके, कंपनी सभी स्तरों पर एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस की भलाई और उन्नति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना शामिल है। 1 जनवरी, 2025 तक, आपकी कंपनी ने कुल 118 नियमित कर्मचारियों (डीएमडी और सीवीओ को छोड़कर) को रोजगार दिया। इनमें से 19 कर्मचारी (16 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग से, 11 (9 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों से और 1 (1 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों से थे।

01 जनवरी, 2025 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व के विवरण और पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाली वार्षिक विवरण :

क्र. स.	श्रेणियां	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	श्रेणी I	117	11	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	संविदात्मक	20	1	-	3	-	18	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	138	12	1	22	0	18	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0

01 जनवरी, 2025 को विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

क्र. स.	ग्रेड	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2025 की स्थिति अनुसार)					पिछले वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा		
		कर्मचारियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	कार्यपालक निदेशक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	एफ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ई	18	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	डी	27	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सी (निजी सचिव ग्रेड सी सहित)	34	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	बी (निजी सचिव ग्रेड बी सहित)	31	5	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ए	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्रेणी III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्रेणी IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	संविदात्मक	20	1	-	3	-	18	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	138	12	1	22	0	18	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0

दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) का समूह–वार प्रतिनिधित्व (31.12.2024 तक)

क्र. सं.	समूह	कर्मचारियों का स्वरूप (31.12.2024 की स्थिति अनुसार)					कैलेण्डर वर्ष 2024 (अर्थात् 01.01.2024 से 31.12.2025) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																				
							प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नतियां									
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या				
		कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	श्रेणी -I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	श्रेणी-III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	श्रेणी-IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी :

(i) वीएच से अभिप्राय दृष्टि से विकलांग (दृष्टिहीन या दृष्टि कम हो जाने के रोग से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) एचएच से अभिप्राय श्रवण की दृष्टि से विकलांग (जिन व्यक्तियों को सुनाई नहीं देता है)

(iii) ओएच से अभिप्राय शारीरिक रूप से विकलांग (चलने की अशक्तता या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति)

(iv) आईडी से अभिप्राय बौद्धिक अशक्तता

प्रपत्र एओसी–1

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम परन्तुक के अनुसार)

सहायक कम्पनियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

भाग "क": सहायक कम्पनियां

31 मार्च, 2025 के अनुसार (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	सहायक कम्पनी का नाम	प्रत्यक्ष सहायक कम्पनियां						स्टैप डाउन सहायक कम्पनियां						
		आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.	आईएफसीआई फैक्टर्स लि.	आईएफसीआई फाइनेंनिशयल सर्विसेज लि.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.	एमपीकॉन लि.	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि.	आईफिन कमोडिटीज लि.	आईफिन क्रेडिट लि.	आईफिन सिक्यूरिटीज फाइनेंस लि.	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लि.	स्टॉक होल्डिंग सिक्यूरिटीज आईएफएससी लि.
1	शेयर पूंजी	47.94	427.10	279.44	41.53	21.05	1.00	0.01	5.00	2.50	30.01	55.75	6.09	20.00
2	रिजर्व एवं अधिशेष निधि	100.49	84.77	-260.89	20.96	13,284.00	20.24	11.24	-2.01	-0.46	1.52	1.48	115.50	-7.40
3	कुल परिसम्पत्तियां	156.06	529.64	20.61	87.89	16,985.26	29.45	20.67	3.19	2.08	31.85	164.54	403.07	27.16
4	कुल देयताएं	7.63	17.77	2.06	25.40	3,680.21	8.21	9.42	0.20	0.04	0.32	107.31	281.48	14.56
5	निवेश	12.98	112.51	-	35.76	1,424.04	-	-	-	-	0.54	-	-	-
6	टर्नओवर	30.12	41.00	3.16	13.41	914.87	212.61	3.11	0.17	0.14	2.46	99.74	126.68	0.93
7	कराधान पूर्व लाभ	13.26	11.25	3.62	-2.26	417.05	8.48	1.68	-0.15	0.05	1.22	10.93	31.25	-0.89
8	कराधान हेतु प्रावधान	-0.09	-2.59	-	-	60.06	2.35	0.61	-	0.02	0.19	3.04	8.35	0.01
9	कराधान पश्चात् लाभ	13.35	13.84	3.62	-2.26	356.99	6.13	1.07	-0.15	0.03	1.03	7.89	22.90	-0.90
10	प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	**49.90**	-	-	-	-	-	-	**6.39**	-
11	शेयरधारिता का प्रतिशत *	98.59%	100.00%	99.90%	94.78%	52.86%	79.72%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* स्टैप डाउन सहायक कम्पनियों के लिए दी गई शेयरधारिता का प्रतिशत उनकी तत्काल सम्बन्धित धारक कम्पनी की शेयरधारिता को दर्शाता है।

टिप्पणी : सभी सहायक कम्पनियां भारत में निगमित हैं और ये धारक कम्पनी के समान ही रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 माह का पालन करती हैं।

(राहुल भावे)
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

(उमेश कुमार गर्ग)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

(सुनीत शुक्ला)
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2025

भाग "ख" : सहयोगी कम्पनियां व संयुक्त उद्यम

सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

करोड़ रुपए में

क्र. सं.	सहयोगी कम्पनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम	गति इंफ्राक्ट्रक्चर भास्मे पावर प्रा. लि. $	किटको लि.^	नगाई पावर प्रा. लि.	शीगा एनर्जी प्राइवेट लि.	वडराज सीमेंट लि.	वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.
1	**नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तारीख**	31 मार्च 22	31 मार्च 24	31 मार्च 21	31 मार्च 24	31 मार्च 18	31 मार्च 18
2	वर्ष के अंत में कम्पनी द्वारा धारित सहयोगी कम्पनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर						
	इक्विटी शेयरों की संख्या	4,50,20,000	19,950	56,40,000	5,10,00,000	6,39,16,797	3,60,00,000
	सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश की राशि–इक्विटी शेयर	45.02	0.04	5.17	51.00	63.92	35.44
	धारिता की सीमा	38.73%	20.26%	26.46%	28.43%	3.20%	24.00%
3	ऐसे कारण, जिनसे सहयोगी कम्पनी/ संयुक्त उद्यम का समेकन नहीं किया गया	इंड एएस 28, पैरा 20 के अनुसार कोई संस्था किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इंड एएस 105 को किसी निवेश या निवेश के किसी भाग पर लागू करेगी जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदण्ड को पूरा करता है। किसी सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में, निवेश के रखे गए किसी भाग, जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया जो बिक्री होने के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, के भाग के निपटान तक इक्विटी विधि का प्रयोग करके हिसाब में लिया जाएगा। निपटान होने के पश्चात् कोई कम्पनी सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में रखे गए हित को इंड एएस के अनुसार हिसाब में लेगी जब तक कि सहयोगी कम्पनी या संयुक्त उद्यम में रखा गया हित जारी रहता है जिस मामले में कम्पनी इक्विटी विधि का प्रयोग करती है। चूंकि इन कंपनियों में निवेश को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तदनुसार, इन कम्पनियों को समेकित नहीं किया है।					
4	कम्पनी का निवल मूल्य	116.44	30.04	-69.20	-436.40	-1,112.87	-137.35
	– इक्विटी शेयर पूंजी	116.24	9.85	365.47	179.42	2,000.00	150.00
	– अधिमान शेयर पूंजी	-					-
	– संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर पूंजी	-					
	– रिजर्व व अधिशेष	0.20	20.19	-434.67	-615.82	-3,112.87	-287.35
5	नवीनतम लेखा–परीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (केवल इक्विटी)	45.10	6.09	-18.31	-124.05	-35.57	-32.96
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि	-	-8.17	-235.31	-109.42	-1,595.29	-212.99
	i. समेकन में शामिल किया गया	-	-	-	-	-	-
	ii. समेकन में शामिल नहीं किया गया	-	-8.17	-235.31	-109.42	-1,595.29	-212.99

$ I- जीएएपी वित्तीय विवरणों पर विचार किया गया है। ^ अनंतिम लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण 2023–24 पर आधारित

(राहुल भावे)
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

(उमेश कुमार गर्ग)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

(सुनीत शुक्ला)
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

(प्रियंका शर्मा)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण,

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **आईएफसीआई लिमिटेड** ("कम्पनी") के संलग्न स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक विवरणों सहित स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल है (जिसे इस रिपोर्ट में आगे "स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित सूचना यथानुसार देते हैं और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार मामलों की स्थिति, कम्पनी का मुनाफा, कुल व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन सहित यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उनके बारे में सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा पर मानकों (एसए) के अनुसार स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख इस रिपोर्ट के **"स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारियां"** नामक खण्ड में किया किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति–संहिता के अनुसार कम्पनी के स्वतंत्र लेखा–परीक्षक हैं और नीतिपरक अपेक्षाएं कम्पनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के संगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति–संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिपरक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा–परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

प्रमुख मामले :

1. हम वक्तव्य के नोट संख्या 40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और आईएफसीआई के बोर्ड द्वारा "आईएफसीआई समूह के समेकन" पर विचार करने के लिए विधिवत विचार किया गया है, जिसमें होल्डिंग कंपनी स्तर या सहायक कंपनी स्तर पर आईएफसीआई लिमिटेड का कुछ समूह कंपनियों के साथ विलय/समामेलन शामिल है।

2. हम वित्तीय परिणामों के नोट संख्या 40.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए चरण 3 की परिसंपत्तियों (आईआरएसी मानदंडों के अंतर्गत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर 106.16 करोड़ रुपए की ब्याज आय की मान्यता शामिल है। चूँकि, वसूली की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए इसे उसी वर्ष अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसलिए, वर्ष के निवल लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

3. हम टिप्पणी संख्या 39 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहाँ कंपनी ने परियोजना और कॉर्पोरेट ऋणों पर ईसीएल प्रावधान के आकलन की पद्धति की समीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो से खाता स्तर पर ईसीएल विधि में परिवर्तन हुए। खाता स्तर पर ऋणों की अनुमानित वसूली के आधार पर ईसीएल प्रावधान का आकलन करने से पोर्टफोलियो स्तर पर ईसीएल प्रावधान के आकलन की तुलना में ईसीएल प्रावधान का बेहतर आकलन और प्रस्तुति प्राप्त होगी। इन परिवर्तनों को भारतीय लेखा मानक 8 (लेखा नीतियाँ, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ) के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन माना गया है और चालू वित्तीय वर्ष से इनका लेखा–जोखा भावी रूप से किया गया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष में ऋणों पर ईसीएल प्रावधान में 290.86 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और तदनुसार कर–पूर्व लाभ में कमी आई है।

4. कंपनी ने हमें नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 01.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के लिए लेखा परीक्षकों के साथ कोई विशिष्ट डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हमारे द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है।

5. कंपनी ने हमें सूचित किया है कि पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्रों के अनुसार, फाइलें और दस्तावेज लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, इसलिए हमने इनकी समीक्षा नहीं की है।

6. एक निश्चित मामले में, यह देखा गया कि एक पार्टी ने भारत सरकार की एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के तहत सहायता प्राप्त करने और अपने प्रस्ताव की समुचित तैयारी के लिए कंपनी को अपना सलाहकार/परामर्शदाता नियुक्त किया है। लेकिन कंपनी एसडीएफ योजना के तहत नोडल मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी/एजेंट के रूप में भी कार्य कर रही है। भारत सरकार से स्पष्ट अनुमोदन मिलने के बावजूद, किसी भी आवेदक को व्यावसायिक शर्तों पर दस्तावेजों/परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता/प्रशिक्षण देने की कंपनी की कार्रवाई और भारत सरकार की ओर से उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से कंपनी द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों की विश्वसनीयता काफी कमजोर होती है। साथ ही इससे कंपनी की स्वतंत्र स्थिति भी प्रभावित होती है।

7. हम टिप्पणी संख्या 40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें 31 मार्च, 2025 के बजाय 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के आधार पर सहायक कंपनियों में निवेश के मूल्यांकन पर विचार किया गया है।

8. हम टिप्पणी संख्या 54 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां पूँजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2025 को (–) 23.04 प्रतिशत है, जो आर. बी. आई. द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 (आरबीआई/2017–18/181 डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं.092/03.10.001/2017–18) द्वारा परिचालित निर्धारित दिशानिर्देश से कम है।

9. हम टिप्पणी संख्या 38 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहाँ आरबीआई प्रूडेंशियल (आईआरएसीपी) मानदंडों (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान, भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत हानि भत्ते से 74.88 करोड़ रुपए अधिक है। जबकि, चूँकि हानि आरक्षित निधि में मौजूदा शेष राशि 104.67 करोड़ रुपए है, इसलिए आरबीआई की अधिसूचना संख्या "डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी. सं.109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13 मार्च, 2020" की आवश्यकताओं के अनुसार, कोई और हानि आरक्षित निधि नहीं बनाई

गई है। साथ ही, आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार 104.67 करोड़ रुपए की मौजूदा हानि आरक्षित निधि को वापस नहीं लिया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के संदर्भ में किया गया है और उन्हीं के आधार पर हमारी राय बनी है तथा हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखा–परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
1.	**ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति – प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल)** (लेखांकन नीति संख्या 6 (ख) के साथ पठित स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 53 देखें) अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने प्रबंधकीय निर्णयों के उच्चतर स्तर का पता लगाया है : • ईसीएल मॉडल – क्षति हानि मूल्यांकन के लिए चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये मॉडल ईसीएल को मापने के मुख्य संचालक हैं। • विभिन्न चरणों का व्यक्तिगत रूप से निर्धारित वर्गीकरण–यदि व्यक्तिगत क्षति का उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण और अनुमान न लगाया जाए, तो ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण और अग्रिम राशियों के वास्तविक मूल्य में महत्वपूर्ण असमानता हो सकती है। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम निर्धारण के भाग के रूप में हमने यह निर्धारण किया है	**हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं :** हमने प्रत्याशित ऋण हानि के सम्बन्ध में लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रलेख', में विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों, विभिन्न नियामक नवीनतम सूचनाओं, कम्पनी के आंतरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं में उनको अपनाया गया है : 1. ऋण परिसम्पत्तियों के संबंध में मुख्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन और जानकारी, ऋण क्षति का निर्धारण, उपयुक्त आंकड़ों की गुणवत्ता के निर्धारण सहित और प्रविष्ट वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा। 2. किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या किसी ऋण परिसम्पत्ति खाते का पता लगाने के लिए बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों की जांच–परीक्षण आधार पर ऋण परिसम्पत्ति खातों का सत्यापन/ प्रलेखों की समीक्षा, कार्य–निष्पादन। 3. किसी प्रतिकूल संकेत/टिप्पणी वाली ऋण परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए आन्तरिक लेखा–परीक्षा और अन्य किसी लेखा–परीक्षा/ निरीक्षण प्रणाली की रिपोर्टों की समीक्षा और कम्पनी की नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा, ताकि ऐसी ऋण परिसम्पत्तियों और उसकी संभावित क्रेडिट हानि का समेकित वर्गीकरण किया जा सके। 4. पोर्टफोलियो से खाता स्तर तक ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल प्रावधान का अनुमान लगाने के लिए कार्यप्रणाली में

क्र. सं.	प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
	कि ईसीएल के मूल्य में अत्यधिक आनुमानिक अनिश्चितता होती है जिसके साथ वित्तीय विवरणों की समग्र गुणवत्ता की अपेक्षा अधिक समुचित परिणामों की संभावनाएं जुड़ी हैं। अवधारणाओं के अनुचित उपयोग के मामले में ऋण परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बताया जा सकता है। स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में ऋण परिसम्पत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए उस पर ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति को हमारी लेखा–परीक्षा में मुख्य लेखा–परीक्षा मामला माना गया है।	परिवर्तन की समीक्षा और ईसीएल की गणना के लिए भविष्य में पूर्वानुमानित वसूली का आधार। 5. पीडी और एलजीडी के परिकलन के लिए प्रयुक्त प्रणाली में महत्त्वपूर्ण आंकड़ों के इनपुट की उपयुक्तता। 6. ईसीएल परिकलन में स्रोत प्रणालियों से आंकड़ों के प्रवाह की पूर्णता और सटीकता। 7. आर.बी.आई. के आईआरएसीपी मानदण्डों के आधार पर समग्र ऋण परिसम्पत्तियों का स्वतंत्र निर्धारण। **हमारे परिणाम :** हमने क्रेडिट क्षति प्रभार और मान्य प्रावधान और इससे सम्बन्धित प्रकटन को को स्वीकार्य और संतोषजनक माना हैं।
2.	**उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या 6 (ख) के साथ पठित स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 52 देखें। कम्पनी अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव संविदाएं करती है। इन डेरिवेटिव्स संविदाओं का एफवीटीपीएल पर वर्गीकरण किया जाता है और नकद प्रवाह प्रतिरक्षण (प्रतिरक्षा लेखांकन) के अधीन कुछ डेरिवेटिव्स संविदाओं को पदनामित किया जाता है। हम डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन और प्रतिरक्षा लेखांकन को इसके महत्त्वपूर्ण जोखिम और इस तथ्य की वजह से कि इन अपेक्षाओं के अनुचित प्रयोग से आय विवरण पर महत्त्वपूर्ण असर पड़ सकता है, इसके कारण एक प्रमुख लेखा–परीक्षा मामला समझते हैं।	**हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :** हम उन वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं और अन्तर्निहित संविदाओं के संभावित परिणामों तथा कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में प्रबन्धन की अन्तर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा करने के लिए अपने कार्य–दल को निर्देश देते हैं जिससे कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि का पता लगाया जा सके। हमारे कार्य–दल ने 31 मार्च, 2025 को निपटान के लिए बकाया/लम्बित के रूप में वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं का ऐसा उचित मूल्य निकालने के लिए सामान्य बाजार कार्य–विधियों और अन्य अन्तर्निहित अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यह निर्धारण करना कि मौजूदा लेखांकन मानकों और आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इसके डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए प्रकटन किया गया है। **हमारे परिणामः** हमें उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं मिली है और सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक हैं।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
3.	**सहायक और सहयोगी कम्पनियों में निवेश का मूल्यांकन** मूल कम्पनी के वित्तीय विवरणों और निवेशों की वसूली–योग्यता के सम्बन्ध में बाजार जोखिम के संदर्भ में निवेश की मात्रा के कारण इसे कम्पनी की लेखा–परीक्षा के दौरान बल दिया जाने वाला क्षेत्र माना गया था। अतः हमारी रिपोर्ट में यह एक लेखा–परीक्षा मामला माना गया था।	**हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :** सभी सहायक और सहयोगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा। **हमारे परिणाम :** हमें निवेशों की वसूलनीयता में कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं मिला है और निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया गया है।
4.	**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का निर्धारण** मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी पद्धतियों के स्वचालित नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। इस बात का जोखिम रहता है कि कर्तव्यों या यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अनुपयुक्त विभाजन (मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना पद्धतियों के सम्बन्ध में) से हमारी लेखा–परीक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और लेखा–परीक्षा की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। हमने प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले के रूप में इस पर विचार किया है क्योंकि किसी नियंत्रण चूक, वैधता विफलता, अनुचित इनपुट आंकड़े और आंकड़ों के अनुचित निस्तारण से प्रबन्धन और नियामकों को आंकड़ों की गलत सूचना मिल सकती है।	**हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :** वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सूचना/इनपुट पर मुख्य नियंत्रण परिचालन का मूल्यांकित नमूना। **हमारे परिणाम :** हमें वित्तीय लेखांकन और सूचना पर आईटी प्रक्रियाओं से निकलने वाली सूचनाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं दिखी है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल हैं, परन्तु इसमें इस लेखा–परीक्षक रिपोर्ट की तारीख को स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना को कवर नहीं किया गया है और हम उन पर आश्वासन के किसी रूप में निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा–परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है, जो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक बोर्ड इन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस सहित। लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट सूचना देते हैं।

इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनको प्रस्तुत करते हुए कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन तथा उपयोग, उपयुक्त तथा विवेकसम्मत निर्णय लेने तथा अनुमान लगाने; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकार्डों के सही होने तथा उनकी पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू थे, के लिए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करना शामिल है, जो सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हैं और यह महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखेबाजी या त्रुटि हो, से मुक्त हैं।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन का उत्तरदायित्व चालू फर्म के रूप में बने रहने की कम्पनी की क्षमता का मूल्यांकन करना है, चालू फर्म से संबंधित यथा प्रायोज्य मामलों को प्रकट करना और लेखांकन के आधार पर प्रतिष्ठित फर्म का प्रयोग करना जब तक कि प्रबंधन या तो कम्पनी को समाप्त करने या प्रचालनों को बंद करने का इरादा रखता है या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक बोर्ड कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण, समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और हमारी राय सहित लेखा–परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है। समुचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाती है, जब यह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे इन स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय को समुचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद हो।

सांविधिक लेखा–परीक्षा के अनुसार लेखा–परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण लेखा–परीक्षा के दौरान व्यावसायिक अविश्वास बनाए रखते हैं। हम :

– वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और निर्धारण भी करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए निष्पक्ष

उत्तरदायी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करते हैं और लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी को न पता लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

– लेखा–परीक्षा के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि उन परिस्थितियों में ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उचित हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (ज) के अधीन हम, कम्पनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

– प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमान और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन की समुचितता सुनिश्चित करते हैं।

– लेखांकन के चालू फर्म के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य के आधार पर तय करते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो चालू फर्म के रूप में जारी रहने की कम्पनी की क्षमता के बारे में उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमें स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कम्पनी को चालू फर्म के रूप में जारी रहने की संभावना को समाप्त कर सकती हैं।

– समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु, जिसमें प्रकटन शामिल हैं, का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में गलत कथनों की काफी अधिक व्यापकता है। इसलिए हो सकता है कि स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के उचित जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय भी, व्यक्तिगत तौर पर या समग्र रूप से प्रभावित हों। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी तरह के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ शासन संबंधी प्रभारियों से संपर्क करते हैं और हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान की गई आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय कमियों सहित लेखा–परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा–परीक्षा निष्कर्षों के कार्य क्षेत्र और समय की योजना बनाते हैं।

हम शासन संबंधी प्रभारियों को विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने स्वतंत्र रूप से संगत नीतिपरक अपेक्षाओं से संकलित किया था और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संपर्क करते हैं, जिन पर हमारी स्वतंत्रता और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर प्रभाव पड़ सकता है।

शासन संबंधी अधिकारियों के साथ सम्प्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा में अत्यधिक उल्लेखनीय थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का हमारी लेखा–परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन कानून का विनियम बाधा नहीं डालता है या जब अत्यधिक विरली परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे सम्प्रेषण के समुचित रूप से सार्वजनिक हित अभिलाभों से अधिक भारी होने की संभावना रहती है।

अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसरण में भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कम्पनी (लेखा–परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की अपेक्षानुसार, हम इस आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में एक विवरण **"अनुलग्नक–क"** के रूप में संलग्न करते हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) की अपेक्षानुसार हम भारत के नियंत्रक व महालेखा – परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा उप–निदेश (क्रमशः भाग–क और भाग–ख) पर कम्पनी के लिए अपनी रिपोर्ट **"अनुलग्नक–ख"** में इसके साथ संलग्न करते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर हम यह भी सूचित करते हैं कि :

(क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) हमारी राय में, कम्पनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उपयुक्त खाता–बहियां रखी हुई हैं, जैसा कि इन खाता–बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र और अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन खाता–बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में उपरोक्त स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ड.) कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी. एस.आर. 463 (ई) के अनुसार निदेशकों की अनर्हता के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 164 (2) कम्पनी पर लागू नहीं होती क्योंकि यह एक सरकारी कम्पनी है;

(च) कम्पनी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रण ों की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में **"अनुलग्नक–ग"** के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय सूचना पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावोत्पदकता पर हमारी अनाशेधित राय व्यक्त करती है;

(छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, चूंकि यह एक सरकारी कम्पनी है, अतः कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम की धारा 197 के उपबन्ध लागू नहीं होते;

(ज) कम्पनी (लेखा–परीक्षा तथा लेखा–परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कम्पनी ने अपने स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है

– वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 35.2 देखें,

ii. कम्पनी ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हानियां, यदि कोई हों, के लिए प्रयोज्य विधि और लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार लाभ व हानि खाते में उपयुक्त समायोजन किया है – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 52 देखें

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अन्तरित की जाने वाली राशियों का हस्तान्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

iv. क) प्रबंधन ने हमें बताया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो अधिक मूल्य की हो या महत्वपूर्ण हो) को (चाहे उधार ली गई निधि से हो या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य निधि से) कम्पनी द्वारा अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित में अग्रिम या ऋण या निवेश के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह के कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा नहीं किए गए हैं कि कम्पनी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से कोई मध्यस्थ किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कम्पनी द्वारा विदेशी संस्था ("निधिकरण पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई निधि (व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक तौर पर) प्राप्त नहीं किया गया है। इस बारे में कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा, नहीं किए गए हैं कि निधिकरण पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसा कोई आश्वासन दिया जाएगा।

ग) लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुति, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी उल्लेखनीय गलतबयानी है।

v. लेखा–परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने खाते–बहियों को रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड रखने की सुविधा भी है, जो सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संगत लेन–देन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुआ है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अलावा, रिकार्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली — सदस्यता सं. 080500
दिनांक : 15 मई, 2025 — यूडीआईएन : 25080500BMGHFJ1205

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

(स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैरा 1 में निर्दिष्ट)

i) (क) अ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। इनमें सभी मात्रात्मक विवरण और कुछ सम्पतियों जिनका सकल ब्लॉक मूल्य 197.91 करोड़ रु है और जिसका पूर्व के वर्षों में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया है, के अलावा सभी सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की स्थिति शामिल है।

ब) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने अमूर्त परिसंपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, प्रबंधन वर्ष में एक बार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार का भौतिक सत्यापन करता है, जो हमारी राय में, कम्पनी के आकार और इसकी परिसंपत्ति के स्वरूप को देखते हुए यह प्रथा उचित है। कम्पनी के प्रबंधन ने वर्ष के दौरान परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण संगत नहीं पाई गई हैं।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सभी अचल परिसंपत्तियों (ऐसी संपत्तियों के अलावा जहां कम्पनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत रूप से निष्पादित हैं) का वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण कम्पनी के नाम पर किया जाता है।

(घ) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने साल के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति उपयोग अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ 31 मार्च, 2025 तक किसी प्रकार की बेनामी लेन देन रखने के बारे में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।

ii) क) कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, तदनुसार, यह कोई इन्वेंट्री अर्थात सामग्री नहीं रखती है। इसलिए कंपनी पर, कंपनी (लेखा–परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3 (ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग संबंधी प्रावधान लागू नहीं होता है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सिक्योरिटी के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर त्रैमासिक रिटर्न और विवरण कंपनी की लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनियों, फर्मों, सीमित देयता कम्पनियों या दूसरे पक्षों में प्रतिभूत या अप्रतिभूत निवेश किया है, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है या ऋण के स्वरूप का कोई उधार और अग्रिम प्रदान किया है।

क) चूंकि कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय ऋण प्रदान करना है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (क) का प्रावधान उस पर लागू नहीं होता है।

ख) कम्पनी, एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी ('एनबीएफसी') होने के नाते, आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान इसके द्वारा किए गए निवेश, प्रदत्त गारंटी, प्रतिभूति और ऋण और गारंटियों के स्वरूप वाले सभी ऋणों और अग्रिमों के अनुदान संबंधी नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों के स्वरूप वाले ऋण और अग्रिमों के संबंध में, मूलधन और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और ऐसे मामलों में जहां मूलधन का भुगतान और निर्धारित ब्याज प्राप्त नहीं होता है, कम्पनी द्वारा इसकी आवधिक नियामक रिपोर्टिंग के दौरान इसका संज्ञान लिया जाता है और आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, उक्त प्रावधानों का अनुपालन करते हुए उनका निपटान किया जाता है। ऐसी दशा में आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों पर विशेष जोर दिया जाता है।

घ) 31.03.2025 तक नब्बे दिनों से अधिक की कुल बकाया राशि 3693.90 करोड़ रु. है। इसकी वसूली के लिए कंपनी द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं।

ङ) चूंकि कम्पनी का प्रमुख व्यापार ऋण देना है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii) (ई) का प्रावधान इस पर लागू नहीं होता है।

च) हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (76) में परिभाषित प्रमोटरों, संबंधित पक्षों को बिना शर्तों या भुगतान अवधि निर्धारण किए बिना, मांग करने पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने कोई ऐसे ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी हैं, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत शामिल की जा सकती हैं।

v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान लोगों से किसी भी ऐसी जमा या धनराशि को स्वीकार नहीं किया है, जिसे धारा 73 से 76 या कम्पनी अधिनियम, 2013 और कम्पनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 के किसी अन्य संगत प्रावधान के तहत जमा निधि माना जाता है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश इस पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, कम्पनी लॉ बोर्ड या नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अदालत या किसी अन्य ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसी जमा राशि के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

vi) केंद्र सरकार ने कम्पनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा 1 के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, कम्पनी (लेखा–परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कम्पनी की लेखा–बहियों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क) कंपनी आम तौर पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल व सेवा कर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशियां जमा करने के मामले में नियमित रही है और कंपनी की खाता–बहियों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि तक उक्त बकाया राशि के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी।

ख) जहां कहीं भी किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कोई बकाया राशि निकाली गई है/मांग की गई है और कम्पनी द्वारा उसे विवादित बताया गया है, उसे निम्नलिखित मामलों को छोड़कर विरोध दर्ज कराते हुए जमा किया गया है :

अधिनियम का नाम	विवादित बकाया राशि का प्रकार	विवादित राशि (करोड़ रु.)	(क) में से लम्बित राशि जमा/ समायोजित नही (करोड़ रु.)	वर्ष जिससे मांग संबंधित है	फोरम, जिसमें विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961 *	आयकर	4.34	4.34	निर्धारण वर्ष 1995–96	उच्च न्यायालय
आयकर अधिनियम, 1961 *	आयकर	1.79	1.79	निर्धारण वर्ष 2013–14	उच्च न्यायालय में लिखित याचिका
आयकर अधिनियम, 1961*	आयकर	3.08	3.08	निर्धारण वर्ष 2014–15	उच्च न्यायालय में लिखित याचिका
आयकर अधिनियम, 1961 *	आयकर	1.97	1.97	निर्धारण वर्ष 2015–16	उच्च न्यायालय में लिखित याचिका
आयकर अधिनियम, 1961*	आयकर	43.40	3.05	निर्धारण वर्ष 2016–17	उच्च न्यायालय में लिखित याचिका
आयकर अधिनियम, 1961*	आयकर	74.52	55.17	निर्धारण वर्ष 2019–20	सीआईटी (ए), नई दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	0.03	0.03	वित्त वर्ष 2008–09 – वित्त वर्ष 2020–21 वित्त वर्ष 2024–25	ट्रेसेस पोर्टल के अनुसार मांग
वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	सेवा कर एवं जुर्माना	1.80	1.80	वित्त वर्ष 2008–09 से वित्त वर्ष 2010–11	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर, ब्याज एवं जुर्माना	0.04	0.04	वित्त वर्ष 2021–22	राज्य कर प्रभाग–12, मुंबई के उप आयुक्त
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर, ब्याज एवं जुर्माना	0.56	0.56	वित्त वर्ष 2020–21	सहायक आयुक्त वार्ड 206, जोन 11, दिल्ली
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	वस्तु एवं सेवा कर, ब्याज एवं जुर्माना	0.12	0.12	वित्त वर्ष 2019.2020	अपीलीय प्राधिकारी – दिल्ली

* आयकर के मामले जो 31 मार्च, 2025 को विवादित/अदेय के रूप में आयकर विभाग के ई–फाइलिंग पोर्टल में प्रदर्शित हैं और इस राशि में ब्याज शामिल नही हैं (जबकि आयकर पोर्टल पर कोई ब्याज नहीं मांगा गया है)।

viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने आय के रूप में कर–निर्धारण में ऐसे किसी भी लेनदेन का उल्लेख या खुलासा नहीं किया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान खाते–बहियों में आय के रूप में पहले दर्ज नहीं किया गया था।

ix) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान और सरकार को ऋण के पुनर्भुगतान और उधार की अदायगी या उस पर लगे ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर पाया गया है कि कम्पनी ने सावधि ऋण के रूप में प्राप्त धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है, जिसके लिए यह प्राप्त किया गया था।

घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय

विवरणों की समग्र जांच करने से पता चलता है कि कम्पनी द्वारा अल्पावधि आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है। तदनुसार, इस पर आदेश के खंड 3 (ix) (घ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ङ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चलता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कम्पनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यम के खाते में या उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी कम्पनी, संस्थान या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (ix) (ङ) इस पर लागू नहीं है।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कम्पनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (ix) (च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

x) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी इनिशियल पब्लिक ऑफर यानि आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटायी है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ग) (क) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, भारत सरकार ने कंपनी को 08 मार्च, 2024 को शेयर पूंजी के रूप में क्रमशः 1000 करोड़ रु. (08 मार्च, 2024 को शेयर पूंजी के लिए 500 करोड़ रुपए और 28 जनवरी, 2025 को शेयर पूंजी के लिए 500 करोड़ रुपए) की राशि प्रदान की है। कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को फरवरी, 2025 को 61.94 रु. प्रति शेयर (51.94 रु. सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से 8,07,23,280 नग इक्विटी शेयर और 18 अप्रैल, 2024 को 40.33 रु. प्रति शेयर (30.33 रु. सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से 12,39,77,188 नग इक्विटी शेयर क्रमशः 1000 करोड़ रु. की राशियां प्राप्त होने के बदले अधिमान्य आधार पर आबंटित किए हैं और कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया गया है जिनके लिए यह धनराशि जुटाई गई थी।

xi) क) हमें दी गई जानकारी और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के संबंध में, एक उधारकर्ता द्वारा 127.33 करोड़ रुपए की धनराशि के दुरुपयोग के एक मामले को धोखाधड़ी घोषित किया गया है और मौजूदा नियमों के अनुसार आरबीआई को सूचित किया गया है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ दायर नहीं की गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, निधि नियम, 2014 कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 का खंड 3 (xii) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ हुए लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हों, के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) क) हमारी राय में और जांच के आधार पर, कम्पनी के पास अपने आकार और व्यापार की स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखा–परीक्षा प्रणाली मौजूद है।

ख) हम कंपनी की कुछ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने में असमर्थ रहे, क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी, इसलिए हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए, वर्ष के दौरान आज तक कंपनी को भेजी गई आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा कोई भी गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अंतर्गत आता हो।

xvi) क) कम्पनी एक गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनी है और उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1ए के तहत पंजीकरण प्राप्त किया है। कम्पनी को गैर–बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने/जारी रखने की अनुमति दी गई है। कम्पनी को पंजीकरण संख्या बी–14.00009 दिनांक 18 अगस्त 2009 के माध्यम से सार्वजनिक जमा राशि स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग व्यापार करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीयन या आवास वित्तीयन गतिविधियों का संचालन नहीं किया है।

ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी कोर निवेश कम्पनी (सीआईसी) नहीं है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

घ) हमें दी गई जानकारी व उपलब्ध स्पष्टीकरणों तथा हमारी जांच के आधार पर, कंपनी समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सी.आई.सी. नहीं है।

xvii) हमें दी गई जानकारी और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii) वर्ष के दौरान किसी सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं होता है।

xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, समयावधि घटने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक

मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास होता कि लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है और तुलनपत्र की तिथि तक कम्पनी इसे पूरा करने में सक्षम नहीं है, या मौजूद देनदारियां को तुलनपत्र के एक वर्ष की अवधि के अंदर भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। हमारी राय केवल एक अनुमान है और विभिन्न आकस्मिक घटनाओं और संभावित भावी परिदृश्यों का आधार है। हालांकि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो ऐसी कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने वाली सभी देनदारियों को कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाएगा या उनका निपटान किया जाएगा।

xx) क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी अधिनियम की अनुसूची vii में निर्दिष्ट किसी फंड में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान का अनुपालन करते हुए किसी भी व्यय न हो सकी राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।.

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के तहत किसी भी चालू सीएसआर परियोजना में कोई ऐसी राशि नहीं है जो खर्च न हो पाई हो।

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
भागीदार
सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन : 25080500BMGHFJ1205

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ख
(स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैरा 2 में निर्दिष्ट)

भाग क – निर्देश

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>उप–निर्देश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कम्पनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेनों की प्रोसेसिंग से वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की स्थिति पर प्रभाव, यदि कोई हों, बताएं।</td><td>हां, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से प्रोसेस होते हैं। आयकर गणना और आस्थगित कर गणना एमएस एक्सेल पर मैन्युअल रूप से की गई है। यद्यपि दोनों प्रक्रियाओं में लेखांकन प्रविष्टियां केवल आईटी प्रणाली से ही पारित की जाती हैं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना हुई है या ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए ऋण/ ब्याज आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब रखा जाता है?

(यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के लिए भी लागू होता है)</td><td>संदर्भाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है।

ऋण चुकाने में कम्पनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।

जबकि, कम्पनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एक ऋणदाता कम्पनी होने के नाते इसके पास ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डाले जाने वाले मामले हैं। बट्टे खाते में डालने/छूट देने वाले मामलों के विवरण इस प्रकार है :
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>देय राशि का स्वरूप</th><th>राशि (करोड़ रुपए में)</th></tr>
<tr><td>क.</td><td>ऋणों की छूट/बट्टे खाते में डालना/तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालना</td><td>275.43</td></tr>
<tr><td>ख.</td><td>पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/बट्टे खाते में डालना</td><td>25.61</td></tr>
<tr><td>ग.</td><td>देनदार बट्टे खाते में</td><td>2.24</td></tr>
</table>
यह बताया गया कि छूट/बट्टे खाते में डालने का निर्णय व्यक्तिगत मामलों के आधार पर उपलब्ध प्रतिभूति सुरक्षा, उधारकर्ता/निवेशिती की स्थिति और लंबित मुकदमे पर विचार करते हुए प्रत्येक मामले में वसूली/वसूली की संभावना के उचित मूल्यांकन के बाद तय किया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने/छूट देने के मामलों में बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने/छूट की राशि की निर्धारित सीमा तक पूर्णतया खाता–बहियों में प्रावधान किया गया था।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया/उपयोग किया गया? इनमें विचलन है तो ऐसे मामलों की सूची बनाएं।</td><td>लेखा–परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की/प्राप्त होने योग्य नहीं है।

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि का उचित हिसाब–किताब किया गया है और योजना के नियमों व शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त जानकारी पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तरों पर आधारित है, जो इस रिपोर्ट के मैटर ऑफ इंफेसिस के पैरा 5 और 6 के अनुसार है।</td></tr>
</table>

भाग ख–उप–निर्देश

क्र.सं.	उप–निर्देश	उत्तर
1.	**निवेश** क्या सीजीएस/एसजीएस/ बॉड/ डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के प्रलेख फिजिकल/डी–मैट रूप में उपलब्ध हैं और क्या ये कम्पनी की खाता–बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के बराबर हैं? यदि नहीं, तो इनके विवरण का उल्लेख किया जा सकता है।	कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, सीजीएस/एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर इत्यादि के संबंध में स्वामित्व प्रलेख फिजिकल/डीमैट रूप में उपलब्ध हैं और ये नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कम्पनी की खाता–बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के अनुसार हैं। ➢ जहां शेयरों का लेखांकन बही खातों में किया गया है, लेकिन नमूना जांच में पाये गए ये डीमेट या फिजिकल शेयर उपलब्ध नहीं हैं।

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>कंपनी का नाम</th><th>शेयरों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>एलएमएल लिमिटेड (अधिमानी)</td><td>21,50,912</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ओसीएम इंडिया लिमिटेड</td><td>5,89,743</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सेमकोर ग्लास लिमिटेड</td><td>20,00,000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सदर्न विंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड</td><td>1,00,000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (अधिमानी)</td><td>30,000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड</td><td>3,00,000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>कछार शुगर मिल्स लिमिटेड (अधिमानी)</td><td>14,953</td></tr>
<tr><td>8</td><td>किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लिमिटेड</td><td>400</td></tr>
</table>
कंपनी उपरोक्त कंपनियों के संबंध में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया में है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>ऋण
सभी पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों संबधी प्रावधानों के संबंध में– क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध सिक्योरिटी (प्रतिभूतियों) के वसूली योग्य मूल्य के आवधिक आकलन की प्रणाली लागू है और क्या इसके लिए वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है? इस संबंध में कोई कमी, यदि कोई हो, के संबंध में पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव सहित उपयुक्त रूप से टिप्पणी करें।</td><td>पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों सहित सभी ऋण पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के आकलन के लिए उचित प्रणाली बनायी गई है, जिसे तिमाही आधार पर अपडेट किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया समय–समय अपनायी जाती है और परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होने पर कभी भी अपनाई जा सकती है।

भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के नियमों को अपनाने के लिए कंपनी के वित्तीय खाते इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार ऋण के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना करके परिसंपत्तियों में हानि की गणना इंड एएस के अनुसार की गई है। कंपनी इंड एएस मानदंडों बनाम आईआरएसी मानदंडों, जो भी अधिक हों, आरबीआई परिपत्र के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान संबंधी नीति का पालन कर रही है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या कम्पनी द्वारा उधारकर्ता के साथ बकाया ऋण राशि की बुकिंग और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए किसी समाधान योजना/एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) पर समझौता हुआ है।</td><td>ओटीएस निपटान और समाधान योजना के संबंध में हानि और निपटान के लिए उचित लेखांकन समायोजन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>आईएफसीआई की सभी समूह कंपनियों द्वारा सामान्य सहयोगियों/संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्यांकन की समीक्षा, ताकि हानि, यदि कोई हो, को पहचाना जा सके। संगत/कमी, यदि कोई हो, को लेखा–परीक्षा रिपोर्ट (केवल समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू) में उपयुक्त रूप से प्रकट किया जा सके।</td><td>यह स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर लागू नहीं होता अतः इस बिन्दु पर रिपोर्टिंग लागू नही होती हैं।</td></tr>
</table>

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
भागीदार
सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन : 25080500BMGHFJ1205

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–''ग''

(स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैरा 3 (च) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा सहित उस तारीख की स्थितिनुसार **आईएफसीआई लि.** (''कम्पनी'') की स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबन्धन का दायित्व

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में दिए गए आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मापदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण पर आधारित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना और उनका रखरखाव करना कम्पनी के प्रबन्धन का दायित्व है। इन दायित्वों में ऐसे पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियत्रणों के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो उनके सही होने तथा इसके कारोबार के प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं, जिनमें कम्पनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डो का सही और पूर्ण होना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा–परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा–परीखा पर आधारित स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') तथा दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा–परीक्षा मानकों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित माने जाने वाले आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित नहीं है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा–परीक्षा का नियोजन एवं निष्पादन इस प्रकार करें जिनसे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हों कि क्या स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण समग्रतः प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिखाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्ट की हमारी लेखा–परीक्षा में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करने, जोखिमों का निर्धारण, जिनसे महत्वपूर्ण हानि होती है, तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता की जांच तथा आकलन व निरूपण शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतिया और पद्धतियां शामिल हैं जो (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड, उपयुक्त विवरण में, सही रूप से तथा उनके संव्यवहारों और निपटान को उचित रूप से परिलक्षित करती हैं (2) जिनसे यह आश्वासन प्राप्त होता हो कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथावश्यक संव्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं और कम्पनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व निपटान को रोकने या उनका सही समय पर पता लगाने का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अन्तर्निहित परिसीमन

प्रबन्धन की मिलीभगत की सम्भावना या अयोग्य प्रबन्धन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतरर्निहित परिसीमन से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चलता। भावी अवधियों में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण भी ऐसे जोखिम के अधीन हैं जिनसे स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते हैं।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी में महत्वपूर्ण रूप से स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण के सम्बन्ध में, जहां तक हमारी जांच से प्रकट हुआ है, वित्तीय रिपोर्ट पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
भागीदार
सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन : 25080500BMGHFJ1205

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2025

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	टिप्पणी	31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार
I. परिसम्पत्तियां			
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	3	**46.08**	642.46
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	4	**3,485.20**	2,649.36
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	-	-
(घ) व्यापार प्राप्य	6	**85.30**	103.64
(ङ) ऋण	7	**1,337.48**	1,306.39
(च) निवेश	8	**1,197.06**	1,658.81
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	9	**25.42**	41.72
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां		**6,176.54**	**6,402.37**
(2) गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(क) सहायक कम्पनियों में निवेश	10	**1,229.13**	1,250.55
(ख) इक्विटी विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश .	11	-	-
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		**28.34**	34.30
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	12	**969.05**	1,306.65
(ङ) निवेश सम्पत्ति	13	**297.77**	276.45
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	14	**557.90**	602.27
(छ) कार्यशील पूंजी		-	-
(ज) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	**0.10**	0.19
(झ) अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	16	**76.44**	85.50
कुल गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां		**3,158.73**	**3,555.91**
बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	17	50.48	49.41
कुल परिसम्पत्तियां		**9,385.75**	**10,007.69**
II. देयताएं एवं इक्विटी			
(1) वित्तीय देयताएं			
(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	-	13.94
(ख) व्यापार देयताएं			
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया देयताए			
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं	18	**77.58**	53.49
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	**3,033.39**	4,371.74
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	-	334.25
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	21	**744.67**	744.67
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	22	**3,727.73**	3,188.92
कुल वित्तीय देयताएं		**7,583.37**	**8,707.01**
(2) कुल वित्तीय देयताएं			
(क) प्रावधान	23	**66.79**	86.48
(ख) अन्य गैर वित्तीय देयताएं	24	-	-
कुल गैर वित्तीय देयताएं		**66.79**	**86.48**
(3) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	**2,694.31**	2,489.61
(ख) अन्य इक्विटी	26	**(958.72)**	(1,275.41)
कुल इक्विटी		**1,735.59**	**1,214.20**
कुल देयताएं एवं इक्विटी		**9,385.75**	**10,007.69**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस मान एंड कंपनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन
सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	परिचालनों से राजस्व			
	ब्याज आय	27	**350.96**	429.34
	लाभांश आय		**110.92**	113.10
	किराया आय		**44.17**	42.74
	सलाहकारी आय		**69.14**	68.39
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)	28	**105.32**	186.54
I.	**परिचालनों से कुल राजस्व**		**680.51**	**840.11**
II.	अन्य आय	29	**161.35**	55.83
III.	**कुल आय (I+II)**		**841.86**	**895.94**
	व्यय			
	वित्त की लागत	30	**537.18**	572.74
	विदेशी मुद्रा हानि		**(0.46)**	12.89
	वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	31	**(224.37)**	(335.17)
	कर्मचारी हित व्यय	32	**85.66**	91.61
	मूल्यह्रास व परिशोधन	33	**24.20**	24.16
	अन्य व्यय	34	**47.48**	45.91
IV.	**कुल व्यय**		**469.69**	**412.14**
V.	**अपवादात्मक मद एवं करपूर्व लाभ (III- IV)**		**372.17**	**483.80**
VI.	अपवादात्मक मदें		**-**	-
VII.	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		**372.17**	**483.80**
VIII.	**कर व्यय**			
	- चालू कर		**-**	-
	- पूर्व वर्षों के लिए कराधन		**-**	-
	- आस्थगित कर (निवल)	12	**328.37**	355.55
	कुल कर व्यय		**328.37**	355.55
IX.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**43.80**	**128.25**
X.	**अन्य समग्र आय**			
A.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन – इक्विटी प्रतिभूतियां		**40.52**	206.57
	- एफवीटीओसीआई की बिक्री पर लाभ/(हानि) – इक्विटी प्रतिभूतियां		**(39.61)**	(183.33)
	- निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि)		**0.27**	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर – इक्विटी प्रतिभूतियां		**(14.16)**	(72.18)
	- निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि) पर कर		**(0.09)**	-
	उप जोड़ (क)		**(13.07)**	**(48.94)**
B.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा**			
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां – उचित मूल्यों में निवल परिवर्तन		**(14.37)**	13.53
	- एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां – लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत		**-**	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
	- एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर – ऋण प्रतिभूतियां		**5.03**	(4.74)
	उप जोड़ (ख)		**(9.34)**	**8.79**
	अन्य समग्र आय/(हानि) (क + ख)		**(22.41)**	**(40.15)**
XI.	**वर्ष के लिए कुल समग्र आय/(हानि)**		**21.39**	**88.10**
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर बेसिक अर्जन		**0.17**	0.52
	प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर डायल्यूटिड अर्जन		**0.17**	0.52

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस मान एंड कंपनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन
सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से
राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979
सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426
प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकद–प्रवाह		
कर–पूर्व निवल लाभ	**372.17**	483.80
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**24.20**	24.16
क्षति प्रावधान/बट्टे खाते डालना	**(224.37)**	(335.17)
निवेशों पर वसूल न हुआ लाभ/(हानि)	**(125.04)**	(295.96)
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों पर हानि	**(138.36)**	(49.37)
गैर–वित्तीय परिसंपत्ति पर क्षति	**(0.72)**	
वित्त की लागत	**537.18**	572.74
लाभांश आय	**(110.92)**	(113.10)
ब्याज आय	**(350.96)**	(429.34)
सहायक कंपनी में निवेश की बिक्री पर (लाभ)/हानि	**(15.84)**	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन तथा परिचालन गतिविधियों से पूर्व परिचालन लाभ	**(32.67)**	(142.23)
प्राप्त ब्याज और भुगतान		
ब्याज का भुगतान	**(616.32)**	(606.62)
प्राप्त ब्याज	**364.07**	416.23
प्राप्त निवल ब्याज और भुगतान	**(252.25)**	**(190.39)**
प्राप्त लाभांश	**110.92**	113.10
परिचालन गतिविधियों के लिए समायोजन :		
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	**515.51**	(299.94)
ऋणों व अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	**207.05**	834.18
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों में (वृद्धि)/कमी	**(13.94)**	28.77
ट्रेड देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**24.09**	(8.77)
अधीनस्थ देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**-**	(30.00)
प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	**16.32**	(66.75)
ऋण प्रतिभूतियों में वृद्धि/(कमी)	**(1,338.35)**	(218.57)
उधारों में वृद्धि/(कमी)	**(334.25)**	(108.84)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**(1,097.57)**	(89.44)
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**20.88**	19.72
अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**(4.05)**	(13.55)
अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**617.95**	873.33
अन्य गैर वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	**-**	-
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	**(19.42)**	2.27
अन्य बैंक शेष राशियों में वृद्धि/(कमी)	**(835.84)**	(757.47)
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**137.29**	-
कराधान से पूर्व नकद–प्रवाह	**(83.19)**	124.30
आयकर (प्रदत्त)/वापसी–निवल	**5.97**	(2.44)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद–प्रवाह	**(1,174.79)**	**32.42**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. निवेश गतिविधियों से नकद–प्रवाह		
परिसम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण की खरीद/उनके लिए अग्रिम (पट्टाकृत परिसम्पत्तियों सहित)	**(0.15)**	(0.32)
सहायक कंपनियों में निवेश	**44.29**	-
निवेश संपत्ति की बिक्री से आय	-	
सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की बिक्री	-	-
सहायक कंपनी में निवेश की बिक्री	**35.67**	
अमूर्त पारिसम्पत्तियों की खरीद/उनके लिए अग्रिम	-	(0.03)
परिसम्पत्ति प्लांट एवं उपकरण (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की बिक्री से आय	**(1.40)**	0.01
निवेश की बिक्री	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकद–प्रवाह	**78.41**	**(0.34)**
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद–प्रवाह		
इक्विटी शेयरों का निर्गम	**80.72**	-
शेयर प्रीमियम (खर्चों का निवल)	**419.28**	-
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	500.00
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल से नकद–प्रवाह	**500.00**	**500.00**
नकद एवं नकद समकक्ष प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	**(596.38)**	**532.08**
जोड़ें : वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	**642.46**	110.38
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**46.08**	642.46
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष के विवरण :		
संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	-	-
हस्तगत एवं संग्रहण और पारगमन में प्रेषण के अधीन चैक		
– बैंक शेष	**9.61**	542.52
– बैंक जमा	-	-
संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	**36.47**	99.94
हस्तगत एवं संग्रहण और पारगमन में प्रेषण के अधीन चैक	-	-
वर्ष के अन्त में कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**46.08**	**642.46**

नकद प्रवाहों की उपर्युक्त विवरणी इंड एएस 7 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' में निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार अप्रत्यक्ष पद्वति के तहत तैयार की गई है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एस मान एंड कंपनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल, 2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी मे परिवर्तन	01 अप्रैल, 2023 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी मे परिवर्तन	31 मार्च, 2024 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2025 को शेष
2,195.93	-	**2,195.93**	293.69	**2,489.61**	-	**2,489.61**	204.70	**2,694.31**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि	मानित इक्विटी अंशदान	क्षति रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष								अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख	अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख	परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	कुल
				आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व	आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (अपपप) के तहत विशेष रिजर्व	पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	पूंजी मोचन रिजर्व	डिबेंचर मोचन रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय				
01 अप्रैल, 2023 को शेष	**400.00**	**335.82**	**34.54**	**875.04**	**136.69**	**0.85**	**1,067.75**	**231.92**	**87.58**	**513.08**	**4,808.06**	**(3.26)**	**(495.14)**	**53.36**	**(1,569.83)**
वर्ष के लिए कुल समग्र आय											128.25	8.79	(48.94)		88.10
वर्ष के दौरान अन्तरण आवेदन राशि	500.00														500.00
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	(400.00)						106.31								(293.69)
अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों का निर्गम									-	-					
विनियोग															
प्रतिधारित अर्जन में/से अन्तरण			70.13								(70.13)				
31 मार्च, 2024 को शेष	**500.00**	**335.82**	**104.67**	**875.04**	**136.69**	**0.85**	**1,174.06**	**231.92**	**87.58**	**513.08**	**4,749.94**	**5.53**	**(544.08)**	**53.36**	**(1,275.41)**
अवधि के लिए कुल समग्र आय											43.80	(9.34)	(13.25)	0.18	21.39
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	500.00														500.00
अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों का निर्गम	(1,000.00)						795.30								(204.70)
विनियोग									-	-					
31 मार्च, 2025 को शेष	**-**	**335.82**	**104.67**	**875.04**	**136.69**	**0.85**	**1,969.36**	**231.92**	**87.58**	**513.08**	**4.706.14**	**(3.81)**	**(557.33)**	**53.54**	**(958.72)**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. पृष्ठभूमि

दिल्ली, भारत में निगमित आईएफसीआई लिमिटेड ("कम्पनी") सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है। सांविधिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित आईएफसीआई इस समय बीएसई एवं एनएसई में सूचीबद्ध कम्पनी है। कम्पनी सभी क्षेत्रों में उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डे, सड़क, दूरसंचार रियल इस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और ऐसे ही अन्य सम्बद्ध उद्योग शामिल हैं।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों को कम्पनी द्वारा "कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर यथा– संषोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("भा.ले.मा.") के अनुसार तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए तथा इसके सहित कम्पनी ने मूल लागत परिणामों के तहत बीमांकन आधार पर तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ("भारतीय जीएएपी" अथवा "पूर्ववर्ती जीएएपी") के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुप्रयोज्य लेखांकन मानक, गैर–बैंकिग वित्तीय कम्पनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुप्रयोज्य दिशा निर्देश अन्य सांविधिक प्रावधान एवं विनियम रूपरेखा शामिल हैं।

नीचे परिभाषित लेखांकन नीतियों को इन वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई अवधि हेतु सुसंगत रूप में लागू किया गया है।

वित्तीय विवरण 30 अप्रैल, 2025 को समूह के निदेशक–मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत थे।

3. कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में दर्शाया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है। समस्त राशि करोड़ में मूल्यवर्णित है और जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, दो दशमलव तक पूर्णांकित है।

4. मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को छोड़कर है :

- एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- एफवीटीपीएल पर वित्तीय प्रलेख, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- निवल परिभाशित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता– परिभाशित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य घटाकर परियोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य।

5. निर्णयों एवं पूर्वानुमानों का प्रयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन ने निर्णय, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया है जो वित्तीय विवरणों और उल्लेखित अवधि के लिए उल्लिखित आय एवं व्यय की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयता एवं परिसम्पत्ति सहित) की उल्लिखित राशियों को प्रभावित करते हों। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

6. भौतिक लेखांकन नीतियां

कम्पनी ने इन वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित सभी अवधियों में निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को निरन्तर लागू किया है।

क) राजस्व मान्यता

i. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वास्तव में वित्तीय प्रलेख के प्रत्याशित कार्य अवधि अथवा अल्प अवधि के जरिए अनुमानित आगामी नकदी प्राप्तियां को वहां छूट प्रदान करता है, जहां भी वित्तीय परिसम्पत्ति की निवल वास्तविक लागत उपयुक्त हो। ईआईआर को वित्तीय प्रलेख के सभी सांविधिक शर्तों को ध्यान में रख करके प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर संगणित किया जाता है। परिकलन में समस्त शुल्क, लेनदेन लागत और सभी अन्य प्रीमियम अथवा संविदा पक्षों के बीच प्रदत्त अथवा प्राप्त छूट शामिल है, जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है।

ब्याज राजस्व को वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु (जब परिसम्पत्तियां क्षति क्रेडिट न हो) सकल वास्तविक राशि पर प्रयुक्त मूल ईआईआर पर मान्य किया जाता रहा हो।

उन वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए, जो शुरुआती मान्यता पर क्रेडिट क्षतिग्रस्त थी, वहां ब्याज आय को वित्तीय परिसम्पत्ति के परिशोधित लागत पर क्रेडिट–समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करके परिकलित किया जाता है। चरण 3 की परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि में वृद्धि को चरण 3 की ब्याज आय की सीमा तक बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जहां वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ii. दाण्डिक ब्याज एवं अन्य अतिदेय शुल्कों, जिन्हें प्रभावी ब्याज दर में शामिल नहीं किया जाता है, को वसूली की अनिश्चितता के कारण वसूली पर ही मान्य किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

iii. ऋणों एवं अग्रिम राशियों के प्रति उधारों से प्राप्त राशि को सभी देय तारीखों में, सिवाय बातचीत द्वारा अथवा वार्तागत निपटानों के मामलों को छोड़कर, जहां विनियोजन निपटान शर्तों के अनुसार किया जाता है, उसी क्रम में अन्य डेबिटों, ब्याज अतिदेय और मूल अतिदेय के संबंध में परिभाषित तारीख–वार विनियोजित किया जाता है।

iv .ऋणों के पूर्व–भुगतान पर प्रीमियम/ब्याज दरों में कटौती को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

v. संबंधित कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों को लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

vi. एलसी कमीशन को समयोपरि मान्य किया जाता है, क्योंकि सेवाएं संविदा शर्तों के अनुसार दी जाती हैं।

vii. बेचे गए तथा बहियों में बकाया शेयरों के संबंध में अदावाकृत लाभांश को तीन वर्ष की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आय के रूप में मान्य किया जाता है।

ख) वित्तीय प्रलेख

i. आरंभिक मान्यता एवं मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब कम्पनी प्रलेखों की संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाती है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लेन–देन लागतों को, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के निर्गम (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं से भिन्न) शुरुआती मान्यता पर जैसा भी उपयुक्त हो, वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा इसमें से कम किया जाता है। हालाँकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

ii. वर्गीकरण एवं परिवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियां

शुरुआती मान्यता पर, वित्तीय परिसम्पत्ति को परिवर्ती रूप में मूल्यांकित किया जाता है, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु कम्पनी के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल के जरिए या तो परिशोधित लागत पर या फिर उचित मूल्य पर वर्गीकृत होता है।

व्यापार मॉडल आकलन

कम्पनी व्यापार मॉडल का उद्देश्यपरक आकलन करता है, जिसमें परिसम्पत्ति को एक पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि यह व्यापार का प्रबन्धन करने और प्रबंधन को सूचना को उपलब्ध कराने को अच्छी तरह से दर्शाता है। विचारित सूचना में निम्न शामिल है :

- पोर्टफोलियो हेतु परिभा ित नीतियां एवं उद्देश्य तथा उन नीतियों का व्यवहार्यतः परिचालन, विशेषतः यह कि प्रबंधन की कार्यनीति देयताओं की जो उन परिसम्पत्तियों को वित्त व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री के जरिए नकदी प्रवाह वसूल कर रहे हैं अवधि हेतु वित्तीय परिसम्पत्तियों की अवधि के अनुरूपण में एक विशेष ब्याज दर प्रोफाइल रखते हुए संविदात्मक ब्याज राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान देती है;
- पूर्व अवधियों में बिक्री की आवृत्ति, मात्रा एवं समय निर्धारण, ऐसी बिक्री के कारण तथा भावी बिक्री क्रियाकलापों के बारे में इसकी आशाएं तथापि, बिक्री क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को पृथक रूप में नहीं समझा जाता है, परन्तु समग्र मूल्यांकन के भाग के रूप में उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु ग्रुप के परिभाषित उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और नकदी प्रवाह को कैसे क्रियान्वित किया जाता है;

जोखिम, जो व्यवसाय मॉडल के निष्पादन को प्रभावित करता है (और उस व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां) तथा उन जोखिमों का प्रबंधन कैसे किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी आरम्भिक मान्यता के बाद पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है; सिवाय उस अवधि के, जब कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति कर मूल्यांकन सिर्फ परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए परिसम्पत्तियों को धारित करना है।
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती हैं, जो सिर्फ मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं।

इसके बाद, इनका मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है, जिसमें से क्षति हानि को घटाया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (''एफवीटीओसीआई'')

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है; यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को संग्रहीत करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचना दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करता हैं, जो सिर्फ मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं।

तदनंतर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर क्षति हानियों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वित्तीय परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि को कम नहीं किया जाता।

लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय प्रलेख को, जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकरण संबंधी मापदण्ड को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तदनंतर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

इक्विटी प्रलेखों में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के संबंध में सभी इक्विटी निवेशों को (अर्थात सहायक कम्पनियों/सम्बद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश से भिन्न) एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित किया जाता है।

तदनंतर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है। तथापि, इक्विटी प्रलेख की आरंभिक मान्यता पर, जिसे कारोबार हेतु नहीं रखा गया हो, कम्पनी अपरिवर्तनीय रूप से ओसीआई में उचित मूल्य में परवर्ती बदलावों को निरूपित करने का चयन कर सकती है। यह चुनाव निवेश–दर–निवेश आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव प्रलेख

डेरिवेटिव प्रलेखों का मूल्यांकन एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है।

वित्तीय देयताएं एवं इक्विटी प्रलेख

कम्पनी द्वारा जारी ऋण एवं इक्विटी प्रलेखों को या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में सांविदात्मक व्यवस्थाओं तथा वित्तीय देयता और इक्विटी प्रलेख की शर्तों के महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय देयताओं को आरंभिक मान्यता पर यथोचित लाभ अथवा हानि अथवा परिशोधित लागत के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी प्रलेख एक संविदा है जो इसकी सभी देयताओं को कम करने के बाद कम्पनी की परिसम्पत्तियों में अपशिष्ट ब्याज को प्रमाणित करता है। कम्पनी द्वारा जारी इक्विटी प्रलेखों को प्राप्त प्राप्तियों में मान्य किया जाता है जो सीधे लेनदेन लागतों का निवल हैं।

iii. **मूल्यांकन का आधार**

परिशोधित लागत

परिशोधित लागत ऐसी राशि है, जिसमें वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयता का मूल्यांकन आरंभिक मान्यता घटाकर मूल चुकौती छूट की ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए संचयी परिशोधन के जमा अथवा घटा पर अथवा अधिग्रहण पर प्रीमियम पर और शुल्क अथवा लागत पर किया जाता है, जो ईआईआर के अभिन्न अंग है और वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए किसी हानि मंजूरी हेतु समायोजित किया जाता है।

उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा अथवा मूलधन में मूल्यांकन तारीख में बाजार भागीदारों के बीच अथवा इसके न होने पर, अति लाभप्रद बाजार के बीच, जिसके लिए कम्पनी की उस तारीख में पहुंच है, क्रमिक लेन–देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा। देयता का उचित मूल्य अलाभकारी जोखिम को दर्शाता है।

किसी एक के उपलब्ध होने पर कम्पनी उस प्रलेख के संबंध में क्रियाशील बाजार में उद्धत मूल्य का प्रयोग करते हुए प्रलेख के उचित मूल्य का मूल्यांकन करता है। बाजार को क्रियाशील तब समझा जाता है यदि सतत आधार पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त बारम्बारता एवं मात्रा के साथ परिसम्पत्तियों अथवा देयता के संबंध में लेन–देन किया जाता है।

यदि कार्यशील बाजार में कोई उद्धृत मूल्य न हो, तब कम्पनी मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है जो संगत इनपुटों के प्रयोग को बढ़ाता है और अमहत्वपूर्ण इनपुटों के प्रयोग को कम करता है। मूल्यांकन तकनीकी में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो लेनदेन के मूल्यनिर्धारण में बाजार भागीदारों को ध्यान में रखेंगे।

iv. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को अस्वीकरण/आशोधन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण।

वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को (अथवा जहां अनुप्रयोज्य हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के किसी भाग या ऐसी ही वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह के किसी भाग) को मुख्यतया तब अमान्य (अर्थात कंपनी के तुलन–पत्र से हटाया जाता है) किया जाता है, जब :

- परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गए हों अथवा पूरी तरह से वसूल कर लिया गया हो, अथवा
- कंपनी ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया है अथवा या तो "पास–थ्रू" व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्षकार को अत्यधिक देरी के बिना पूर्ण रूप में प्राप्त नकदी प्रवाह को अदा करने की बाध्यता को स्वीकार कर लिया हो और या तो (क) कंपनी ने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं लाभों को पर्याप्त रूप में अन्तरित कर दिया हो, या फिर (ख) कंपनी ने न तो परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही रखा हो, परन्तु परिसम्पत्ति के कंट्रोल को अन्तरित कर दिया हो।

जब कंपनी ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया हो, अथवा कोई पास–थ्रू व्यवस्था आरम्भ की हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि इसे किस सीमा तक स्वामित्व के जोखिमों एवं लाभों को रखना चाहिए। जब इसने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को न तो पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही अपने पास रखा हो, न ही परिसम्पत्ति का कंट्रोल अन्तरित किया हो तो कंपनी अन्तरित परिसम्पत्ति को समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में निरन्तर मान्य करती है। कंपनी अन्तरित परिसम्पत्ति पर समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता के कारण प्राप्त प्रतिफल हेतु भी देयता को मान्य करती है। अन्तरित परिसम्पत्ति और उससे जुड़ी देयता का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाता है जो उस अधिकार एवं बाध्यताओं को दर्शाता है जो कंपनी ने अपने पास रखे हैं।

वित्तीय परिसम्पत्ति के अमान्य करने पर, परिसम्पत्ति की रखरखाव लागत (अमान्य परिसम्पत्ति के भाग हेतु परिभाषित रखरखाव राशि) और निम्नलिखित के जोड़ (i) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त की गई कोई नई परिसम्पत्ति घटाकर स्वीकृत कोई नई देयता शामिल है); और (ii) कोई संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे ओसीआई में स्वीकृत किया गया था, के बीच के अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

कम्पनी वित्तीय देयता को तब अमान्य करती है, जब इसकी संविदात्मक बाध्यताएं मुक्त हो जाती हैं, अथवा रद्द हो जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं।

v. वित्तीय प्रलेखों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को छूट दी जाती है तथा निवल राशि का तुलन पत्र में उल्लेख किया जाता है जब कम्पनी को स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो और इसमें निवल आधार पर निपटान करने की धारणा हो अथवा परिसम्पत्ति की वसूली एवं देयता का साथ–साथ में निपटान करने की इच्छा हो।

vi. वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

कम्पनी सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल के लिए क्षति भत्तों को मान्यता देती है, जिनका मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर नहीं किया जाता है :

– वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रलेख हैं

– पट्टा प्राप्य

– जारी वित्तीय गारण्टी संविदाएं

– जारी ऋण प्रतिबद्धता

इक्विटी निवेशों पर क्षति को मान्य नहीं किया जाता है।

ईसीएल क्रेडिट हानियों की संभाव्य भारित अनुमान है। उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

– वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं हैं– क्योंकि सभी नकदी कमियों के वर्तमान मूल्य, जो उल्लिखित तारीख के बाद 12 माह के अंदर संभव है, को कम करता है।

– क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियां, परन्तु क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं – जो समस्त नकदी के वर्तमान मूल्य जो वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रत्याशित कार्य अवधि पर सभी संभावित चूक कार्यों के कारण है, को कम करता है।

– वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट हैं – जो सकल रखरखाव राशि और अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अन्तर के रू॰ में हैं।

– अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं – जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अन्तर के वर्तमान मूल्य के रूप में हैं, जो कम्पनी को देय है, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह, जिसे कम्पनी प्राप्त करना चाहती है।

ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, कम्पनी कार्य अवधि प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि में हानि छूट का मूल्यांकन करती है।

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु हानि छूट को परिसम्पत्तियों के सकल रखरखाव राशि से कम किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि छूट को ओसीआई में मान्य किया जाता है।

बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसम्पत्ति को तब बट्टे खाते (या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप में) डाला जाता है, जब वित्तीय परिसम्पत्ति के इसके पूरी तरह से अथवा उसके भाग के रूप में वसूल होने की उचित आशा न हो। यह सामान्य तौर पर ऐसा मामला है, जब कम्पनी परिभाि ात करती है कि कर्जदार के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा आय के स्रोत नहीं हैं, जिससे वह बट्टे खाते डाली गई राशियों की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस निर्धारण को व्यक्तिगत परिसम्पत्ति स्तर पर किया जाता है और लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभारित होता है।

जबकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों को, जिन्हें बट्टे खाते डाला गया हो, जहां उपयुक्त हो अभी भी कानूनी राय ले करके कम्पनी की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्त्तन क्रियाकलापों के अध्यधीन रखा जा सकता है तथा की गई किसी भी वसूली को वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के समायोजन के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ग) सहायक कम्पनियों, सहयोगी कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

कम्पनी अपने निवेशों को लागत घटा संचित हानि, यदि हो पर सहायक कम्पनियों, संबद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों में हिसाब में लेती है।

घ) पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब कभी भी पट्टे अन्तरण की शर्तें, स्वामित्व सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूरी तरह से पट्टेदार को अन्तरित होती हैं। सभी अन्य पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं।

i. **पट्टा दाता के रूप में कम्पनी**

वित्तीय पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशियों को पट्टों में कम्पनी के निवल निवेश की राशि पर प्राप्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियों के लिए परिभाि ात किया जाता है, ताकि पट्टों के संबंध में कम्पनी की निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल को परिवर्तनीय आवधिक दर पर दर्शाया जा सके।

परिचालन पट्टों से किराया आय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोदभूत हुए हो, मान्य किया जाता है।

ii. **पट्टेदार के रूप में कम्पनी**

परिचालन पट्टों में किराया व्यय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किराए को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लागत प्रोदभूत हुए हो, मान्य किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न आकस्मिक किरायों को उस अवधि में जिसमें प्रोद्भूत उपगत हुए हैं, व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

ङ) कर्मचारी लाभ

i. **अल्प अवधि कर्मचारी लाभ**

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ व्ययगत होते है, जब संबंधित सेवा ली जाती हो। देयता को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के लिए मान्य किया जाता है; यदि कम्पनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. **नियोजन बाद लाभ**

क. परिभाषित अंशदान योजना

पेंशन

01 अप्रैल, 2008 से पहले, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय परिचालनरत पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत रखा गया था और तदनुसार जब भी देय हो मंहगाई भत्ता और परिवार पेंशन के लिए हकदार होते है। इस संबंध में किए गए अंशदान को जब भी देय हो, राजस्व में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी ने 01 अप्रैल, 2008 को मौजूदा कर्मचारियों के लिए अगस्त, 2008 में परिभाषित अंशदान योजना शुरू की और इसका ही चयन किया। कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि संचालन को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के न्यासियों द्वारा एक समूह अधिवार्षिता नकदी संचयन योजना लागू करके सौंपा गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. परिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि

कम्पनी पूर्वपरिभाि ात दरों पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि का परिभाषित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी की बाध्यता ऐसे परिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

उपदान

कम्पनी की उपदान के रूप में एक परिभाषित लाभ कर्मचारी योजना है। योजना के न्यासियों को एलआईसी की संबधित निधि का संचालन सौंपा गया है। वर्ष हेतु व्यय को इस संबंध में कम्पनी की वर्षान्त बाध्यता और योजना के वर्षान्त परिसम्पत्तियों के मूल्य के बीमांकन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अंशदान को कम्पनी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एलआईसी में जमा किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

कम्पनी की अस्पताल सुविधा एवं सामान्य चिकित्सा उपचार की कुछेक सीमाओं के तहत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना है।

परिभाि ात लाभ योजना के संबंध में कम्पनी की निवल बाध्यता को आगामी लाभ राशि का अनुमान लगा कर प्रत्येक योजना हेतु अलग से परिकलित किया जाता है। जिसे कर्मचारियों के वर्तमान लागतों में अपनी सेवा हेतु और किसी योजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य, यदि कोई कटौती की गई हो, के लिए बाद में अर्जित किया हो।

इस परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित उपार्जित लाभ विधि (अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि के समान) का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम दायित्व का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा जाता है।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कम्पनी की छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी किराया छूट के तहत लाभ को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में दर्शाया जाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कम्पनी की निवल बाध्यता आगामी लाभ की राशि है जो कर्मचारी का वर्तमान मूल्य है, और किसी संबंधित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किया जाता है। परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। किन्हीं बीमांकन लाभों अथवा हानियों को उस अवधि में जिसमें वे उद्भूत हुए, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है। छुट्टी किराया छूट का प्रावधान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

च) आय कर

I. वर्तमान कर

वर्तमान कर का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष हेतु कर योग्य आय के संबंध में अदा की जाने वाली प्रत्याशित राशि पर किया जाता है। वर्तमान कर में वर्ष हेतु कर योग्य आय अथवा हानि पर देय कर और पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में देय कर का समायोजन शामिल है। इसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तारीख में अधि ानियम कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करके किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर ('मैट') को लाभ और हानि विवरण में वर्तमान कर के रूप में मान्य किया जाता है।

वर्तमान कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती हैं, यदि कम्पनी :

(क) को कानूनी रूप से स्वीकृत राशियों को प्रतियुक्ति करने का प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

(ख) या तो निवल आधार पर इसका निपटान करना चाहती हो या फिर परिसम्पत्ति की वसूली करना चाहती हो और साथ में देयता का निपटान करना चाहती हो।

II. आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए और कराधान प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त राशियों के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशियों के बीच अस्थायी अन्तर के संबंध में मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में तथा प्रबंधन के आकलन के आधार पर पुनरीक्षा की जाती है, उस सीमा में कम किया जाता है, जिसमें इसकी अधिक संभावना नहीं हो कि संबंधित कर लाभ को वसूल किया जाएगा; ऐसी कटौतियों को रिवर्स किया जाता है, जब आगामी कराधान लाभ की संभावना में सुधार आता है।

अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनः परिभाषित किया जाता है और काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह संभव हो सके कि आगामी कर योग्य लाभ उनके संबंध में प्राप्य होंगे जिसके संबंध में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें, अस्थायी अन्तरों पर लागू किया जा सकता हैं जब उन्हें रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए लौटाया जा सकता हो।

आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर परिणामों को चित्रित करता है, जो रिपोर्टिंग तारीख में ऐसे तरीके से उत्पन्न होंगे जिसमें कम्पनी अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशि को वसूल कर सके अथवा इसका निपटान कर सके।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती है, यदि कम्पनी :

क) के पास चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

ख) आय करों से संबंधित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा वसूला जाता है।

प्रदत्त मैट के संबंध में अधिनियम के तहत उपलब्ध क्रेडिट को केवल परिसम्पत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब भी इसमें स्पष्टकारी प्रमाण हो कि कम्पनी उस अवधि में सामान्य आय कर का भुगतान करेगी जिस अवधि के लिए मैट क्रेडिट को सामान्य कर देयता के संबंध में प्रतितुलन हेतु आगे ले जाया जा सकता हो। परिसम्पत्ति के रूप में स्वीकृत मैट क्रेडिट की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और काफी हद तक रिकॉर्ड में लाया जाता है, उपरोक्त युक्तियुक्त प्रमाण अधिक समय तक मौजूद नहीं रहता।

छ) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा निवेश सम्पत्ति

मान्यता एवं मूल्यांकन

प्रयोग हेतु अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु धारित सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि पर तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है। लागत में संबंधित परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं संस्थापन में संबंधित गैर–वापसी योग्य कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य संगत व्यय शामिल हैं। 5,000 रुपए से कम कीमत वाली परिसम्पत्ति को खरीद के वर्ष में लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया जाएगा।

निवेश परिसम्पत्ति में, किराया प्राप्त करने के लिए किराए पर दिया गया भवन शामिल है। कम्पनी निवेश परिसम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु लागत मॉडल का अनुपालन करती है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी कार्य अवधि पर स्ट्रेट लाइन विधि का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में परिभाषित है। मूल्यह्रास की गणना यथा–अनुपात आधार पर की जाती है, जिसमें बिक्री/निपटान का महीना शामिल है और इसमें वृद्धि का महीना शामिल नहीं है। लीजहोल्ड सुधारों का परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर अंतर्निहित लीज अवधि के दौरान किया जाता है। भवनों और वाहनों के संबंध में अवशिष्ट मूल्य लागत का 5 प्रतिशत और अन्य परिसंपत्तियों के मामले में 'शून्य' माना जाता है ।

अनुमानित उपयोगी मूल्यों, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए गए अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती है।

अमान्यता

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब परिसम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से कोई आगामी आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की किसी मद के निपटान पर अथवा सेवा समाप्ति पर उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को बिक्री प्राप्तियों एवं परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है और लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता एवं माप

अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें, समस्त व्यय शामिल होता है, जिसे इसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए एक उचित एवं सुसंगत आधार पर परिसम्पत्ति को सृजित करने, उत्पन्न करने अथवा तैयार करने के लिए सीधे आरोप्य अथवा परिभाषित किया जा सकता है।

परिशोधन

परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि तथा परिशोधन विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए जा रहे अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में पुनरीक्षा की जाती है। तुलन–पत्र में दिखाई गई अमूर्त संपत्तियों में स्थायी लाइसेंस वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और पूंजीकरण की तारीख से छह साल की अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिशोधित हैं।

अमान्यता

अमूर्त परिसम्पत्ति को निपटान पर अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्ति के अमान्य होने से उत्पन्न लाभों अथवा हानियां को, जो परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्राप्तियों एवं रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में मूल्यांकित हो, लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है, जब परिसम्पत्ति अमान्य हो।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

झ) गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को, कम्पनी अपनी गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों के रखरखाव राशि की (बिक्री हेतु रखी परिसम्पत्ति एवं आस्थगित कर सम्पत्ति से भिन्न) यह निर्धारण करने हेतु पुनरीक्षा करती है कि क्या इसमें क्षति का कोई संकेतन है। यदि कोई संकेतन मौजूद होता है : तब परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति की जांच करने हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के छोटे–छोटे समूह में एक साथ समूहित किया जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करता है; जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी अन्तर्प्रवाह का अत्यधिक स्वतंत्र प्रवाह है।

परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की ''वसूलनीय राशि'' इसके प्रचलित मूल्य तथा बिक्री हेतु इसके उचित मूल्य घटाकर लागत से अधिक होती है। ''प्रचलित मूल्य'' अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जो कर पूर्व दर छूट का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है, जो धन के सम मूल्य एवं परिसम्पत्ति के निर्दिष्ट जोखिमों अथवा सीजीयू की राशि के वर्तमान बाजार निर्धारण को चित्रित करता है।

अनर्जक हानियों को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। अनर्जक हानि केवल उसी सीमा में प्रत्यावर्तित होती है, जिसमें परिसम्पत्ति की वास्तविक राशि उसकी रखरखाव राशि से अधिक नहीं होती, जिसका निर्धारण निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन राशि से घटाकर किया जाना होगा, यदि अनर्जक क्षति को स्वीकार नहीं किया गया था।

ञ) विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों में खर्चों एवं आय को लेन–देन की तारीख को अग्रवर्ती दर पर प्रचलित दरों पर हिसाब में लिया जाता है; यदि ऐसे लेनदेन के लिए अर्जित किया गया हो। विदेशी मुद्रा में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा विदेशी मुद्रा में उद्भूत आय एवं व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा लेखांकन अवधि के समाप्त होने की दिशा में सूचित दरों पर भारतीय रुपए में अन्तरित किया जाता है। विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ/हानियां, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है।

ट) दावों, मुकदमेबाजी आदि से संबंधित प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप समूह की कोई कानूनी एवं रचनात्मक बाध्यता हो, जिसके लिए यह संभावना हो कि नकदी प्रवाह अपेक्षित होगा तथा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान देयता के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रबंधन के उत्कृष्ट आकलन के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दर कर पूर्व दर है जो धन राशि के सम मूल्य और देयता के विनिर्दिष्ट जोखिमों का वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है।

ठ) आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयता तब मौजूद रहती हैं जब इसमें संभावना हो, परन्तु संभाव्य देयता न हो, अथवा कोई वर्तमान देयता न हो, जो संभवतः संसाधनों के बहिर्प्रवाह अथवा उस वर्तमान बाध्यता के लिए आवश्यक नहीं होगी, जिसकी राशि को विश्वसनीयता आकलन न किया जा सकता हो। आकस्मिक देयताओं में प्रावधान करने आवश्यक नहीं होते, परन्तु य तभी प्रकट किए जाते हैं, जब संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम हो।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभव हो।

ड) नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में चालू खातो बैंकों में शेष एवं मियादी जमा राशियां, हस्तगत नकदी एवं चेक तथा संपार्श्विक ऋण एवं उधारी बाध्यता लेनदेनों पर उधार दी गई राशि शामिल है।

ढ) खण्ड रिपोर्टिंग

परिचालन खण्डों का कम्पनी के मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराए गए आन्तरिक रिपोर्टिंग के साथ सुसंगत तरीके में उल्लेख किया जाता है। सीओडीएम, संसाधनों के निर्धारण हेतु और कम्पनी के परिचालन खण्डों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

ण) बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

परिसम्पतियों को बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें अत्यधिक संभावना हो कि उन्हें मुख्यतः निरन्तर प्रयोग के बजाय बिक्री के जरिए वसूल किया जाएगा।

ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन पर लाभों एवं हानियों के साथ बिक्री हेतु उनकी वास्तविक राशि से घटाकर उचित मूल्य लागत से कम पर किया जाता है।

एक बार बिक्री सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होने पर, परिसम्पतियों को अधिक समय तक परिशोधित, मूल्यह्रासित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं रखा जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

3 नकद एवं नकदी समकक्ष

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
उपलब्ध नकदी (डाक टिकटों सहित)*	-	-
बैंकों के पास शेष		
– बैंक शेष	**9.61**	542.52
– बैंक जमा	-	-
संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	**36.47**	99.94
हस्तगत एवं संग्रहण और पारगमन में प्रेषण के अधीन चैक	-	-
कुल	**46.08**	**642.46**

* संबंधित रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार नकद शेष राशि 100 रूपए (सौ रुपए) है।

4 नकदी एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
बैंकों के पास शेष		
– बैंक शेष	**0.21**	0.33
– बैंक जमा ^	**516.97**	366.88
पीएलआई योजना के तहत बैंकों के पास शेष राशि	**2,143.90**	1,447.60
ऋण भुगतान के लिए बैंकों के पास शेष राशि	**105.07**	201.23
गारंटियों के प्रति मार्जिन राशि के रूप में धारित बैंक शेष *	**45.67**	45.60
न्यायालय और अधिकरण आदि के निर्देशन पर बैंक जमा राशि #	**304.01**	243.03
ऋण गारंटी संवर्धन योजना के अधीन कंपनी के पास रखे गए फंड के प्रति बैंक जमा		
– बैंक शेष	**0.05**	0.04
– बैंक जमा ^	**369.31**	344.65
कुल	**3,485.20**	**2,649.36**
^ 12 माह से अधिक के शेष शामिल हैं।	-	325.35
* 12 माह से अधिक के शेष शामिल हैं।	-	-
# 12 माह से अधिक के शेष शामिल हैं।	-	-

5 डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख :

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	काल्पनिक राशियां	उचित मूल्य – परिसंपत्तियां / देयताएं	काल्पनिक राशियां	उचित मूल्य – परिसंपत्तियां / देयताएं
भाग I				
मुद्रा डेरिवेटिव : कुल डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख				
- स्पॉट एण्ड फारवर्ड	-	-	334.25	(13.94)
कुल डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख–भाग I	**-**	**-**	**334.25**	**(13.94)**
भाग II				
उपरोक्त (भाग I) में सम्मिलित प्रतिरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु धारित डेरिवेटिव निम्नानुसार हैं :				
अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	-	-	334.25	(13.94)
कुल डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख–भाग II	**-**	**-**	**334.25**	**(13.94)**

डेरिवेटिव्स को विदेशी मुद्रा में किए गए ऋणों के लिए ब्याज दर एवं मूल जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए कम्पनी द्वारा प्रयोग किया गया है।

डेरिवेटिव से हुए प्रबंधन जोखिम के लिए टिप्पणी सं. 53 देखें

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

6 प्राप्य राशियां :

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क)	प्रतिभूत		
	– सही माने गए	-	-
	– संदिग्ध माने गए	-	-
(B)	अप्रतिभूत		
	– सही माने गए	**88.32**	107.23
	– संदिग्ध माने गए	-	-
		88.32	107.23
	घटाएं : क्षति हेतु प्रावधान	**(3.02)**	(3.59)
	कुल	**85.30**	103.64

ट्रेड प्राप्यों की एजिंग

31 मार्च 2025 को		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – सही माने गए	66.50	-	-	-	-	**66.50**
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	3.60	15.64	1.58		**20.82**
	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	1.00	**1.00**
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – सही माने गए	-	-	-	-	-	**-**
(v)	विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	**-**
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	**-**
		66.50	**3.60**	**15.64**	**1.58**	**1.00**	**88.32**
घटाएं : हानि हेतु प्रावधान		0.00	0.35	1.51	0.16	1.00	3.02
कुल							85.30

31 मार्च 2024 को		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – सही माने गए	76.68	-	-	-	-	**76.68**
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	15.30	11.17	1.92		**28.39**
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	2.16	**2.16**
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – सही माने गए	-	-	-	-	-	**-**
(v)	विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	**-**
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	**-**
		76.68	**15.30**	**11.17**	**1.92**	**2.16**	**107.23**
घटाएं : हानि हेतु प्रावधान		(0.00)	0.77	0.56	0.10	2.16	3.59
कुल							103.64

संबंधित पक्षकारों से एवं संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देनों से देय ट्रेड प्राप्यों के निबंधनों एवं शर्तों के लिए टिप्पणी 47 देखें।
कम्पनी के क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिमों तथा व्यापार प्राप्यों से संबंधित हानि भत्तों के जोखिमों की टिप्पणी 53 में प्रकट किया गया है।

(All amounts are in Rupees crores unless otherwise stated)

7 ऋण

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क)	**परिशोधित लागत पर**		
	(i) मियादी ऋण	**4,062.72**	4,218.90
	(ii) पट्टे पर देना	**0.02**	0.04
	(iii) डिबेंचर	**304.23**	827.10
	कुल (क) – सकल	**4,366.97**	**5,046.04**
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**3,029.49**	3,739.65
	कुल (क) – निवल	**1,337.48**	**1,306.39**
(ख)	**प्रतिभूति विवरण**		
	(i) मूर्त एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत	**2,231.67**	2,830.36
	(ii) बैंक/सरकारी गारंटी में शामिल	-	0.61
	(iii) अप्रतिभूत	**2,135.31**	2,215.07
	कुल (ख) – सकल	**4,366.97**	**5,046.04**
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**3,029.49**	3,739.65
	कुल (ख) – निवल	**1,337.48**	**1,306.39**
(ग)	**भारत में ऋण**		
	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	-	2.11
	(ii) अन्य	**4,366.97**	5,043.93
	कुल (ग)–सकल	**4,366.97**	**5,046.04**
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	**3,029.49**	3,739.65
	कुल (ग)–निवल	**1,337.48**	**1,306.39**
(घ)	**भारत से बाहर ऋण**	-	-
	कुल (ग) – सकल	-	-
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-
	कुल (ख) – निवल	-	-

8 निवेश

		परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	कुल
			अन्य समग्र आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्मय से	लाभ अथवा हानि के माध्मय से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
31 मार्च 2025 को							
(A)							
(i)	म्युचुअल फंड	-	-	**257.10**	-	-	**257.10**
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	**0.71**	-	-	-	**0.71**
(iii)	ट्रेजरी बिल	-	-	-	-	-	-
(iv)	ऋण प्रतिभूतियां	-	**16.04**	-	-	-	**16.04**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

			उचित मूल्य पर				
		परिशोधित लागत	अन्य समग्र आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	अन्य	कुल
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(v)	इक्विटी प्रलेख	-	5.63	775.27	-	-	780.90
(vi)	अन्य						
	उद्यम पूंजी	-	-	110.95	-	-	110.95
	प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	6.32	-	-	6.32
	अधिमान शेयर	-	-	25.05	-	-	25.05
	कुल–सकल (क)	**-**	**22.38**	**1,174.68**	**-**	**-**	**1,197.06**
(ख)							
(i)	भारत में निवेश	-	22.38	1,174.68	-	-	1,197.06
(ii)	भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
	कुल – सकल (ख)	**-**	**22.38**	**1,174.68**	**-**	**-**	**1,197.06**
(ग)	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	
(घ)	**कुल – निवल (क–ग)**	**-**	**22.38**	**1,174.68**	**-**	**-**	**1,197.06**

			उचित मूल्य पर				
		परिशोधित लागत	अन्य समग्र आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट	अन्य	कुल
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 मार्च 2024 को							
(क)							
(i)	म्युचुअल फंड	-	-	246.24	-	-	246.24
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	0.70	-	-	-	0.70
(iii)	ट्रेजरी बिल	-	513.13	-	-	-	513.13
(iv)	ऋण प्रतिभूतियां	-	17.80	-	-	-	17.80
(v)	इक्विटी प्रलेख	-	14.33	670.97	-	-	685.30
(vi)	अन्य						
	उद्यम पूंजी	-	-	109.61	-	-	109.61
	प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	60.98	-	-	60.98
	अधिमान शेयर	-	-	25.05	-	-	25.05
	कुल–सकल (क)	**-**	**545.96**	**1,112.85**	**-**	**-**	**1,658.81**
(ख)							
(i)	भारत में निवेश	-	545.96	1,112.85	-	-	1,658.81
(ii)	भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
	कुल – सकल (ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(ग)	घटाएं : क्षति हानि भत्ता		-			-	
घ)	**कुल – निवल (क–ग)**	**-**	**545.96**	**1,112.85**	**-**	**-**	**1,658.81**

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

9 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
निवेशों पर ब्याज	0.51	13.62
प्रोद्भूत आय	0.24	0.26
कर्मचारियों को ऋण अन्य	23.59	23.75
जमा राशियां	50.31	54.59
अन्य संदिग्ध जमा राशियां	12.12	12.12
अन्य वसूलनीय राशियां	4.62	7.10
	91.39	111.44
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	65.97	69.72
कुल	**25.42**	**41.72**

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में कम्पनी का जोखिम टिप्पणी 53 में दिया गया है।

10 सहायक कम्पनियों में निवेश

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क)	सहायक कम्पनियों में निवेश	1,359.58	1,381.72
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	130.45	131.17
	कुल	**1,229.13**	**1,250.55**
(B)			
	(i) भारत में निवेश	1,229.13	1,250.55
	(ii) भारत से बाहर निवेश	-	-
	कुल – सकल (ख)	1,229.13	1,250.55

11 इक्विटी विधि का प्रयोग उपयोग हुए लेखागत निवेश

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
सहयोगी कंपनियों में निवेश	-	-
कुल	-	-

12 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं देयताए

विवरण	01 अप्रैल 2024 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2025 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां :					
ऋण	1,320.14	-	(256.42)	-	1,063.72
अन्य	377.71	-	-	-	377.71
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	-	-	-
	1,697.85	-	**(256.42)**	-	**1,441.43**
आस्थगित कर देयताएं :					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	212.28	-	(6.51)	-	205.77
निवेश	235.59	-	78.20	9.14	322.93
डीबीओ–एफवीटीओसीआई	-		-	0.09	0.09
सहायक कम्पनियों में निवेश	(103.38)	-	0.26	-	(103.13)
36(i)(viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	46.72
उधार	(0.00)	-	-	-	(0.00)
	391.21	-	**71.94**	**9.23**	**472.38**
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	**1,306.65**	-	**(328.37)**	**(9.23)**	**969.05**

विवरण	01 अप्रैल 2024 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2025 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां :					
ऋण	1,633.97	-	(313.83)	-	1,320.14
अन्य	377.71	-	-	-	377.71
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	-	-	-
	2,011.68	-	**(313.83)**	-	**1,697.85**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	01 अप्रैल 2023 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2024 को
आस्थगित कर देयताएं :					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	223.58	-	(11.31)	-	212.28
निवेश	103.14	-	55.53	76.92	235.59
डीबीओ–एफवीटीओसीआई	-		-	-	-
सहायक कम्पनियों में निवेश	(100.88)	-	(2.50)	-	(103.38)
36(i)(viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	46.72
उधार	(0.00)	-	-	-	(0.00)
	272.56	-	41.72	76.92	391.21
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	1,739.12	-	(355.55)	(76.92)	1,306.65

13 निवेश सम्पत्ति

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2025 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2025 को	1 अप्रैल 2025 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	23.16	1.27	-	24.43	-	-	-	-	24.43	23.16
भवन	328.31	42.91	-	371.22	100.29	21.50	-	121.79	249.43	228.02
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	25.26	-	1.36	23.90	-	-	-	-	23.90	25.26
कुल	376.73	44.18	1.36	419.55	100.29	21.50	-	121.79	297.77	276.45

टिप्पणी : सकल ब्लॉक में वृद्धि/समायोजन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से स्थानांतरण के कारण है।

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	23.16	-	-	23.16	-	-	-	-	23.16	23.16
भवन	328.31	-	-	328.31	93.41	6.88	-	100.29	228.02	234.90
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	25.26	-	-	25.26	-	-	-	-	25.26	25.26
कुल	376.73	-	-	376.73	93.41	6.88	-	100.29	276.45	283.32

निवेश सम्पत्ति से अर्जित किराए की आय के विवरण के लिए, लाभ और हानि का विवरण देखें।

31/03/2025 को निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य 563.73 करोड़ रु. हैं (पिछले वर्ष–31/03/2024 : 537.30 करोड़ रु.)

उचित मूल्यों का मूल्यांकन

i. उचित मूल्य क्रमानुक्रम

निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकित की जा रही सम्पत्ति की अवस्थिति एवं श्रेणी में उपयुक्त मान्य पेशेवर योग्यताओं एवं नवीनतम अनुभव रखने वाले बाहरी, स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांककों द्वारा निर्धारित किया गया है। जबकि, मूल्यांकन आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त रिपोर्ट अवधि के दौरान आंतरिक रूप से निर्धारित किया गया है।

ii. मूल्यांकन तकनीक

कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री तुलना तकनीक का पालन करती है। मूल्यांकन मॉडल आसपास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों में नवीनतम बिक्रियों/एक जैसी हित के सूचीकरण की तुलना करके विषयगत सम्पत्ति के मूल्य पर विचार करती है। इच्छुक खरीददारों एवं विक्रेताओं के बीच "आर्म–लेन्थ लेन–देन की अर्हता पूरी करने वाली बिक्रियों का विश्लेषण करके, इसके आकार, स्थान, समय सुख सुविधाओं एवं अन्य संगत कारकों को देखते हुए समायोजन किया जाएगा, जब इस तरह के बिक्री मूल्य की वस्तुगत सम्पत्ति के संबंध में तुलना की गई हो। इस दृष्टिकोण को सामान्य रूप में मानक सम्पत्तियों के मूल्य हेतु तब अपनाया जाता है जब वसूलनीय बिक्री साक्ष्य उपलब्ध हो।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

14 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2025 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	1 अप्रैल 2025 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	85.81	(1.27)	-	84.54	-	-	-	-	84.54	85.81
भवन	328.71	(42.91)	-	285.80	6.72	(4.35)	-	2.37	283.43	321.99
पट्टा भूमि सुधार	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	8.18	-	-	8.18	3.22	0.59	-	3.81	4.36	4.96
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	5.92	-	-	5.92	5.73	0.06	-	5.79	0.13	0.19
वाहन	0.27	-	-	0.27	0.01	0.04	-	0.05	0.22	0.26
कार्यालय उपकरण	2.32	1.04	0.03	3.33	0.98	0.59	0.02	1.56	1.77	1.34
इलेक्ट्रिकल स्थापना एवं उपकरण	11.48	0.05	0.06	11.47	10.98	0.21	0.12	11.13	0.34	0.50
पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	239.10	-	(1.36)	240.46	51.89	5.47	-	57.37	183.09	187.21
कुल	**681.82**	**(43.09)**	**(1.27)**	**640.00**	**79.57**	**2.62**	**0.14**	**82.11**	**557.90**	**602.27**

टिप्पणी : सकल ब्लॉक में वृद्धि/समायोजन संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से स्थानांतरण के कारण है।

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	85.81	-	-	85.81	-	-	-	-	85.81	85.81
भवन	328.67	0.04	-	328.71	(3.55)	10.26		6.72	321.99	332.22
पट्टा भूमि सुधार	0.04	-		0.04	0.04	-	-	0.04	-	-
संयंत्र एवं मशीनरी	8.18	-	-	8.18	2.62	0.59	-	3.22	4.96	5.55
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	5.88	0.04	-	5.92	5.66	0.08	-	5.73	0.19	0.23
वाहन	0.27	-	-	0.27	(0.03)	0.04	-	0.01	0.26	0.30
कार्यालय उपकरण	1.34	1.03	0.04	2.32	0.61	0.42	0.04	0.98	1.34	0.73
इलेक्ट्रिकल स्थापना एवं उपकरण	11.39	0.10	0.01	11.48	10.66	0.32	-	10.98	0.50	0.73
पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	239.10	-	-	239.10	46.42	5.47	-	51.89	187.21	192.68
कुल	**680.67**	**1.21**	**0.05**	**681.82**	**62.43**	**17.18**	**0.04**	**79.57**	**602.27**	**618.24**

15 अमूर्त परिसम्पत्तियां

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2025 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	1 अप्रैल 2025 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3.08	-	-	3.08	2.89	0.09	-	2.98	0.10	0.19
कुल	**3.08**	**-**	**-**	**3.08**	**2.89**	**0.09**	**-**	**2.98**	**0.10**	**0.19**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3.05	0.03	-	3.08	2.79	0.10	-	2.89	0.19	0.26
कुल	**3.05**	**0.03**	**-**	**3.08**	**2.79**	**0.10**	**-**	**2.89**	**0.19**	**0.26**

16 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
पूंजी अग्रिम पूर्व	-	0.82
प्रदत्त व्यय	2.41	1.40
अन्य परिसम्पत्तिया	74.03	83.28
कुल	**76.44**	**85.50**

17 बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
विकास वित्तपोषण के तहत सहायता (एयूएफ)– सहयोगी कम्पनियां	50.48	49.41
कुल	**50.48**	**49.41**

18 ट्रेड देयताएं	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया	77.58	53.49
कुल	**77.58**	**53.49**

ट्रेड देयताओं की अवधि बढ़ाना

	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
31 मार्च 2025 को	1 वर्ष से कम	1 –2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष ये अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	68.46	1.21	1.69	6.23	**77.58**
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल					**77.58**

	Outstanding for following periods from due date of payment				
As at 31 March, 2024	Less than 1 year	1-2 Years	2-3 years	More than 3 years	Total
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	35.13	4.45	2.48	11.43	**53.49**
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल					**53.49**

इसमें कोई सूक्ष्म एवं लघु उद्यम नहीं है, जिसको कम्पनी की देयताएं बाकी हों, जो सभी सूचना तारीखों को 45 दिन से अधिक अवधि से बकाया हो। इस सूचना को, जैसा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट किया जाना अपेक्षित है, काफी हद तक परिभाषित किया गया है जो कम्पनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिज्ञात ऐसे पक्षकारों की स्थिति के अनुसार है।

19 भुगतान ऋण प्रतिभूतियां

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) बॉन्ड		
- निजी रूप से धारित बॉन्ड	2,345.37	2,745.37
- निजी रूप से रखे गए जीरो कूपन बॉन्ड	394.60	359.60
- अवसंरचना बॉन्ड	191.81	177.61
- सहायक कम्पनियों को जारी निजी रूप से धारित बॉन्ड	75.00	75.00
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(118.39)	(104.19)
(ii) कर मुक्त बॉन्ड (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट–बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	45.00	45.00
- अन्य द्वारा धारित	100.00	100.00
(iii) असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों का सार्वजनिक निर्गम		
प्रतिभूत विमोच्य गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घटबढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	10.00	10.00
- अन्यों द्वारा धारित	(10.00)	1,051.12
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	-	(87.77)
- अन्य (बॉन्ड/डिबेंचर आदि)	-	-
कुल (क)	**3,033.39**	**4,371.74**
(ख) भारत में/भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां		
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	3,033.39	4,371.74
(ii) भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-
कुल (ख)	**3,033.39**	**4,371.74**

अन्य बॉन्डों की पुनःअदायगी की शर्तें

सीरिज	ब्याज दर	परिपक्वता की तिथि	राशि
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 40	25.05
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 39	27.49
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 38	30.17
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 37	33.12
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 36	36.35
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 35	39.90
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 34	43.79
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 33	48.06
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 32	52.75
जीरो कूपन बॉन्ड	9.75%	7 जुलाई 31	57.90
अन्य बॉन्ड	9.90%	5 नवंबर 37	106.88
अन्य बॉन्ड	9.90%	5 नवंबर 32	106.88
अन्य बॉन्ड	9.98%	29 अक्टूबर 30	250.00
अन्य बॉन्ड	9.75%	16 जुलाई 30	500.00
अन्य बॉन्ड	9.75%	13 जुलाई 30	250.00
अन्य बॉन्ड	9.70%	18 मई 30	250.00
अन्य बॉन्ड	9.70%	4 मई 30	250.00
अन्य बॉन्ड	9.75%	26 अप्रैल 28	350.00
अन्य बॉन्ड	9.90%	5 नवंबर 27	106.88
अन्य बॉन्ड	10.12%	8 अक्टूबर 27	19.59
अन्य बॉन्ड	10.10%	8 अक्टूबर 27	5.15
अन्य बॉन्ड	9.55%	13 अप्रैल 25	225.00
इंफ्रा बॉन्ड	8.72%	31 मार्च 27	23.11
इंफ्रा बॉन्ड	9.16%	15 फरवरी 27	40.02
इंफ्रा बॉन्ड	8.75%	12 दिसम्बर 26	10.30
कुल			**2888.39**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अन्य बॉन्डों की पुनःअदायगी की शर्तें

बॉन्ड	ब्याज दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	परिपक्वता की तिथि	राशि
कर मुक्त बॉण्ड	8.76%	31-Mar-29	145.00
		कुल	**145.00**

20 भुगतान उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क) परिशोधित लागत पर		
मियादी ऋण		
- बैंक एवं अन्य पक्षकारों से	-	-
- अन्य पक्षकारों से		
- वित्तीय संस्थानों से	-	-
- केएफडब्ल्यू ऋण लाइन से	-	334.25
कुल (क)	**-**	**334.25**
(ख) भारत में/भारत से बाहर उधार (ऋण प्रतिभूतियों को छोड़कर)		
(i) भारत में उधार	-	-
(ii) भारत से बाहर उधार	-	334.25
कुल (ख)	**-**	**334.25**

के एफडब्ल्यू ऋण लाइन की पुनःअदायगी की शर्तें

ऋणदाता का नाम	ब्याज दर (प्रतिशत प्रति वर्ष)	राशि (यूरो)	राशि	परिपक्वता की तिथि	पुनः अदायगी	अगली किस्त की तिथि
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	5,76,737.37	5.18	31 दिसंबर 26	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	1.25%	11,41,203.40	10.26	31 दिसंबर 29	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	8,24,202.62	7.41	30 जून 30	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	8,87,602.81	7.98	31 दिसंबर 30	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	14,26,504.26	12.82	30 जून 31	छमाहीा	बकाया केएफडब्ल्यू ऋण का भुगतान 18 अप्रैल, 2024 को कर दिया गय
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	16,34,088.97	14.69	30 जून 32	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	18,99,449.25	17.07	31 दिसंबर 33	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	26,84,282.39	24.12	30 जून 34	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	35,20,755.79	31.64	31 दिसंबर 34	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	41,07,719.00	36.92	31 दिसंबर 36	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	1,46,49,534.88	131.67	30 जून 38	छमाही	
केएफडब्ल्यू, फ्रेंकफर्ट	0.75%	38,37,757.01	34.49	31 दिसंबर 32	छमाही	
कुल		**3,71,89,837.75**	**334.25**			

21 अधीनस्थ देयताएं

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) अधीनस्थ – टियर–II बॉन्ड	942.20	916.75
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(197.53)	(172.08)
कुल (क)	**744.67**	**744.67**
(ख) भारत में तथा भारत से बाहर अधीनस्थ देयताएं		
(i) भारत में अधीनस्थ देयताएं	744.67	744.67
(ii) भारत से बाहर अधीनस्थ देयताएं	-	-
कुल (ख)	**744.67**	**744.67**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अन्य बॉन्डों की पुनः अदायगी की शर्तें

सीरिज	ब्याज दर	परिपक्वता की तिथि	राशि
टियर–II बॉन्ड	9.98%	18-Sep-37	50.00
टियर–II बॉन्ड	10.75%	31-Oct-26	102.49
टियर–II बॉन्ड	10.75%	1-Aug-26	468.55
टियर–II बॉन्ड	10.70%	28-Feb-27	123.63
कुल			**744.67**

22 अन्य वित्तीय देयताएं

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
उद्भूत परन्तु बॉण्डों एवं उधारों पर देय नहीं ब्याज	583.61	662.75
प्रतिभूति जमा	15.59	14.84
अदावाकृत लाभांश	-	-
अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर एवं ब्याज	0.44	0.57
निगम के पास रखा धन		
(क) अनुसूचित जाति क्रेडिट गारंटी वृद्धि योजना (भारत सरकार द्वारा निवेश)	374.23	347.47
(ख) पीएलआई योजना	2,143.90	1,447.91
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि	63.41	82.68
अन्य देयताएं	546.55	632.70
	3,727.73	**3,188.92**

23 प्रावधान

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
तुलन पत्र प्रकटन से परे क्षति प्रावधान	14.61	32.96
कर्मचारी लाभ	52.18	53.52
कुल	**66.79**	**86.48**

* वित्तीय वर्ष 2025 में धारित कम्पनी कर्मचारियों की उपदान का 2.41 करोड़ रु. के प्रावधान को रिवर्स करना शामिल है।

24 अन्य गैर वित्तीय देयताएं

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आस्थागित राजस्व	-	-
	-	-

25 इक्विटी

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अधिकृत		
प्रत्येक 10/– रुपए के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,000.00	4,000.00
	4,000.00	**4,000.00**
निर्गमित		
प्रत्येक 10/– रुपए के 2,76,15,61,785 इक्विटी शेयर	2,761.56	2,556.86
	2,761.56	**2,556.86**
अभिदत्त		
प्रत्येक 10/– रुपए के 2,69,56,31,031 इक्विटी शेयर	2,695.63	2,490.93
	2,695.63	**2,490.93**
प्रदत्त		
प्रत्येक 10/– रुपए के 2,69,43,14,331 इक्विटी शेयर	2,694.31	2,489.61
	2,694.31	**2,489.61**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

इक्विटी शेयरों की संख्या एवं शेयर पूंजी का लेखा मिलान :

कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए भारत सरकार से 08 मार्च, 2023 को 500 करोड़ रु. प्राप्त हुए थे। इस संबंध में, निदेशकों की समितियों ने 18 अप्रैल, 2024 को 40.33 रु. प्रति इक्विटी शेयर (30.33 रु. प्रति शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से भारत सरकार को 10 रु. प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले 12,39,77,188 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 28 जनवरी 2025 को भारत सरकार से 500 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई थी। इस संबंध में, निदेशकों की समिति ने 28 फरवरी 2025 को 61.94 रु. प्रति इक्विटी शेयर की दर से 10 रु. के अंकित मूल्य वाले 8,07,23,280 इक्विटी शेयर (51.94 रु. प्रति इक्विटी शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) भारत सरकार को आबंटित किए थे।

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
अवधि के शुरू में बकाया	2,48,96,13,863	2,489.61	2,19,59,28,107	2,195.93
जोड़ें : जारी किए गए शेयर	20,47,00,468	204.70	29,36,85,756	293.69
अवधि के अंत में बकाया	2,69,43,14,331	2,694.31	**2,48,96,13,863**	**2,489.61**
प्रदत्त शेयर पूंजी	2,69,43,14,331	2,694.31	**2,48,96,13,863**	**2,489.61**

इक्विटी शेयरों की शर्तें/संबद्ध अधिकार :

कम्पनी के पास केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, अर्थात् 10/– रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाला इक्विटी शेयर, जिसके लिए प्रति शेयर एक वोट डालने की पात्रता है।

प्रवर्तकों की हिस्सेदारी

प्रवर्तक का नाम	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1,95,52,77,096	72.57%	1,75,05,76,628	70.32%
	अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन		अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	
	2.25%		3.97%	

26 अन्य इक्विटी

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
i आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि		
आरम्भ शेष	500.00	400.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	500.00	500.00
घटाएं: वर्ष के दौरान अंतरण	(1,000.00)	(400.00)
अंत शेष	-	**500.00**
ii आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व		
आरम्भ शेष	875.04	875.04
अंत शेष	**875.04**	**875.04**
iii क्षति रिजर्व		
आरम्भ शेष	104.67	34.54
जोड़ें : प्रतिधारित अर्जन से अंतरण		70.13
अंत शेष	**104.67**	**104.67**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
iv	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	136.69	136.69
	अंत शेष	**136.69**	**136.69**
v	**पूंजी रिजर्व निधि**		
	आरम्भ शेष	0.85	0.85
	अंत शेष	**0.85**	**0.85**
vi	**प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	1,174.06	1,067.75
	जोड़ें : इक्विटी शेयरों का निर्गम	795.30	106.31
	अंत शेष	**1,969.36**	**1,174.06**
vii	**पूंजी मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	231.92	231.92
	जोड़ें : प्रतिधरित आय से अन्तरण	-	-
	अंत शेष	**231.92**	**231.92**
viii	**डिबेंचर मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	87.58	87.58
	जोड़ें : प्रतिधारित अर्जन से अन्तरण	-	-
	जोड़ें : सामान्य रिजर्व में अन्तरण	-	-
	अंत शेष	**87.58**	**87.58**
ix	**सामान्य रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	513.08	513.08
	जोड़ें : डिबेंचर मोचन संरक्षित से अन्तरण	-	-
	अंत शेष	**513.08**	**513.08**
x	**मानित इक्विटी अंशदान**		
	आरम्भ शेष	335.82	335.82
	अंत शेष	**335.82**	**335.82**
xi	**प्रतिधारित अर्जन**		
	आरम्भ शेष	(4,749.94)	(4,808.06)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	43.80	128.25
	घटाएं : हानि रिजर्व मे अंतरण	-	(70.13)
	अंत शेष	**(4,706.14)**	**(4,749.94)**
xii	**अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	5.53	(3.26)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान उचित मूल्य परिवर्तन	(9.34)	8.79
	अंत शेष	**(3.81)**	**5.53**
xiii	**अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	(544.07)	(495.14)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान उचित मूल्य परिवर्तन	(13.25)	(48.93)
	अंत शेष	**(557.32)**	**(544.07)**
xiv	**पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन**		
	आरम्भ शेष	53.36	53.36
	जोड़ें : वर्ष के दौरान बीमांकन लाभ/हानि	0.18	-
	अंत शेष	**53.54**	**53.36**
	कुल शेषराशि	**(958.72)**	**(1,275.41)**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व

यह रिजर्व आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईसी के अनुसार बनाया गया रिजर्व है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) (viii) द्वारा वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त कारोबार, अर्थात दीर्घ अवधि औद्योगिक वित्तपोषण से निवल आय का 20 प्रतिशत लाभ इस रिजर्व निधि में अन्तरण करने की अनुमति दी जाती है और इस पर कर योग्य आय का परिगणन करते समय कटौती करने की अनुमति है। आयकर अधिनियम में वित्त अधिनियम, 1998 में संशोधन करने से वित्तीय वर्ष 1997–98 से सृजित रिजर्व निधि के रखरखाव पर एक शर्त रखी है। किसी भी निकासी पर कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1996–97 तक पूर्ववर्ती वर्ष में सृजित उक्त रिजर्व निधि के उपयोग पर कर देयता नहीं थी और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 1997–98 के बाद अन्तरित निधि में आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन किया गया है।

पूंजी रिजर्व

पूंजी रिजर्व में जब्त शेयरों की आय को दर्शाया गया है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है।

पूंजी मोचन रिजर्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 की अपेक्षा के अनुसार पूंजी मोचन रिजर्व निधि, पूंजी के नए निर्गम के बिना अधिमान शेयरों के मोचन के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में अधिशेष राशि से अन्तरित राशि को दर्शाती है।

डिबेंचर मोचन रिजर्व

डिबेंचर मोचन रिजर्व निधि का सृजन सार्वजनिक निर्गम की मार्फत आईएफसीआई लि. द्वारा जारी किए गए गैर–संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार किया गया है। बाद में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 16.08.2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–57 (ई) के द्वारा शेयर पूंजी और डिबेंचर नियमावली (नियम 2014) को संशोधित कर अधिसूचित दिया गया इसलिए मौजूदा बॉण्डों और डिबेंचरों के मामले में न तो बॉण्डों के सार्वजनिक निर्गम हेतु और न ही निजी धारण हेतु किसी अतिरिक्त डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन किया गया है।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व निधि का सृजन प्रयोज्य विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए किया गया था।

मानित इक्विटी अंशदान

शेयरधारकों से अधिमान दर उधारों के संबंध में मानित इक्विटी अंशदान।

प्रतिधारित आय

यह कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ के संचित अधिशेष/(घाटे) की तिथि को दर्शाती है।

अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय में मान्य ऋण प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है। जब संगत ऋण प्रलेखों को अमान्य किया जाता है तो कम्पनी इक्विटी के ऐसे संघटक से राशि को प्रतिधारित आय में अन्तरित करती है।

अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय से मान्य कुछ अभिज्ञात इक्विटी प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) के पुनर्मूल्यांकन में बीमांकन लाभ एवं हानियां तथा योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर) शामिल है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

27 ब्याज आय

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर
शेष ऋणों पर ब्याज	-	231.69	-	383.89
निवेशों से ब्याज आय	58.86	-	23.30	-
बैंकों में जमा पर ब्याज	49.13		22.14	
डिबेंचर पर ब्याज	-	11.28	-	0.01
कुल	**107.99**	**242.97**	**45.44**	**383.90**

28 उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों पर निवल लाभ/(हानि)		
– इक्विटी प्रतिभूति	105.97	122.12
– डेरिवेटिव्स	-	-
– प्रतिभूति प्राप्तियां	(22.93)	(40.59)
– अधिमान शेयर	-	53.20
– उद्यम पूंजी निधियों की यूनिट	5.06	18.49
– म्यूचुअल फंड की यूनिट	17.22	32.85
(ख) अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों के अस्वीकरण पर निवल लाभ	-	0.47
(ग) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**105.32**	**186.54**
उचित मूल्य परिवर्तन :		
– वसूल किए गए	(19.72)	(109.42)
– वसूल न किए गए	125.04	295.96
(घ) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**105.32**	**186.54**

29 अन्य आय

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अमान्य होने पर निवल लाभ/(हानि)	(0.01)	-
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	-	-
बिक्री के लिए रखी गई गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों/परिसंपत्तियों पर क्षति हानि का प्रत्यावर्तन	138.36	49.37
सहायक कंपनी द्वारा शेयरों की वापस खरीद पर लाभ	15.84	-
आयकर वापसी पर ब्याज	1.48	0.74
अन्य	5.68	5.72
कुल	**161.35**	**55.83**

30 वित्त लागत

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय देयताओं पर	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वापसी उधारों पर ब्याज	537.18	572.74
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	-
कुल	**537.18**	**572.74**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 वित्तीय प्रलेखों पर क्षति

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर
ऋण *	-	(219.79)	-	(340.85)
निवेश	0.01	-	(0.02)	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	(4.59)	-	5.70
कुल	**0.01**	**(224.38)**	**(0.02)**	**(335.15)**
* वर्ष के दौरान बट्टे खाते (निवल) सहित	-	387.10	-	417.42

32 कर्मचारी हित व्यय

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी	56.07	52.02
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	9.96	18.77
नियोजन के पश्चात् लाभ पर व्यय	12.81	16.79
स्टाफ कल्याण व्यय	6.82	4.03
कुल	**85.66**	**91.61**

33 मूल्यह्रास एवं परिशोधन

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	2.62	17.18
निवेश सम्पत्ति का मूल्यह्रास	21.50	6.88
अमूर्त परिसम्पत्ति का परिशोधन	0.09	0.10
कुल	**24.20**	**24.16**

34 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
किराया	0.41	0.40
दरें एवं कर	4.11	4.80
बीमा	0.32	0.32
मरम्मत कार्य एवं रखरखाव कार्य		
- भवन	16.28	10.21
- आईटी	3.54	2.38
- अन्य	0.12	0.11
बिजली एवं जल प्रभार	4.70	4.71
सुरक्षा व्यय	3.04	3.11
लेखापरीक्षकों को भुगतान #	0.42	0.37
निदेशक शुल्क एवं व्यय	0.38	0.36
प्रकाशन एवं विज्ञापन	0.81	0.82
परामर्श एवं कानूनी प्रभार	8.21	7.78
यात्रा एवं वाहन	0.99	0.84
प्रशिक्षण एवं विकास	0.46	0.17
डाक एवं टेलीफोन	0.38	0.43
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.25	0.26
लिस्टिंग/फाइलिंग/अभिरक्षा शुल्क	2.04	1.69
पुस्तकालय एवं सदस्यता अंशदान	0.23	0.16
सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय	-	-
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों/बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों पर क्षति हानि	(0.72)	7.16
अन्य विविध व्यय	1.49	(0.16)
कुल	**47.48**	**45.91**

लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए टिप्पणी संख्या 35 को देखें।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
35	**लेखा–परीक्षकों को भुगतान**		
	सहित लेखा–परीक्षा शुल्क	0.34	0.29
	प्रमाणन एवं अन्य सेवाएं	0.04	0.06
	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.04	0.02
	कुल	**0.42**	**0.37**

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
35.1	**कुल निगमित सामाजिक दायित्व व्यय के विवरण**		
	(क) संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	-	-
	(ख) किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
	(ग) नकदी में अदा किया जाने वाला खर्च	-	-
	(घ) अवधि के दौरान खर्च की गई राशि		
	- मानव पूंजी का विकास	-	-
	- ग्रामीण क्षेत्रों एवं स्थायी विकास गतिविधियों का विकास		
	- खेल–कूद को बढ़ावा देना		
	- अन्य कल्याण गतिविधियां	-	-
	- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	-	-
	- प्रशासन एवं अन्य व्यय	-	-
	- जल संरक्षण और स्वच्छता	-	-
	कुल (घ)	-	-

***टिप्पणी : (आईएसएफ द्वारा आईएफसीआई सीएसआर फंड के लिए कोई संवितरण नहीं)**

- वर्तमान वर्ष के लिए कमी शून्य है
- पिछले वर्षो के लिए कमी शून्य है
- कमी का कारण – लागू नहीं
- जहाँ एक संविदात्मक दायित्व मे प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया गया है। – शून्य

		31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
35.2	**आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं**		
	क. आकस्मिक देयताएं		
	(i) ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे	112.86	109.96
	(ii) वित्तीय गारंटियों को छोड़कर गारंटियां	3.47	3.43
	(iii) कर मामले :		
	आय कर	71.21	60.03
	सेवा कर/जीएसटी	2.52	2.51
	कुल	**190.06**	**175.93**
	ख. प्रतिबद्धताएं		
	(i) संविदा की अनुमानित राशि (पट्टा संविदा सहित), जिन्हें पूंजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिमों को घटा कर)	-	-
	(ii) अनाहरित प्रतिबद्धताएं	-	-
	कुल	-	-
	ग. आकस्मिक परिसम्पत्तियां	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

35.3 कर व्यय

क. लाभ या हानि में मान्य राशियां

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कर व्यय (क)		
चालू कर व्यय	-	-
पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित चालू कर व्यय/ (लाभ)	-	-
उप – कुल (क)	-	-
आस्थगित कर (ख)		
आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	328.37	355.55
उप – कुल (ख)	**328.37**	**355.55**
कर व्यय (क)+(ख)	**328.37**	**355.55**

ख. प्रभावी ब्याज दर का मिलान

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
कर–पूर्व लाभ/(हानि)		372.17		483.80
कम्पनी की 34.944 प्रतिशत की घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर	34.94%	130.05	34.94%	169.06
निम्नलिखित का प्रभाव :				
कर से छूट आय	0.00%	-	0.00%	-
कटौती न किए गए व्यय	0.08%	0.31	0.44%	2.14
चालू कर के लिए पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित अनुमानों में परिवर्तन	0.00%	-	0.00%	-
चालू वर्ष का मूल्यह्रास, जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी गई	-1.76%	(6.55)	-1.41%	(6.82)
अन्य	54.96%	204.56	39.51%	191.17
प्रभावी कर दर/कर व्यय	**88.23%**	**328.37**	**73.49%**	**355.55**

36 ट्रेड से प्राप्य और देय रशियों के अधीन दर्शाई गई कुछ शेष राशियां पुष्टीकरण के अधीन हैं।

37 कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, 08 मार्च, 2024 को भारत सरकार से शेयर आवेदन राशि के रूप कंपनी की शेयर पूंजी में अभिदान के लिए 500 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुए। इस संबंध में, निदेशक–समिति ने 18 अप्रैल, 2024 को भारत सरकार को 10 रु. अंकित मूल्य वाले 12,39,77,188 इक्विटी शेयर 40.33 रु. प्रति इक्विटी शेयर (30.33 रु. प्रति इक्विटी शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से आबंटित किए।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए शेयर आवेदन राशि के रूप में कंपनी की शेयर पूंजी के अभिदान लिए 28 जनवरी, 2025 को भारत सरकार से 500 करोड़ रु. की धनराशि प्राप्त हुई। इस संबंध में, निदेशक–समिति ने 28 फरवरी, 2025 को भारत सरकार को 10 रु. के अंकित मूल्य वाले 8,07,23,280 इक्विटी शेयर 61.94 रु. प्रति इक्विटी शेयर (51.97 रु. के प्रति इक्विटी शेयर के सिक्योरिटी प्रीमियम सहित) की दर से आबंटित किए।

38 31 मार्च 2025 को, आर.बी.आई. प्रूडेंशियल (आई.आर.ए.सी.पी.) मानदंडों (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान, भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत हानि भत्ते से 74.88 करोड़ रु. अधिक है। हालाँकि, चूंकि हानि आरक्षित निधि में मौजूदा शेष राशि 104.67 करोड़ रुपए है, इसलिए आरबीआई अधिसूचना संख्या "डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी. संख्या 109/22.10.106/2019–20 दिनांक 13 मार्च, 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार, कोई और हानि आरक्षित निधि नहीं बनाई गई है। साथ ही, आरबीआई अधिसूचना के अनुसार 104.67 करोड़ रुपए की मौजूदा हानि आरक्षित निधि को रिवर्स नहीं किया गया है।

39 कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान, परियोजना और कॉर्पोरेट ऋणों पर ईसीएल प्रावधान के आकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो से खाता स्तर पर ईसीएल पद्धति में बदलाव हुए। खाता स्तर पर ऋणों की अनुमानित वसूली के आधार पर ईसीएल प्रावधान का आकलन करने से पोर्टफोलियो स्तर पर ईसीएल प्रावधान के आकलन की तुलना में ईसीएल प्रावधान का बेहतर आकलन और प्रस्तुतिकरण प्राप्त होगा। इन परिवर्तनों को भारतीय लेखा मानक 8 (लेखा नीतियाँ, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ) के अनुसार लेखा अनुमान में परिवर्तन माना गया है और इन्हें चालू वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए भावी दृष्टि से लेखा में शामिल किया गया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष के लिए ऋणों पर ईसीएल प्रावधान में 290.86 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और तदनुसार कर–पूर्व लाभ में कमी आई है।

40 आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय से प्राप्त पत्र एफ.सं.2/22/2016–आईएफ–1 दिनांक 22 नवंबर, 2024 के अनुसार, 'आईएफसीआई समूह के समेकन' पर विचार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, जिसमें होल्डिंग कंपनी स्तर और सहायक कंपनी स्तर पर कुछ समूह कंपनियों का विलय/समामेलन शामिल है। डीएफएस ने आगे आवश्यक कार्रवाई करने और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के अनुसार प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी है। इस संबंध में, आईएफसीआई के बोर्ड ने 22 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त 'आईएफसीआई समूह के समेकन' पर विचार करने और नियामक/वैधानिक/लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, रूपरेखा और मानकों आदि के अनुसार इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया है। विस्तृत प्रकटीकरण 22 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया है।

40.1 सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन 31 मार्च 2025 के बजाय 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

40.2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए चरण 3 की परिसंपत्तियों (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर 106.16 करोड़ रुपए की ब्याज आय की पहचान की है। चूँकि वसूली की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए इसे उसी वर्ष अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसलिए, वर्ष के निवल लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

40.3 31 मार्च, 2025 तक पूंजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (–) 23.04 प्रतिशत है, जो आरबीआई के परिपत्र दिनांक 31 मई 2018 (आरबीआई / 2017–18 / 181डीएनबीआर (पीडी) सीसी. संख्या 092/03.10.001/2017–18) के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों से कम है।

40.4 आईएफसीआई सहायक कम्पनियों में गड़बड़ी से होने वाली हानि (यदि कोई हो) की निवल लागत पर निवेश कर रहा है और इसने प्रभावी तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 2017 को निवेश के अग्रणी मूल्य के रूप में मानी जाने वाली लागत के लिए भारतीय लेखा मानक 101 के तहत एकमुश्त छूट का विकल्प चुना है। कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक, अपनी सहायक कंपनी आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) में 27,91,54,700 इक्विटी शेयरों और अन्य सहायक कंपनी, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईफिन) में 3,93,63,809 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। कंपनी ने आईएफएल और आईफिन के शेयरों का आंतरिक रूप से उचित मूल्यांकन करवाया, जिसके अनुसार, आईएफएल के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 17.31 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया और आईफिन के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 60.90 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, और तदनुसार, परिणामी गड़बड़ियों से होने वाली हानि को लाभ–हानि खाते में डाला गया है।

41 भारतीय लेखा मानक 108 – "परिचालन खंड" के अनुसार, व्यवसाय / भौगोलिक खंड की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के परिचालन में वित्तपोषण का केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

42 कंपनी द्वारा जारी किए गए और 31 मार्च 2025 तक बकाया सभी प्रतिभूति बांडों और डिबेंचर पर, कंपनी के प्राप्य पर फ्लोटिंग चार्ज के माध्यम से मूलधन और ब्याज के प्रति 100 प्रतिशत सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

43 ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 डिवीजन 3 के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है और 11 अक्टूबर 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। आरबीआई या अन्य नियामकों द्वारा जारी किए गए किसी भी आवेदन मार्गदर्शन / स्पष्टीकरण / निर्देशों को उस समय लागू किया जाएगा जब वे जारी / लागू होंगे।

44 निधियों का उपयोग

वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई धनराशि उधार नहीं ली जाती।

44.1 पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन

वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है

44.2 अनुसूची 3 के तहत अपेक्षित अन्य अतिरिक्त नियामक प्रकटन

क. ऋण एवं अग्रिम

कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति के ऐसे कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिए हैं, जो मांग पर चुकाने योग्य हों और जिनकी पुनर्भुगतान की शर्तें या अवधि पूर्व–परिभाषित नहीं हो।

ख. कार्यशील पूंजीगत कार्य का काल विश्लेषण

वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ–साथ विगत वित्तीय वर्ष में कोई पूंजीगत कार्य चालू नहीं है।

ग. विकासशील अमूर्त संपत्ति का काल विश्लेषण

वर्तमान वित्तीय वर्ष के साथ–साथ विगत वित्तीय वर्ष में कोई विकासशील अमूर्त संपत्ति नहीं है।

घ. बेनामी संपत्ति :

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई और न ही कोई मामला लंबित है।

ङ. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारी

कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिया गया कोई उधार नहीं है।

च. जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता :

कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

छ. बंद कंपनियों के साथ संबंध :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

ज. प्रभारों का पंजीकरण अथवा कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ संतुि ट

सांविधिक अवधि के परे आरओसी के पास किसी प्रभार या प्रभार मुक्ति का पंजीकरण कराना शेष नहीं है।

झ. कई स्तर की कंपनियों वाली कंपनियां :

एनबीएफसी होने के कारण कंपनी पर अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) लागू नहीं है।

ञ. पुनर्गठन–योजना

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 तक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पुनर्गठन–योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ट. उधार ली गई निधियों का उपयोग :

(i) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) को कोई धनराशि उधार नहीं दी है या उनमें निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से निरूपित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा अथवा अन्तिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी प्रतिभूति या ऐसी ही कोई और गारंटी प्रदान की जाएगी।

(ii) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) से कोई निधियां प्राप्त नहीं की है या उनमें निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से निरूपित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा अथवा अन्तिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी प्रतिभूति या ऐसी ही कोई और गारंटी प्रदान की जाएगी।

l. अघोषित आय :

वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी योजना के तहत प्रकटन से उन्मुक्ति मिलने तक ऐसे किसी भी लेनदेन के संदर्भ में किसी आय का प्रकटन नहीं किया है जिसे खाता–बही में रिकार्ड नहीं किया गया हो और जिसका आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकटन किया हो।

m. क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई कारोबार नहीं किया है।

45 कर्मचारी हित

कंपनी निम्नलिखित रोजगार पश्चात् योजनाओं का परिचालन करती है।

i. परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी पेंशन के संबंध में मासिक अंशदान करती है जो एक परिभाि ात अंशदान योजना है। कंपनी के पास निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा, कोई अन्य देयता नहीं है। अंशदान; जैसे ही वे प्रोद्भूत होते हैं, लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं। इस अंशदान के संबंध में व्यय के रूप में मान्य राशि निम्नानुसार है :

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
पेंशन निधि में अंशदान	0.01	0.01

ii. परिभाषित लाभ योजना

क. ग्रेच्युटी

कंपनी की भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है, जो आईएफसीआई ग्रेच्युटी विनियमावली, 1968 द्वारा अधिशासित है। यह योजना कर्मचारी को सेवा के पहले 20 वर्षों के लिए आईएफसीआई में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अथवा छः माह से अधिक के उसके भाग के लिए एक माह के वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर की राशि, अधिकतम बीस माह के वेतन और महंगाई भत्ता अथवा अठारह लाख रुपए, जो भी कम हो प्राप्त करने का अधिकार देती है। योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम, (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। यह परिभाषित लाभ योजना कंपनी के बीमांकन जोखिमों जैसे कि लांगिविटी जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम को दर्शाती है।

हाल ही में योजना परिसम्पत्तियों का बीमांकन मूल्यांकन और ग्रेच्युटी हेतु परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य का मूल्यांकन 31 मार्च, 2025 को किया गया था। परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा पिछली सेवा लागत का मूल्यांकन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया गया था।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी ग्रेच्युटी योजना और तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
	(2.41)	(0.34)

(क) निधिकरण

योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। निधिकरण अपेक्षाएं योजना की निधिकरण नीतियों में निर्दिष्ट ग्रेच्यूटी निधि के बीमांकक मूल्यांकन संरचना पर आधारित हैं। योजना की निधि व्यवस्था निधिकरण प्रयोजनों के लिए पृथक बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है जिसके लिए पूर्वानुमान, नीचे भाग घ में दिए गए पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं। कर्मचारी इस योजना में अंशदान नहीं करते।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी योजना में अनुमानित अंशदान 1.10 करोड़ रुपए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2024 को			31 मार्च, 2024 को		
	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	21.33	21.66	(0.34)	22.88	26.18	(3.31)
वर्तमान सेवा लागत	1.29	-	1.29	1.33	-	1.33
कर्टेलमेंट लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	-	0.07	0.07	-	-	-
ब्याज लागत (आय)	1.54	(1.56)	(0.02)	1.69	(1.93)	(0.24)
	2.83	**(1.48)**	**1.35**	**3.01**	**(1.93)**	**1.08**
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्न से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ) :						
– जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
– वित्तीय अनुमान	0.78	-	0.78	-	-	-
– अनुभव समायोजन	(3.84)	-	(3.84)	(0.21)	-	(0.21)
– योजना परिसम्पत्तियों पर	-	0.05	0.05	-	0.10	0.10
	(3.06)	**0.05**	**(3.01)**	**(0.21)**	**0.10**	**(0.12)**
नियोक्ता द्वारा अदा किया गया अंशदान	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(5.36)	(4.96)	(0.40)	(4.35)	(6.35)	2.00
	(5.36)	**(4.96)**	**(0.40)**	**(4.35)**	**(6.35)**	**2.00**
वर्ष के अन्त में शेष	**15.73**	**18.14**	**(2.41)**	**21.33**	**21.66**	**(0.34)**

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
जीवन बीमा निगम के साथ निवेश	100%	100%

कंपनी द्वारा वार्षिक आधार पर परिसंपत्ति–देयता मिलान अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत कंपनी देयता जोखिम का प्रबंधन करने के लिए योजना प्रबंधक (बीमाकर्ता) को बीमांकिक देयता में निवल वृद्धि का योगदान देती है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
छूट दर	6.79%	7.21%
आगामी वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
निकासी दर		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	60	60
मृत्यु दर	IALM (2012-14)	IALM (2012-14)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी में एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाया गया है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत घट–बढ़)	(0.93)	1.03	(0.97)	1.05
आगामी वेतन वृद्धि (0.50 प्रतिशत घट–बढ़)	1.08	(0.95)	1.05	(0.97)

यद्यपि विश्लेषण में इस योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, इसलिए यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मृत्यु दर एवं निकासियों के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसलिए इसके कारण परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया जाता।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(च) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
0 से 1 वर्ष	0.70	3.61
1 से 2 वर्ष	0.37	0.90
2 से 3 वर्ष	1.25	0.50
3 से 4 वर्ष	0.45	1.94
4 से 5 वर्ष	0.68	0.74
5 से 6 वर्ष	0.56	1.22
6 वर्ष से अधिक	11.73	12.41
कुल	**15.73**	**21.33**

31 मार्च, 2025 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.88 वर्ष (31 मार्च, 2024 : 12.74 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कंपनी निम्नलिखित विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है–

वेतन वृद्धि : वास्तविक वेतन वृद्धि में योजना की देयता बढ़ेगी। आगामी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर पूर्वानुमान में वृद्धि से भी देयता बढ़ेगी।

निवेश जोखिम : यदि योजना को निधिकृत किया जाता है तो परिसम्पत्तियां देयताओं में असमानता हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख को अनुमानित छूट दर से कम हो जाता है, जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में अनुमानित मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां : वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होती हैं, और निकासी दर में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

आईएफसीआई ने अपने कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी चिकित्सा लाभ योजना एवं तुलन पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां को दर्शाती है

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	34.99	34.79

(क) निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान :

निम्नलिखित सारणी निवल परिभा ित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटनों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है :

	पारिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वर्ष के आरम्भ में शेष	34.79	32.11
वर्तमान सेवा लागत	0.08	0.09
कम किए गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत (आय)	2.51	2.37
	2.58	**2.46**
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)		
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ) :		
– जनसांख्यिकी अनुमान	-	-
– वित्तीय अनुमान	0.78	-
– अनुभव समायोजन	(2.59)	0.68
	(1.81)	**0.68**
प्रदत्त लाभ	(0.57)	(0.46)
	(0.57)	**(0.46)**
वर्ष के अन्त में शेष	**34.99**	**34.79**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) योजना परिसम्पत्तियां

कंपनी में उक्त सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के संदर्भ में कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं थी।

(ग) बीमांकन अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
छूट दर	6.79%	7.21%
आगामी चिकित्सा लागत वृद्धि	3.00%	3.00%
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	60	60
मृत्यु दर	IALM (2012-14)	IALM (2012-14)

(घ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत घट–बढ़)	(1.15)	1.15	(1.14)	1.14

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(ङ) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
0 से 1 वर्ष	2.71	2.67
1 से 2 वर्ष	2.17	2.16
2 से 3 वर्ष	2.18	2.17
3 से 4 वर्ष	1.92	1.91
4 से 5 वर्ष	2.06	2.05
5 से 6 वर्ष	1.60	1.59
6 वर्ष से अधिक	22.34	22.24
कुल	**34.99**	**34.79**

31 मार्च, 2025 को परिभाि ात लाभ देयता के दौरान भारित औसत 8.27 वर्ष (31 मार्च, 2024 : 7.87 वर्ष) था।

(च) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कंपनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है :

चिकित्सा लागत वृद्धि : वास्तविक चिकित्सा लागत में प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति में वृद्धि इस योजना की देयता को बढ़ाएगी। सेवानिवृत्त प्रति व्यक्ति पूर्वानुमान दर में वृद्धि से भी चिकित्सा लागत में वृद्धि होगी।

निवेश जोखिम : यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं असमान हो जाती है तथा परिसम्पत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम हो जाता है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती से योजना की देयता बढ़ सकती है।

मृत्यु संख्या एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत देयता से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां : वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम सिद्ध हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ग. भविष्य निधि

कंपनी की परिभाषित लाभ भविष्य निधि है जो आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमनों द्वारा अधिशासित है। भविष्य निधि मासिक अंशदान राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है। आईएफसीआई संगत वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अधिसूचित दर पर भविष्य निधि शेष पर ब्याज अदा कर रहा है। भविष्य निधि को विधिवत रूप से गठित एवं मान्य प्रशासकों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में पीएफ देयता के प्रति निर्दिष्ट निवेश किए जाने को अनुमोदित किया हैं। इस प्रयोजनार्थ, निवेशों को ईपीएफओ तथा ईपीएफ छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निवेश स्वरूप को अधिसूचित करने सम्बन्धी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएफ देयता के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी भविष्य निधि योजना की स्थिति एवं तुलनपत्र की तारीख में कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है :

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	(7.51)	2.77

(क) निधिकरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कम्पनी ने अपने कुछ निवेशों को भविष्य निधि देयता के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, म्युचूअल फण्ड में निर्दिष्ट किया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि योजना में प्रत्याशित अंशदान 9.23 करोड़ रुपए है।

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	88.43	85.66	2.77	86.36	96.26	(9.90)
ब्याज लागत/(आय)	5.58	(5.67)	(0.09)	1.10	-	1.10
वर्तमान सेवा लागत	1.05	-	1.05	0.97	-	30.97
	6.63	**5.67**	**0.96**	**2.07**	**-**	**2.07**
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):						
– जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
– वित्तीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
– अनुभव समायोजन	(0.46)	-	(0.46)	-	-	-
– योजना परिसम्पत्तियों पर	-	-	-	-	0.97	(0.97)
	(0.46)	**-**	**(0.46)**	**-**	**0.97**	**(0.97)**
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया अंशदान	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(29.03)	(29.03)	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	3.32	14.11	(10.79)	-	(11.57)	11.57
निपटान/अन्तरण	-	-	-	-	-	-
	(25.71)	**(14.91)**	**(10.79)**	**-**	**(11.57)**	**11.57**
वर्ष के अंत में शेष	**68.90**	**76.41**	**(7.51)**	**88.43**	**85.66**	**2.77**

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश	100%	100%

कंपनी द्वारा वार्षिक आधार पर, परिसंपत्ति–देयता मिलान अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत कंपनी एक्चुरियल देयता में निवल वृद्धि को एक पूल में योगदान देती है, जो बदले में देयता जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निवेश करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
छूट दर	6.79%	7.21%
खाता बही शेष पर अनुमानित सांविधिक ब्याज दर	8.25%	8.25%
निधि पर ब्याज अर्जन में अनुमानित वर्ष/चालू कमी	0.30%	0.30%
अशक्तता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	IALM (2012-14)	IALM (2012-14)
निकासी दर (आयु से संबंधित)		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष के बीच	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60	60

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, इस सारणी में दर्शाया गया है कि परिभाि ात लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत घट–बढ़)	(0.09)	0.09	(0.09)	0.10

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(च) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1 वर्ष	3.05	23.76
2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	18.99	13.30
5 से 10 वर्ष के बीच	16.45	16.45
10 वर्ष से अधिक	32.54	32.54
कुल	**71.03**	**86.05**

31 मार्च, 2025 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.88 वर्ष (31 मार्च, 2024 : 12.74 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कंपनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करता है–

निवेश जोखिम : यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं असमान हो जाती हैं तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम हो जाता है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत देयता में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां : वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च या निम्न सिद्ध हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

घ. अन्य दीर्घ अवधि नियोजन लाभ

कंपनी अपने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा अवकाश किराया रियायत प्रदान करती है, जिसे आगामी वर्षों हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियों हेतु लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि निम्नानुसार है–

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि		
अवकाश नकदीकरण	0.81	0.34
अवकाश किराया रियायत	3.32	0.54

46 परिसम्पत्तियां एवं देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण

निम्न सारणी वसूली या निपटान के अपेक्षित समय के अनुसार विश्लेषित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के विश्लेषण को दर्शाती है।

	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
	12 माह के अंदर	12 माह के बाद	कुल	12 माह के अंदर	12 माह के बाद	कुल
I. परिसम्पत्तियां						
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(क) नकदी एवं नकद समतुल्य	46.08	-	46.08	642.46	-	642.46
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	3,485.20	-	3,485.20	2,324.01	325.35	2,649.36
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-	-	-
(घ) प्राप्य राशियां	85.30	-	85.30	103.64	-	103.64
(ङ.) ऋण	14.26	1,323.22	1,337.48	24.59	1,281.80	1,306.39
(च) निवेश	435.00	762.06	1,197.06	929.01	729.80	1,658.81
(छ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	1.63	23.79	25.42	15.64	26.08	41.72
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**4,067.46**	**2,109.08**	**6,176.54**	**4,039.34**	**2,363.03**	**6,402.37**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
	12 माह के अंदर	12 माह के बाद	कुल	12 माह के अंदर	12 माह के बाद	कुल
(2) गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(क) सहायक कम्पनियों में निवेश	-	1,229.13	1,229.13	-	1,250.55	1,250.55
(ख) निवेशितों की लेखागत इक्विटी	-	-	-	-	-	-
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	-	28.34	28.34	-	34.30	34.30
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	-	969.05	969.05	-	1,306.65	1,306.65
(ड.) निवेश सम्पत्ति	-	297.77	297.77	-	276.45	276.45
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	-	557.90	557.90	-	602.27	602.27
(छ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तिया	-	0.10	0.10	-	0.19	0.19
(ज) अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	2.41	74.03	76.44	1.40	84.10	85.50
कुल गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	**2.41**	**3,156.32**	**3,158.73**	**1.40**	**3,554.51**	**3,555.91**
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां	50.48	-	50.48	49.41	-	49.41
कुल परिसम्पत्तियां	**4,120.35**	**5,265.40**	**9,385.75**	**4,090.15**	**5,917.54**	**10,007.69**
II. देयताएं						
(1) वित्तीय देयताएं						
(क) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	13.94	-	13.94
(ख) ट्रेड देयताएं						
(i) सूक्ष्म, उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशि	-	-	-	-	-	-
(ii) सूक्ष्म, उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों को कुल बकाया देय राशि	77.58	-	77.58	53.49	-	53.49
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	225.00	2,808.39	3,033.39	1,373.35	2,998.39	4,371.74
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	-	31.78	302.47	334.25
(ड.) अधीनस्थ देयताएं	-	744.67	744.67	-	744.67	744.67
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	2,407.10	1,320.63	3,727.73	2,172.38	1,016.54	3,188.92
कुल वित्तीय देयताएं	**2,709.68**	**4,873.69**	**7,583.37**	**3,644.95**	**5,062.06**	**8,707.01**
(2) गैर–वित्तीय देयताएं						
(क) प्रावधान	4.88	61.91	66.79	6.48	80.00	86.48
(ख) अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	-	-	-	0.34	(0.34)	-
कुल गैर–वित्तीय देयताएं	**4.88**	**61.91**	**66.79**	**6.82**	**79.66**	**86.48**
कुल देयताएं	**2,714.56**	**4,935.60**	**7,650.16**	**3,651.76**	**5,141.73**	**8,793.49**
निवल	**1,405.79**	**329.80**	**1,735.59**	**438.39**	**775.81**	**1,214.20**

47 सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन

i. सम्बद्ध पक्षकार का नाम एवं संबंध का स्वरूप :–

सबंध का स्वरूप	**सम्बद्ध पक्षकार का नाम**
सहायक कम्पनियां	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि. (आईएफआईएन)
	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ)
	आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (आईआईडीएल)
	आईएफसीआई फैक्टर्स लि. (आईएफएल)
	एमपीकॉन लि
	स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
	आईएफआईएन कमोडिटीज लि. (आईएफआईएन के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	आईएफआईएन क्रेडिट लि. (आईएफआईएन के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	आईएफआईएन सिक्योरिटीज़ फाइनेंस लि. (आईएफआईएन के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लि. (आईआईडीएल के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

सबंध का स्वरूप	सम्बद्ध पक्षकार का नाम
	एसएचसीआईएल सर्विसिज़ लि. (एसएचसीआईएल के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	स्टॉक होल्डिंग डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसिज लि. (एसएचसीआईएल के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज़ आईएफसीआई लिमिटेड (एसएसआईएल) (एसएचसीआईएल के माध्यम से अप्रत्यक्ष नियंत्रण)
सहयोगी कम्पनियां *	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन
	इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट
	बिक्री हेतु धारित सहयोगी कम्पनियां
	– किटको लि.
	– गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा. लि.
	– नागाई पावर प्रा. लि.
	– शिगा एनर्जी प्राइवेट लि.
	– वडराज सीमेंट लि.
	– वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.

* 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों के खातों का समेकन नहीं किया गया। लेकिन भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी कम्पनियों के नाम सम्बद्ध पक्षकार में दर्शाए गए है।

संयुक्त उद्यम	आईएफसीआई सीकामोर कैपिटल एडवाइजर्स प्रा. लि. (स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन)
सीएसआर क्रियाकलाप के लिए निगमित न्यास	आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	श्री राहुल भावे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (21 मार्च, 2025 से प्रभावी)
	श्री राहुल भावे, उप. प्रबंध निदेशक (21 मार्च, 2025 से पदमुक्त)
	श्री मनोज मित्तल – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (27 जुलाई, 2024 से पदमुक्त)
	श्री जीतेन्द्र असाति (04 अप्रैल 2024 से प्रभावी)
	श्री सुरजीत कार्तिकेयन (04 अप्रैल, 2024 से प्रभावी)
	श्री सुनीत शुक्ला – मुख्य वित्तीय अधिकारी (11 अगस्त 2023 से प्रभावी)
	सुश्री प्रियंका शर्मा – कंपनी सचिव (16 सितंबर 2021 से प्रभावी)
	प्रो. नारायणस्वामी बालकृष्णन (30 अक्टूबर 2017 से प्रभावी)
	प्रो. अरविंद सहाय (30 अक्टूबर 2017 से प्रभावी प्रभावी)
	श्री सुरेंद्र बेहरा (09 नवंबर 2022 से प्रभावी)
	श्री अरविंद कुमार जैन (09 नवंबर 2022 से प्रभावी)
	श्री उमेश कुमार गर्ग (10 मई, 2023 से प्रभावी)
एक ही सरकार के नियंत्रण में कम्पनियां	कंपनी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार कम्पनियां, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण है अथवा संयुक्त नियंत्रण है अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें रिपोर्टिंग कंपनी और अन्य कम्पनियों को सम्बद्ध पक्षकार के रूप में समझा जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए हैं।

ii. वर्ष के दौरान सम्बद्ध पक्षकार लेन–देन और तुलनपत्र की तारीख को सम्बद्ध पक्षकारों से प्राप्य एवं इन्हें देय शेष राशियां :–

	सम्बद्ध पक्षकारों का नाम		लेन–देन का स्वरूप	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
क.	**सहायक एवं सहयोगी कम्पनियां**				
	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	1.05	0.94
		(ii)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	0.001	0.02
		(iii)	डिपाजिटरी सेवाएं		
		(iv)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	-	0.02
		(v)	आईटी सहायता सेवा	-	-
		(vi)	आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईएफआईएन के कर्मचारियों को भुगतान/देय वेतन	0.10	0.06
	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फण्ड लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	1.71	1.67
		(ii)	प्राप्त व्यावसायिक शुल्क	0.59	0.18
		(iii)	आईएफसीआई द्वारा भुगतान किया गया/देय ब्याज	1.85	1.98
		(iv)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	-	0.98

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम		लेन–देन का स्वरूप	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
	(v)	आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईवीसीएफ के कर्मचारियों को प्रदत्त/देय वेतन	0.57	0.51
	(vi)	आईटी सहायता सेवा शुल्क प्राप्त हुआ	0.18	-
	(vii)	आईवीसीएफ द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद	37.98	-
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि.	(i)	प्राप्त लाभांश	9.87	24.99
	(ii)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	0.14	0.14
	(iii)	प्रदत्त किराया और रखरखाव राशि	-	-
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	7.27	8.96
	(v)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय है	-	0.90
	(vi)	आईएफसीआई में प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईआईडीएल के कर्मचारियों को भुगतान किया गया / देय वेतन	-	-
	(vii)	व्यावसायिक सेवा	0.73	-
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.	(i)	प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	0.51	0.77
	(ii)	प्राप्त व्यावसायिक शुल्क	0.01	0.06
	(iii)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा भुगतान किया गया वेतन/अन्य अनुमानित व्यय, उनसे वसूले गए/वसूलनीय है	-	-
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय हैं	1.40	1.34
	(v)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	-	0.87
	(vi)	आईटी सेवा	0.06	
स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i)	आईएफसीआई द्वारा प्राप्त किराया एवं रखरखाव राशि	2.57	2.59
	(ii)	आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त/देय ब्याज	-	2.10
	(iii)	प्राप्त लाभांश	94.94	80.14
	(iv)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	0.85	0.00
	(v)	प्राप्त बैठक शुल्क	0.22	0.21
	(vi)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय है	-	0.50
एमपीकॉन	(i)	प्राप्त लाभांश	0.24	0.80
	(ii)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	-	-
	(iii)	प्राप्त किराया	-	-
	(iv)	आईएफसीआई द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए आईएफसीआई द्वारा प्रदत्त वेतन/अन्य स्थापना व्यय, जो उनसे वसूले गए/वसूलनीय है	-	0.47
	(v)	आईएफसीआई मे प्रतिनियुक्ति पर तैनात एमपीकॉन के कर्मचारियों के लिए वेतन भुगतान/देय	-	2.83
	(vi)	व्यावसायिक सेवा	0.41	-
स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लि.	(i)	प्रदत्त दलाली/व्यावसायिक शुल्क	0.08	0.04
	(ii)	प्राप्त बैठक शुल्क	0.10	0.04
स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड	(i)	प्राप्त बैठक शुल्क	0.04	0.02
	(ii)	कमीशन आय	-	-
स्टॉकहोल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड	(i)	प्राप्त बैठक शुल्क	0.05	0.06
	(ii)	कमीशन आय	-	-
किटको	(i)	प्राप्त बैठक शुल्क	-	0.002
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट	(i)	सीएसआर क्रियाकलापों हेतु अंशदान	-	-
	(ii)	आईएफसीआई द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए वसूला गया/वसूलनीय वेतन/अन्य स्थापना व्यय	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. एक ही सरकार के नियंत्रण वाली कम्पनियां

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन–देन का स्वरूप	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
सीईजीएसएससी, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन –एससी/एसटी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड	0.37	0.34
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	कमीशन–एम सिप्स	4.12	3.45
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स	4.61	3.77
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	एजेंसी शुल्क एसपीईसीएस	4.16	5.37
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – बल्क ड्रग्स	0.85	1.23
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – मेडिकल डिवाइस	0.60	0.40
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – बल्क ड्रग्स पार्क	1.90	1.90
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – बल्क ड्रग्स पार्क	0.76	0.76
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	निगरानी एजेंसी शुल्क	4.29	3.02
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क – आईटी हार्डवेयर	2.03	3.55
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएलआई व्हाइट गुड्स	3.00	3.00
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएलआई ऑटो योजना	2.80	2.00
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएलआई एसीसी योजना	1.00	1.28
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएलआई टेक्सटाइल	3.50	3.50
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबंधन शुल्क –सेमीकंडक्टर फैब्स योजना	1.00	2.75
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबंधन शुल्क – फैब्स योजना प्रदर्शन	1.00	3.00
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबंधन शुल्क – कंपाउंड सेमीकंडक्टर/एटीएमपी/ओएसएटी योजना	2.34	2.91
योजना प्रबंधन शुल्क –पीएम ई–ड्राइव	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएम ई–ड्राइव	7.07	-
योजना प्रबंधन शुल्क –ईएमपीएम 2024	योजना प्रबंधन शुल्क –ईएमपीएम 2024	5.35	-
भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसएमईसी)	भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसएमईसी)	4.19	-
केआईटीएस के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी शुल्क	केआईटीएस के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी शुल्क	1.08	-
नगर विमानन मंत्रालय (एमओसीए)	योजना प्रबंधन शुल्क – ड्रोन और ड्रोन घटक	1.96	1.16
भारी उद्योग मंत्रालय	योजना प्रबंधन शुल्क – एफएएमई ।।	-	15.93
एसडीएफ, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन – चीनी विकास कोष	9.35	5.87
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	प्राप्त परामर्श एवं मूल्यांकन शुल्क	0.09	0.09
केंद्र सरकार	जी–सेक और टी बिल पर ब्याज आय	29.67	18.98
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	किराए से आय	3.36	3.37
कंपनी रजिस्ट्रार	किराए से आय	2.26	4.46
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (पहले पोस्को)	किराए से आय	7.46	7.06
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	किराए से आय	0.29	0.29
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	किराए से आय	0.23	0.24
केनरा बैंक	किराए से आय	0.37	0.38
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	किराए से आय	-	2.88
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	किराए से आय	0.40	-
भारत सेमीकंडक्शन मिशन (डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन)		2.05	0.72

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मुआवजा

अल्पअवधि कर्मचारी लाभ	1.67	2.05
नियोजन के बाद परिभाषित लाभ	-	-
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
सेवा समाप्ति लाभ	-	-
बैठक में भाग लेने का शुल्क	0.30	0.26

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

घ. सम्बद्ध पक्षकार का बकाया शेष	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लि.		
– आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	-	10.00
– आईएफसीआई द्वारा दिए गए ऋण	-	-
आईएफसीआई इफ्रांस्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि.		
– आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	75.00	95.00
– आईएफसीआई द्वारा अभिदत्त बॉण्ड/डिबेन्चर	-	-
आईआईडीएल रियलटर्स प्रा. लि.	-	-
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.		
– आईएफसीआई द्वारा अभिदत्त बॉण्ड/डिबेन्चर	-	-
स्टॉकहोल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.		
– आईएफसीआई द्वारा जारी बॉण्ड	-	25.00
एसएचसीआईएल सर्विसेज लि.	-	-
स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	-	-
स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफसीआई लिमिटेड	-	-
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (आईएफआईएन)	-	-
आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड		
– प्राप्य बकाया	-	-
आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	-	-
आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	-	-
एमपीकॉन लिमिटेड	-	-

शर्तें और निबंधन

इन संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन के मूल्य आर्म्सलेंथ आधार पर रखे गए हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

48 पट्टे

क. पट्टेदार के रूप में पट्टा

पट्टे विशेष तौर पर 11 माह की अवधि के लिए होते हैं, इसमें उस अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतानों को बाजार किरायों को दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर पुनः बातचीत की जाती है।

			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
i.	**आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान**			
	वर्ष के अन्त में रद्द किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :			
	(क)	एक वर्ष से अधिक नहीं	0.17	0.23
	(ख)	एक वर्ष से अधिक, परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	0.15	0.29
	(ग)	पांच वर्ष से अधिक	-	-
ii.	**लाभ अथवा हानि में प्रभारित राशि**		0.41	0.40

ख. पट्टादाता के रूप में पट्टे

कंपनी अपने भवन को (निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत) परिचालन पट्टा आधार पर देती है। पट्टे सामान्य तौर पर 11 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें उस अवधि के बाद इसे नवीकृत किए जाने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतान को बाजार किराए दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर इसके लिए पुनः बातचीत की जाती है।

			31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
i.	;			
	वर्ष के अंत में रद्द न किए जाने वाले परिचालन पट्टों के तहत आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :			
	(क)	एक वर्ष से अधिक नहीं	37.78	35.15
	(ख)	एक वर्ष से अधिक, परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	55.00	55.68
	(ग)	पांच वर्ष से अधिक	11.58	8.17
ii.	**लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां**		44.17	42.74

49 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

			यूनिट	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
i	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ गणना			
		संगणना लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	रुपए	43.80	128.25
		घटाएं: अधिमान लाभांश	रुपए	-	-
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ	रुपए	43.80	128.25
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	2,61,48,90,017	2,48,96,13,863
ii	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ संगणना (संभावित शेयरधारकों सहित)			
		लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	रुपए	43.80	128.25
		घटाएं: अधिमान लाभांश	रुपए	-	-
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ (संभावित शेयरधारकों सहित)	रुपए	43.80	128.25
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	2,61,48,90,017	2,48,96,13,863
		प्रति शेयर अर्जन			
		(भारित औसत)			
		मूल	रुपए	**0.17**	**0.52**
		तनुकृत	रुपए	**0.17**	**0.52**

50 परिचालन खण्ड

बोर्ड की मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में परिभाषित है। कंपनी के परिचालन खण्ड कंपनी के संघटकों के अनुरूप इस प्रकार स्थापित है कि भारतीय लेखांकन मानक 108 ''परिचालन खण्ड'' में दी गई परिभाषा के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से इनका मूल्यांकन किया जाता है। कंपनी मुख्यतया वित्तपोषण करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार अंतरण अलग से किया जाने वाला कोई उल्लेखनीय खण्ड नहीं है।

क. उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना :

कंपनी केवल एक ही उत्पाद पर कार्य करती है अर्थात कारपोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। अतः इस पर पृथक प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना :

कंपनी की सम्पूर्ण बिक्री उन ग्राहकों के लिए की जाती है, जो भारत में रहते हैं। कंपनी की परिसम्पत्तियां भी भारत में ही स्थित हैं।

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना (बाहरी ग्राहकों से) :

कंपनी ग्राहकों से राजस्व अर्जित नहीं करती, जो कि कंपनी के 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व को दर्शाता हो।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

51 वित्तीय परिसम्पत्तियों का अन्तरण

सामान्य कारोबार करते हुए, कंपनी ऐसे लेन देन करती है जो ग्राहकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के अन्तरण से होता है। टिप्पणी 2 में परिभाषित लेखांकन नीति के अनुसार अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी परिपूर्णता में अथवा कंपनी की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में मान्य किया जाता है अथवा उनकी परिपूर्णता में अमान्य किया जाता है। कंपनी उन वित्तीय परिसम्पत्तियों को अन्तरित करती है जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य नहीं हैं, जो मुख्यतया परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री के जरिए किया जाता है।

क. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें उनकी परिपूर्णता में अमान्य नहीं किया गया हैं

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसीस) को एनपीए ऋणों की बिक्री

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री ऐसा लेनदेन हैं, जिनमें कंपनी गैर समेकित विशेष संस्था को ऋण एवं अग्रिम बेचती है और साथ ही साथ उक्त वाहन द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अधिकांश भाग को खरीदती है। प्रतिभूति प्राप्तियां वाहन द्वारा खरीदे गए ऋणों द्वारा संपार्श्विकीकृत होती हैं और इसलिए प्रतिभूति प्राप्तियों का नकद प्रवाह खरीदे गए ऋणों की वसूली पर निर्भर करता है। कंपनी ऋणों की सम्पूर्णता में ऋण के उस भाग को निरन्तर मान्यता देती है, जिसके संबंध में कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों का अभिदान किया गया है क्योंकि यह अन्तरित ऋण के उस भाग के संदर्भ में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूर्ण रूप में धारित रखता है। अन्तरित ऋण के भाग, जिसके लिए नकद प्रतिफल प्राप्त होता है, उसे अमान्य किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी एक ऐसी अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्ति, जिसे पूरी तरह से अमान्य नहीं किया गया है, की वास्तविक राशि एवं उचित मूल्यों को और उससे जुड़ी देयताओं को दर्शाती है :

	रखरखाव राशि		उचित मूल्य		
	परिसम्पत्तियां–ऋण	देयताएं–उधार	परिसम्पत्तियां–ऋण	देयताएं–उधार	निवल स्थिति
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री					
31 मार्च, 2025 को	366.83	-	537.24	-	537.24
31 मार्च, 2024 को	65.53	-	245.59	-	245.59

ख. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें पूरी तरह से अमान्य किया गया है।

परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

कंपनी ने इंड एएस को अपनाते समय अमान्य करने की छूट ली है और ऋणों को उनकी सम्पूर्णता में अमान्य करती है जिसके संबंध में कंपनी द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों में अभिदान किया गया है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर बाद में मूल्यांकित प्रतिभूति प्राप्तियों में उक्त निवेश को वर्गीकृत किया है। 31 मार्च 2025 को प्रतिभूति प्राप्तियों पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) (–) 22.93 करोड़ रु. है (31 मार्च 2024 – (–) 40.59 करोड़ रु.)। निम्नलिखित सारणी में उन परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को दर्शाया गया है, जो पूरी तरह से अमान्य व अन्तरित की गई परिसम्पत्तियों के साथ कंपनी को निरन्तर जुड़ाव को प्रदर्शित करती है।

	वहन राशि	उचित मूल्य	
	परिसम्पत्तियां–प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	परिसम्पत्तियां–प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	देयताएं
परिसम्पत्ति पुनर्संरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री			
31 मार्च, 2025 को	6.32	6.32	-
31 मार्च, 2024 को	60.98	60.98	-

52 वित्तीय प्रलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. श्रेणी के तहत वित्तीय प्रलेख

निम्नलिखित सारणी में वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को दर्शाया गया है।

	31 मार्च, 2025 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां :			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	46.08
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	-	-	3,485.20
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	85.30
ऋण	-	-	1,337.48
निवेश	1,174.68	22.38	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	25.42
	1,174.68	**22.38**	**4,979.48**
वित्तीय देयताएं :			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
ट्रेड देयताएं	-	-	77.58
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	3,033.39
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	-
अधीनस्थ देयताएं	-	-	744.67
;	-	-	3,727.73
	-	**-**	**7,583.37**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

विवरण	31 मार्च, 2024 को एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	642.46
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	-	-	2,649.36
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	103.64
ऋण	-	-	1,306.39
निवेश	1,112.85	545.96	-
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	41.72
	1,112.85	**545.96**	**4,743.56**
वित्तीय देयताएं:			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	13.94	-	-
ट्रेड देयताएं	-	-	53.49
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	4,371.74
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	334.25
अधीनस्थ देयताएं	-	-	744.67
अन्य वित्तीय देयताए	-	-	3,188.92
	13.94	**-**	**8,693.07**

43 कंपनियों में इक्विटी दस्तावेज हैं जो वर्तमान में सीआईआरपी या परिसमापन के अधीन हैं। इन कंपनियों के संबंध में, 31 मार्च 2025 तक, इक्विटी दस्तावेज लेखा बही में शून्य मूल्य पर रखे जा रहे हैं।

निवेश के 36 मामलों का मूल्यांकन 31 मार्च 2025 तक नहीं किया गया था और यह मूल्यांकन अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

ख. मूल्यांकन रूपरेखा

संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय सूचना के प्रयोजनार्थ तिमाही सूचना अवधि के लिए या तो बाहरी रूप से या फिर आन्तरिक रूप से अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन तकनीकों का उद्देश्य एक उचित मूल्य माप पर पहुंचना है जो उस मूल्य को दर्शाता है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी निम्नलिखित उचित मूल्य अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उचित मूल्यों का मूल्यांकन करती है, जो मूल्यांकन करने में प्रयोग किए गए इनपुट्स के महत्व को दर्शाता है।

स्तर 1 : इनपुट, जो एक जैसी परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में बाजार मूल्यों (असमायोजित) को उद्धृत करता है।

स्तर 2 : वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्य का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, जिनकी सक्रिय बाजार में ट्रेडिंग नहीं की जाती, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेखनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती है जैसे कि वित्तीय प्रलेखों की पर्याप्त पूर्ण अवधि के लिए सक्रिय बाजारों में एक जैसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का उद्धृत मूल्य, परन्तु स्तर–1 इनपुट के रूप में मान्य नहीं, है। यदि उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट, जिसमें प्रलेख महत्वपूर्ण हो, प्रलेख को स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं होता है, तो प्रलेखों को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। अर्थात स्तर–3 इनपुट में उस जोखिम को वहन करने की दिशा में बाजार भागीदारों द्वारा अपेक्षित जोखिम और जोखिम प्रीमियम के बारे में बाजार भागीदारों के पूर्वानुमान शामिल हैं। यह परिस्थितियों में उपलब्ध उत्कृष्ट जानकारी के आधार पर स्तर–3 इनपुट तैयार करता है।

तुलनपत्र में उचित मूल्य पर मूल्यांकित, वित्तीय प्रलेखों के साथ–साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण पर्यवेक्षित इनपुट्स के लिए स्तर–2 और स्तर–3 उचित मूल्यों के मूल्यांकन में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों को दर्शाया जाता है।

ग. उचित मूल्य अनुक्रम

यह भाग वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए आकलनों एवं अनुमानों को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार हैं :

(क) उचित मूल्य पर मान्य और मूल्यांकित तथा

(ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकित और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता है।

उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय प्रलेखों का लेखांकन मानक के अधीन निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकरण किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया है।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2025 को	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
निवेश	278.43	117.27	801.37	1,197.06
	278.43	**117.27**	**801.37**	**1,197.06**
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2025 को	परिशोधित लागत	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,337.48	-	-	1,337.48	1,337.48
	1,337.48	**-**	**-**	**1,337.48**	**1,337.48**
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	3,033.39	-	-	3,033.39	3,033.39
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	-	-	-
अधीनस्थ देयताएं	744.67	-	-	744.67	744.67
	3,778.06	**-**	**-**	**3,778.06**	**3,778.06**

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2024 को	स्तर–1	स्तर– 2	स्तर– 3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
निवेश	791.08	170.59	697.14	1,658.81
	791.08	**170.59**	**697.14**	**1,658.81**
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	13.94	-	13.94
	-	**13.94**	**-**	**13.94**

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2024 को	परिशोधित लागत	स्तर–1	स्तर– 2	स्तर–3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,306.39	-	-	1,306.39	1,306.39
निवेश	-	-	-	-	-
	1,306.39	**-**	**-**	**1,306.39**	**1,306.39**
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	4,371.74	-	-	4,371.74	4,371.74
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	334.25	-	334.25	-	334.25
अधीनस्थ देयताएं	744.67	-	-	744.67	744.67
	5,450.66	**-**	**334.25**	**5,116.41**	**5,450.66**

रखरखाव मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख

तुलनपत्र पर कुछेक वित्तीय प्रलेखों का वास्तविक मूल्य उनके उचित मूल्य पर अनुमानित होता हैं। इन वित्तीय प्रलेखों में हस्तगत नकदी, अन्य बैंकों में शेष ट्रेड से प्राप्य, ट्रेड देयताएं तथा कुछेक अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं शामिल हैं। रखरखाव मूल्यों को इन वित्तीय प्रलेखों के संबंध में अनुमानित उचित मूल्यों हेतु स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे अल्प अवधि स्वरूप के होते हैं और उनकी अभिलेखबद्ध राशियां अनुमानित उचित मूल्य की होती हैं अथवा मांग पर प्राप्य एवं देय होती हैं।

उचित मूल्य मापने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें

प्रकार	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अप्रयुक्त इनपुट
अनुद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियां	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कंपनी तुलनीय पद्धति /रियायती प्राप्त नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/रियायती दर
अधिमान शेयर	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कंपनी तुलनीय पद्धति/ नकद प्रवाह रियायती	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें
ऋण	प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें
ऋण प्रतिभूतियां	प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें
अधीनस्थ देयताएं	प्राप्त नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

स्तर–3 उचित मूल्य

स्तर–3 उचित मूल्यों का लेखामिलान

निम्नलिखित सारणी में स्तर–3 उचित मूल्यों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखामिलान को दर्शाया गया है :

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित पर मूल्य शेयर अधिमान	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
01 अप्रैल 2024 को शेष	**25.05**	**-**	**672.09**
कुल लाभ अथवा हानियां:			
– लाभ अथवा हानि में	-	-	104.23
– ओसीआई में	-	-	-
खरीद	-	-	-
निपटान	-	-	-
स्तर – 3 में अन्तरित	-	-	-
01 मार्च 2025 को शेष	**25.05**	**-**	**776.32**

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है :

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित पर मूल्य शेयर अधिमान	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	104.23
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) – उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	-	-
लाभ अथवा हानि–वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	102.69

विवरण	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
01 अप्रैल, 2023 को शेष	**3.95**	**593.98**
कुल लाभ अथवा हानियां :		
– लाभ अथवा हानि में	21.10	50.32
खरीद	-	-
निपटान	-	27.79
01 मार्च, 2024 को शेष	**25.05**	**672.09**

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है :

विवरण	लाभ एवं हानि के जरिए उचित पर मूल्य शेयर अधिमान	अन्य लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :		
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	21.10	50.32
लाभ या हानि – वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन :		
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	21.10	22.53

53 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रियाकलाप मुख्यतया मौजूदा प्रबंधन समिति के प्रबंधन हेतु क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के अधीन होते हैं। समिति का कार्य इन जोखिमों की पहचान करना, मॉनीटर करना, व्यवस्थित करना तथा इन जोखिमों में कमी लाना है। कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है कि यह आन्तरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करती है, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करती है और पर्याप्त ऋण प्रलेखन का रखरखाव करती है। अपने उधार क्रियाकलाप के संबंध में कंपनी ने जोखिमों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित अन्तराल पर तथा तदर्थ आधार पर विभिन्न रिपोर्टे तैयार की जाती है और ये वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है, जिससे जोखिम मॉनीटरिंग में मदद मिलती है। कंपनी ने किसी उल्लंघन के मामले में जोखिमों को कम करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क. जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

जोखिम प्रबंधन संरचना की स्थापना एवं निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक बोर्ड की है। निदेशक बोर्ड ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) बनाई है, जो कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालकों की जोखिम एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) द्वारा निरीक्षण कार्य में आरएएलएमसीडी की सहायता की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित पुनरीक्षा करता है, जिसके परिणामों की सूचना मासिक आधार पर आरएएलएमसीई को दी जाती है।

ख. क्रेडिट जोखिम

ऋणों एवं अग्रिमों, नकद एवं नकद समकक्ष, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जमा और किसी अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों से क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होते हैं। क्रेडिट जोखिम, कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम होता है, यदि कोई ग्राहक अथवा वित्तीय प्रलेखों का प्रतिपक्षकार संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है और ये मुख्यतया ग्राहकों को कंपनी के ऋणों एवं अग्रिमों से, व्यापार प्राप्यों से, ऋणों एवं ऋण प्रतिभूतियों में निवेशों से उत्पन्न होते हैं।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रेडिट जोखिम की संभावना मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक/देनदार की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होती है। तथापि, प्रबंधन उन कारकों पर भी विचार करता है, जो इसके ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें उद्योग से संबद्ध चूक जोखिम, व्यवसाय विशिष्ट जोखिम, प्रबंधन जोखिम, पारगमन विशिष्ट जोखिम और परियोजना से संबंधित जोखिम शामिल हैं।

किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को "क्रेडिट क्षति" माना जाता है, जब एक अथवा एक से अधिक घटनाक्रम घटित हो, जिनका वित्तीय परिसम्पत्ति के अनुमानित आगामी नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। साक्ष्य में निम्नलिखित उल्लेखनीय आंकड़े शामिल हैं, जिसकी वित्तीय परिसम्पत्ति क्रेडिट क्षतिपूर्ण है :

निर्गमकर्ता या ऋणी की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई

– संविदा का उल्लंघन, जैसे कि चूक

– आर्थिक एवं संविदात्मक कारणों के लिए ऋणी का कर्जदाता, ऋणी की वित्तीय कठिनाई के संबंध में ऋणी को रियायत प्रदान करने, जिस पर ऋणदाता अन्यथा विचार नहीं करेगा।

– यह संभव हो रहा है कि ऋणी दिवालिया होने वाला है या फिर अन्य वित्तीय पुनर्गठन करने वाला है।

– वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसम्पति के सक्रिय बाजार का विलुप्त होना।

– भारी छूट पर वित्तीय परिसम्पति की खरीद अथवा उद्भूत जो उपगत क्रेडिट हानि को दर्शाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति ने एक क्रेडिट नीति बनाई है, जिसके तहत कंपनी के मानक भुगतान से पहले प्रत्येक नए ग्राहक की साख के संबंध में व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता है और प्रदायगी शर्तों एवं निबंधनों के प्रस्ताव पेश करती है। कंपनी की पुनरीक्षा में न्यूनतम अनंतिम आन्तरिक रेटिंग, बाहरी रेटिंग, यदि वे उपलब्ध हो, पृष्ठभूमि सत्यापन, वित्तीय विवरण, आयकर विवरणी, क्रेडिट एजेंसी सूचना, उद्योग सूचना आदि शामिल है। प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित की गई है और समय–समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक हो, इसमें आशोधन किए जाते हैं। परिभाि ात सीमा से अधिक के किसी भी ऋण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है।

(ख) चूक की संभावना (पीडी)

चूक की संभावना (पीडी) वह संभावना दर्शाती है जिसमें ऋणी भविष्य में अपनी देयताओं में चूक करेगा। भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ऋणी के स्तर आबंटन के आधार पर 12 माह की अवधि एवं जीवनकालिक अवधि के लिए पृथक चूक संभावना का उपयोग करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के लिए प्रयुक्त चूक संभावना में संस्थान के भावी राय को दर्शाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए (अर्थात इसमें कोई संरक्षणवाद अथवा आशावाद शामिल नहीं होना चाहिए)। चूक की संभावना को आईएफसीआई की आंतरिक दायित्व रेटिंग से मैप किया जाता है।

चूक को भारतीय लेखाकंन मानक में परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी संस्था चूक की ऐसी परिभाषा का उपयोग करेगी जो उसके आन्तरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के अनुरूप हो और जिसे जब भी उपयुक्त हो गुणात्मक संकेतक माना जाए। यदि किसी ऋण को चूकग्रस्त माना जाता है और इसलिए उसे निम्नलिखित मामलों में ईसीएल परिकलनों के लिए स्तर–3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त) माना जाएगा :

– ऋणी के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंग्स का सीआर–9 अथवा सीआर–10 तक ह्रास होना (मूल रेटिंग एवं वर्तमान रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।

– आरबीआई के विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा रही परिसम्पत्ति पर।

– ऋण मूल्य में क्षति वाली परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना पर।

– 90 दिन से अधिक अवधि तक देय परिसम्पत्तियों पर।

(घ) चूक पर जोखिम (ईएडी)

चूक पर जोखिम (ईएडी) वित्तीय प्रलेखों की सकल रखरखाव राशि को दर्शाता है जो क्षति परिकलन के अधीन है।

(ङ) चूक से हुई हानि (एलजीडी)

एलजीडी, किसी चूक की स्थिति में लेनदेन से होने वाले नुकसान का एक अनुमान है। एलजीडी निकालने के लिए, प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है और उनके वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है।

(च) क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि

प्रत्येक सूचना तारीख को संस्था यह पता लगाएगी कि किसी वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह निर्धारण करते समय संस्था प्रत्याशित क्रेडिट क्षति की राशि में परिवर्तन की बजाय वित्तीय प्रलेख की अनुमानित अवधि पर हुई चूक के जोखिम में परिवर्तन का उपयोग करेगी। यह निर्धारण करने के लिए संस्था रिपोर्टिंग तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम की तुलना आरंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम से करेगी और उचित एवं समर्थनीय सूचना को ध्यान में रखेगी, जो अनुचित लागत अथवा प्रयास के बिना उपलब्ध हैं, जो आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि का द्योतक है। चूंकि वित्तीय प्रलेख को रिपोर्टिंग तारीख पर ऋण जोखिम कम निर्धारित किया जाना है, अतः संस्था यह मान लेती है कि वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक माान्यता से विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हुई है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ऋणों एवं अग्रिम राशियों के लिए एसआईसीआर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा गया है :

– ऋणियों के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंगों का 3 रेटिंग ग्रेडों तक कम हो जाना (मूल रेटिंग एवं चालू रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।

– ऋणियों की रेटिंग का निवेश ग्रेड से कम होना उप–निवेश ग्रेड में आ जाना;

– ऋण मूल्य में क्षति के बगैर परिसम्पत्तियों की पुनर्सरचना पर।

– 60 दिन से अधिक अतिदेय परिसम्पत्तियों पर।

(छ) अनुमानित क्रेडिट हानियों हेतु प्रावधान

निम्नलिखित सारणी में चरण–1, 2 और 3 में ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिमों, ऋण प्रतिबद्धताओं, वित्तीय गारण्टियों, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की अतिदेय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

	31 मार्च, 2025 को				
	स्टेज 1	स्टेज 2	स्टेज 3	स्टेज	कुल
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1–6 : कम–उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7–8 : उच्च जोखिम	-	80.92	-	-	80.92
ग्रेड 9–10 : हानि	-	-	4,286.05	-	4,286.05
	-	**80.92**	**4,286.05**	**-**	**4,366.97**
हानि भत्ता	**-**	**(1.11)**	**(3,028.37)**	-	(3,029.48)
वहन मूल्य	**-**	**79.81**	**1,257.68**	**-**	**1,337.49**

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	कुल
6 माह से कम	66.50	0.00	66.50
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	3.25	0.35	3.60
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	14.13	1.51	15.64
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.42	0.16	1.58
3 वर्ष से अधिक	0.00	1.00	1.00
	85.30	**3.02**	**88.32**
हानि भत्ता	-	(3.02)	(3.02)
वहन मूल्य	**85.30**	**-**	**85.30**

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पतियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	कुल
6 माह से कम	24.11	-	24.11
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.09	-	0.09
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	-	-	-
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	1.22	65.97	67.19
	25.42	**65.97**	**91.39**
हानि भत्ता	-	(65.97)	(65.97)
वहन मूल्य	**25.42**	**-**	**25.42**

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	कुल
बीबीबी– से एएए	62.53	-	-	62.53
बीबी– से बीबी+	-	-	-	-
बी– से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	-	-
	62.53	**-**	**-**	**62.53**
हानि भत्ता	**0.00**	**-**	**-**	0.00
परिशोधित लागत	**62.53**	**-**	**-**	**62.53**
उचित मूल्य	**56.67**	**-**		**56.67**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	पीओसीआई	कुल
ऋण प्रतिबद्धताएं व वित्तीय गारंटी संविदाएं					
ग्रेड 1–6 : कम–उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7–8 : उच्च जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9–10 : हानि	-	-	45.81	-	45.81
	5.71	**-**	**45.81**	**-**	**51.52**
हानि भत्ता	**(0.04)**	**-**	**(14.56)**	**-**	**(14.60)**
वहन मूल्य	**5.67**	**-**	**31.25**	**-**	**36.92**

	31 मार्च, 2024 को				
	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	पीओसीआई	कुल
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1–6 : कम–उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7–8 : उच्च जोखिम	-	85.75	-	-	85.75
ग्रेड 9–10 : हानि	-	-	3,296.26	-	3,296.26
	-	**85.75**	**3,296.26**	**-**	**3,382.01**
हानि भत्ता	**-**	**(17.84)**	**(2,554.25)**	**-**	(2,572.09)
वहन मूल्य	**-**	**67.91**	**742.01**	**-**	**809.92**

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	कुल
6 माह से कम	76.68	(0.00)	76.68
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	14.53	0.77	15.30
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	10.61	0.56	11.17
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.82	0.10	1.92
3 वर्ष से अधिक	0.00	2.16	2.16
	103.64	3.59	107.23
हानि भत्ता	-	(3.59)	(3.59)
वहन मूल्य	**103.64**	**-**	**103.64**

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	कुल
6 माह से कम	39.21	-	39.21
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.22	-	0.22
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.03	-	0.03
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	2.25	-	2.25
3 वर्ष से अधिक	-	69.72	69.72
	41.72	**69.72**	**111.44**
हानि भत्ता	-	(69.72)	(69.72)
वहन मूल्य	**41.72**	**-**	**41.72**

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	कुल
बीबीबी– से एएए	561.71	-	-	561.71
बीबी– से बीबी+	-	-	-	-
बी– से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	-	-
	561.71	-	-	561.71
हानि भत्ता	-	-	-	-
परिशोधित लागत	**561.71**	**-**	**-**	**561.71**
उचित मूल्य	**570.54**	**-**		**570.54**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	पीओसीआई	कुल
ऋण प्रतिबद्धताएं औरन वित्तीय गारंटी संविदाएं – अन्य					
ग्रेड 1–6 : कम–उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7–8 : उच्च जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9–10 : हानि	**-**	**-**	**45.81**	**-**	**45.81**
	5.71	-	45.81	-	51.52
हानि भत्ता	**(0.15)**	**-**	**(32.80)**	**-**	**(32.95)**
वहन मूल्य	**5.56**	**-**	**13.01**	**-**	**18.57**

(ज) ऋण और अग्रिम राशियों के संबंध में हानि भत्ते में परिवर्तन

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम हानि भत्ते का लेखामिलान		जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता		
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम विशेष वृद्धि हुई और क्रेडिट क्षति नहीं	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई और क्रेडिट क्षति हुई	कुलस
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	**36.12**	**17.25**	**3,488.24**	**3,541.60**
स्टेज–1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज–2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज–3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल मूल्यांकन	(36.12)	0.59	968.13	932.60
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(522.84)	(522.84)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	(211.72)	(211.72)
छूट समाप्त	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को हानि भत्ता	**(0.00)**	**17.84**	**3,721.80**	**3,739.64**
स्टेज–1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज–2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज–3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल मूल्यांकन	1.11	(17.84)	(428.79)	(445.52)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	-	-
बट्टे खाते डाले गए	-	-	(264.64)	(264.64)
छूट समाप्त	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 को हानि भत्ता	**1.11**	**(0.00)**	**3,028.37**	**3,029.48**

(झ) धारित संपार्श्विक एवं अन्य क्रेडिट संवर्धन

संपार्श्विक प्रतिभूति प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण के लिए ली गई संपार्श्विक प्रतिभूति, ऋण के मूल्य के संबंध में पर्याप्त नहीं हो सकता। सभी ऋणियों को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऋण प्रतिभूत है, कंपनी की आन्तरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। उपर बताए गए संपार्श्विक प्रतिभूति के अतिरिक्त, कंपनी अन्य प्रकार के संपार्श्विक भी धारित करती है कि जैसे कि द्वितीय प्रभार और प्लवमान प्रभार, जिसके लिए विशेष मूल्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते। कंपनी में विनिर्दिष्ट श्रेणी के संपार्श्विक स्वीकार करने और क्रेडिट जोखिम कम करने की आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संपार्श्विक के प्रकार निम्नानुसार है :

1 अचल सम्पत्तियों का बंधक
2 चल सम्पत्ति का हाइपोथिकेशन
3 बैंक और सरकारी गारंटियां
4 प्रलेखों को गिरवी रखना, जिनकी मार्फत प्रवर्तक का अंशदान परियोजना में दिया गया है।
5 प्रवर्तक शेयरधारिता को गिरवी रखना
6 प्रवर्तकों की निगमित और व्यक्तिगत गारंटियां

ञ) शासन प्रणाली रूपरेखा

भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109 / 22.10.106 / 2019–20 की अपेक्षा के अनुसार जहां मौजूदा आरबीआई बैंक मानदण्डों के अनुसार प्रावधान भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन यथापरिकलित ईसीएल से अधिक होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के उपबन्धों के अनुसार पोर्टफोलियो के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरबीआई बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन अपेक्षित प्रावधन से कम होती है तो इसकी अन्तराल राशि को कर–पश्चात् निवल लाभ या हानि से एक अलग 'क्षति रिजर्व' में समायोजित किया जाएगा।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ग. नकदी जोखिम

संस्थान की देयताओं, जब भी वे देय होती हैं, को पूरा करने में असमर्थता की संभावना होने पर नकदी जोखिम होता है। आईएफसीआई के परिप्रेक्ष्य से, यह मूल रूप से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न में असमानता से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम के विश्लेषण में संस्थान की सतत् आधार पर सिर्फ नकदी स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नहीं होता बल्कि इस बात की जांच करना भी है कि विलग परन्तु मुश्किल दौर में निधियन अपेक्षाएं कैसे प्रभावित हो सकती हैं। निवल निधिकरण अपेक्षाओं को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आगामी स्वरूप के पूर्वानुमानों के आधार पर संस्थान के भावी नकदी उपलब्धता का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें परिपक्वता लैडर सुविधा का उपयोग करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है और तब नकदी निर्धारण हेतु समय सीमा में संचयी निवल उपलब्धता को परिकलित किया जाता है।

वर्तमान में, निवल निधिकरण अपेक्षाओं के मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु, परिपक्वता लैडर तथा चुनिंदा परिपक्वता तारीखों को निधियों के संचयी अधिशेष या घाटे के परिकलन के प्रयोग को मानक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित एएलएम प्रपत्र को अलग–अलग समय अवधियों में नकदी प्रवाह असमानता के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा रहा है। नकदी उपलब्धता को परिसम्पत्तियों, देयताओं एवं ऑफ बैलेंस शीट मदों के प्रक्षेपित आगामी स्वभाव के आधार पर अलग–अलग समय अवधियों में रखा जाता है। उपरोक्त नकदी उपलब्धता के अलावा, संस्थान ऋणों की समय पूर्व अदायगियो, देयताओं को समय से पहले समाप्त करना और कुछेक प्रलेखों में दिए गए विकल्पों के उपयोग के प्रभाव का भी पता लगाएगा, जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद पुट/काल विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नकदी, बहिर्प्रवाह को उस तारीख में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिस तारीख को देयताएं देय होती हैं, देनदार पहले की तारीख को जल्दी समय पूर्व अदायगी करने के विकल्प का उपयोग कर सकता है अथवा आरंभिक तारीख की आकस्मिकताओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।
कंपनी ने अपने उच्च गुणवत्ता वाले तरल निवेशों की पहचान करने और तरलता कवरेज अनुपात की गणना करने की प्रथा आरंभ की है।

इसके अलावा, कंपनी निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट श्रृंखलाओं का रखरखाव करती है :
– आईडीबीआई बैंक : 110 करोड़ रु. जो प्रति वर्ष 7.81 प्रतिशत आरओआई के साथ एफडी पर सुरक्षित है–
– एचडीएफसी बैंक : 16 करोड़ रु. जो महीने के आरओआई एमसीएलआर के साथ एमएफ के प्रति प्रतिभूत है।

तरलता जोखिम के लिए, बिंदु संख्या 55 (xxxiv) पर परिपक्वता पैटर्न का संदर्भ लिया जा सकता है।

(घ) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें, वित्तीय प्रलेखों का उचित मूल्य अथवा भावी नकदी प्रवाह बाजार परिवर्तनों जैसे कि ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों तथा इक्विटी मूल्यों में परिवर्तन के कारण कम–ज्यादा होगा। विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी बाजार जोखिम के प्रकटनों को या तो वर्तमान या फिर दीर्घ अवधि पोर्टफोलियो में वर्गीकृत करती है और इनमें से प्रत्येक पोर्टफोलियो को अलग–अलग रूप से व्यवस्थित करती है।

आईएफसीआई में बाजार जोखिम प्रबंधन संरचना में जोखिम की पहचान, सीमाओं एवं ट्रिगर्स की स्थापना, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम मॉनीटरिंग, जोखिम रिपोर्टिंग तथा जहां अत्यावश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। इस बात को उजागर करना सुसंगत है कि आरंभिक निवेश ग्रेड रेटिंग, निवेश सीमाएं, मंजूरी प्राधिकार, स्टॉप–लॉस ट्रिगर्स सहित नियंत्रण प्रणाली, इक्विटी व्यापार सहित विभिन्न ट्रेजर उत्पादों हेतु अपेक्षित अनुपालन आदि जैसे ब्यौरों को आईएफसीआई की वर्तमान ट्रेजर एवं निवेश नीति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

(क) बाजार–जोखिम – ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

कंपनी का कोई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है।

(ख) बाजार जोखिम – नॉन–ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

(i) मुद्रा जोखिम

कंपनी मुद्रा जोखिम के प्रति इस हद तक संवेदनशील है कि जिन मुद्राओं में उधार लिया गया है और कंपनी की संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं के बीच बेमेल है। कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा रुपए है। आज की तारीख में, विदेशी मुद्रा उधार शून्य है।

(ii) बाजार दर जोखिम

कंपनी बाजार दर जोखिम को कम करने के लिए फ्लोटिंग दर देयताओं एवं फ्लोटिंग दर परिसम्पत्तियों के अन्तराल को कम करने का प्रयास करती है। इसे फ्लोटिंग दर पर उधार लेने देने से कंपनी की प्रमुख उधार दर से जुड़ी दरों पर उधार देने से है, जिसे बाद में अन्य के बीच इसकी उधारों की लागत से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, आईएफसीआई की निवल ब्याज आय और आईएफसीआई की इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए, बाजार ब्याज दरों में बदलाव के प्रभाव का समय–समय पर विश्लेषण किया जाता है। मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण मासिक आधार पर तैयार किया जाता है और विभिन्न समयावधियों में अंतराल को समझने के लिए उसका विश्लेषण किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रकटन

कंपनी के ब्याज दर वाले वित्तीय प्रलेखों की ब्याज दर प्रोफाइल, जैसा कि प्रबंधन को सूचित किया गया है, निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
स्थिर दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
वित्तीय देयताएं	3,778.06	5,116.41
परिवर्तनीय दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,337.48	1,306.39
वित्तीय देयताएं	-	334.25

स्थिर दर प्रलेखों हेतु उचित मूल्य संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन का लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सूचना की तारीख को उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण यह मानता है कि अन्य सभी परिवर्तन विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

परिवर्तनीय दर प्रलेखों हेतु नकदी प्रवाह संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों तक इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि अथवा कमी होगी। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तन, विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	लाभ अथवा हानि		इक्विटी, कर पश्चात्	
	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी
31 मार्च, 2025				
परिवर्तनीय दर प्रलेख	-	-	-	-
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				
31 मार्च, 2024				
परिवर्तनीय दर प्रलेख	(3.34)	3.34	(2.17)	2.17
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				

(iii) इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें, इक्विटियों का उचित मूल्य इक्विटी सूचकांकों के स्तर में और व्यक्तिगत स्टॉकों के बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी आती है। गैर–ट्रेडिंग इक्विटी मूल्य जोखिम प्रकटन उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों से उत्पन्न होता है। इक्विटी मूल्य जोखिम कारोबार के प्रयोजन से रखी गई प्रतिभूतियों पर अधिक प्रयोज्य होता है। चूंकि कंपनी दीर्घ अवधि निवेशों पर बल देती है और वर्तमान निवेशों को (ट्रेडिंग प्रयोजनों हेतु धारित निवेश) निम्न स्तर रखा जाता है अतः आईएफसीआई में महत्वपूर्ण इक्विटी मूल्य जोखिम की संभावना नहीं हो सकती।

54 पूंजी प्रबंधन

पूंजी पर्याप्तता संरचना का मूल दृष्टिकोण यह है कि किसी वित्तीय संस्थान के पास अपने कारोबार में जोखिमों से उत्पन्न किसी अप्रत्याशित हानियों के कारण हुए आघातों को सहने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएफसीआई सरकारी स्वामित्व वाली एक एनबीएफसी–एनडी–एसआई है, जिसे जोखिम भारित परिसम्पत्ति अनुपात हेतु न्यूनतम पूंजी का रखरखाव करना आवश्यक है। पूंजी प्रबंधन मौजूदा विनियामक पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कम पूंजी के इष्टतम उपयोग को अनिवार्य बनाता है। आईएफसीआई में उपयुक्त जोखिम क्षमता रूपरेखा है और यह वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी अपेक्षाओं और पर्याप्तता का परिकलन करती है।

i. विनियामक पूंजी

कंपनी की विनियामक पूंजी में निम्नलिखित घटकों की राशि शामिल है :

- सामान्य इक्विटी टियर–1 (सीईटी–1) पूंजी, जिसमें साधारण शेयर पूंजी, संबंधित शेयर प्रीमियम, प्रतिधारित आय और घोषित लाभांश हेतु समायोजन के बाद रिजर्व तथा गुडविल हेतु कटौती, अमूर्त परिसम्पत्तियां और उन मदों से संबंधित अन्य विनियामक समायोजन शामिल हैं, जिन्हें इक्विटी में शामिल नहीं किया जाता है, परन्तु पूंजी पर्याप्तता प्रयोजनों हेतु अलग से हिसाब में लिया जाता है।
- टियर–2 पूंजी, जिसमें अधिमान शेयर, अर्हक अधीनस्थ देयताएं और प्रत्याशित हानियों पर कोई भी अधिक क्षति शामिल है।

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
सामान्य इक्विटी टियर–1 (सीईटी 1) पूंजी	(811.04)	(1,689.01)
टियर–2 पूंजी प्रलेख	-	0.15
कुल विनियामक पूंजी	(811.04)	(1,688.86)
जोखिम भारित परिसम्पत्तियां	3,520.00	3,492.80
सीआरएआर (%)	-23.04%	-48.35%
सीआरएआर–टियर – I पूंजी (%)	-23.04%	-48.36%
सीआरएआर–टियर – II पूंजी (%)	0.00%	0.01%

निवल स्वामित्व निधियों के परिकलन के प्रयोजन से डीटीए को मैट क्रेडिट पात्रता माना गया है।

*एनबीएफसी में भारतीय लेखांकन मानक के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10 की अपेक्षा के अनुसार कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ते और टारबीआई बैंक के विवेकसम्मत मानदण्डों (मानक परिसम्पत्ति प्रावधान) के अधीन अपेक्षित प्रावधान के अंतराल को समायोजित किया है, इसलिए 104.67 करोड़ रु. को राशि को 'क्षति रिजर्व' में लिया गया है।

ii. पूंजी आबंटन

प्रत्येक परिचालन अथवा क्रियाकलाप हेतु आबंटित पूंजी की राशि को जोखिम समायोजित पूंजी पर प्रतिफल को कम करने के उद्देश्य से लिया जाता है। पूंजी का आबंटन वर्ष के आरम्भ में तैयार की गई वार्षिक कारोबार योजना के आधार पर विभिन्न कारोबार के लिए आबंटन किया जाता है। पूंजी आबंटन हेतु विभिन्न प्रतिफलों में मौजूदा परिचालनों एवं क्रियाकलापों के साथ आपसी सहभागिता, प्रबंधन तथा अन्य संसाधन की उपलब्धता और कंपनी के दीर्घकालिक कार्यनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप क्रियाकलाप के लाभ शामिल हैं।

55 गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर लागू आरबीआई बैंक के परिपत्रों के अनुसरण में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना प्रकट की गई है। इन प्रकटनों में जब तक विशेष रूप से उल्लेख ना किया जाए भारतीय लेखांकन मानकों का समायोजन नहीं किया गया है :

(i) कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में एक डिबेंचर न्यासी के रूप में पंजीकृत है और इसका पंजीकरण कोड ''आईएनडी000000002'' है।

(ii) ''31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आईएफसीआई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के मामले में, सेबी (सूचीकरण की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015, के निदेशक मंडल और समितियों अर्थात् लेखापरीक्षा समिति, नामांकन व पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाते आ रहे हैं।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने के उत्तर में स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया है कि वे कंपनी पर जुर्माना न लगाएँ और न ही कोई अन्य कार्रवाई करें, क्योंकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय द्वारा की जाती है। तदनुसार, कंपनी प्रशासनिक प्रभारी मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति का अनुरोध कर रही है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

हमारे अनुरोधों पर विचार करते हुए, मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभारी ने 10 मई, 2023 के पत्र द्वारा श्री उमेश कुमार गर्ग को 10 मई, 2023 से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया था। इसके बाद, 8 अगस्त, 2023 को श्री उमेश कुमार गर्ग को निदेशक मंडल में शामिल किया गया। परिणामस्वरूप, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना का अनुपालन किया गया है। इसके अलावा, एक नामित एक्सचेंज एनएसई ने 15 अप्रैल, 2024 के पत्र के माध्यम से, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के संबंध में जुर्माने माफ कर दिए थे, क्योंकि इन समितियों की संरचना एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के बाद सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप बनाई गई थी। हालाँकि, कंपनी के बोर्ड में अभी भी अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों का अभाव है।

31 मार्च 2025 तक, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया कुल समेकित बकाया जुर्माना 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही तक 4,52,02,540 रुपए (लागू करों सहित) है।

(iii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंग में बदलाव निम्नानुसार है :

दीर्घ अवधि (बॉण्ड/एनसीडी/मियादी ऋण)

निम्न के द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
इकरा	आईसीआरए बी+ 03.12.2024 से	आईसीआरए बी+ 29.05.2023 से
केयर	सीएआरई बीबी 03.12.2024 से	सीएआरई बीबी 29.05.2023 से
ब्रिकवर्क	बीडब्ल्यूआर बी+ 07.11.2024 से	बीडब्ल्यूआर बी+ 29.05.2023 से

अल्प अवधि (वाणिज्यिक पेपर/अल्पावधि उधार)

निम्न के द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
इकरा	आईसीआरए ए4 03.12.2024 से	आईसीआरए ए4 17.08.2023 से
ब्रिकवर्क	बीडब्ल्यूआर ए4 07.11.2024 से	बीडब्ल्यूआर ए4 10.11.2023 से

अधीनस्थ बॉण्ड

निम्न के द्वारा रेटिंग	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
इकरा	आईसीआरए बी+ 03.12.2024 से	आईसीआरए बी+ 29.05.2023 से
केयर	सीएआरई बीबी 03.12.2024 से	सीएआरई बीबी 29.05.2023 से
ब्रिकवर्क	बीडब्ल्यूआर बी+ 07.11.2024 से	बीडब्ल्यूआर बी+ 29.05.2023 से

(iv) ग्राहक शिकायतों से संबंधित प्रकटन

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(क) अवधि के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
(ख) अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	364	3,930
(ग) अवधि के दौरान दूर की गई शिकायतों की संख्या	364	3,930
(घ) अवधि के अन्त में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

(v) जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी (सीआरएआर)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(क) जोखिम परिसम्पत्तियों के अनुपात की तुलना में पूंजी (सीआरएआर)	-23.04%	-48.35%
(i) कोर सीआरएआर	-23.04%	-48.36%
(ii) अनुपूरक सीआरएआर	0.00%	0.01%
(ख) जुटाया गया अधीनस्थ ऋण, टियर–II पूंजी के रूप में बकाया (करोड़ रुपए)	0.00	0.00
(ग) जोखिम भारित परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपए)		
(i) तुलन–पत्र की मदों पर	3,372.65	3,352.10
(ii) तुलन–पत्र से बाहर की मदों पर	147.35	140.70

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(vi) **लिए गए ऋण और अग्रिम, उन पर प्रोद्भूत परंतु अदा न किए गए ब्याज सहित**

विवरण	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	बकाया	अतिदेय	बकाया	अतिदेय
(क) ऋणपत्र :				
(i) प्रतिभूत	157.74	-	1,118.35	-
(ii) अप्रतिभूत	-	-	-	-
(ख) आस्थगित क्रेडिट्स	-	-	-	-
(ग) मियादी ऋणं	-	-	-	-
(घ) अन्तर निगमित ऋण एवं उधार	-	-	-	-
(घ) सीबीएलओ/वाणिज्यिक पेपर	-	-	-	-
(च) अन्य ऋण (एफसी ऋण सहित)	42.11	-	334.25	-
(छ) आईएफसीआई के पास रखी गईं निधियां	-	-	-	-
(ज) बॉण्ड	4,161.82	-	3,998.06	-

कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा बॉण्ड/ऋणपत्र धारकों की देयताओं की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(vii) शेयरों एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान एवं दीर्घ अवधि) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण

श्रेणी	31 मार्च, 2025		31 मार्च, 2024	
	बाजार/ब्यौरा/ उचित मूल्य/एनएवी	बही मूल्य (लागत)	बाजार/ब्यौरा/ उचित मूल्य/एनएवी	बही मूल्य (लागत)
सम्बद्ध पक्षकार				
(क) सहायक कम्पनियां	7,746.54	1,524.28	4,224.00	1,546.41
(ख) एक ही समूह की कम्पनियां	6.65	0.04	7.78	0.04
(ग) संयुक्त उद्यम	-	0.01	-	0.01
(घ) सम्बद्ध पक्षकारों से भिन्न	1,243.80	1,399.49	1,708.18	2,112.21
कुल	**8,996.99**	**2,923.82**	**5,939.96**	**3,658.67**

(viii) निवेश के ब्यौरे एवं प्रावधान में उतार–चढ़ाव :

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(क) भारत में निवेश का मूल्य		
मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		
निवेशों का निवल मूल्य		
(ख) निवेशों पर मूल्यह्रास के संबंध में धारित प्रावधानों का उतार–चढ़ाव	लागू नहीं (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निवेश उचित मूल्य पर किए जाने हैं, अतः यह इस पर लागू नहीं होता)	
(i) आरम्भ शेष		
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/का पुनरांकन		
(iv) अन्त शेष		

(ix)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
ऋण क्रियाकलापों के संबंध में हिसाब में ली गई पट्टाकृत परिसम्पत्तियां एवं किराए पर लिए गए स्टॉक तथा अन्य परिसम्पत्तियां	-	-

(x) वित्तपोषित परिसम्पत्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण :

श्रेणी	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1 सम्बद्ध पक्षकार		
(क) सहायक कम्पनियां	-	-
(ख) एक ही समूह की कम्पनियां	-	-
2 सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	1,337.48	1,306.39
कुल	**1,337.48**	**1,306.39**

यह राशि अलाभकारी एवं मानक पुनर्सरचित परिसम्पत्तियों के प्रति प्रावधान को घटा कर है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xi) **एकल ऋणी सीमा के विवरण – सकल प्रकटन के आधार पर एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई**

	31 मार्च, 2025						31 मार्च, 2024					
संस्था का नाम	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का प्रतिशत	कुल जोखिम (करोड़ रुपए में))	का %	Lबकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का प्रतिशत	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का प्रतिशत	कुल जोखिम (करोड़ रुपए में)	का %
	- *						- *					

* एकल उधारकर्ता सीमा की गणना के लिए, ''टियर 1 पूंजी'' को पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में माना जाता है। 31 मार्च, 2024 तक आईएफसीआई की ''टियर 1 पूंजी'' (–) 1,689 करोड़ रु. थी, इसलिए एकल उधारकर्ता की सीमा का उल्लंघन हुआ है।

(xii) **ऋणी समूह सीमा के विवरण – सकल प्रकटन के आधार पर एनबीएफसी द्वारा बढ़ाई गई**

	31 मार्च, 2025						31 मार्च, 2024					
समूह का नाम	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का %	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का प्रतिशत	कुल जोखिम (करोड़ रुपए में)	का %	बकाया कुल ऋण (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का प्रतिशत	बकाया निवेश (करोड़ रुपए)	स्वामित्व निधियों का प्रतिशत	कुल जोखिम (करोड़ रुपए में)	का %
	- *						- *					

*एकल उधारकर्ता सीमा की गणना के लिए, ''टियर 1 पूंजी'' को पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में माना जाता है। 31 मार्च, 2024 तक आईएफसीआई की ''टियर 1 पूंजी'' (–) 1,689 करोड़ रु. थी, इसलिए एकल उधारकर्ता की सीमा का उल्लंघन हुआ है।

(करोड़ रुपए)

(xiii)

अग्रिम राशियों का संकेन्द्रण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	2,907.27	3,500.45
बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिए गए अग्रिमों का एनबीएफसी के कुल जोखिम की तुलना में प्रतिशत	33.10%	39.85%

* प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(करोड़ रुपए)

(xiv)

जोखिमों का संकेन्द्रण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल अग्रिम	4,395.16	3,645.99
बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिए गए अग्रिमों का एनबीएफसी के कुल जोखिम की तुलना में प्रतिशत	50.04%	41.51%

*प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(करोड़ रुपए)

(xv)

अलाभकारी परिसम्पत्तियों का संकेन्द्रण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल जोखिम	1459.30 (16.61%)	1442.55 (12.43%)

*प्रतिशत की गणना के लिए, पिछले वर्ष के ठीक पहले के अंत में कुल एक्सपोजर पर विचार किया जाता है।

(xvi) अलाभकारी परिसम्पत्तियों की स्थिति (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1 सकल अलाभकारी परिसम्पत्तियां		
(क) सम्बद्ध पक्षकार	-	-
(ख) सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	3693.89	4,615.55
2 निवल अलाभकारी परिसम्पत्तियां		
(क) सम्बद्ध पक्षकार	-	-
(ख) सम्बद्ध पक्षकार से भिन्न	607.60	937.17
ऋण के समाधान में अपेक्षित परिसम्पत्तियां	-	-

(xvii) एनपीए में उतार–चढ़ाव (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
(i) निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)	79.69%	83.80%
(ii) एनपीए में उतार–चढ़ाव (सकल)		
(क) आरम्भ शेष	4615.55	5749.06
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	135.16	236.79

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	(ग) वर्ष के दौरान कमी	1056.82	1370.30
	(i) अपग्रेडेशन	0.00	0.00
	(ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	800.55	933.04
	(iii) तकनीकी/प्रुडेन्शियल बट्टे खाते में डाला गया	251.08	225.54
	(iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा बट्टे खाते में डाली गई	5.19	211.72
	(d) अन्त शेष	3693.89	4615.55
	(iii) निवल एनपीए का उतार–चढ़ाव		
	(क) आरम्भ शेष	937.17	1499.18
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	135.11	236.79
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	464.68	798.80
	(घ) अन्त शेष	607.60	937.17
	(iv) अलाभकारी परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधानों में उतार–चढ़ाव (मानक परिसम्पत्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) आरम्भ शेष	3678.39	4249.88
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	119.49	209.55
	(ग) अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/का पुनरांकन	711.58	781.04
	(घ) अन्त शेष	3086.30	3678.39

(xviii) क्षेत्र–वार एनपीए

क्षेत्र	कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए का प्रतिशत	
	31 मार्च 25	31 मार्च 24
1 कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्रियाकलाप	-	-
2 एमएसएमई	-	-
3 निगमित ऋणी	95.98%	96.22%
4 सेवाएं	-	-
5 अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6 वाहन ऋण	-	-
7 अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(xix) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान एवं आकस्मिताएं (करोड़ रुपए)

प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के अलग–अलग विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-	-
अलाभकारी परिसम्पत्तियों के संबंध में प्रावधान	(592.09)	(571.49)
आयकर के संबंध में किया गया प्रावधान		
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	-	-
ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य अग्रिमों के प्रति प्रावधान	-	-

(xx) भू–सम्पदा क्षेत्र हेतु जोखिम

श्रेणी	31 मार्च 25	31 मार्च 24
(क) प्रत्यक्ष जोखिम		
(i) आवासीय बंधक –		
आवासीय सम्पत्ति, जो ऋणी के कब्जे में है या होगी या किराये पर दी जाती है, पर बंधक द्वारा पूर्णरूप से प्रतिभूत उधार (15 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत गृह ऋण को अलग से दर्शाया जा सकता है।)	-	-
(ii) वाणिज्यिक भू–सम्पदा –		

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

वाणिज्यिक भू–सम्पदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोजनीय वाणिज्यिक परिसर, विविध परिवार आवासीय भवन, बहुत से किरायेदारों वाला वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डारण स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि)। जोखिम में गैर–निधि आधरित (एएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी।	320.91	291.04
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिम :	-	-
(ख) अप्रत्यक्ष जोखिम		
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसीज) पर निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित जोखिम	-	-

(xxi) पूंजी बाजार के जोखिम (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च 25	31 मार्च 24
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल निधियों की यूनिटों में सीधे निवेश, जिसकी निगमित निधि को समग्र रूप से ऋण में निवेश नहीं किया जाता है;	2298.98	2507.79
(ii) व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों, एवं इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधियों की यूनिटों में निवेश हेतु – शेयरों/बॉण्डों/ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii) किन्हीं अन्य प्रयोजनों हेतु अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधियों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	301.52	435.94
(iv) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम जो शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय ऋणपत्रों अथवा इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधि की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा काफी हद तक प्रतिभूत हैं, अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉडों/परिवर्तनीय ऋणपत्रों/इक्विटी समर्थित म्युचुअल निधि की यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति से अग्रिमों को पूरी तरह से समाहित नहीं किया जाता;	0.00	-
(v) स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी की गई प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों को गारण्टियां	-	-
(vi) शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा स्पष्ट आधार पर निगमित निकायों को संसाधन जुटाने की प्रत्याशा से नई कम्पनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए मंजूर किए गए ऋण;	-	-
(vii) प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता/निर्गमों के प्रति कंपनियों को पूरक ऋण;	50.11	50.11
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एनबीएफसी द्वारा ली गई अंडरराइटिंग प्रतिबद्धताएं	0.00	-
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	-	
(x) वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए सभी एक्सपोजर :		
(i) श्रेणी I	103.83	104.13
(ii) श्रेणी II		
(iii) श्रेणी III		
पूंजी बाजार के कुल प्रकटन	2,754.44	3,097.97

(xxii) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी (एससी/आरसी) को बेची गई परिसम्पत्तियां (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1 खातों की संख्या	2	8
2 एससी/आरसी को बेचे गए समग्र बकाया खाते	406.16	558.99
3 समग्र प्रतिफल	408.49*	449.10
4 पूर्ववर्ती वर्षों में अन्तरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	0	50.27
5 निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ/(हानि)	270.94	149.26

*इसमें वित्तीय व ा 2024–25 में 307.402 करोड़ रुपए और वित्तीय व ा 2024–25 में 36.125 करोड़ रुपए की सुरक्षा प्राप्तियां (एसआर) शामिल हैं।

(xxiii)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
सुपुर्द किए गए लेन–देन के ब्यौरे	-	-

(xxiv) खरीदी गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियों के ब्यौरे : (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
वर्ष के दौरान खरीदे गए लेखा की संख्या	2	-
कुल बकाया (करोड़ रुपए)	21.08	-
उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	-	-
कुल बकाया (करोड़ रुपए)	21.08	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxv) एससी/आरसी से भिन्न को बेची गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियां

विवरण	31 मार्च 25	31 मार्च 24
एससी/आरसी से भिन्न को बेची गई अलाभकारी वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

(करोड़ रुपए)

(xxvi)

विवरण	31 मार्च 25	31 मार्च 24
एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) डेरिवेटिव्ज	-	-

(करोड़ रुपए)

(xxvii)

विवरण	31 मार्च 25	31 मार्च 24
अग्रगामी दर करार/ब्याज दर स्वैप के ब्यौरे	-	-

(xxviii) मात्रात्मक प्रकटन : (करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च 25	31 मार्च 24
(i) मुद्रा डेरिवेटिव्ज– हैजिंग	0.00	334.25
मार्क्ड टू मार्केट पोजिशन		
(क) परिसंपत्तियां	0	-14.25
(ख) देयता	0	7.68
(ii) ब्याज दर डेरिवेटिव्ज		

(xxix) मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन (करोड़ रुपए)

वित्तीय वर्ष	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की संख्या	लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋण की राशियां		लचीली संरचना हेतु लिए गए ऋणियों की जोखिम भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीली संरचना को लागू करने से पहले	लचीली संरचना को लागू करने के बाद
(i) वित्तीय वर्ष 2024–25	-	-	-	-	-
(ii) वित्तीय वर्ष 2023–24	-	-	-	-	-

(xxx) क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो अभी स्टेण्ड–स्टिल अवधि में हैं) (करोड़ रुपए)

विवरण	सूचना की तारीख को बकाया राशि	बकाया राशि	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	पुनर्सरचित मानक के रूप	एनपीए के रूप में
परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	-	-	-

(xxxi) 31 मार्च, 2025 को दबावग्रस्त परिसम्पत्तियों (एस4ए) की लाभदायक संरचना हेतु योजना का प्रकटन (करोड़ रुपए)

	खातों की संख्या, जहां एस4ए किया गया लागू है	बकाया समग्र राशि	बकाया राशि		किए गए प्रावधान
			भाग क में	भाग ख में	
वित्तीय वर्ष 2024–25					
(i) मानक के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00
(ii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00
वित्तीय वर्ष 2023–24					
(i) मानक के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00
(ii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत	0	0	0	0	0.00

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxii) एसडीआर योजना से बाहर स्वामित्व में परिवर्तन का प्रकटन (खाते, जो वर्तमान में स्टेण्ड–स्टिल स्थिति में हैं) **(करोड़ रुपए)**

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व को बदलने का निर्णय लिया है	सूचना की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां इक्विटी में ऋण का संपरिवर्तन/इक्विटी शेयरों के बंधक को प्रभावी करना लंबित हो		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां इक्विटी में ऋण का संपरिवर्तन/इक्विटी शेयरों के बंधक को प्रभावी किया गया है।		उन खातों के संबंध में सूचना तारीख की बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी करके या प्रवर्तक की इक्विटी बिक्री से स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है।	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वित्तीय वर्ष 2024–25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2024–25	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(xxxiii) कार्यनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना का प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टेण्ड–स्टिल स्थिति में है) **(Rs. Crore)**

वित्तीय वर्ष	खातों की संख्या जहां एसडीआर प्रभावी किया गया हो	सूचना की तारीख को बकाया राशि		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन लंबित हो।		उन खातों के संबंध में सूचना की तारीख को बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन किया गया हो	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
वित्तीय वर्ष 2024–25	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय वर्ष 2024–25	-	-	-	-	-	-	-

(xxxiv) परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता पद्धति :

31 मार्च, 2025 को

विवरण	1 दिन से 30 दिन	1 माह से 2 माह	2 माह से 3 माह	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताए									
बैंकों से उधार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बाजार उधार	225.00	-	-	-	-	899.71	495.00	2,158.35	3,778.05
कुल	**225.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**899.71**	**495.00**	**2,158.35**	**3,778.05**
परिसम्पत्तियां									
अग्रिम	0.01	4.00	1.61	2.36	6.28	28.18	38.03	3,763.12	3,843.60
निवेश	435.00	-	-	-	-	0.66	21.55	3,036.00	3,493.21
कुल	**435.00**	**4.00**	**1.61**	**2.36**	**6.28**	**28.85**	**59.58**	**6,799.12**	**7,336.81**

31 मार्च, 2024 को (करोड़ रुपए)

विवरण	1 दिन से 30 दिन	1 माह से 2 माह	2 माह से 3 माह	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
देयताए									
बैंकों से उधार	-	-	15.89	-	15.89	63.57	60.13	178.78	334.25
बाजार उधार	-	-	-	-	1,373.35	993.09	481.62	2,267.97	5,116.03
कुल	**-**	**-**	**15.89**	**-**	**1,389.24**	**1,056.66**	**541.74**	**2,446.75**	**5,450.28**
परिसम्पत्तियां									
अग्रिम	2.50	3.75	1.67	4.57	12.10	32.97	30.87	4,720.37	4,808.81
निवेश	864.88	33.85	29.04	0.62	0.62	3.72	29.65	2,973.42	3,935.80
कुल	**867.38**	**37.60**	**30.71**	**5.19**	**12.72**	**36.69**	**60.52**	**7,693.80**	**8,744.61**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxv) पुनर्संरचित खातों का प्रकटन

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली के तहत					अन्य					कुल				
	परिसम्पत्ति वर्गीकरण		मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	विवरण																
1	वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल, को पुनर्संरचित खाते (आरम्भिक आंकड़े)**	बकाया राशि	-	-	-	-	-			2	-	2	-	-	**2**	-	**2**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-			106.11		106.11	-	-	**106.11**	-	**106.11**
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-			77.87		77.87	-	-	**77.87**	-	**77.87**
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना #	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी को अपग्रेड करना*	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिन पर उच्चतर प्रावधान और/अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में अतिरिक्त जोखिम भार समाप्त हो गया है और इसलिए, अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाए जाने की जरूरत नहीं है	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की श्रेणी को कम करना *	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बट्टे खाते डालना	बकाया राशि	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वर्ष के दौरान बंद किए गए खाते	बकाया राशि	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अन्तिम आंकड़े)	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	**2**	-	**2**
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	99.14	-	99.14	-	-	**99.14**	-	**99.14**
		किए गए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	73.64	-	73.64	-	-	**73.64**	-	**73.64**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxvi) ईसीएल–आईएफसीआई लि. के वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकटन

31 मार्च, 2025 तक, आरबीआई प्रूडेंशियल (आईआरएसीपी) मानदंडों (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान, भारतीय लेखा मानक 109 के अंतर्गत हानि भत्ते से 74.88 करोड़ रुपए अधिक है। हालाँकि, चूँकि हानि आरक्षित निधि में मौजूदा शेष राशि 104.67 करोड़ रुपए है, इसलिए आरबीआई की अधिसूचना संख्या ''डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी. सं. 109 / 22.10.106 / 2019–20 दिनांक 13 मार्च, 2020'' की आवश्यकताओं के अनुसार, कोई और हानि आरक्षित निधि नहीं बनाई गई है। साथ ही, आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार 104.67 करोड़ रुपए की मौजूदा हानि आरक्षित निधि को वापस नहीं लिया गया है।

31.03.2025 को (करोड़ रुपए)

आरबीआई बैंक के मानदण्डों के अनुसार के परिसम्पत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	भा.ले.मा. 109 के अनुसार सकल वास्तविक राशि	भा.ले.मा. 109 के अनुसार अपेक्षित हानि भत्ता (प्रावधान)	निवल वास्तविक राशि	आईआरएसीपी मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भा.ले.मा.109 के प्रावधानों और आईआरएसीपी मानदण्डों के बीच अंतर की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	स्टेज 1	-	-	-	-	-
	स्टेज 2	82.17	1.11	81.06	-	1.11
	स्टेज 3	73.97	-	73.97	-	-
उप–जोड़		**156.14**	**1.11**	**155.03**	**-**	**1.11**
गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
अवमानक	स्टेज 3	-	-	-	-	-
संदिग्ध–1 वर्ष तक	स्टेज 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	स्टेज 3	57.62	36.09	21.53	19.91	16.18
3 वर्ष से अधिक	स्टेज 3	3,502.19	2,720.99	781.20	2,937.75	(216.76)
अव–मानक के लिए उप–जोड़		**3,559.81**	**2,757.08**	**802.73**	**2,957.66**	**(200.58)**
हानि	स्टेज 3	651.02	271.29	379.73	146.71	124.58
एनपीए के लिए उप–जोड़		**4,210.83**	**3,028.37**	**1,182.46**	**3,104.36**	**(75.99)**
कुल		**4,366.97**	**3,029.48**	**1,337.49**	**3,104.36**	**(74.88)**
गारंटियों, ऋण प्रतिबद्धताओं जैसी अन्य मदे, जो भा.ले. मा. 109 के दायरे में आती है परन्तु चालू आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने (आईआरएसीपी) के मानदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती	स्टेज 1	5.71	0.04	5.67	-	0.04
	स्टेज 2	-	-	-	-	-
	स्टेज 3	45.81	14.56	31.25	-	14.56
	स्टेज 1	5.71	0.04	5.67	-	0.04
	स्टेज 2	82.17	1.11	81.06	-	1.11
	स्टेज 3	4,330.61	3,042.93	1,287.68	3,104.36	(61.43)
	कुल	**4,418.49**	**3,044.08**	**1,374.41**	**3,104.36**	**(60.28)**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxvii) आरबीआई बैंक के मास्टर निदेश–गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी–सिस्टिमीकल इम्पोर्टेंट नॉन–डिपॉजिट टेकिंग कंपनी और डिपॉजिट टेकिंग कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार नकदी जोखिम प्रबन्धन संरचना और नकदी कवरेज अनुपात पर मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रकटन

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों पर आधारित संकेन्द्रण (निक्षेप और उधार दोनों)

क्र. सं.	महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकारों की संख्या *	राशि (करोड़ रुपए)	कुल निक्षेपों का प्रतिशत
1	20	1,639.85	43.40%

* कुल देनदारियों के 1 प्रतिशत से अधिक के लिए महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष उधार

(ii) 20 सबसे बड़े निक्षेप

क्र.सं.	प्रतिपक्षकार	राशि (करोड़ रुपए)	कुल निक्षेपों का प्रतिशत
शून्य			

(iii) 20 सबसे बड़े उधार

क्र. सं.	ऋणदाता / निवेशक का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)	कुल उधारों का प्रतिशत
1	दि साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि.	211.92	5.61%
2	ट्रस्टीज जैब्स सी पी फण्ड	157.15	4.16%
3	ट्रस्टीज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंट्रीब्युटरी प्रोविडेंट फंड	128.70	3.41%
4	केएसआरटीसी कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	98.90	2.62%
5	नायवेली लिग्नाइट कारपोरेशन कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	81.64	2.16%
6	पावर ग्रिड कर्मचारी भविष्य निधि फंड ट्रस्ट	78.74	2.08%
7	दि मुम्बई डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि.	77.00	2.04%
8	एक्सिस बैंक लिमिटेड	77.00	2.04%
9	रामकृष्ण मिशन	76.61	2.03%
10	आईएफसीआई एन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	75.00	1.99%
11	ए पी एस आर टी सी एंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	72.00	1.91%
12	बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एम. एस. आर. टी. सी. सीपीएफ	69.60	1.84%
13	एसआईसीओएम लिमिटेड	63.70	1.69%
14	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (रिफाइनरीज डिविजन) एंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड	62.20	1.65%
15	बांगिया ग्रामीण विकास बैंक	60.70	1.61%
16	आईओसीएल इम्प्लॉयज पीआरएमबी फण्ड	60.00	1.59%
17	इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड	51.96	1.38%
18	हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड अंशदायी भविष्य निधि राउरकेला	50.80	1.34%
19	नोबल कम्यूनिकेशन प्रा. लि.	46.24	1.22%
20	केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन निधि	40.00	1.06%
	कुल	**1,639.85**	**43.40%**

(iv) महत्वपूर्ण प्रलेख / उत्पाद पर आधारित निधियन संकेन्द्रण

क्र. सं.	प्रलेख / उत्पाद का नाम	राशि (करोड़ रुपए में)	कुल मूल देयताओं का %*
1	निजी रूप से धारित बॉण्ड	2,493.79	66%
2	सार्वजनिक एनसीडी	0.00	0.00%
3	अधीनस्थ बॉण्ड	744.67	19.71%
4	विदेशी मुद्रा देयता	0.00	0.00%
5	जीरो कूपन बॉण्ड	394.60	10.45%
6	कर मुक्त बॉण्ड	145.00	3.84%
	कुल योग	**3,778.06**	**100.00%**

*31 मार्च, 2025 तक बकाया मूल देनदारी पर प्रतिशत की गणना की गई

(v) स्टॉक अनुपात

क्र. सं.	विवरण	अनुपात*	लिमिट
1	अल्पकालिक देनदारियाँ / कुल परिसंपत्ति	7.88%	Not exceeding 30%
2	अल्पकालिक देनदारियाँ / दीर्घकालिक परिसंपत्तियाँ	10.84%	Not exceeding 40%
3	वाणिज्यिक पत्र / कुल परिसंपत्ति **	-	Not exceeding 10%

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

4	1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता/कुल परिसंपत्ति वाले एनसीडी #	-	Not exceeding 10%
5	दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक) परिसंपत्ति /कुल परिसंपत्ति	72.71%	Not exceeding 85%
6	अल्पकालिक देनदारियाँ / कुल देनदारियाँ	10.36%	Not exceeding 30%

$अनुपातों की गणना इंड एस बैलेंस के अनुसार की जाती है

* सलाहकारी योजनाओं के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त राशि के समायोजन के बाद का अनुपात, जो सलाहकारी आवेदकों के लिए था।

यदि सलाहकार सेवाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त राशि को शामिल किया जाए तो, अल्पकालिक देयताएं / कुल परिसंपत्तियां 28.92 प्रतिशत होंगी, अल्पकालिक देयताएं / दीर्घकालिक परिसंपत्तियां 51.55 प्रतिशत होंगी, दीर्घकालिक (1 वर्ष से अधिक) परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां 56.10 प्रतिशत होंगी और अल्पकालिक देयताएं / कुल देयताएं 35.48 प्रतिशत होंगी।

** वाणिज्यिक पत्र का कोई बकाया नहीं

1 वर्ष से कम की मूल परिपक्वता वाली कोई भी एनसीडी जारी नहीं की गई थी

नकदी कवरेज अनुपात (लाख रु. में)

उच्च गुणवत्ता वाली नकद परिसम्पत्तियां	31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए		31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए		30.09.2024 को समाप्त अवधि के लिए		30.06.2024 को समाप्त अवधि के लिए	
	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि	अभारित राशि	भारित राशि
कुल उच्च गुणवत्ता वाली नकद परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	27,758	16,164	50,287	40,702	47,525	35,155	41,991	32,924
नकद बर्हिप्रवाह								
डेरिवेटिव जोखिम से सम्बन्धित बर्हिप्रवाह और अन्य संपार्श्विक अपेक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य संविदात्मक निधियन दायित्व	29,252	33,755	21,950	25,243	4,047	4,654	7,313	8,410
अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल नकद बर्हिप्रवाह	**29,252**	**33,755**	**21,950**	**25,243**	**4,047**	**4,654**	**7,313**	**8,410**
नकद अन्तरप्रवाह								
पूर्णतः कार्यनिष्पादन जोखिमों से अन्तर प्रवाह	167	125	167	125	170	128	424	318
ऋण श्रृंखला – क्रेडिट या नकदी सुविधाएं या अन्य आकस्मिक निधियन	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य नकद अन्तर प्रवाह	18,148	18,034	250	188	7,850	5,888	285	214
कुल नकद अन्तर प्रवाह	18,315	18,159	417	313	8,020	6,016	709	532
कुल एचक्यूएलए		16,164		40,702		35,155		32,924
निवल नकद प्रवाह		15,596		24,930		-1,362		7,878
कुल नकद बर्हिप्रवाह का 25 प्रतिशत		8,439		6,311		1,164		2,102
नकदी कवरेज अनुपात		**104**		**645**		**3,021**		**418**

आपकी कंपनी ने पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए अनेक विवेकसम्मत उपाय किए हैं। एलसीआर के प्रमुख चालक ऋण अदायगी के कारण बर्हिप्रवाह और मानक पुनर्अदायगियों और एनपीए वसूली के कारण अन्तर प्रवाह हैं। बोर्ड की अनुमोदित नीति के अनुसार उपलब्ध अधिशेष निधियों का नियोजन मुख्य रूप से तरल पारस्परिक निधियों, सरकारी प्रतिभूतियों (जी.सेक/ट्रेजरी बिलों), वाणिज्यिक पेपरों और अन्य मुद्रा बाजार प्रलेखों में किया जाता है। आपकी कंपनी का यह प्रयास रहता है कि एलसीआर सुविधजनक और निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत बना रहे।

(xxxviii) क्षेत्रवार जोखिम क्षेत्र

क्षेत्र	2024.25			2023.24		
	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (करोड़ रु.)	सकल एनपीए (करोड़ रु.)	उस क्षेत्र में कुल जोखिम के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (करोड़ रु.)	सकल एनपीए (करोड़ रु.)	उस क्षेत्र में कुल जोखिम के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत
2. उद्योग						
क. खनन एवं उत्खनन (कोयला सहित)	214.75	114.75	53.43	232.48	49.20	21.16
ख. खाद्य प्रसंस्करण	214.82	212.79	99.05	211.06	75.45	35.75
ग. पेय पदार्थ और तम्बाकू	-	-	-	474.11	-	-
घ. कपड़ा	64.18	7.32	11.41	1,243.95	1,018.14	81.85
ङ. कागज एवं कागज उत्पाद	53.10	52.59	99.05	6.13	5.98	97.58
च. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु उत्पाद	-	-	-	0.04	-	-
छ. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	142.41	141.94	99.67	177.99	176.84	99.35
ज. रबर, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	10.40	0.00	0.01	15.41	1.84	11.92
झ. सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	69.72	-	-	140.78	53.06	37.69
ञ. मूल धातु एवं धातु उत्पाद	245.28	152.50	62.17	665.96	537.04	80.64
ट. सभी इंजीनियरिंग	578.33	569.24	98.43	729.39	729.33	99.99
ठ. वाहन, वाहन के हिस्से और परिवहन उपकरण	146.33	145.43	99.38	121.85	119.95	98.44

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ड. रत्न एवं आभूषण	0.69	0.69	99.87	85.78	85.78	100.00
ढ. निर्माण	223.26	196.15	87.86	323.29	323.29	100.00
न. विद्युत उत्पादन	1,352.82	1,098.23	81.18	920.73	181.61	19.72
प. सौर नवीकरण ऊर्जा	-	-	-	6.14	-	-
फ. अन्य	9.04	9.04	100.00	100.00	100.00	100.00
ब. दूरसंचार	135.00	135.00	100.00	77.34	53.19	68.77
भ. सड़कें	116.11	42.16	36.31	63.50	63.50	99.99
म. अन्य अवसंरचना	303.61	299.17	98.54	317.79	316.93	99.73
य. अन्य उद्योग	3,461.51	725.98	20.97	2,870.33	1,228.59	42.80
कुल योग	**7,341.36**	**3,902.98**	**53.16**	**8,784.04**	**5,119.70**	**58.28**

क्षेत्र	**2024.25**			**2023.24**		
अन्य उद्योग	**कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (करोड़ रु.)**	**सकल एनपीए (करोड़ रु.)**	**उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत**	**कुल एक्सपोजर (बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर शामिल है (करोड़ रु.)**	**सकल एनपीए (करोड़ रु.)**	**उस क्षेत्र में कुल एक्सपोजर का सकल एनपीए का प्रतिशत**
सभी उप–क्षेत्र फ्लैगिंग के लिए उपलब्ध होंगे (उप–क्षेत्र को उस समूह / कंपनी की प्रमुख कंपनी के परिचालन खंड का प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिसके शेयर गिरवी रखे जा रहे हैं)।	0.00	0.00	100.00	45.82	-	-
सहयोगी कंपनी	83.16	-	-	-	-	-
बैंकों	-	-	-	690.08	250.63	36.32
ऋण और निवेश की टोकरी	-	-	-	370.87	-	-
दलाल और अन्य पूंजी बाजार सहभागी	72.68	-	-	170.16	101.25	59.50
निर्माण सामग्री	1.75	-	-	18.09	4.33	23.91
व्यापार सेवाएं	32.78	32.67	99.67	85.41	68.41	80.10
वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति	366.43	290.91	79.39	4.69	-	-
सरकारी प्रतिभूतियां	42.08	-	-	-	-	-
होल्डिंग कंपनी	-	-	-	135.81	135.81	100.00
अधिकार वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी–पर्यटन और संबंधित गतिविधि (बुनियादी संरचना के तहत के अलावा)	77.47	77.47	100.00	74.28	74.28	100.00
होटल (गैर–इन्फ्रा)	56.08	56.00	99.85	215.65	212.69	98.63
सूचान प्रौद्योगिकी सेवाएं	53.48	36.48	68.21	20.91	20.91	100.00
मीडिया एवं मनोरंजन	145.00	145.00	100.00	247.61	212.60	85.86
विविध. अन्य उत्पाद	548.14	11.69	2.13	0.03	-	-
विविध सेवाएं	1.00	-	-	364.40	-	-
म्यूचुअल फंड्स	266.05	-	-	198.08	21.73	10.97
एनबीएफसी	120.19	-	-	40.17	40.02	99.64
अलौह धातु	113.67	59.21	52.09	3.04	3.04	100.00
मुद्रण, प्रकाशन और संबद्ध उद्योग।	-	-	-	72.14	72.14	100.00
खुदरा ब्रांड श्रृंखला	25.94	16.54	63.77	0.05	-	-
सहायक कंपनी	1,441.12	-	-	10.76	10.74	99.83
पर्यटन एवं संबंधित गतिविधि (बुनियादी संरचना के अलावा)	14.49	-	-	102.26	-	-
वेंचर कैपिटल फंड	-	0.01	-	0.01	0.01	100.00
कुल योग	**3,461.51**	**725.98**	**20.97**	**2,870.33**	**1,228.59**	**42.80**

टिप्पणी :

i. उपरोक्त प्रकटीकरण के प्रयोजन हेतु प्रकटीकरण आवश्यकता के अनुसार, जीएनपीए अनुपात की गणना कुल जोखिम (बैलेंस शीट और ऑफ–बैलेंस शीट जोखिम सहित) के आधार पर की जाती है, अर्थात संबंधित क्षेत्रों में कुल जोखिम में सकल एनपीए का प्रतिशत। कंपनी का वास्तविक जीएनपीए अनुपात बैलेंस शीट जोखिम के आधार पर गणना किया जाता है और तदनुसार तुलनीय नहीं है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xxxix) शिकायतों के प्रकटन

संसाधन विभाग को ग्राहकों और लोकपाल के कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का सारांश

क्र. सं.		विवरण	वित्तीय वर्ष 24–25 चालू वर्ष	वित्तीय वर्ष 23–24 पिछला वर्ष
		एनबीएफसी को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1		वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या'	411	3930
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	411	3930
	3.1	जिनमें से, एनबीएफसी द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	0	0
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	0	0
		एनबीएफसी को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें		
5		एनबीएफसी को लोकपाल कार्यालय से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या	9	9
	5.1	5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा एनबीएफसी के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	9	9
	5.2	5 में से, लोकपाल के कार्यालय द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	0	0
	5.3	5 में से, एनबीएफसी के खिलाफ लोकपाल के कार्यालय द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद कई शिकायतों का समाधान किया गया	0	0
6		निर्धारित समय के अंदर लागू नहीं किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए पुरस्कारों के अलावा)	0	0

	शिकायतों के आधार (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में से 30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या।
	1	2	3	4	5	6
पिछला वर्ष वित्तीय वर्ष 2024–25						
आधार1	आबंटन सूचना/बांड प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना	0	0	0	0	0
आधार 2	ब्याज/मोचन/बायबैक राशि की प्राप्ति न होना	**0**	**359**	**-90.82**	**0**	**0**
आधार 3	लाभांश न मिलना	0	2	100	0	0
आधार 4	अन्य	0	50	250		
आधार 5						
अन्य						
	कुल	**0**	**411**	**259.18**	**0**	**0**
पिछला वर्ष वित्तीय वर्ष 2023–24						
आधार 1	आबंटन सूचना/बांड प्रमाणपत्र का प्राप्त न होना	0	0	0	0	0
आधार 2	ब्याज/मोचन/बायबैक राशि की प्राप्ति न होना	**0**	**3910**	**-53.33**	**0**	**0**
आधार 3	लाभांश न मिलना	0	0	-100	0	0
आधार 4	अन्य	0	20	81.8		
आधार 5						
अन्य						
	कुल	**0**	**3930**	**-71.53**	**0**	**0**

(xl) अंतर समूह जोखिम

विवरण	वित्तीय वर्ष 24.25	वित्तीय वर्ष 23.24
अंतर समूह जोखिम की कुल राशि	1,524.32	1546.45
शीर्ष 20 अंतर समूह जोखिम की कुल राशि	1,524.32	1546.45
कुल जोखिम के प्रतिशत के रूप में कुल अंतर समूह जोखिम	20.76%	17.61%

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(xli) संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण

(करोड़ रु.)

संबंधित पक्षकार	सहायक कम्पनियां		सहयोगी कम्पनियां / संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के सम्बंधी		अन्य		कुल	
सामान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष त	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	च्चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उधार	75.00	130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00	130.00
निक्षेप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निक्षेप प्रतिधारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	-	-	-	0.31	0.59	-	-	-	-	0.31	0.59
निवेश	1,524.28	1,546.41	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	1,524.32	1,546.45
अचल/ अन्य परिसंपत्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अचल/ अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अदा किया गया ब्याज*	9.12	11.07	-	-	-	-	-	-	-	-	9.12	11.07
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* संचयी ब्याज को छोड़कर – 1.96 करोड़ रुपए

अन्य लेन–देन के लिए कृपया नोट संख्या 47 देखें।

(xlii) प्रसंविदाओं का उल्लंघन

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्षों के दौरान लिए गए ऋण या जारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में किसी चूक या प्रसंविदाओं के उल्लंघन का कोई मामला नहीं था।

(xliii) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों में विचलन

आरबीआई ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय प्रलेखों पर कर–पूर्व लाभ और क्षति हानि के 5 प्रतिशत से अधिक की राशि के लिए अतिरिक्त प्रावधानों का आकलन नहीं किया है, और न ही इस अवधि के दौरान रिपोर्ट में दर्ज गए सकल एनपीए के 5 प्रतिशत से अधिक के किसी अतिरिक्त सकल एनपीए की पहचान की है।

56 31.03.2025 को करंसी फ्यूचर्स/फारवर्ड सौदों में ओपन इन्टरेस्ट

स्थिति (31.03.2024 की स्थिति अनुसार)

विवरण	मूल्य तिथि	प्रति पक्षकार	समाहित यूनिटों की संख्या (यूरो एवं यूएसडी)

57 37.19 मिलियन यूरो का केएफडब्ल्यू ऋण 18 अप्रैल, 2024 को पूर्व भुगतान कर दिया गया है

58 रेपो और रिवर्स रेपो लेन देनों के अधीन बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों के विवरण :

विवरण	अवधि के दौरान अधिकतम बकाया	अवधि के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च, 2025 को बकाया
रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां :			
1 सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-
2 निगमित बॉण्ड	-	-	-
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियां :			
1 सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-
2 निगमित बॉण्ड	-	-	-

अधिकतम एवं औसत बकाया प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर आधरित है।

59. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं आवश्यक है, चालू अवधि के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एस मान एंड कंपनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन
सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट

आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यगण,

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **आईएफसीआई लिमिटेड** ("कम्पनी") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद प्रवाह विवरण और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक विवरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल है (जिसे इस रिपोर्ट में आगे "एकल वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित सूचना यथानुसार देते हैं और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार मामलों की स्थिति, कम्पनी का मुनाफा, कुल व्यापक आय, इसके नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन सहित यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप उनके बारे में सत्य एवं स्पष्ट सूचना देते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा पर मानकों (एसए) के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख इस रिपोर्ट के **"एकल वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षक की जिम्मेदारियां"** नामक खण्ड में किया किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी नीति–संहिता के अनुसार कम्पनी के स्वतंत्र लेखा–परीक्षक हैं और नीतिपरक अपेक्षाएं कम्पनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के उपबंधों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के संगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नीति–संहिता के अनुसार अपनी अन्य नीतिपरक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा–परीक्षा राय के लिए उचित आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

1. **प्रमुख मामले :**

क. प्रमुख मामले – आईएफसीआई लिमिटेड

1. हम चरण 3 की परिसंपत्तियों पर ब्याज आय की मान्यता के संबंध में वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 40 **(iii)** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024–2025 के लिए ब्याज आय 106.16 करोड़ रुपए (आईआरएसी मानदंडों के अंतर्गत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) है। चूँकि, वसूली की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए इसे उसी वर्ष अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसलिए, वर्ष के निवल लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
2. हम **टिप्पणी संख्या 40 (iv)** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां पूँजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 31.03.2025 को (–) 23.04 प्रतिशत है, जो आर. बी. आई. द्वारा दिनांक 31 मई, 2018 (आरबीआई/2017–18/181 डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं.092/03.10.001/2017–18) द्वारा परिचालित निर्धारित दिशानिर्देश से कम है।
3. एक निश्चित मामले में, यह देखा गया कि एक पार्टी ने भारत सरकार की एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के तहत सहायता प्राप्त करने और अपने प्रस्ताव की समुचित तैयारी के लिए कंपनी को अपना सलाहकार/परामर्शदाता नियुक्त किया है। लेकिन कंपनी एसडीएफ योजना के तहत नोडल मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवेदन पर स्वतंत्र रूप से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सरकार की नोडल एजेंसी/एजेंट के रूप में भी कार्य कर रही है। भारत सरकार से स्पष्ट अनुमोदन मिलने के बावजूद, किसी भी आवेदक को व्यावसायिक शर्तों पर दस्तावेजों/परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता/प्रशिक्षण देने की कंपनी की कार्रवाई और भारत सरकार की ओर से उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से कंपनी द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों की विश्वसनीयता काफी कमजोर होती है। साथ ही इससे कंपनी की स्वतंत्र स्थिति भी प्रभावित होती है।
4. कंपनी ने हमें नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्र दिनांक 01.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि एसडीएफ (चीनी विकास निधि) योजना के लिए लेखा परीक्षकों के साथ कोई विशिष्ट डेटा साझा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हमारे द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है।
5. कंपनी ने हमें सूचित किया है कि पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजनाओं के लिए नोडल मंत्रालय से प्राप्त पत्रों के अनुसार, फाइलें और दस्तावेज लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, इसलिए हमने इनकी समीक्षा नहीं की है।

ख. प्रमुख मामले – मैसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

1. समेकित वित्तीय विवरणों का **टिप्पणी सं. 43** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले में निर्णय लंबित रहने तक, एक बैंक के साथ जारी मुकदमेबाजी के परिणाम से संबंधित है। प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, कंपनी माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रतिभूति जमा के रूप में रखी गई एफडीआर की वसूली के प्रति आशान्वित है, इसलिए लाभ व हानि विवरण में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. 1प्रमुख मामले – मैसर्स स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

सहायक कम्पनी "स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड" के संबंध में सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने निम्नलिखित मैटर ऑफ इन्फेसिस दिया है :

1. हम कम्पनी के परिसर में आग लगने के कारण तीसरे पक्ष के प्रति कम्पनी के दायित्व के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर **टिप्पणी सं. 45** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

C. **प्रमुख मामले – मैसर्स एमपीकॉन लिमिटेड के मामले**

1. हम समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 47 ग (घ) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां अन्य चालू देयताओं में 0.83 लाख रु. की एक ऐसी राशि दिखाई गई है, जो कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त हुई है, लेकिन जिस कंपनी से यह राशि प्राप्त हुई है, उसके द्वारा अभी तक इसकी पहचान नहीं की गई है।

2. हम समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 37 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमे के कारण होने वाले लाभ/हानि से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन किया गया है।

3. यह देखा गया है कि 31.03.2025 तक तुलन पत्र में 982.05 लाख रु. की विविध देनदारी दिखाई गई है। विविध देनदारों से संबंधित अवधि तालिका नीचे दी गई है :

विवरण	राशि रुपए में (लाख में)
6 माह तक	145.29
6 माह से अधिक से 3 वर्ष तक	0.00
3 वर्ष से अधिक	836.76

इसके अतिरिक्त, विवादित व्यापारिक प्राप्य – ऋण क्षति के अंतर्गत 298.04 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिसके लिए वर्ष के दौरान 65.06 लाख रुपए के अशोध्य ऋणों का प्रावधान किया गया है। लंबे समय से बकाया प्राप्य राशियों का महत्वपूर्ण अनुपात और महत्वपूर्ण बट्टे खाते में डालना, प्रबंधन के निरंतर ध्यान के महत्व को दर्शाता है।

4. यह देखा गया है कि 31.03.2025 तक 524.29 लाख रुपए के व्यापार देय तीन वर्षों से अधिक समय से तुलन पत्र में बकाया थे। यह स्पष्ट किया गया है कि इसका भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इसके विरुद्ध 836.75 लाख रुपए की संबंधित देनदारियों से भुगतान प्राप्त किया जाना है।

   यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस पर नियमित टिप्पणी के बावजूद, देनदारों की वसूली और लेनदारों के भुगतान के लिए कोई अनुवर्ती प्रयास हमारे ध्यान में नहीं लाया गया, जबकि सेवा प्रदाता की ओर से वसूली में विफलता के कारण 312.46 लाख रुपए की राशि अवरुद्ध है।

   निगम ने उक्त राशि पर आयकर और सभी संबंधित करों का भुगतान पहले ही कर दिया है। अतः इसकी वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है।

5. यह देखा गया है कि 31.03.2025 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने के रूप में 11.69 लाख रुपये की देयता थी। यह वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएजी की टिप्पणी (ओबीएस–1464634) का विषय था, जिसमें कहा गया था कि देयता में कानूनी योग्यता का अभाव है। प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा कि इस मामले का वित्त वर्ष 2024–25 में अनुपालन किया जाएगा। जबकि, इस रिपोर्ट की तिथि तक, कोई कानूनी राय प्राप्त नहीं हुई है।परिणामस्वरूप, गैर–चालू देयताएं बढ़ा–चढ़ाकर बताई गई हैं और लाभ 11.69 लाख रुपये कम दर्शाया गया है। हम प्रबंधन को कानूनी राय लेने और आवश्यक समायोजन करने का सुझाव देते हैं।

6. टिप्पणी 47 ग (ग) के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी आपूर्ति अनुबंध के मामले में एमपीकॉन संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र/पुष्टि प्राप्त होने के बाद चालान जारी करता है। एमपीकॉन संबंधित महीने में कंपनी के खातों में आय दर्ज करता है और साथ ही कर्मचारी आपूर्ति अनुबंध के लिए संबंधित महीने में व्यय अंकित करता है। हमारी राय में और राजस्व मान्यता मानदंडों के अनुसार विभिन्न सेवाओं के बिल, सेवाएं प्रदान करने के 30 दिनों के भीतर बनाया जाना चाहिए, लेकिन इस मामले में यह देखा गया है कि कुछ पार्टियों को जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के बिल नहीं दिए गए हैं और न ही संबंधित व्यय बिल बुक में दर्ज किए गए हैं।

घ. **प्रमुख मामले – आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड**

1. हम **टिप्पणी 47ङ** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी के आयकर विभाग में आकलन वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए दो मुकदमे लंबित हैं। इन मामलों में विवादित राशि क्रमशः 53.04 लाख रुपये और 505.07 लाख रुपये है। ये मामले वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) ख्सीआईटी (ए), के समक्ष लंबित हैं। जबकि, वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभाव का वर्तमान में पता नहीं लगाया जा सकता है।

ङ. **प्रमुख मामले – मैसर्स आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड**

1. हम वित्तीय विवरणों में **टिप्पणी 47 क (क)** की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने प्रतिभूति रसीदों में अपने 2 निवेश और 3 ऋण परिसंपत्तियां अपनी धारित कंपनी को बेच दीं और इस असाइनमेंट के साथ, आईएफएल ने ऋण खातों/प्रतिभूति रसीदों का अपना पूरा पोर्टफोलियो असाइन कर दिया है।वर्तमान में, कोई नई ऋण गतिविधियाँ नहीं की जा रही हैं। कंपनी अन्य स्रोतों और राजकोषीय आय से राजस्व अर्जित करना जारी रखे हुए है। आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड के लिए आगे की राह आईएफसीआई समूह की समग्र पुनरुद्धार योजना का हिस्सा है, जो वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के विचाराधीन है।. इसलिए, एक चालू व्यवसाय के रूप में कंपनी की जारी रहने की क्षमता उसकी भविष्य की कार्य योजना पर निर्भर करेगी।

2. **प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले**

प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों का समाधान समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के संदर्भ में किया गया है और उन्हीं के आधार पर हमारी राय बनी है तथा हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखा–परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले	लेखा–परीक्षा में हमारे मामले का समाधान कैसे किया गया
1	**ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति – प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल)** (लेखांकन नीति संख्या एफ (बी) के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 56 देखें) अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां हमने प्रबंधकीय निर्णयों के उच्चतर स्तर का पता लगाया है : ईसीएल मॉडल – क्षति हानि मूल्यांकन के लिए चूक की संभावनाओं (पीडी), चूक के कारण हानि (एलजीडी) और चूक पर जोखिम (ईएडी) का अनुमान लगाने के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये मॉडल ईसीएल को मापने के मुख्य संचालक हैं। विभिन्न चरणों का व्यक्तिगत रूप से निर्धारित वर्गीकरण–यदि व्यक्तिगत क्षति का उपयुक्त रूप से अभिनिर्धारण और अनुमान न लगाया जाए, तो ऋण प्राप्तकर्ताओं को ऋण और अग्रिम राशियों के वास्तविक मूल्य में महत्वपूर्ण असमानता हो सकती है। इन मामलों का प्रभाव यह है कि हमारे जोखिम निर्धारण के भाग के रूप में हमने यह निर्धारण किया है कि ईसीएल के मूल्य में अत्यधिक आनुमानिक अनिश्चितता होती है जिसके साथ वित्तीय विवरणों की समग्र गुणवत्ता की अपेक्षा अधिक समुचित परिणामों की संभावनाएं जुड़ी हैं। अवधारणाओं के अनुचित उपयोग के मामले में ऋण परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से गलत बताया जा सकता है। एकल वित्तीय विवरणों में ऋण परिसम्पत्तियों की राशि के महत्व को देखते हुए उस पर ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति को हमारी लेखा–परीक्षा में मुख्य लेखा–परीक्षा मामला माना गया है।	**हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं :** हमने प्रत्याशित ऋण हानि के सम्बन्ध में लेखांकन मानक 109 'वित्तीय प्रलेख', में विनिर्दिष्ट मार्गनिर्देशों, विभिन्न नियामक नवीनतम सूचनाओं, कम्पनी के आंतरिक अनुदेशों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं में उनको अपनाया गया है : ऋण परिसम्पत्तियों के संबंध में मुख्य आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियों के मूल्यांकन और जानकारी, ऋण क्षति का निर्धारण, उपयुक्त आंकड़ों की गुणवत्ता के निर्धारण सहित और प्रविष्ट वास्तविक आंकड़ों की समीक्षा। किसी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या किसी ऋण परिसम्पत्ति खाते का पता लगाने के लिए बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसम्पत्तियों की जांच–परीक्षण आधार पर ऋण परिसम्पत्ति खातों का सत्यापन/ प्रलेखों की समीक्षा, कार्य–निष्पादन। किसी प्रतिकूल संकेत/टिप्पणी वाली ऋण परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए आन्तरिक लेखा–परीक्षा और अन्य किसी लेखा–परीक्षा/ निरीक्षण प्रणाली की रिपोर्टों की समीक्षा और कम्पनी की नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा, ताकि ऐसी ऋण परिसम्पत्तियों और उसकी संभावित क्रेडिट हानि का समेकित वर्गीकरण किया जा सके। पोर्टफोलियो से खाता स्तर तक ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल प्रावधान का अनुमान लगाने के लिए कार्यप्रणाली में परिवर्तन की समीक्षा और ईसीएल की गणना के लिए भविष्य में पूर्वानुमानित वसूली का आधार। पीडी और एलजीडी के परिकलन के लिए प्रयुक्त प्रणाली में महत्त्वपूर्ण आंकड़ों के इनपुट की उपयुक्तता। ईसीएल परिकलन में स्रोत प्रणालियों से आंकड़ों के प्रवाह की पूर्णता और सटीकता। आर.बी.आई. के आईआरएसीपी मानदण्डों के आधार पर समग्र ऋण परिसम्पत्तियों का स्वतंत्र निर्धारण। **हमारे परिणाम :** हमने क्रेडिट क्षति प्रभार और मान्य प्रावधान और इससे सम्बन्धित प्रकटन को को स्वीकार्य और संतोषजनक माना हैं।
2	**उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों का मूल्यांकन** (लेखांकन नीति संख्या एफ (बी) के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 55 देखें। कम्पनी अपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम का प्रबन्धन करने के लिए आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार डेरिवेटिव संविदाएं करती है। इन डेरिवेटिव्स संविदाओं का एफवीटीपीएल पर वर्गीकरण किया जाता है और नकद प्रवाह प्रतिरक्षण (प्रतिरक्षा लेखांकन) के अधीन कुछ डेरिवेटिव्स संविदाओं को पदनामित किया जाता है। हम डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों के मूल्यांकन और प्रतिरक्षा लेखांकन को इसके महत्त्वपूर्ण जोखिम और इस तथ्य की वजह से कि इन अपेक्षाओं के अनुचित प्रयोग से आय विवरण पर महत्त्वपूर्ण असर पड़ सकता है, इसके कारण एक प्रमुख लेखा–परीक्षा मामला समझते हैं।	**हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :** हम उन वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं और अन्तर्निहित संविदाओं के संभावित परिणामों तथा कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन का अनुमान लगाने में प्रबन्धन की अन्तर्निहित अवधारणाओं की समीक्षा करने के लिए अपने कार्य–दल को निर्देश देते हैं जिससे कम्पनी को हो रहे किसी लाभ या हानि का पता लगाया जा सके। हमारे कार्य–दल ने 31 मार्च, 2025 को निपटान के लिए बकाया/लम्बित के रूप में वित्तीय डेरिवेटिव संविदाओं का ऐसा उचित मूल्य निकालने के लिए सामान्य बाजार कार्य–विधियों और अन्य अन्तर्निहित अवधारणाओं पर भी विचार किया है। यह निर्धारण करना कि मौजूदा लेखांकन मानकों और आर.बी.आई. के मार्गनिर्देशों की अपेक्षाओं के संदर्भ में कम्पनी के वित्तीय विवरणों में इसके डेरिवेटिव मूल्यांकन जोखिम को उपयुक्त रूप से दर्शाने के लिए प्रकटन किया गया है। **हमारे परिणाम :** हमें उचित मूल्य पर डेरिवेटिव संविदाओं के मूल्यांकन में कोई महत्त्वपूर्ण गलतबयानी नहीं मिली है और सम्बन्धित प्रकटन स्वीकार्य और संतोषजनक हैं।

3	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का निर्धारण मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाएं कम्पनी की आईटी प्रणालियों के स्वचालित नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भर करती हैं। इस बात का जोखिम रहता है कि कर्तव्यों या यूजर एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल के अनुपयुक्त विभाजन (मुख्य वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रणालियों के सम्बन्ध में) से हमारी लेखा–परीक्षा करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है और लेखा–परीक्षा की विश्वसनीयता भी प्रभावित हो सकती है। हमने प्रमुख लेखा–परीक्षा मामले के रूप में इस पर विचार किया है क्योंकि किसी नियंत्रण चूक, वैधता विफलता, अनुचित इनपुट आंकड़े और आंकड़ों के अनुचित निस्तारण से प्रबन्धन और नियामकों को आंकड़ों की गलत सूचना मिल सकती है।	हमारी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं : वित्तीय लेखांकन और सूचना प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सूचना/इनपुट पर मुख्य नियंत्रण परिचालन का मूल्यांकित नमूना। हमारे परिणाम : हमें वित्तीय लेखांकन और सूचना पर आईटी प्रक्रियाओं से निकलने वाली सूचनाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं दिखी है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट से भिन्न अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक बोर्ड और प्रबन्धन अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि पर प्राप्त जानकारी शामिल है, परन्तु इसमें इस लेखा–परीक्षक रिपोर्ट की तारीख को समेकित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना को कवर नहीं किया गया है और हम उन पर आश्वासन के किसी रूप में निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करना कि क्या अन्य सूचना महत्वपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के अनुरूप है या लेखा–परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना की महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है, जो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना अपेक्षित है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कम्पनी का निदेशक बोर्ड इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस सहित। लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय निष्पादन, जिसमें अन्य व्यापक आय, नकद प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में सत्य और स्पष्ट सूचना देते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॅार्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैंय उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगानाय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वियन और रखरखाव, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत लेखांकन रिकॅार्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं, जिनका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है, जैसा कि पूर्वोक्त है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, संबंधित संस्थाओं की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल या तो अपनी संबंधित संस्थाओं को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखें, या ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के लिए लेखा–परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण, समग्र रूप से महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है और हमारी राय सहित लेखा–परीक्षक रिपोर्ट जारी करना है। समुचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, परन्तु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा–परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाती है, जब यह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकती है और तभी महत्वपूर्ण मानी जाती है, यदि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णय को समुचित रूप से प्रभावित करने की उम्मीद हो।

सांविधिक लेखा–परीक्षा के अनुसार लेखा–परीक्षा के भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण लेखा–परीक्षा के दौरान व्यावसायिक अविश्वास बनाए रखते हैं। हम :

- समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और निर्धारण भी करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए निष्पक्ष उत्तरदायी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करते हैं और लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं। धोखाधड़ी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलतबयानी को न पता लगाने का जोखिम त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा–परीक्षा के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, ताकि उन परिस्थितियों में ऐसी लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उचित हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (ज) के अधीन हम, कम्पनी और इसकी सहायक कंपनियां जो भारत में निगमित कंपनियों की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और लेखांकन अनुमान और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन की समुचितता सुनिश्चित करते हैं।
- लेखांकन के चालू फर्म के आधार पर प्रबंधन के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य के आधार पर तय करते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, जो चालू

फर्म के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता के बारे में उल्लेखनीय संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों के लिए हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या यदि ऐसे प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से प्राप्त लेखा–परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कम्पनी को चालू फर्म के रूप में जारी रहने की संभावना को समाप्त कर सकती हैं।

- समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और वित्तीय विवरणों की अंतर्वस्तु, जिसमें प्रकटन शामिल हैं, का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया जा सकता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या व्यापारिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें।

समेकित वित्तीय विवरणों में गलत कथनों की काफी अधिक व्यापकता है। इसलिए हो सकता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय भी, व्यक्तिगत तौर पर या समग्र रूप से प्रभावित हों। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी तरह के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक सामग्री और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम कंपनी के प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य संस्थाओं के साथ संवाद करते हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, शासन संबंधी प्रभारियों से संपर्क करते हैं और हमारी लेखा–परीक्षा के दौरान की गई आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय कमियों सहित लेखा–परीक्षा और उल्लेखनीय लेखा–परीक्षा निष्कर्षों के कार्य क्षेत्र और समय की योजना बनाते हैं।

हम शासन संबंधी प्रभारियों को विवरण भी प्रदान करते हैं जिसे हमने स्वतंत्र रूप से संगत नीतिपरक अपेक्षाओं से संकलित किया था और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संपर्क करते हैं, जिन पर हमारी स्वतंत्रता और जहां प्रयोज्य हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर प्रभाव पड़ सकता है।

शासन संबंधी अधिकारियों के साथ सम्प्रेषित मामलों से हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा में अत्यधिक उल्लेखनीय थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का हमारी लेखा–परीक्षक रिपोर्ट में वर्णन करते हैं जब तक कि मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन कानून का विनियम बाधा नहीं डालता है या जब अत्यधिक विरली परिस्थितियों में हम निर्धारित करते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में सम्प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे सम्प्रेषण के समुचित रूप से सार्वजनिक हित अभिलाभों से अधिक भारी होने की संभावना रहती है।

अन्य विधिक व नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) की अपेक्षानुसार हम भारत के नियंत्रक व महालेखा – परीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा उप–निदेश (क्रमशः भाग–क और भाग–ख) पर कम्पनी के लिए अपनी रिपोर्ट **"अनुलग्नक–क"** में इसके साथ संलग्न करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर हम यह भी सूचित करते हैं कि :

(क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) हमारी राय में, समूह द्वारा कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जिनमें उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित संगत रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है;

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ड.) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा 2 के प्रावधान, सरकारी कंपनियां होने के नाते समूह पर लागू नहीं होते हैं;

(च) समूह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावोत्पादकता के संबंध में **"अनुलग्नक–ख"** के रूप में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; और

(छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसरण में लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के सम्बन्ध में, चूंकि यह एक सरकारी कम्पनी है, अतः कार्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) के अनुसार कम्पनी पर अधिनियम की धारा 197 के उपबन्ध लागू नहीं होते;

(ज) कम्पनी (लेखा–परीक्षा तथा लेखा–परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं – समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 37 देखें;

ii. समूह ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष हानियां, यदि कोई हों, के लिए प्रयोज्य विधि और लेखांकन मानकों की अपेक्षानुसार लाभ व हानि खाते में उपयुक्त समायोजन किया है – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी संख्या 55 देखें

iii. कम्पनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियां द्वारा निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अन्तरित की जाने वाली राशियों का हस्तान्तरण करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

iv. क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, प्रबंधन ने हमें बताया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कोई भी निधि (जो अधिक मूल्य की हो या महत्वपूर्ण हो) को (चाहे उधार ली गई निधि से हो या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य

स्रोत से या किसी अन्य निधि से) कम्पनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित में अग्रिम या ऋण या निवेश के तौर पर प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह के कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा नहीं किए गए हैं कि कम्पनी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से कोई मध्यस्थ किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

ख) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने उल्लेख किया है, कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार कम्पनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("निधिकरण पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई निधि (व्यक्तिगत रूप से या सामुहिक तौर पर) प्राप्त नहीं किया गया है, इस बारे में कोई समझौते, चाहे लिखित में या अन्यथा, नहीं किए गए हैं कि निधिकरण पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से किसी मान्य व्यक्ति या कम्पनियों या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा और न ही अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सिक्योरिटी या ऐसा कोई आश्वासन दिया जाएगा।

ग) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, पर हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुति, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत उल्लेख किया गया है, में कोई भी उल्लेखनीय गलतबयानी है।

v. वर्ष के दौरान, मेसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमपीकॉन लिमिटेड और आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने लाभांश घोषित किया या भुगतान किया जो कि मेसर्स स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एमपीकॉन लिमिटेड की वैधानिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अपने खाते–बहियों को रखने के लिए लेखांकन सॉटफ्वेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड रखने की सुविधा भी है, जो सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संगत लेन–देन के लिए पूरे वर्ष संचालित हुआ है। इसके अलावा, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अलावा, रिकार्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

3. कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के पैराग्राफ 3 xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया, जिसे लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर लेखा–परीक्षक की रिपोर्टों के आधार पर 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरण ों में शामिल किया गया है, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, हमें समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्टों में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी (टिप्पणियों को छोड़कर) नहीं मिली।

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
भागीदार
सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन : 25080500BMGHFJ1205

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "क"
(समेकित वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैरा 1 में निर्दिष्ट)
भाग क – निर्देश .

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>उप–निर्देश</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कम्पनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के अलावा लेखांकन लेनदेनों की प्रोसेसिंग से वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की स्थिति पर प्रभाव, यदि कोई हों, बताएं।</td><td>हां, सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली से प्रोसेस होते हैं। आयकर गणना और आस्थगित कर गणना एमएस एक्सेल पर मैन्युअल रूप से की गई है। यद्यपि दोनों प्रक्रियाओं में लेखांकन प्रविष्टियां केवल आईटी प्रणाली से ही पारित की जाती हैं।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या कम्पनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना हुई है या ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए ऋण/ ब्याज आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब रखा जाता है?

(यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक के लिए भी लागू होता है)</td><td>संदर्भाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा लिए गए ऋणों की कोई पुनर्रचना नहीं की गई है।

ऋण चुकाने में कम्पनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के कोई मामले नहीं है।

जबकि, कम्पनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, एक ऋणदाता कम्पनी होने के नाते इसके पास ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डाले जाने वाले मामले हैं। बट्टे खाते में डालने/छूट देने वाले मामलों के विवरण इस प्रकार है
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>देय राशि का स्वरूप</th><th>राशि (करोड़ रुपए में)</th></tr>
<tr><td>क.</td><td>ऋणों की छूट/बट्टे खाते में डालना/तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालना</td><td>275.43</td></tr>
<tr><td>ख.</td><td>पूर्व में बट्टे खाते में डाली गई राशि की वसूली/ बट्टे खाते में डालना</td><td>25.61</td></tr>
<tr><td>ग.</td><td>देनदार बट्टे खाते में</td><td>2.24</td></tr>
</table>
यह बताया गया कि छूट/बट्टे खाते में डालने का निर्णय व्यक्तिगत मामलों के आधार पर उपलब्ध प्रतिभूति सुरक्षा, उधारकर्ता/निवेशिती की स्थिति और लंबित मुकदमे पर विचार करते हुए प्रत्येक मामले में वसूली/वसूली की संभावना के उचित मूल्यांकन के बाद तय किया जाता है। तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डालने/छूट देने के मामलों में बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने/छूट की राशि की निर्धारित सीमा तक पूर्णतया खाता–बहियों में प्रावधान किया गया था।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया/उपयोग किया गया? इनमें विचलन है तो ऐसे मामलों की सूची बनाएं।</td><td>लेखा–परीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी को केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा कोई अनुदान/सब्सिडी प्राप्त नहीं की/प्राप्त होने योग्य नहीं है।

इसके अलावा, अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना और विभिन्न पीएलआई योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि का उचित हिसाब–किताब किया गया है और योजना के नियमों व शर्तों के अनुसार धनराशि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त जानकारी पूरी तरह से प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तरों पर आधारित है, जो इस रिपोर्ट के मैटर ऑफ इंफेसिस के पैरा 5 और 6 के अनुसार है।</td></tr>
</table>

भाग ख – उप–निर्देश

क्र.सं.	उप–निर्देश	उत्तर
1.	**निवेश** क्या सीजीएस/एसजीएस/ बॉड/ डिबेंचर आदि के संबंध में स्वामित्व के प्रलेख फिजिकल /डी–मैट रूप में उपलब्ध हैं और क्या ये कम्पनी की खाता–बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के बराबर हैं? यदि नहीं, तो इनके विवरण का उल्लेख किया जा सकता है।	कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा निष्पादित लेखा–परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, सीजीएस /एसजीएस/बॉन्ड/डिबेंचर इत्यादि के संबंध में स्वामित्व प्रलेख फिजिकल/डीमैट रूप में उपलब्ध हैं और ये नीचे उल्लिखित मामलों को छोड़कर, कम्पनी की खाता–बहियों में दर्शाई गई संबंधित सकल राशियों के अनुसार हैं। क्र.सं. | कंपनी का नाम | शेयरों की संख्या 1 | एलएमएल लिमिटेड (अधिमानी) | 21,50,912 2 | ओसीएम इंडिया लिमिटेड | 5,89,743 3 | सेमकोर ग्लास लिमिटेड | 20,00,000 4 | सदर्न विंड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड | 1,00,000 5 | अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड (अधिमानी) | 30,000 6 | अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड | 3,00,000 7 | कछार शुगर मिल्स लिमिटेड (अधिमानी) | 14,953 8 | किलबर्न ऑफिस ऑटोमेशन लिमिटेड | 400 ➢ जहां शेयरों का लेखांकन बही खातों में किया गया है, लेकिन नमूना जांच में पाये गए ये डीमेट या फिजिकल शेयर उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी उपरोक्त कंपनियों के संबंध में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया में है।
2.	**ऋण** सभी पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों संबधी प्रावधानों के संबंध में– क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध सिक्योरिटी (प्रतिभूतियों) के वसूली योग्य मूल्य के आवधिक आकलन की प्रणाली लागू है और क्या इसके लिए वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया गया है? इस संबंध में कोई कमी, यदि कोई हो, के संबंध में पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव सहित उपयुक्त रूप से टिप्पणी करें।	पुनसंरचित, पुनर्निर्धारित, संशोधित ऋणों सहित सभी ऋण पोर्टफोलियो के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के आकलन के लिए उचित प्रणाली बनायी गई है, जिसे तिमाही आधार पर अपडेट किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया समय–समय अपनायी जाती है और परिस्थितियों के अनुसार जरूरी होने पर कभी भी अपनाई जा सकती है। भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के नियमों को अपनाने के लिए कंपनी के वित्तीय खाते इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार ऋण के मामले में अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) की गणना करके परिसंपत्तियों में हानि की गणना इंड एएस के अनुसार की गई है। कंपनी इंड एएस मानदंडों बनाम आईआरएसी मानदंडों, जो भी अधिक हों, आरबीआई परिपत्र के आधार पर ऋण परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान संबंधी नीति का पालन कर रही है।
3.	क्या कम्पनी द्वारा उधारकर्ता के साथ बकाया ऋण राशि की बुकिंग और क्षति हानि भत्ते के समायोजन के लिए किसी समाधान योजना/एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएस) पर समझौता हुआ है।	ओटीएस निपटान और समाधान योजना के संबंध में हानि और निपटान के लिए उचित लेखांकन समायोजन किया गया है।

<table>
<tr>
<td>4.</td>
<td>आईएफसीआई की सभी समूह कंपनियों द्वारा सामान्य सहयोगियों/ संस्थाओं/ संयुक्त उद्यम में निवेश के मूल्यांकन की समीक्षा, ताकि हानि, यदि कोई हो, को पहचाना जा सके। संगत /कमी, यदि कोई हो, को लेखा–परीक्षा रिपोर्ट (केवल समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू) में उपयुक्त रूप से प्रकट किया जा सके।</td>
<td>यह देखा गया है कि जेबीएमएफपीएल और बीसीआईएल में निवेश 31/03/2024 तक उनके वित्तीय विवरणों के अनुसार बही मूल्य के बराबर या उससे कम मूल्य पर दर्ज किया गया है। आईएफसीआई समूह की संस्थाओं के बीच दर्ज मूल्यांकन में अंतर या तो मूल्यांकन की अलग– अलग तिथियों या मूल्यांकन मान्यताओं में अंतर के कारण है।
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सामान्य सहयोगी/ संस्था/संयुक्त उद्यम</th><th>आईएफसीआई समूह द्वारा शेयरधारिता</th><th>खाता बहियों में 31.03.2025 को उचित मूल्यांकन दर्ज किया</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क लिमिटेड (जेबीएमएफपीएल)</td><td>आईआईडीएल : 15.83 प्रतिशत
आईवीसीएफः 7.82 प्रतिशत</td><td>आईआईडीएल : 1.76 रुपए प्रति शेयर
आईवीसीएफः 1.76 रुपए प्रति शेयर</td><td>खातों को अंतिम रूप देने के समय उपलब्ध 31/03/2024 तक जेबीएमएफपीएल का बही मूल्य : 1.76 रुपए प्रति शेयर</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड (बीसीआईएल)</td><td>आईआईडीएल : 18.62 प्रतिशत
आईवीसीएफः 3.72 प्रतिशत</td><td>आईआईडीएल : 55.23 रुपए प्रति शेयर
आईवीसीएफः 55.23 रुपए प्रति शेयर</td><td>खातों को अंतिम रूप देने के समय 31/03/2024 तक बीसीआईएल का बही मूल्य : 55.23 रुपए प्रति शेयर</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
भागीदार
सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन : 25080500BMGHFJ1205

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–''ख''
(समेकित वित्तीय विवरणों पर इस तिथि की आईएफसीआई लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की 'अन्य विधिक तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैरा 2 (च) में निर्दिष्ट)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

आईएफसीआई लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कम्पनी'' कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के क्रम में, 31 मार्च, 2025 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए, हमने कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, जो उस तारीख तक भारत में निगमित कम्पनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबन्धन का दायित्व

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन दायित्वों में ऐसे पर्याप्त समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियत्रणों के निरूपण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं, जो उनके सही होने तथा इसके कारोबार के प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करते हैं, जिनमें कम्पनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन करना, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ी तथा त्रुटियों का निवारण और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों का सही और पूर्ण होना तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखा–परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व हमारी लेखा–परीखा पर आधारित कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा–परीक्षा स्टेण्डअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') तथा दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा–परीक्षा मानकों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित माने जाने वाले आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर लागू सीमा के मानकों के अनुसार की है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित नहीं है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा–परीक्षा का नियोजन व निष्पादन इस प्रकार करें जिनसे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हों कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण समग्रतः प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिखाएं शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा–परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अभिप्राय भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय रिपोर्ट की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों हेतु समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतिया और प्रक्रिया शामिल हैं जो (1) कम्पनी की परिसम्पत्तियों का रिकॉर्ड, उपयुक्त विवरण में, सही रूप से तथा उनके संव्यवहारों और निपटान को उचित रूप से परिलक्षित करती हैं (2) जिनसे यह आश्वासन प्राप्त होता हो कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए यथावश्यक संव्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं और कम्पनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी के प्रबन्धन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं और (3) जिनसे कम्पनी की परिसम्पत्तियों, जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व निपटान को रोकने या उनका सही समय पर पता लगाने का उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अन्तर्निहित परिसीमन

प्रबन्धन की मिलीभगत की सम्भावना या अयोग्य प्रबन्धन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतरर्निहित परिसीमन से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चलता। भावी अवधियों में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण भी ऐसे जोखिम के अधीन हैं जिनसे एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में परिवर्तन या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण अपर्याप्त हो जाते हैं।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी तरीके से काम कर रहे थे, जो कि संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

उपर्युक्त मामले के संबंध में राय संशोधित नहीं की गई है।

कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. : 000075एन
सीए सुभाष चंदर मान
भागीदार
सदस्यता सं. 080500
यूडीआईएन : 25080500BMGHFJ1205

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई, 2025

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार समेकित तुलन पत्र

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	टिप्पणी	31 मार्च, 2025 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार
I. परिसम्पत्तियां			
(1) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(क) नकद एवं नकदी समतुल्य	3	659.91	1,298.10
(ख) उपरोक्त (क) से भिन्न बैंक शेष	4	4,855.45	3,748.28
(ग) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	-	-
(घ) व्यापार प्राप्य	6	210.93	306.33
(ङ) ऋण	7	1,361.30	1,363.15
(च) निवेश	8	15,322.75	8,677.93
(छ) व्जीमत पिदंदबपंसॅमजे	9	1,248.30	1,410.28
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**23,658.64**	**16,804.07**
(2) गैर – वित्तीय परिसंपत्तियां			
(क) इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए हिसाब में लिया गया निवेश	10	-	-
(ख) मालसूची		68.42	69.66
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)		67.36	90.84
(घ) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	11	-	-
(ङ) निवेश सम्पत्ति	12	305.22	284.03
(च) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	13	889.04	936.46
(छ) कार्यशील पूंजी		22.50	12.53
(ज) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां		0.48	0.23
(झ) गुडविल	14	436.94	446.64
(ञ) अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां	15	68.34	66.59
(ट) अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	16	156.35	157.11
कुल गैर – वित्तीय परिसंपत्तियां		**2,014.65**	**2,064.09**
बिक्री हेतु धारित परिसंपत्तियां	17	50.48	49.41
कुल परिसंपत्तियां		**25,723.77**	**18,917.57**
II. देयताएं एवं इक्विटी			
(1) वित्तीय देयताएं			
(a) डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	5	-	13.94
(ख) देय राशियां			
(I) व्यापार देयताएं			
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	18	2.62	1.86
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		425.67	461.09
(II) अन्य देय राशियां			
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया देयताएं		-	-
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		5.72	-
(III) अन्य देय राशियां			
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	18	-	-
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से भिन्न लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		-	-
(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	2,958.39	4,276.21
(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	10.48	346.10
(ङ) अधीनस्थ देयताएं	21	744.67	744.67
(च) अन्य वित्तीय देयताएं	22	5,394.34	5,039.25
कुल वित्तीय देयताएं		**9,541.89**	**10,883.12**
(2) गैर –वित्तीय देयताएं			
(क) प्रावधान	23	103.89	125.13
(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	11	981.06	208.47
(ग) अन्य गैर वित्तीय देयताएं	24	17.76	21.54
कुल गैर–वित्तीय देयताएं		**1,102.71**	**355.14**
(3) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	2,694.31	2,489.61
(ख) अन्य इक्विटी	26	5,996.44	2,044.63
मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय इक्विटी		**8,690.75**	**4,534.24**
गैर नियंत्रक ब्याज		6,388.42	3,145.07
कुल इक्विटी		**15,079.17**	**7,679.31**
कुल देयताएं एवं इक्विटी		**25,723.77**	**18,917.57**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **एस मान एंड कंपनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**परिचालनों से राजस्व**			
	ब्याज आय	27	492.61	553.83
	लाभांश आय		204.10	183.36
	किराया आय		40.32	39.68
	शुल्क एवं कमीशन आय	28	594.87	539.96
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ	29	107.21	212.18
	उत्पादों की बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)		0.20	0.85
	सेवाओं की बिक्री		436.79	456.72
	परिचालनों से कुल राजस्व		**1,876.10**	**1,986.58**
II.	कुल आय	30	188.06	128.24
III.	**कुल आय**		**2,064.16**	**2,114.82**
IV.	**व्यय**			
	वित्त की लागत	31	535.04	571.13
	शुल्क एवं कमीशन व्यय		107.98	98.39
	उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल हानि	29	-	-
	वित्तीय प्रलेखों पर क्षति	32	(224.85)	(294.28)
	खपत सामग्रियों की लागत		1.95	3.17
	व्यापार स्टॉक की खरीद		0.20	0.31
	कर्मचारी हित व्यय	33	311.28	313.73
	मूल्यह्रास व परिशोधन	34	83.34	80.89
	अन्य व्यय	35	497.24	593.69
	कुल व्यय		**1,312.18**	**1,367.03**
V.	**अपवादात्मक मद एवं कर पूर्व लाभ / (हानि) (III- IV)**		**751.98**	**747.79**
	अपवादात्मक मदें		2.95	(3.09)
VI.	**कर पूर्व लाभ / (हानि)**		**749.03**	**750.88**
VII.	**कर व्यय :**			
	– चालू कर		70.14	54.88
	– पूर्व वर्षों के लिए कराधन		(1.23)	1.15
	– आस्थगित कर (निवल)	11	331.51	453.80
	कुल कर व्यय		**400.42**	**509.83**
VIII.	**अवधि के लिए लाभ / (हानि)**		**348.61**	**241.05**
	इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखागत निवल लाभ का हिस्सा		-	-
IX.	**अवधि के लिए लाभ / (हानि)**		**348.61**	**241.05**
X.	**कुल समग्र आय**			
क.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा**			
	– एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन – इक्विटी प्रतिभूतियां		7,156.75	693.39
	– एफवीटीओसीआई की बिक्री पर लाभ/(हानि) – इक्विटी प्रतिभूतियां		(39.61)	(183.32)
	– निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि)		0.02	(5.53)
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर – इक्विटी प्रतिभूतियां		(446.13)	(180.71)
	– निर्धारित लाभ बाध्यता पर बीमांकन लाभ/(हानि) पर कर		0.01	1.49
	उप कुल (क)		**6,671.04**	**325.32**
ख.	**(i) मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा**			
	– एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां – उचित मूल्यों में निवल परिवर्तन		(14.37)	13.54
	– एफवीटीओसीआई पर मूल्यांकित ऋण प्रतिभूतियां – लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत		-	-
	– विदेशी मुद्रा परिचालन के वित्तीय विवरणों के अन्तरण में विनिमय अन्तराल		0.39	0.21
	(ii) उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा			
	– एफवीटीओसीआई पर उचित मूल्य परिवर्तन पर कर – ऋण प्रतिभूतियां		5.03	(4.74)
	उप कुल (ख)		**(8.95)**	**9.01**
	अन्य समग्र आय/(हानि) (क + ख)		**6,662.09**	**334.33**
XI.	**अवधि के लिए कुल समग्र आय**		**7,010.70**	**575.38**
XII.	**मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय वर्ष हेतु लाभ**		**171.04**	**103.66**
	गैर–नियंत्रक हित		**177.57**	**137.40**
XIII.	**मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों के कारण वर्ष के लिए कुल समग्र आय**		**3,511.59**	**157.12**
	गैर–नियंत्रक हित		**3,150.50**	**177.21**
XIV.	**वर्ष के लिए मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों को देय कुल समग्र आय**		**3,682.63**	**260.78**
	गैर–नियंत्रक हित		**3,328.07**	**314.61**
XV.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर बेसिक अर्जन		0.65	0.42
	प्रत्येक 10 रुपए के शेयर पर डायल्यूटिड अर्जन		0.65	0.42

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस मान एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

सुनील शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

आईएफसीआई लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकद–प्रवाह		
कर – पूर्व निवल लाभ	**749.03**	**750.88**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	83.34	80.89
क्षति प्रावधान/बट्टे खाते डालना	(224.85)	(381.24)
निवेशों पर वसूल न हुआ लाभ/(हानि)	126.40	(295.96)
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों पर हानि	-	(49.37)
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.25)	(0.23)
पारिभाषित लाभ योजना का पुनःउपयोग	-	0.16
उचित मूल्य परिवर्तन पर शुद्ध लाभ या हानि	-	(4.40)
निवेशों की बिक्री पर लाभ	-	(0.25)
अशोध्य ऋण एवं प्रावधान	-	10.47
सरकार से सब्सिडी	-	(0.06)
लाभांश आय	(204.10)	(183.36)
वित्त की लागत	535.04	572.82
ब्याज आय	(492.61)	-
सहायक कंपनी में निवेश की बिक्री पर (लाभ)/हानि	(15.84)	-
कार्यशील पूंजी परिवर्तन तथा परिचालन गतिविधियों से पूर्व परिचालन लाभ	556.16	500.34
प्राप्त ब्याज और भुगतान		
ब्याज का भुगतान	(614.18)	(440.40)
प्राप्त ब्याज	527.25	415.46
प्राप्त निवल ब्याज और भुगतान	**(86.93)**	**(24.94)**
प्राप्त लाभांश	204.10	113.10
परिचालन गतिविधियों के लिए समायोजन :		
निवेशों में (वृद्धि)/कमी	330.98	(291.00)
मालसूची में (वृद्धि)/कमी	1.24	-
ऋणों व अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	226.70	403.06
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेखों में (वृद्धि)/कमी	(13.94)	28.77
ट्रेड देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(28.95)	168.46
अधीनस्थ देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-	(30.00)
प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	95.40	(76.62)
ऋण प्रतिभूतियों में वृद्धि/(कमी)	(1,317.82)	(218.57)
उधारों में वृद्धि/(कमी)	(335.62)	(306.51)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	(368.68)	266.09
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	127.35	(27.31)
अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	1.15	(13.55)
अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	435.13	583.78
अन्य गैर वित्तीय देयता में वृद्धि/(कमी)	(3.78)	-
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(21.23)	10.07
अन्य बैंक शेष राशियों में वृद्धि/(कमी)	(1,107.17)	(757.47)
अन्य चालू परिसंपत्ति/ देयता में वृद्धि/(कमी)		14.02
बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	(1.07)	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

कराधान से पूर्व नकद – प्रवाह	(569.62)	(190.46)
आयकर (प्रदत्त)/वापसी–निवल	(45.44)	(63.77)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकद–प्रवाह	**(983.74)**	**11.87**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद–प्रवाह		
परिसम्पत्ति संयंत्र एवं उपकरण की खरीद/उनके लिए अग्रिम (पट्टाकृत परिसम्पत्तियों सहित)	19.94	(44.01)
सहायक कंपनियों में निवेश	-	-
निवेश संपत्ति की खरीद से आय	(42.81)	-
अमूर्त पारिसम्पत्तियों की खरीद/उनके लिए अग्रिम	(35.85)	(0.03)
परिपक्व जमा	-	(301.93)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (पट्टाकृत सम्पत्ति सहित) की बिक्री से आय	(11.01)	7.68
प्राप्त लाभांश	-	183.36
निवेश की बिक्री	-	-
निवेश गतिविधियों से निवल नकद–प्रवाह	**(69.73)**	**(154.93)**
ग. वत्तपोषण गतिविधियों से नकद–प्रवाह		
प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-	500.00
सरकार से सब्सिडी	-	0.06
लीज भुगतान	-	(16.24)
ब्याज का भुगतान	-	(7.78)
वरीयता शेयरों का मोचन	-	-
इक्विटी शेयरों का निर्गम	80.73	-
शेयर प्रीमियम (खर्चों का निवल)	419.27	-
प्रदत्त लाभांश	(84.72)	(71.66)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल से नकद–प्रवाह	**415.28**	**404.39**
नकद एवं नकद समकक्ष प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) (क + ख + ग)	**(638.19)**	**261.33**
जोड़ें : वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद समकक्ष	1,298.10	1,036.77
वित्तीय वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष	**659.91**	**1,298.10**

वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समकक्ष के विवरण :

विवरण	**31 मार्च, 2025 को**	**31 मार्च, 2024 को**
उपलब्ध नकदी (डाक टिकटों सहित)	2.29	2.48
बैंकों के पास शेष		
– बैंक शेष	434.13	907.21
– बैंक जमा	61.14	74.66
संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ)	162.34	313.75
हस्तगत एवं संग्रहण और पारगमन में प्रेषण के अधीन चैक	-	-
वर्ष के अन्त में कुल नकद एवं नकद समकक्ष	**659.91**	**1,298.10**

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते **एस मान एंड कंपनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

01 अप्रैल, 2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01 अप्रैल, 2023 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2024 को पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2025 को शेष
2,195.93	-	2,195.93	293.68	2,489.61	-	2489.61	204.70	2,694.31

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	मानित इक्विटी अंशदान – शेयरधारक	आवंटन होने तक शेयर आवेदन राशि	रिजर्व एवं अधिशेष: आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: पूंजी रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: आकस्मिक रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: पूंजी मोचन रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: डिबेंचर मोचन रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: समामेलन रिजर्व निधि	रिजर्व एवं अधिशेष: सामान्य रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: क्षति रिजर्व	रिजर्व एवं अधिशेष: प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण प्रलेख	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रलेख	विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षित निधि	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल राशि	कुल गैर–नियंत्रक ब्याज	कुल
01 अप्रैल, 2023 को शेष	335.82	400.00	925.84	136.74	0.85	120.19	1,132.12	300.05	100.58	(0.60)	554.05	148.62	(4,427.91)	(2.61)	1,792.92	1.30	53.30	1,570.79	2,902.12	4,472.91
वर्ष के लिए कुल समग्र आय													103.66	8.80	150.09	0.11	(1.88)	260.78	314.61	575.39
प्रतिधारित आय में/ से अन्तरण			0.24			92.50	-		-		17.81	(42.23)	(68.32)		-			-		-
वर्ष के दौरान आवेदन राशि का अन्तरण		(400.00)					106.31						-					(293.69)		(293.69)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि		500.00											-					500.00		500.00
कर सहित प्रदत्त लाभांश													-					-	(71.66)	(71.66)
अन्य													6.77					6.77		6.77
01 अप्रैल, 2023 को शेष	335.82	500.00	926.09	136.74	0.85	212.68	1,238.44	300.05	100.58	(0.60)	571.86	106.39	(4,385.80)	6.19	1,943.01	1.41	51.42	2,044.63	3,145.07	5,189.73
वर्ष के लिए कुल समग्र आय													171.04	(9.34)	3,520.53	0.21	0.18	3,682.62	3,328.07	7,010.69
प्रतिधारित आय में/ से अन्तरण			2.70			124.95	-		-		26.43	(1.73)	(152.35)		-			-		-
वर्ष के दौरान आवेदन राशि का अन्तरण		(1,000.00)					769.20						-					(230.80)		(230.80)
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि		500.00											-					500.00		500.00
कर सहित प्रदत्त लाभांश													-					-	(84.72)	(84.72)
अन्य													-					-		-
31 मार्च, 2025 को शेष	335.82	-	928.79	136.74	0.85	337.63	2,007.64	300.05	100.58	(0.60)	598.29	104.66	(4,367.11)	(3.15)	5,463.54	1.62	51.60	5,996.44	6,388.42	12,384.92

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

कृते एस **मान एंड कंपनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व
मुख्य कार्यक
री अधिकारी
डीआईएन : 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

सीए सुभाष चंदर मान
साझेदार
सदस्यता संख्या : 080500

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व
मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखांकन नीतियां और वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1 समूह सूचना

क पृष्ठभूमि

दिल्ली, भारत में निगमित आईएफसीआई लिमिटेड ("कम्पनी") सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है। सांविधिक निगम के रूप में 1948 में स्थापित आईएफसीआई इस समय बीएसई एवं एनएसई में सूचीबद्ध कम्पनी है। कम्पनी सभी क्षेत्रों में उद्योग के चहुंमुखी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तपोषण क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं जैसे कि हवाई अड्डे, सड़क, दूरसंचार रियल इस्टेट, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और ऐसे ही अन्य सम्बद्ध उद्योग शामिल हैं। समूह का पंजीकृत कार्यालय 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 में है। कंपनी को इसकी सहायक कंपनियों के साथ सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को समूह द्वारा "कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर यथा– संषोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("भा.ले.मा.") के अनुसार तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष तक की अवधि के लिए तथा इसके सहित कम्पनी ने मूल लागत परिणामों के तहत बीमांकन आधार पर तथा भारत में सामान्यतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों ("भारतीय जीएएपी" अथवा "पूर्ववर्ती जीएएपी") के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप अपने वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया जिसमें कम्पनी अधिनियम, 2013 के सुसंगत उपबंधों के अनुप्रयोज्य लेखांकन मानक, गैर–बैंकिग वित्तीय कम्पनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुप्रयोज्य दिशा निर्देश अन्य सांविधिक प्रावधान एवं विनियम रूपरेखा शामिल हैं।

नीचे परिभाषित लेखांकन नीतियों को इन समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई अवधि हेतु सुसंगत रूप में लागू किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण 15 मई 2025 को समूह के निदेशक–मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अधिकृत थे।

ख कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में दर्शाया जाता है, जो समूह की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है। समस्त राशि करोड़ में मूल्यवर्णित है और जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, दो दशमलव तक पूर्णांकित है।

ग मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को मूल लागत आधार पर तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों को छोड़कर है :

- एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्ति जिसका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- एफवीटीपीएल पर वित्तीय प्रलेख, जिनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है।
- निवल परिभाि ात लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता– परिभाि ात लाभ देयता का वर्तमान मूल्य घटाकर परियोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य।
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां – बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर मापी गई।

घ निर्णयों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन ने निर्णय, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया है जो वित्तीय विवरणों और उल्लेखित अवधि के लिए उल्लिखित आय एवं व्यय की तारीख को लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग एवं परिसम्पत्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयता एवं परिसम्पत्ति सहित) की उल्लिखित राशियों को प्रभावित करते हों। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रयुक्त अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सतत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकार किया जाता है।

ङ समेकित और इक्विटी लेखांकन के सिद्धांत

क. सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियां वे सभी इकाइयां हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है।समूह किसी इकाई पर तब नियंत्रण रखता है जब समूह को उस इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील प्रतिफल प्राप्त होता है, या उसके अधिकार होते हैं, और वह इकाई की संबंधित गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी के अधिकार के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। सहायक कम्पनियां उस तिथि से पूर्णतः समेकित हो जाती हैं जिस तिथि को उनका नियंत्रण समूह को स्थानांतरित कर दिया जाता है। वे उस तिथि से वि–समेकित हो जाती हैं जिस दिन नियंत्रण समाप्त हो जाता है।

समूह द्वारा मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन दर लाइन संयोजित किया जाता है और परिसंपत्तियों, देयताएं, इक्विटी, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़ा जाता है। समूह कंपनियों के बीच अंतर–कंपनी लेनदेन, शेष राशि और लेनदेन पर अवास्तविक लाभ को हटा दिया जाता है। जब तक कि लेनदेन स्थानांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण न दे, तब तक अवास्तविक हानियों को भी हटा दिया जाता है। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ संगति सुनिश्चित करने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रणकारी हितों को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और तुलन पत्र में अलग से दिखाया जाता है।

ख. सहयोगी

सहयोगी वे सभी संस्थाएं हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता। आम तौर पर ऐसा तब होता है जब समूह के पास 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक मतदान अधिकार होते हैं। सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखा–जोखा प्रारंभिक रूप से लागत पर पहचाने जाने के बाद इक्विटी लेखांकन विधि का उपयोग करते हुए किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ग. **संयुक्त उपक्रम**

संयुक्त उद्यमों में हितों का लेखा इक्विटी विधि (नीचे (घ) देखें) का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसे आरंभ में समेकित तुलन पत्र में लागत पर मान्यता दी जाती है।

घ. **इक्विटी विधि**

लेखांकन की इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशिती के अधिग्रहण–पश्चात लाभ या हानि में समूह के हिस्से, और निवेशिती की अन्य व्यापक आय में समूह के हिस्से को मान्यता देने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की अग्रेि त राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

च. **भौतिक लेखांकन नीतियां**

समूह ने इन वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित सभी अवधियों में निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को निरन्तर लागू किया है।

क. **राजस्व मान्यता**

i. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है। ईआईआर वह दर है जो वास्तव में वित्तीय प्रलेख के प्रत्याशित कार्य अवधि अथवा अल्प अवधि के जरिए अनुमानित आगामी नकदी प्राप्तियों को वहां छूट प्रदान करता है, जहां भी वित्तीय परिसम्पत्ति की निवल वास्तविक लागत उपयुक्त हो। ईआईआर को वित्तीय प्रलेख के सभी सांविधिक शर्तों को ध्यान में रख करके प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधर पर संगणित किया जाता है। परिकलन में समस्त शुल्क, लेनदेन लागत और सभी अन्य प्रीमियम अथवा संविदा पक्षों के बीच प्रदत्त अथवा प्राप्त छूट शामिल है, जो प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न अंग है।

ब्याज राजस्व को वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु (जब परिसम्पत्तियां क्षति क्रेडिट न हो) सकल वास्तविक राशि पर प्रयुक्त मूल ईआईआर पर मान्य किया जाता रहा हो।

उन वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए, जो शुरुआती मान्यता पर क्रेडिट क्षतिग्रस्त थी, वहां ब्याज आय को वित्तीय परिसम्पत्ति के परिशोधित लागत पर क्रेडिट–समायोजित प्रभावी ब्याज दर को लागू करके परिकलित किया जाता है। चरण 3 की परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि में वृद्धि को चरण 3 की ब्याज आय की सीमा तक बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जहां वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं है।

ii. दाण्डिक ब्याज एवं अन्य अतिदेय शुल्कों, जिन्हें प्रभावी ब्याज दर में शामिल नहीं किया जाता है, को वसूली की अनिश्चितता के कारण वसूली पर ही मान्य किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

iii. ऋणों एवं अग्रिमों के प्रति उधारों से प्राप्त राशि को सभी देय तारीखों में, सिवाय बातचीत द्वारा अथवा वार्तागत निपटानों के मामलों को छोड़कर, जहां विनियोजन निपटान शर्तों के अनुसार किया जाता है, उसी क्रम में अन्य डेबिटों, ब्याज अतिदेय और मूल अतिदेय के संबंध में परिभाषित तारीख–वार विनियोजित किया जाता है, जहां विनियोग समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

iv. ऋणों के पूर्व–भुगतान पर प्रीमियम/ब्याज दरों में कटौती को प्राप्ति आधार पर आय के रूप में मान्य किया जाता है।

v. संबंधित कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांशों को लेखांकन अवधि की समाप्ति तक, आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

vi. एलसी कमीशन को समयोपरि मान्य किया जाता है, क्योंकि सेवाएं संविदा शर्तों के अनुसार दी जाती हैं।

vii. बेचे गए तथा बहियों में बकाया शेयरों के संबंध में अदावाकृत लाभांश को तीन वर्ष की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद आय के रूप में मान्य किया जाता है।

viii. अभिरक्षा शुल्क, निगरानी में दैनिक/साप्ताहिक औसत धारित या इलेक्ट्रॉनिक खण्ड में प्रबंधन के तहत धारित/परिसंपत्तियों के निवल परिसंपत्ति मूल्य के आधार पर मासिक रूप से अर्जित किया जाता है।

ix. डिपॉजिटरी सेवाओं के लिए लाभार्थी खाताधारकों/क्लियरिंग सदस्यों से प्राप्त वार्षिक रखरखाव शुल्क, संविदा की अवधि के दौरान समय अनुपात के आधार पर परिशोधित किए जाते हैं। विलंबित भुगतान शुल्क पर ब्याज रसीद के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

x. प्राप्त सेवा शुल्क, ट्रेडिंग के बाद परिचालनों के पूरा होने पर आय के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक खंड के तहत निपटान पर और कागजात खंड के अंतर्गत प्रतिभूतियों के जमा/वितरण पर ट्रेडिंग के बाद परिचालन को पूर्ण माना जाता है।

xi. परियोजना परामर्श और निष्पादन सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में आय, विशिष्ट सेवा अनुबंधों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के अनुसार उपार्जन आधार पर दर्ज की जाती है।

xii. परियोजना परामर्श सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में आय, विशिष्ट सेवा अनुबंधों के अनुसार प्रदान की गई सेवाओं के अनुसार उपार्जन आधार पर दर्ज की जाती है।

xiii. डिजिटलीकरण सेवाओं और सॉफ्टवेयर सेवाओं से आय, प्रतिशत पूर्णता विधि पर निर्धारित की जाती है। सॉफ्टवेयर उत्पादों से आय, सॉफ्टवेयर उत्पाद की डिलीवरी/स्थापना पर निर्धारित की जाती है।

xiv. आतिथ्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना उपार्जन आधार पर की जाती है :

(i) विक्रय मूल्य का निर्धारण प्रकाशित रैक दर में से ग्राहकों को दी जाने वाली छूट घटाकर किया जाता है।

(ii) विदेशी मुद्रा में आय : प्रदान की गई सेवाओं के बिल भारतीय रुपए में तैयार किए जाते हैं। इन बिलों के प्रति विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान को भुगतान प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित दर/दरों पर जमा और लेखाकृत किया जाता है। विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से होने वाले लाभ/हानि का लेखा–जोखा वसूली के आधार पर किया जाता है

xv. निर्मित संपत्तियों के रियल एस्टेट विकास से प्राप्त राजस्व को "पूर्णता प्रतिशत विधि" के आधार पर मान्यता दी जाती है। कानूनी रूप से लागू बिक्री समझौतों के अनुसार, बिक्री प्रतिफल को, कुल अनुमानित परियोजना लागत में वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :–

क) वास्तविक व्यय कुल अनुमानित परियोजना लागत के 25 प्रतिशत से कम नहीं है।

ख) ग्राहकों से प्रतिफल प्राप्ति के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता नहीं है।

ग) अतिदेय होने की स्थिति में, वास्तविक प्राप्ति के आधार पर।

घ) सभी महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल ग्राहक को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।

परियोजना लागत में भूमि की लागत, ऐसी संपत्तियों के निर्माण और विकास की अनुमानित लागत शामिल है। बिक्री योग्य क्षेत्र और लागत के अनुमानों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है और इन अनुमानों में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब ऐसे परिवर्तन निर्धारित किए जाते हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

xvi. कमीशन और ब्रोकरेज आय की पहचान उस समय की जाती है जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसी आय जहां सेवा प्रदान करना किसी अन्य पक्ष द्वारा नियंत्रित होता है जो आबंटन पर निर्भर है या ट्रेल आय के रूप में होती है, प्राप्ति की निश्चितता पर मान्यता प्राप्त होती है।

xvii. डिपॉजिटरी सेवाओं से होने वाली आय की पहचान ग्राहकों के साथ किए गए समझौतों के आधार पर और आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर की जाती है।

xviii. माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व की पहचान, स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और रिवार्ड क्रेता को हस्तांतरित करने पर की जाती है (माल और सेवा कर, बिक्री रिटर्न और व्यापार छूट को घटाकर) और जब नियंत्रण ग्राहकों को सौंप दिया जाता है।

xix. एजेंसी व्यापार से बीमा कमीशन, प्रिंसिपल से कमीशन की वास्तविक प्राप्ति पर दर्ज किया जाता है।

xx. फैक्टरिंग और अन्य वित्तीय गतिविधियों से होने वाली आय का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है, सिवाय गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के मामले में जहाँ आय का लेखा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

xxi. ब्रोकरेज आय की पहचान लेनदेन की व्यापार तिथि पर एक्सचेंजों द्वारा लेनदेन की पुष्टि के बाद की जाती है।

xxii. बट्टे खाते में डाले गए संदिग्ध ऋणों से वसूली को ग्राहकों से प्राप्त राशि के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

xxiii. बट्टे खाते में डाले गए खराब ऋणों से वसूली को ग्राहकों से प्राप्त राशि के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. वित्तीय प्रलेख

I. आरंभिक मान्यता एवं मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब समूह प्रलेखों की संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाती है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। लेन–देन लागतों को, जो सीधे तौर पर अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के निर्गम (लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं से भिन्न) शुरुआती मान्यता पर जैसा भी उपयुक्त हो, वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य में जोड़ा जाता है अथवा इसमें से कम किया जाता है। जबकि, व्यापार प्राप्य जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

II. वर्गीकरण एवं परिवर्ती मूल्यांकन

वित्तीय परिसम्पत्तियां

शुरुआती मान्यता पर, वित्तीय परिसम्पत्ति को परिवर्ती रूप में मूल्यांकित किया जाता है, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशिष्टताओं और वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु समूह के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) अथवा एफवीटीपीएल के जरिए या तो परिशोधित लागत पर या फिर उचित मूल्य पर वर्गीकृत होता है।

व्यापार मॉडल आकलन समूह व्यापार मॉडल का उद्देश्यपरक आकलन करता है, जिसमें परिसम्पत्ति को एक पोर्टफोलियो स्तर पर रखा जाता है, क्योंकि यह व्यापार का प्रबन्धन करने और प्रबंधन को सूचना को उपलब्ध कराने को अच्छी तरह से दर्शाता है। विचारित सूचना में निम्न शामिल है :

- पोर्टफोलियो हेतु परिभाषित नीतियां एवं उद्देश्य तथा उन नीतियों का व्यवहार्यतः परिचालन, विशेषतः यह कि प्रबंधन की कार्यनीति देयताओं की जो उन परिसम्पत्तियों को वित्त व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं अथवा परिसम्पत्तियों की बिक्री के जरिए नकदी प्रवाह वसूल कर रहे हैं अवधि हेतु वित्तीय परिसम्पत्तियों की अवधि के अनुरूपण में एक विशेष ब्याज दर प्रोफाइल रखते हुए संविदात्मक ब्याज राजस्व प्राप्त करने पर ध्यान देती है;
- पूर्व अवधियों में बिक्री की आवृत्ति, मात्रा एवं समय निर्धारण, ऐसी बिक्री के कारण तथा भावी बिक्री क्रियाकलापों के बारे में इसकी आशाएं तथापि, बिक्री क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को पृथक रूप में नहीं समझा जाता है, परन्तु समग्र आकलन के भाग के रूप में उल्लेख किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु समूह के परिभाषित उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और नकदी प्रवाह को कैसे क्रियान्वित किया जाता है;

जोखिम, जो व्यवसाय मॉडल के निष्पादन को प्रभावित करता है, (और उस व्यवसाय मॉडल के अन्तर्गत धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां) तथा उन जोखिमों का प्रबन्धन कैसे किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी आरम्भिक मान्यता के बाद पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है; सिवाय उस अवधि के, जब समूह वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल को परिवर्तित करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति कर मूल्यांकन सिर्फ परिशोधित लागत पर किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है :

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए परिसम्पत्तियों को धारित करना है।
- वित्तीय की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करती हैं, जो सिर्फ मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर किया जाता है, जिसमें से क्षति हानि को घटाया जाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां ("एफवीटीओसीआई")

वित्तीय परिसम्पत्ति का मूल्यांकन सिर्फ एफवीटीओसीआई पर किया जाता है; यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है :

- इसे व्यावसायिक मॉडल के अन्तर्गत रखा गया हो जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को संग्रहीत करना और वित्तीय परिसम्पत्तियों को बेचना दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है
- वित्तीय परिसम्पत्ति की संविदात्मक शर्तें संविदात्मक नकदी प्रवाह को निरूपित करता हैं, जो सिर्फ मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हैं।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है। उक्त वित्तीय परिसम्पत्तियों पर क्षति हानियों को अन्य समग्र आय में मान्य किया जाता है और तुलनपत्र में वित्तीय परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि को कम नहीं किया जाता।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां (एफवीटीपीएल)

किसी वित्तीय प्रलेख को, जो परिशोधित लागत के रूप में अथवा एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकरण संबंधी मापदण्ड को पूरा नहीं करता, एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है।

इक्विटी प्रलेखों में निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के संबंध में सभी इक्विटी निवेशों को एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित किया जाता है।

तदन्तर, इनका मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है और उनमें परिवर्तनों को लाभ एवं हानि खाते में स्वीकार किया जाता है। तथापि, इक्विटी प्रलेख की आरंभिक माान्यता पर, जिसे कारोबार हेतु नहीं रखा गया हो, कम्पनी अपरिवर्तनीय रूप से ओसीआई में उचित मूल्य में परवर्ती बदलावों को निरूपित करने का चयन कर सकती है। यह चुनाव निवेश–दर–निवेश आधार पर किया जाता है।

डेरिवेटिव प्रलेख

डेरिवेटिव प्रलेखों का मूल्यांकन एफवीटीपीएल के रूप में किया जाता है।

वित्तीय देयताएं एवं इक्विटी प्रलेख

समूह द्वारा जारी ऋण एवं इक्विटी प्रलेखों को या तो वित्तीय देयताओं के रूप में या फिर इक्विटी के रूप में सांविदात्मक व्यवस्थाओं तथा वित्तीय देयता और इक्विटी प्रलेख की शर्तों के महत्व के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय देयताओं को आरंभिक मान्यता पर यथोचित लाभ अथवा हानि अथवा परिशोधित लागत के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार हिसाब में लिया जाता है।

इक्विटी प्रलेख एक संविदा है जो इसकी सभी देयताओं को कम करने के बाद कम्पनी की परिसम्पत्तियों में अपशिष्ट ब्याज को प्रमाणित करता है। समूह द्वारा जारी इक्विटी प्रलेखों को प्राप्त प्राप्तियों में मान्य किया जाता है जो सीधे लेनदेन लागतों का निवल हैं।

III. मूल्यांकन का आधार

परिशोधित लागत

परिशोधित लागत ऐसी राशि है, जिसमें वित्तीय परिसम्पत्ति अथवा वित्तीय देयता का मूल्यांकन आरंभिक मान्यता घटाकर मूल चुकौती छूट की ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए संचयी परिशोधन के जमा अथवा घटा पर अथवा अधिग्रहण पर प्रीमियम पर और शुल्क अथवा लागत पर किया जाता है, जो ईआईआर के अभिन्न अंग है और वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए किसी हानि मंजूरी हेतु समायोजित किया जाता है।

उचित मूल्यांकन

उचित मूल्य वह मूल्य है जिसे परिसम्पत्ति की बिक्री हेतु प्राप्त किया जाएगा अथवा मूलधन में मूल्यांकन तारीख में बाजार भागीदारों के बीच अथवा इसके न होने पर, अति लाभप्रद बाजार के बीच, जिसके लिए समूह की उस तारीख में पहुंच है, क्रमिक लेन–देन में देयता के अन्तरण हेतु अदा किया जाएगा। देयता का उचित मूल्य अलाभकारी जोखिम को दर्शाता है।

किसी एक के उपलब्ध होने पर समूह उस प्रलेख के संबंध में क्रियाशील बाजार में उद्धत मूल्य का प्रयोग करते हुए प्रलेख के उचित मूल्य का मूल्यांकन करता है। बाजार को क्रियाशील तब समझा जाता है यदि सतत आधर पर मूल्य निर्धारण जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त बारम्बारता एवं मात्रा के साथ परिसम्पत्तियों अथवा देयता के संबंध में लेन–देन किया जाता है।

यदि कार्यशील बाजार में कोई उद्धृत मूल्य न हो, तब समूह मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है जो संगत इनपुटों के प्रयोग को बढ़ाता है और अमहत्वपूर्ण इनपुटों के प्रयोग को कम करता है। मूल्यांकन तकनीकी में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो लेनदेन के मूल्यनिर्धारण में बाजार भागीदारों को ध्यान में रखेंगे।

IV. वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को अस्वीकरण/आशोधन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं का अस्वीकरण।

वित्तीय परिसम्पत्तियां

वित्तीय परिसम्पत्ति को (अथवा जहां अनुप्रयोज्य हो, वित्तीय परिसम्पत्ति के किसी भाग या ऐसी ही वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह के किसी भाग) को मुख्यतया तब अमान्य (अर्थात समूह के तुलन–पत्र से हटाया जाता है) किया जाता है, जब :

- परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गए हों अथवा पूरी तरह से वसूल कर लिया गया हो, अथवा
- समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया है अथवा या तो ''पास–थ्रू'' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्षकार को अत्यधिक देरी के बिना पूर्ण रूप में प्राप्त नकदी प्रवाह को अदा करने की बाध्यता को स्वीकार कर लिया हो और या तो (क) समूह ने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं लाभों को पर्याप्त रूप में अन्तरित कर दिया हो, या फिर (ख) समूह ने न तो परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही रखा हो, परन्तु परिसम्पत्ति के कंट्रोल को अन्तरित कर दिया हो।

जब समूह ने परिसम्पत्ति से नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के अपने अधिकार को अन्तरित कर दिया हो, अथवा कोई पास–थ्रू व्यवस्था आरम्भ की हो, तो यह मूल्यांकन करता है कि इसे किस सीमा तक स्वामित्व के जोखिमों एवं लाभों को रखना चाहिए। जब इसने परिसम्पत्ति के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को न तो पर्याप्त रूप से अन्तरित किया हो, न ही अपने पास रखा हो, न ही परिसम्पत्ति का कंट्रोल अन्तरित किया हो तो समूह अन्तरित परिसम्पत्ति को समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में निरन्तर मान्य करती है। कंपनी अन्तरित परिसम्पत्ति पर समूह की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता के कारण प्राप्त प्रतिफल हेतु भी देयता को मान्य करती है। अन्तरित परिसम्पत्ति और उससे जुड़ी देयता का मूल्यांकन उस आधार पर किया जाता है जो उस अधिकार एवं बाध्यताओं को दर्शाता है जो समूह ने अपने पास रखे हैं।

वित्तीय परिसम्पत्ति के अमान्य करने पर, परिसम्पत्ति की रखरखाव लागत (अमान्य परिसम्पत्ति के भाग हेतु परिभाषित रखरखाव राशि) और निम्न के जोड़ (प) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त की गई कोई नई परिसम्पत्ति घटाकर स्वीकृत कोई नई देयता शामिल है); और (पप) कोई संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे ओसीआई में स्वीकृत किया गया था, के बीच के अन्तर को लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

समूह वित्तीय देयता को तब अमान्य करती है, जब इसकी संविदात्मक बाध्यताएं मुक्त हो जाती हैं, अथवा रद्द हो जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं।

V. वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताएं में संशोधन

वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाता है, तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप मूल वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर दी जाती है और नई वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

यदि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर नहीं है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द नहीं होती है। इस स्थिति में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और सकल वहन राशि के समायोजन से उत्पन्न राशि को लाभ या हानि में संशोधन लाभ या हानि के रूप में मान्यता देती है। कोई भी लागत या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की वहन राशि को समायोजित करता है और उपकरण पर ईआईआर दर की पुनः गणना करके संशोधित वित्तीय परिसंपत्ति की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

यदि यह संशोधन उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण किया जाता है, तो लाभ या हानि को क्षति हानि के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

कंपनी किसी वित्तीय दायित्व को तब अमान्य कर देती है जब उसकी शर्तों में संशोधन किया जाता है और संशोधित दायित्व के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर होता है। इस स्थिति में, संशोधित शर्तों पर आधारित एक नए वित्तीय दायित्व को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। समाप्त वित्तीय दायित्व की वहन राशि और संशोधित शर्तों वाले नए वित्तीय दायित्व के बीच के अंतर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

यदि संशोधन को मान्यता समाप्ति के रूप में नहीं गिना जाता है, तो देयता की परिशोधित लागत को मूल ईआईआर पर संशोधित नकदी प्रवाह को छूट देकर पुनर्गणित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। कोई भी लागत या शुल्क संशोधित वित्तीय दायित्व की वहन राशि को समायोजित करता है और उपकरण पर ईआईआर दर की पुनः गणना करके संशोधित वित्तीय दायित्व की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

VI. वित्तीय प्रलेखों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं को छूट दी जाती है तथा निवल राशि का तुलन पत्र में उल्लेख किया जाता है जब कम्पनी को स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो और इसमें निवल आधर पर निपटान करने की धारणा हो अथवा परिसम्पत्ति की वसूली एवं देयता का साथ–साथ में निपटान करने की इच्छा हो।

VII. वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

समूह सभी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल के लिए क्षति भत्तों को मान्यता देती है, जिनका मूल्यांकन एफवीटीपीएल पर नहीं किया जाता है :

- वित्तीय परिसम्पत्तियां, जो ऋण प्रलेख हैं
- पट्टा प्राप्य
- जारी वित्तीय गारण्टी संविदाएं
- जारी ऋण प्रतिबद्धता

इक्विटी निवेशों पर क्षति को मान्य नहीं किया जाता है।
ईसीएल क्रेडिट हानियों की संभाव्य भारित अनुमान है। उनका मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

– वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं हैं– क्योंकि सभी नकदी कमियों के वर्तमान मूल्य, जो उल्लिखित तारीख के बाद 12 माह के भीतर संभव है, को कम करता है।

– क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ वित्तीय परिसम्पत्तियां, परन्तु क्षतिग्रस्त क्रेडिट नहीं – जो समस्त नकदी के वर्तमान मूल्य जो वित्तीय परिसम्पत्ति के प्रत्याशित कार्य अवधि पर सभी संभावित चूक कार्यों के कारण है, को कम करता है।

– वित्तीय परिसम्पत्तियां जो क्षतिग्रस्त क्रेडिट हैं – जो सकल रखरखाव राशि और अनुमानित नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच अन्तर के रूप में हैं।

– अनाहरित ऋण प्रतिबद्धताएं – जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के बीच अन्तर के वर्तमान मूल्य के रूप में हैं, जो समूह को देय है, यदि प्रतिबद्धता को कम किया जाता है और नकदी प्रवाह, जिसे समूह प्राप्त करना चाहती है।

ट्रेड प्राप्यों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के संबंध में, समूह कार्य अवधि प्रत्याशित क्रेडिट हानियों के बराबर राशि में हानि छूट का मूल्यांकन करती है।

परिशोधित लागत पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियों हेतु हानि छूट को परिसम्पत्तियों के सकल रखरखाव राशि से कम किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए हानि छूट को ओसीआई में मान्य किया जाता है।

VIII. बट्टे खाते डालना

वित्तीय परिसम्पत्ति को तब बट्टे खाते (या तो आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप में) डाला जाता है, जब वित्तीय परिसम्पत्ति के इसके पूरी तरह से अथवा उसके भाग के रूप में वसूल होने की उचित आशा न हो। यह सामान्य तौर पर ऐसा मामला है, जब समूह परिभा ित करती है कि कर्जदार के पास कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा आय के स्रोत नहीं हैं, जिससे वह बट्टे खाते डाली गई राशियों की चुकौती करने के लिए पर्याप्त नकदी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस निर्धारण को व्यक्तिगत परिसम्पत्ति स्तर पर किया जाता है और लाभ अथवा हानि विवरण में प्रभारित होता है।

जबकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों को, जिन्हें बट्टे खाते डाला गया हो, जहां उपयुक्त हो अभी भी कानूनी राय ले करके समूह की वसूली प्रक्रियाओं के तहत प्रवर्तन क्रियाकलापों के अध्यधीन रखा जा सकता है व की गई किसी भी वसूली को वित्तीय परिसम्पत्तियों की हानि के समायोजन के रूप में लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

ग. पट्टे

पट्टों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब कभी भी पट्टे अन्तरण की शर्तें, स्वामित्व सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूरी तरह से पट्टेदार को अन्तरित होती हैं। सभी अन्य पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं।

I. पट्टा देने वाले के रूप में समूह

वित्तीय पट्टों के तहत पट्टेदारों से देय राशियों को पट्टों में समूह के निवल निवेश की राशि पर प्राप्यों के रूप में स्वीकार किया जाता है। वित्त पट्टा आय को लेखांकन अवधियों के लिए परिभा ित किया जाता है, ताकि पट्टों के संबंध में समूह की निवल निवेश बकाया पर प्रतिफल को परिवर्तनीय आवधिक दर पर दर्शाया जा सके।

परिचालन पट्टों से किराया आय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किरायों को सिर्फ समूह की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लाभ प्रोदभूत हुए हो, मान्य किया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

II. पट्टेदार के रूप में समूह

परिचालन पट्टों में किराया व्यय को सामान्य तौर पर संगत पट्टे की अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। जहां किराए को सिर्फ कम्पनी की प्रत्याशित मूल्यवृद्धि लागत को बढ़ाने के लिए क्षतिपूरण हेतु अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति की दिशा में वृद्धि हेतु तैयार किया गया हो, वहां ऐसी वृद्धियों को उस वर्ष में जिस वर्ष में ऐसे लागत प्रोद्भूत हुए हो, मान्य किया जाता है। परिचालन पट्टों के तहत उत्पन्न आकस्मिक किरायों को उस अवधि में जिसमें प्रोद्भूत उपगत हुए हैं, व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

घ. कर्मचारी लाभ

i. अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ व्ययगत होते है, जब संबंधित सेवा ली जाती हो। देयता को अदा किए जाने हेतु अपेक्षित राशि के लिए मान्य किया जाता है; यदि समूह के पास कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो और बाध्यता का विश्वसनीयता से अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. नियोजन बाद लाभ

क. परिभाषित अंशदान योजना

पेंशन

01 अप्रैल, 2008 से पहले, कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय परिचालनरत पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत रखा गया था और तदनुसार जब भी देय हो मंहगाई भत्ता और परिवार पेंशन के लिए हकदार होते है। इस संबंध में किए गए अंशदान को जब भी देय हो, राजस्व में प्रभारित किया जाता है। समूह ने 01 अप्रैल, 2008 को मौजूदा कर्मचारियों के लिए अगस्त, 2008 में परिभाषित अंशदान योजना शुरू की और इसका ही चयन किया। कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि संचालन को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के न्यासियों द्वारा एक समूह अधिवर्षिता नकदी संचयन योजना लागू करके सौंपा गया है।

भविष्य निधि

आईएफसीआई, फैक्टर्स लिमिटेड और एमपीकॉन एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करते हैं, जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह की बाध्यता ऐसे परिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

ख. परिभाषित लाभ योजना

भविष्य निधि

आईएफसीआई, फैक्टर्स लिमिटेड और एमपीकॉन एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान का भुगतान करते हैं, जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह की बाध्यता ऐसे परिभाषित अंशदान करना है और सदस्यों के लिए न्यूनतम प्रतिफल दर को सुनिश्चित करना है जैसा कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा विनिर्दिष्ट है।

उपदान

समूह की उपदान के रूप में एक परिभाषित लाभ कर्मचारी योजना है। योजना के न्यासियों को एलआईसी की संबधित निधि का संचालन सौंपा गया है। वर्ष हेतु व्यय को इस संबंध में समूह की वर्षान्त बाध्यता और योजना के वर्षान्त परिसम्पत्तियों के मूल्य के बीमांकन के आधार पर परिभाषित किया जाता है। अंशदान को समूह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एलआईसी में जमा किया जाता है।

चिकित्सा सुविधा

समूह की अस्पताल सुविधा एवं सामान्य चिकित्सा उपचार की कुछेक सीमाओं के तहत कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ योजना है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में समूह की निवल बाध्यता को आगामी लाभ राशि का अनुमान लगा करके प्रत्येक योजना हेतु अलग से परिकलित किया जाता है। जिसे कर्मचारियों के वर्तमान लागतों में अपनी सेवा हेतु और किसी योजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य, यदि कोई कटौती की गई हो, के लिए बाद में अर्जित किया हो।

इस परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दायित्व का वर्तमान मूल्य, अनुमानित उपार्जित लाभ विधि (अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि के समान) का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि को कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई के रूप में मान्यता दी जाती है और अंतिम दायित्व का निर्माण करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा जाता है। दायित्व को अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त छूट दरें, तुलनपत्र की तिथि पर सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार प्रतिफल पर आधारित होती हैं। जब गणना के परिणामस्वरूप समूह के लिए एक संभावित परिसंपत्ति प्राप्त होती है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति, योजना से किसी भी भावी धनवापसी या योजना में भविष्य के योगदान में कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है।

परिभाषित लाभ योजना देयता में परिवर्तन को सेवा, ब्याज लागत और पुनर्माप से उत्पन्न परिवर्तनों में विभाजित किया जाता है, और परिभाषित लाभ योजना परिसंपत्ति में परिवर्तन को ब्याज आय और पुनर्माप के बीच विभाजित किया जाता है। सेवा लागत और निवल ब्याज लागत/आय के कारण होने वाले परिवर्तनों को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित लाभ देयता/(परिसंपत्ति) के पुनर्माप, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हैं :

- बीमांकिक लाभ और हानि;
- योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, निवल परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर।

iii. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह की छुट्टी नकदीकरण और छुट्टी किराया छूट के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को दर्शाता है। छुट्टी नकदीकरण के संबंध में समूह की निवल बाध्यता आगामी लाभ की राशि है जो कर्मचारी का वर्तमान मूल्य है, और किसी संबंधित परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य को कम किया गया हैं परिकलन प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए किया जाता है। किन्हीं बीमांकन लाभों अथवा हानियों को उस अवधि में जिसमें वे उद्भूत हुए, लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है। छुट्टी किराया छूट का प्रावधान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर किया जा रहा है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ङ. आयकर

आयकर व्यय में चालू कर (अर्थात आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि) और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (कर आधार और बही आधार के बीच अस्थायी अंतर के कर प्रभावों को दर्शाता है) शामिल हैं। इसे लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह किसी व्यावसायिक संयोजन, या सीधे इक्विटी या ओसीआई में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो।

I. वर्तमान कर

वर्तमान कर का मूल्यांकन आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष हेतु कराधेय आय के संबंध में अदा की जाने वाली प्रत्याशित राशि पर किया जाता है। वर्तमान कर में वर्ष हेतु कराधेय आय अथवा हानि पर देय कर और पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में देय कर का समायोजन शामिल है। इसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियम कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करके किया जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर ('मैट') को लाभ और हानि विवरण में वर्तमान कर के रूप में मान्य किया जाता है।

वर्तमान कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती हैं, यदि समूह :

(क) को कानूनी रूप से स्वीकृत राशियों को प्रतियुक्ति करने का प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

(ख) या तो निवल आधार पर इसका निपटान करना चाहती हो या फिर परिसम्पत्ति की वसूली करना चाहती हो और साथ में देयता का निपटान करना चाहती हो।

II. आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए और कराधान प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त राशियों के लिए परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशियों के बीच अस्थायी अन्तर के संबंध में मान्य किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में तथा प्रबंधन के आकलन के आधार पर पुनरीक्षा की जाती है, उस सीमा में कम किया जाता है, जिसमें इसकी अधिक संभावना नहीं हो कि संबंधित कर लाभ को वसूल किया जाएगा; इन कटौतियों को तब रिवर्स किया जाता है, जब आगामी कराधान लाभ की संभावना में सुधार आता है।

अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनः परिभाषित किया जाता है और काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जिससे यह संभव हो सके कि आगामी कर योग्य लाभ उनके संबंध में प्राप्य होंगे जिसके संबंध में उन्हें प्रयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर दरों पर किया जाता है जिन्हें, अस्थायी अन्तरों पर लागू किया जा सकता हैं जब उन्हें रिपोर्टिंग तारीख में अधिनियमित कर दरों अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का प्रयोग करते हुए रिवर्स किया जा सकता हो।

आस्थगित कर का मूल्यांकन उन कर परिणामों को चित्रित करता है, जो रिपोर्टिंग तारीख में ऐसे तरीके से उत्पन्न होंगे जिसमें समूह अपनी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की रखरखाव राशि को वसूल कर सके अथवा इसका निपटान कर सके।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और देयताओं पर तभी छूट प्राप्त होती है, यदि समूह :

(क) के पास चालू कर देयताओं के प्रति चालू कर परिसम्पत्तियों के प्रतितुलन का कानूनी रूप से प्रवर्त्तनीय अधिकार हो; और

(ख) आय करों से संबंधित आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं को एक ही कराधान प्राधिकारी द्वारा वसूला जाता है।

प्रदत्त मैट के संबंध में अधिनियम के तहत उपलब्ध क्रेडिट को केवल परिसम्पत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब भी इसमें स्पष्टकारी प्रमाण हो कि कम्पनी उस अवधि में सामान्य आय कर का भुगतान करेगी जिस अवधि के लिए मैट क्रेडिट को सामान्य कर देयता के संबंध में प्रतितुलन हेतु आगे ले जाया जा सकता हो। परिसम्पत्ति के रूप में स्वीकृत मैट क्रेडिट की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और काफी हद तक रिकॉर्ड में लाया जाता है, उपरोक्त युक्तियुक्त प्रमाण अधिक समय तक मौजूद नहीं रहता।

च. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा निवेश सम्पत्ति

मान्यता एवं मूल्यांकन

प्रयोग हेतु अथवा प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु धारित सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि पर तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है। लागत में संबंधित परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं संस्थापन में संबंधित गैर–वापसी योग्य कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। 5,000 रुपए से कम कीमत वाली परिसम्पत्ति को खरीद के वर्ष में लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया जाएगा।

निवेश परिसम्पत्ति में, किराया प्राप्त करने के लिए किराए पर दिया गया भवन शामिल है। समूह निवेश परिसम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु लागत मॉडल का अनुपालन करती है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी कार्य अवधि पर स्ट्रेट लाइन विधि का प्रयोग करते हुए प्रदान किया जाता है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–ख्प में परिभाि ात है। मूल्यह्रास को यथा–अनुपात आधार पर परिकलित किया जाता है, जिसमें परिवर्धन माह और बिक्री/निपटान माह का अपवर्जन शामिल है। पट्टाभूमि सुधार को स्ट्रेट लाइन आधार पर मूलाधार पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है। भवन एवं वाहनों के संबंध में अपशिष्ट मूल्य को लागत के 5 प्रतिशत के रूप में समझा जाता है तथा अन्य परिसम्पत्ति के मामले में ''शून्य'' समझा जाता है।

अनुमानित उपयोगी मूल्यों, अपशिष्ट मूल्यों तथा मूल्यह्रास विधि की अग्रदर्शी आधार पर हिसाब में लिए गए अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के कारण प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती है।

उस वर्ष में 5,000 रुपए से कम या उसके बराबर मूल्य की परिसंपत्तियों के मामले में, पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें ये परिसंपत्तियां खरीदी जाती हैं।

कंपनी के व्यापार और प्रचालन के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, एसएचसीआईएल और एसएचसीआईएल की सहायक कंपनी ने कुछ परिसंपत्तियों के लिए कम अवधि पर विचार किया, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

परिसंपत्ति का स्वरूप	अपनाया गया उपयोगी जीवन	कंपनी अधिनियम में उपयोगी जीवन
कंप्यूटर सर्वर और नेटवर्क	4 वर्ष	6 वर्ष
मोबाइल	2 वर्ष	5 वर्ष
वाहन	3 वर्ष	8 वर्ष
भवन	58 वर्ष	60 वर्ष
एसएचसीआईएल महापे भवन	63 वर्ष	60 वर्ष

अमान्यता

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा जब परिसम्पत्ति के निरन्तर प्रयोग से कोई आगामी आर्थिक लाभ होने की संभावना न हो। सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अथवा निवेश सम्पत्ति की किसी मद के निपटान पर अथवा सेवा समाप्ति पर उत्पन्न किसी लाभ अथवा हानि को बिक्री प्राप्तियों एवं परिसम्पत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है और लाभ अथवा हानि में मान्य किया जाता है।

पूंजीगत कार्य–प्रगति

परिसंपत्ति निर्माण अवधि के दौरान ब्याज लागत सहित सभी प्रत्यक्ष रूप से देय व्यय, जो परिसंपत्ति को उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए आवश्यक हैं जो उसे तुलन पत्र की तिथि पर प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से प्रचालित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, संचित किए जाते हैं और पूंजीगत कार्य–प्रगति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

छ. अमूर्त परिसम्पत्तियां

मान्यता एवं माप

अमूर्त परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर मान्य किया जाता है, जिसमें, समस्त व्यय शामिल होता है, जिसे इसके अभिप्रेत प्रयोग के लिए एक उचित एवं सुसंगत आधार पर परिसम्पत्ति को सृजित करने, उत्पन्न करने अथवा तैयार करने के लिए सीधे आरोप्य अथवा परिभाषित किया जा सकता है।

परिशोधन

परिशोधन को उनके अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्य किया जाता है। अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि तथा परिशोधन विधि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अगद्रशी आधार पर हिसाब में लिए जा रहे अनुमान में किन्हीं परिवर्तनों के संबंध में पुनरीक्षा की जाती है।

तुलन–पत्र में दिखाई गई अमूर्त संपत्तियों में स्थायी लाइसेंस वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं और पूंजीकरण की तारीख से छह साल की अवधि में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिशोधित हैं। जबकि, एसएचसीआईएल और एमपीकॉन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीकरण की तारीख से 3 वर्षों में परिशोधन किया जाता है।

अमान्यता

अमूर्त परिसम्पत्ति को निपटान पर अथवा जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ की आशा न हो, अमान्य किया जाता है। अमूर्त परिसम्पत्ति के अमान्य होने से उत्पन्न लाभों अथवा हानियां को, जो परिसम्पत्ति के निवल निपटान प्राप्तियों एवं रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में मूल्यांकित हो, लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है, जब परिसम्पत्ति अमान्य हो।

ज. गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को, समूह अपनी गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों के रखरखाव राशि की (बिक्री हेतु रखी परिसम्पत्ति एवं आस्थगित कर सम्पत्ति से भिन्न) यह निर्धारण करने हेतु पुनरीक्षा करती है कि क्या इसमें क्षति का कोई संकेतन है। यदि कोई संकेतन मौजूद होता हैः तब परिसम्पत्ति की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाया जाता है।

क्षति की जांच करने हेतु, परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों के छोटे–छोटे समूह में एक साथ समूहित किया जाता है जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करता है; जो अन्य परिसम्पत्तियों अथवा सीजीयू के नकदी अन्तर्प्रवाह का अत्यधिक स्वतंत्र प्रवाह है।

परिसम्पत्ति अथवा सीजीयू की ''वसूलनीय राशि'' इसके प्रचलित मूल्य तथा बिक्री हेतु इसके उचित मूल्य घटाकर लागत से अधिक होती है। ''प्रचलित मूल्य'' अनुमानित आगामी नकदी प्रवाह पर आधारित होता है, जो कर पूर्व दर छूट का प्रयोग करते हुए अपने वर्तमान मूल्य में छूट प्राप्त होता है, जो धन के सम मूल्य एवं परिसम्पत्ति के निर्दिष्ट जोखिमों अथवा सीजीयू की राशि के वर्तमान बाजार निर्धारण को चित्रित करता है।

अनर्जक हानियों को लाभ और हानि में स्वीकार किया जाता है। अनर्जक हानि केवल उसी सीमा में प्रत्यावर्तित होती है, जिसमें परिसम्पत्ति की वास्तविक राशि उसकी रखरखाव राशि से अधिक नहीं होती, जिसका निर्धारण निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन राशि से घटाकर किया जाना होगा, यदि अनर्जक क्षति को स्वीकार नहीं किया गया था।

झ. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेनदेनों में खर्चों एवं आय को लेन–देन की तारीख को अग्रवर्ती दर पर प्रचलित दरों पर हिसाब में लिया जाता है; यदि ऐसे लेनदेन के लिए अर्जित किया गया हो। विदेशी मुद्रा में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं तथा विदेशी मुद्रा में उद्‌भूत आय एवं व्यय को भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा लेखांकन अवधि के समाप्त होने की दिशा में सूचित दरों पर भारतीय रुपए में अन्तरित किया जाता है। विभिन्न परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के मूल्यांकन पर लाभ/हानियां, यदि कोई हो, को लाभ एवं हानि के विवरण में लिया जाता है।

आतिथ्य व्यवसाय से संबंधित विदेशी मुद्रा शेष को वर्ष के अंत में समापन टीटी खरीद दर पर परिवर्तित कर दिया गया है।

ञ. दावों, मुकदमेबाजी आदि से संबंधित प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप समूह की कोई कानूनी एवं रचनात्मक बाध्यता हो, जिसके लिए यह संभावना हो कि नकदी प्रवाह अपेक्षित होगा तथा बाध्यता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान देयता के निपटान हेतु अपेक्षित व्यय के लिए प्रबंधन के उत्कृष्ट आकलन के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान मूल्य के निर्धारण हेतु प्रयुक्त छूट दर कर पूर्व दर है जो धन राशि के सम मूल्य और देयता के विनिर्दिष्ट जोखिमों का वर्तमान बाजार निर्धारण को दर्शाता है।

ट. आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां

आकस्मिक देयता तब मौजूद रहती हैं जब इसमें संभावना हो, परन्तु संभाव्य देयता न हो, अथवा कोई वर्तमान देयता न हो, जो संभवतः संसाधनों के बहिर्प्रवाह अथवा उस वर्तमान बाध्यता के लिए आवश्यक नहीं होगी, जिसकी राशि को विश्वसनीयता आकलन न किया जा सकता हो। आकस्मिक देयताओं में प्रावधान करने आवश्यक नहीं होते, परन्तु य तभी प्रकट किए जाते हैं, जब संसाधनों के बहिर्प्रवाह की संभावना बहुत कम हो।

आकस्मिक परिसम्पत्तियों को वित्तीय विवरणों में व्यक्त किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का अन्तर्प्रवाह संभव हो।

ट. नकद एवं नकद समकक्ष

नकद एवं नकद समकक्ष में बैंकों के चालू खातों में शेष एवं मियादी जमा राशियां, हस्तगत नकदी एवं चेक तथा संपार्श्विक ऋण एवं उधारी बाध्यता लेनदेनों पर उधार दी गई राशि शामिल है।

ड. खण्ड रिपोर्टिंग

परिचालन खण्डों का समूह के मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराए गए आन्तरिक रिपोर्टिंग के साथ सुसंगत तरीके में उल्लेख किया जाता है। सीओडीएम, संसाधनों के निर्धारण हेतु और समूह के परिचालन खण्डों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार होता है।

ढ. बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां

परिसम्पतियों को बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें अत्यधिक संभावना हो कि उन्हें मुख्यतः निरन्तर प्रयोग के बजाय बिक्री के जरिए वसूल किया जाएगा।

इन परिसम्पतियों का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि में स्वीकृत पुनर्मूल्यांकन पर लाभों एवं हानियों के साथ बिक्री हेतु उनकी वास्तविक राशि से घटाकर उचित मूल्य लागत से कम पर किया जाता है।

एक बार बिक्री सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत होने पर, परिसम्पतियों को अधिक समय तक परिशोधित, मूल्यह्रासित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं रखा जाता है।

ण. उधार लेने की लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागतें, जो किसी योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित होती हैं, उस अवधि के दौरान पूंजीकृत की जाती हैं जो परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए पूरा करने और तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। योग्य परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जिन्हें अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से एक पर्याप्त समय लगता है। विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित निवेश आय, जब तक कि योग्य परिसंपत्तियों पर उनका व्यय लंबित न हो, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों से घटा दी जाती है। अन्य उधार लागतें उस अवधि में व्यय की जाती हैं जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

त. व्यापार में स्टॉक

(क) इन्वेंटरी में जमीनें (हटाने योग्य संरचना सहित या बिना) शामिल हैं, जिनमें मौजूदा/अतिरिक्त चारदीवारी, जमीन और भवन/आवासीय परिसर, विकास और/या बिक्री के लिए अधिग्रहित/खरीदी गई निर्मित जमीन, और उस पर मौजूद अन्य हटाने योग्य/व्यय योग्य परिसंपत्तियां शामिल हैं। इनका मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत का निर्धारण खरीद/अधिग्रहण से संबंधित सभी विचारों/लागतों और विशेष रूप से उससे संबंधित अन्य खर्चों को जोड़कर किया जाता है।

(ख) आतिथ्य व्यापार की मालसूची में खरीदी गई उपभोग्य सामग्रियों का अंतिम शेष शामिल होता है। मूल्यांकन के लिए विचारित लागत मूल्य का पता लगाने के लिए एफआईएफओ का उपयोग किया जाता है। अंतिम मालसूची का मूल्यांकन लागत या प्रतिस्थापन मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है, जिसमें अप्रचलन और क्षति को शामिल किया जाता है।

(ग) व्यापार के लिए रखी गई प्रतिभूतियों और निपटान की प्रक्रिया में एसएचसीआईएल को हस्तांतरित प्रतिभूतियों को स्टॉक–इन ट्रेड के रूप में रखा जाता है और उनका मूल्यांकन लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

(घ) जमा पर प्रतिभूति रसीदें, जो संपार्श्विक के रूप में प्राप्त की जाती हैं या स्टॉक एक्सचेंजों में ग्राहकों द्वारा सीधे जमा की जाती हैं, संलग्न वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं की जाती हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
3 नकद एवं नकदी समकक्ष		
उपलब्ध नकदी (डाक टिकटों सहित)	2.29	2.48
बैंकों के पास शेष		
– बैंक शेष	434.13	907.21
– बैंक जमा	61.14	74.66
संपार्श्विक उधार ऋण परिचालन (सीबीएलओ) (ट्रेजरी बिलों के प्रति प्रतिभूत)	162.34	313.75
हस्तगत एवं संग्रहण और पारगमन में प्रेषण के अधीन चैक	-	-
कुल	**659.91**	**1,298.10**

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
4 नकदी एवं नकद समतुल्य से भिन्न बैंक शेष		
गारंटी वृद्धि योजना के तहत समूह के पास रखी निधि के प्रति बैंक जमा राशियां		
– बैंक शेष क्रेडिट	-	33.23
– बैंक जमा ^	1,887.23	1,432.90
पीएलआई योजना के तहत बैंकों के पास शेष राशि	2,143.90	1,447.60
ऋण भुगतान के लिए बैंकों के पास शेष राशि	105.33	201.23
अदावाकृत लाभांश खाता	-	-
बैंकों के पास शेष (गारंटी/ग्रहणाधिकार के विरुद्ध मार्जिन मनी) *	45.67	45.60
न्यायालय और अधिकरण आदि के निर्देशन पर बैंक जमा राशि	304.01	243.03
अन्य बैंक शेष/जमा राशियां #	369.31	344.69
कुल	**4,855.45**	**3,748.28**
* 12 माह से अधिक के शेष शामिल हैं।	-	-
# 12 माह से अधिक के शेष शामिल हैं।	325.35	325.35

5 डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख :

	31 मार्च 2025 को			31 मार्च 2024 को		
	काल्पनिक राशियां	उचित मूल्य – परिसंपत्तियां	उचित मूल्य – देयताएं	काल्पनिक राशियां	उचित मूल्य – परिसंपत्तियां	उचित मूल्य – देयताएं
भाग I						
मुद्रा डेरिवेटिव :						
- स्पॉट एण्ड फारवर्ड	-	-	-	334.25	-	13.94
कुल डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख - भाग I	**-**	**-**	**-**	**334.25**	**-**	**13.94**
भाग II						
उपरोक्त (भाग I) में सम्मिलित प्रतिरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन हेतु धारित डेरिवेटिव निम्नानुसार हैं :						
अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव	-	-	-	334.25	-	13.94
कुल डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख - भाग II	**-**	**-**	**-**	**334.25**	**-**	**13.94**

डेरिवेटिव्स को विदेशी मुद्रा में किए गए ऋणों के लिए ब्याज दर एवं मूल जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए कम्पनी द्वारा प्रयोग किया गया है।

डेरिवेटिव से हुए प्रबंधन जोखिम के लिए टिप्पणी सं. 56 देखें

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
6 प्राप्य राशियां :		
(क) प्रतिभूत		
– सही माने गए	-	-
– संदिग्ध माने गए	-	-
(ख) अप्रतिभूत		
– सही माने गए	215.40	310.04
– संदिग्ध माने गए	42.91	57.67
– अन्य	9.39	-
	267.70	367.71
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	56.77	61.38
कुल	**210.93**	**306.33**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ट्रेड प्राप्यों की एजिंग

	31 मार्च 2025 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – सही माने गए	170.88	9.96	3.99	0.11	8.58	**193.52**
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.03	4.24	28.86	14.41	15.04	**62.58**
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	1.00	**1.00**
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – सही माने गए	-	-	-	-	-	-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	0.00	0.00	0.98	**0.98**
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	0.36	**0.36**
(vii)	अन्य प्राप्य	9.26	-	-	-	-	**9.26**
		180.17	**14.20**	**32.84**	**14.53**	**25.96**	**267.70**
	घटाएं : हानि हेतु प्रावधान	8.29	1.06	13.91	12.99	20.52	56.77
	कुल						**210.93**

* 31.03.2025 तक एसएचसीआईएल का बिल रहित राजस्व 9.26 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 18.81 करोड़ रुपए)

	31 मार्च 2024 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – सही माने गए	260.32	8.08	0.82	0.04	10.24	**279.49**
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	1.87	15.47	38.61	17.73	12.38	**86.06**
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	2.16	**2.16**
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्य – सही माने गए	-	-	-	-	-	-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट क्षति	-	-	-	-	-	-
(vii)	अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-
		262.18	**23.55**	**39.43**	**17.77**	**24.78**	**367.71**
	घटाएं : हानि हेतु प्रावधान	0.80	0.98	27.97	15.91	15.72	61.38
	कुल						**306.33**

कम्पनी के क्रेडिट एवं मुद्रा जोखिमों तथा व्यापार प्राप्यों से संबंधित हानि भत्तों के जोखिमों की टिप्पणी 56 में प्रकट किया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
7	ऋण		
(क)	परिशोधित लागत पर		
(i)	मियादी ऋण	4,155.39	4,347.25
(ii)	पट्टे पर देना	0.02	0.04
(iii)	फैक्टिरिंग	-	-
(iv)	डिबेंचर	304.23	827.10
	कुल (क) – सकल	**4,459.64**	**5,174.40**
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	3,098.34	3,811.24
	कुल (क) – निवल	**1,361.30**	**1,363.15**
(ख)	**प्रतिभूति विवरण**		
(i)	मूर्त परिसम्पत्तियों एवं अमूर्त परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूत	2281.86	2,940.60
(ii)	बैक/सरकारी गारंटी में शामिल	-	0.61
(iii)	अप्रतिभूत	2177.77	2,233.18
	कुल (ख) – सकल	**4,459.64**	**5,174.40**
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	3,098.34	3,811.24
	कुल (ख) – निवल	**1,361.30**	**1,363.15**
(ग)	**भारत में ऋण**		
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र		2.11
(ii)	अन्य	4,459.64	5,172.29
	कुल (ग) – सकल	**4,459.64**	**5,174.40**
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	3,098.34	3,811.24
	कुल (ग) – निवल	**1,361.30**	**1,363.15**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

8 निवेश

		परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	कुल
			अन्य समग्र आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
31 मार्च 2025 को							
(क)							
(i)	म्युचुअल फंड	-	-	290.71	-	0.54	291.24
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	56.87	0.71	-	-	-	57.58
(iii)	ट्रेजरी बिल	-	(0.01)	-	-	-	(0.01)
(iv)	ऋण प्रतिभूतियां	75.00	16.04	-	-	-	91.04
(v)	इक्विटी प्रलेख	2.50	14,024.90	700.76	-	-	14,728.16
(vi)	अन्य						
	उद्यम पूंजी	-	-	123.37	-	-	123.37
	प्रतिभूति प्राप्तियां	-	-	6.32	-	-	6.32
	वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
	अधिमान शेयर	-	-	25.05	-	-	25.05
	कुल – सकल (क)	**134.37**	**14,041.64**	**1,146.20**	**-**	**0.54**	**15,322.75**
(ख)							
(i)	भारत में निवेश	134.37	14,041.64	1,146.20	-	0.54	15,322.75
(ii)	भारत से बाहर निवेश						
	कुल – सकल (ख)	**134.37**	**14,041.64**	**1,146.20**	**-**	**0.54**	**15,322.75**
(ग)	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(घ)	**कुल – निवल (क–ग)**	**134.37**	**14,041.64**	**1,146.20**	**-**	**0.54**	**15,322.75**

		परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			अन्य	कुल
			अन्य समग्र आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट		
31 मार्च 2024 को (पुनःस्थापित)							
(क)							
(i)	म्युचुअल फंड	0.63	-	273.91	-	0.92	275.46
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां	61.73	0.70	-	-	-	62.43
(iii)	ट्रेजरी बिल	-	513.14	-	-	-	513.14
(iii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां						-
(iv)	ऋण प्रतिभूतियां	-	17.80	-	-	-	17.80
(v)	इक्विटी प्रलेख	-	6,918.40	674.22	-	4.51	7,597.13
(vi)	अन्य						
	उद्यम पूंजी	-	-	116.24	-	1.00	117.24
	प्रतिभूति प्राप्तियां	-	8.71	60.98	-	-	69.69
	वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-	-	-
	अधिमान शेयर	-	-	25.05	-	-	25.05
	कुल – सकल (क)	**62.36**	**7,458.75**	**1,150.40**	**-**	**6.42**	**8,677.93**
(ख)							
(i)	भारत में निवेश	62.36	7,458.75	1,150.40		6.42	8,677.93
(ii)	भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-
	कुल – सकल (ख)	**62.36**	**7,458.75**	**1,150.40**	**-**	**6.42**	**8,677.93**
	घटाएं : क्षति हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-
(ग)	**कुल – निवल (क–ग)**	**62.36**	**7,458.75**	**1,150.40**	**-**	**6.42**	**8,677.93**

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में सूमह का जोखिम टिप्पणी 56 में दिया गया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

9 अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
प्रतिभूति जमा राशि	8.97	0.03
प्रोद्भूत आय		
- निवेशों पर ब्याज	22.03	56.67
- अन्य आय	1.13	0.53
अन्य अग्रिम प्राप्य	3.58	-
कर्मचारियों को ऋण	31.02	25.07
अन्य जमा राशियां	550.40	484.15
अन्य संदिग्ध जमा राशियां	12.13	12.16
अन्य वसूलनीय राशियां	695.85	914.50
	1,325.12	1,493.10
घटाएं : क्षति हानि भत्ता	76.83	82.82
कुल	**1,248.30**	**1,410.28**

क्रेडिट और मुद्रा जोखिमों एवं ऋणों से सम्बन्धित हानि भत्ते के बारे में समूह का जोखिम टिप्पणी 56 में दिया गया है।

10 इक्विटी विधि का प्रयोग उपयोग हुए लेखागत निवेश	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
सहयोगी कंपनियों में निवेश	-	-
कुल	-	-

11 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां एवं देयताए

विवरण	01 अप्रैल 2024 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2025 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां :					
ऋण	1,320.14	-	(256.42)	-	1,063.72
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	0.90	-	7.51	-	8.41
अन्य	443.42	-	(9.10)	0.03	434.34
	1,764.46	-	**(258.02)**	**0.03**	**1,506.47**
आस्थगित कर देयताएं :					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	223.31	-	(6.44)	-	216.87
निवेश	1,702.93	-	88.68	432.34	2,223.94
36(i)(viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	46.72
उधार	-	-	-	-	-
	1,972.95	-	**82.24**	**432.34**	**2,487.53**
निवल आस्थगित कर देयताएं	**(208.47)**	-	**(340.26)**	**(432.31)**	**(981.06)**

विवरण	01 अप्रैल 2023 को	इक्विटी में मान्य	वर्ष के दौरान लाभ अथवा हानि में मान्य	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्य	31 मार्च 2024 को
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां :					
ऋण	1,633.97	-	(313.82)	-	1,320.14
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता	-	-	0.90	-	0.90
अन्य	(830.50)	-	1,273.18	1.49	443.42
	803.47	-	**960.26**	**1.49**	**1,764.46**
आस्थगित कर देयताएं :					
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	223.58	-	(0.28)	-	223.31
निवेश	103.14	-	1,414.33	185.45	1,702.93
36(i)(viii) के तहत विशेष रिजर्व निधि पर डीटीएल	46.72	-	-	-	46.72
उधार	(0.00)	-	-	-	(0.00)
	373.44	-	**1,414.05**	**185.45**	**1,972.95**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**430.02**	-	**(453.80)**	**(183.96)**	**(208.47)**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

12 निवेश सम्पत्ति

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2024 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	23.16	1.27	-	24.44	-	-	-	-	24.44	23.16
भवन	337.78	42.91	-	380.69	102.17	21.63	-	123.80	256.89	235.61
फ्लैट्स	1.98	-	-	1.98	1.98	-	-	1.98	(0.00)	(0.00)
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	25.26	-	1.36	23.90	-	-	-	-	23.90	25.26
कुल	**388.18**	**44.18**	**1.36**	**431.01**	**104.15**	**21.63**	**-**	**125.78**	**305.22**	**284.03**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को (पुनः स्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	23.16	-	-	23.16	-	-	-	-	23.16	23.16
भवन	337.78	-	-	337.78	94.89	7.02	-	102.17	235.61	242.89
फ्लैट्स	9.29	-	7.31	1.98	2.45	-	0.47	1.98	(0.00)	6.84
वित्त पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां										
पट्टे पर दी गई भूमि	25.26	-	-	25.26	-	-	-	-	25.26	25.26
कुल	**395.50**	**-**	**7.31**	**388.18**	**97.34**	**7.02**	**0.47**	**104.15**	**284.03**	**298.16**

निवेश सम्पत्ति से अर्जित किराए की आय के विवरण के लिए, लाभ और हानि का विवरण देखें।

पट्टे पर दी गयी निवेश सम्पत्ति के विवरण के लिए टिप्पणी 51 देखें।

निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य (भूमि एवं भवन)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आईएफसीआई लिमिटेड	563.73	537.30
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	56.00	47.75

उचित मूल्यों का मूल्यांकन

i. **उचित मूल्य क्रमानुक्रम**

निवेश सम्पत्ति के उचित मूल्य को मूल्यांकित की जा रही सम्पत्ति की अवस्थिति एवं श्रेणी में उपयुक्त मान्य पेशेवर योग्यताओं एवं नवीनतम अनुभव रखने वाले बाहरी, स्वतंत्र सम्पत्ति मूल्यांककों द्वारा निर्धारित किया गया है। जबकि, मूल्यांकन आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त रिपोर्ट अवधि के दौरान आंतरिक रूप से निर्धारित किया गया है।

निवेश सम्पत्ति का उचित मूल्य, (जैसा कि वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन किया गया है) एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन पर आधारित होता है जैसा कि कम्पनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियमावली, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है।

समस्त निवेश सम्पत्ति हेतु उचित मूल्य को प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक के इनपुटों के आधार पर चरण 3 उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. **मूल्यांकन तकनीक**

कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री तुलना तकनीक का पालन करती है। मूल्यांकन मॉडल आसपास के क्षेत्र में स्थित सम्पत्तियों में नवीनतम बिक्रियों/एक जैसी हित के सूचीकरण की तुलना करके विषयगत सम्पत्ति के मूल्य पर विचार करती है। इच्छुक खरीददारों एवं विक्रेताओं के बीच "आर्म–लेन्थ लेन–देन की अर्हता पूरी करने वाली बिक्रियों का विश्लेषण करके, इसके आकार, स्थान, समय सुख सुविधाओं एवं अन्य संगत कारकों को देखते हुए समायोजन किया जाएगा, जब इस तरह के बिक्री मूल्य की वस्तुगत सम्पत्ति के संबंध में तुलना की गई हो। इस दृष्टिकोण को सामान्य रूप में मानक सम्पत्तियों के मूल्य हेतु तब अपनाया जाता है जब वसूलनीय बिक्री साक्ष्य उपलब्ध हो।

13 सम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2024 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	1 अप्रैल 2025 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	147.83	(1.27)	-	146.56	0.12	-	-	0.12	146.44	147.71
भवन	532.98	(42.91)	-	490.07	30.54	(0.69)	-	29.85	460.22	502.43
पट्टा भूमि सुधार	5.74	0.52	-	6.26	4.29	0.77	-	5.06	1.20	1.45
संयंत्र एवं मशीनरी	129.84	8.58	2.55	135.87	55.53	10.12	2.51	63.13	72.74	74.31
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	28.10	0.49	0.14	28.45	23.82	0.82	0.08	24.56	3.89	4.28
वाहन	3.01	-	0.32	2.70	2.30	0.35	0.30	2.35	0.34	0.71
कार्यालय उपकरण	79.21	14.58	0.79	93.01	61.37	11.65	0.76	72.26	20.75	17.84
इलेक्ट्रिकल स्थापना एवं उपकरण	12.57	0.06	0.06	12.58	11.42	0.26	0.12	11.56	1.01	1.15
पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां			-							
पट्टे पर दी गई भूमि	239.18	-	(1.34)	240.52	52.59	5.49	0.02	58.07	182.45	186.59
कुल	**1,178.45**	**(19.94)**	**2.51**	**1,156.00**	**241.98**	**28.77**	**3.79**	**266.96**	**889.04**	**936.46**

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को (पुनः स्थापित)
स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	147.83	-	-	147.83	0.12	-	-	0.12	147.71	147.71
भवन	530.44	2.54	-	532.98	16.64	13.91	-	30.54	502.43	513.80
पट्टा भूमि सुधार	5.65	0.09	-	5.74	3.44	0.85	-	4.29	1.45	2.21
संयंत्र एवं मशीनरी	124.93	5.09	0.18	129.84	45.79	9.83	0.09	55.53	74.31	79.14
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स	27.34	0.78	0.02	28.10	23.00	0.84	0.02	23.82	4.28	4.34
वाहन	3.62	-	0.61	3.01	2.12	0.71	0.53	2.30	0.71	1.50
कार्यालय उपकरण	73.69	7.41	1.88	79.21	53.14	10.00	1.77	61.37	17.84	20.55
इलेक्ट्रिकल स्थापना एवं उपकरण	12.47	0.11	0.01	12.57	11.15	0.35	0.08	11.42	1.15	1.33
			-							
पट्टे के तहत परिसम्पत्तियां			-							
पट्टे पर दी गई भूमि	239.18	-	-	239.18	47.10	5.49	-	52.59	186.59	192.08
कुल	**1,165.15**	**16.01**	**2.71**	**1,178.45**	**202.50**	**41.98**	**2.50**	**241.98**	**936.46**	**962.64**

कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और अमूर्त संपत्ति का पुर्नमूल्यांकन नही किया है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
14 गुडविल		
सकल ब्लॉक		
(i) आरम्भ शेष	446.64	446.64
(ii) परिवर्धन	-	-
(iii) व्यापारिक संयोजनों के जरिए अधिग्रहण	-	-
(iv) निपटान	(9.70)	-
(v) अन्य समायोजन	-	-
(vi) अन्त शेष	**436.94**	**446.64**
क्षति प्रावधान		
(i) आरम्भ शेष	-	-
(ii) व्यापारिक संयोजनों के जरिए अधिग्रहण	-	-
(iii) अवधि हेतु क्षति	-	-
(iv) निपटान	-	-
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 का
(v) प्रावधान में रिवर्सल	-	-
(vi) अन्य समायोजन	-	-
(vii) अन्त शेष	-	-
निवल गुडविल	**436.94**	**446.64**

15 अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियां

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2024 को	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च 2025 को	1 अप्रैल 2024 को	वर्ष हेतु	निपटान	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	49.93	4.76	3.08	51.61	27.25	12.06	3.08	36.24	15.38	22.68
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	104.20	29.89	11.29	122.80	60.36	20.76	10.13	70.99	51.80	43.84
लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी	0.60	1.20	-	1.80	0.53	0.12	-	0.65	1.15	0.07
कुल	**154.73**	**35.85**	**14.37**	**176.21**	**88.15**	**32.94**	**13.21**	**107.88**	**68.34**	**66.59**

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2023 को	परिवर्धन	निपटान	31 मार्च 2024 को	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष हेतु	निपटान	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20.70	29.23	-	49.93	16.86	10.39	-	27.25	22.68	3.84
पट्टा परिसम्पत्तियों के उपयोग का अधिकार	129.79	16.09	41.68	104.20	77.56	21.47	38.67	60.36	43.84	52.23
लाइसेंस एवं फ्रैंचाइजी	0.60	-	-	0.60	0.29	0.24	-	0.53	0.07	0.31
गैर प्रतिस्पर्धा शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**151.10**	**45.32**	**41.68**	**154.73**	**94.71**	**32.10**	**38.67**	**88.15**	**66.59**	**56.38**

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
16 अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां		
पूंजी अग्रिम पूर्व	28.77	18.96
प्रदत्त व्यय	35.51	20.84
सांविधिक देय राशियां	0.53	0.74
अन्य परिसम्पत्तियां	91.54	116.56
	156.35	157.11
घटाएं : क्षति हेतु प्रावधान	-	-
कुल	**156.35**	**157.11**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
17 बिक्री हेतु धारित परिसम्पत्तियां		
विकास वित्तपोषण के तहत सहायता (एयूएफ)– सहयोगी कम्पनियां	50.48	49.41
कुल	**50.48**	**49.41**

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 का
18 देय राशियां		
I ट्रेड देयताएं		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया		1.86
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया		461.09
कुल	**428.29**	**462.95**

ट्रेड देयताओं की अवधि बढ़ाना

31 मार्च 2025 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 –2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	2.62	-	-	-	**2.62**
(ii) अन्य	411.88	3.30	3.32	7.17	**425.67**
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल					**428.29**

31 मार्च 2024 को	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1 –2 वर्ष	2 – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	1.86	0.00	-	-	**1.86**
(ii) अन्य	429.65	9.29	3.86	18.29	**461.09**
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-
कुल					**462.95**

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
II अन्य देय राशियां		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय कुल बकाया	-	-
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को छोड़कर लेनदारों को देय कुल बकाया	5.72	-
कुल	**5.72**	-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार 31 मार्च, 2025 को आपूर्तिकर्ताओं को अतिदेय राशियां शून्य रुपए (पिछले वर्ष 1.86 करोड़ रुपए) है। यह सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जानी अपेक्षित है, जिसका निर्धारण समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर अभिनिर्धारित ऐसे पक्षकारों की मौजूदा स्थिति तक निर्धारित की गई है।

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 का
19 ऋण प्रतिभूतियां		
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) बॉन्ड		
- निजी रूप से धारित बॉन्ड	2,345.37	2,790.37
- निजी रूप से रखे गए जीरो कूपन बॉन्ड	394.60	359.60
- अवसंरचना बॉन्ड	191.81	177.61
- सहायक कम्पनियों को जारी निजी रूप से धारित बॉन्ड	-	-
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(118.39)	(116.93)
(ii) कर मुक्त बॉन्ड (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घट–बढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
- अन्य द्वारा धारित	100.00	100.00
(iii) प्रतिभूत विमोच्य गैर परिवर्तनीय ऋणपत्र (आईएफसीआई लि. के प्राप्यों पर घटबढ़ प्रभार द्वारा प्रतिभूत)		
- सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों द्वारा धारित	10.00	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

- अन्यों द्वारा धारित	(10.00)	1,051.12
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	-	(87.77)
(iv) निजी तौर पर रखे गए बांड (आईएफसीआई लिमिटेड के प्राप्य पर फ्लोटिंग चार्ज और जी–सेक पर ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित रिडीमेबल गैर परिवर्तनीय डिबेंचर)		
- अन्य (बॉन्ड/डिबेंचर आदि)	-	2.21
कुल (क)	**2,958.39**	**4,276.21**
(ख) भारत में/भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां		
(i) भारत में ऋण प्रतिभूतियां	2,958.39	4,276.21
(ii) भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	-	-
कुल (ख)	**2,958.39**	**4,276.21**

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 का
20 भुगतान उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)		
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) मियादी ऋण		
- बैंक एवं अन्य पक्षकारों से	10.48	11.85
- अन्य पक्षकारों से		
- वित्तीय संस्थानों से	-	-
- केएफडब्ल्यू ऋण लाइन से	-	334.25
(ii) बैंकों से मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	-	-
(iii) अन्य	-	-
कुल	**10.48**	**346.10**
(ख) भारत में/भारत से बाहर उधार		
(i) भारत में उधार	10.48	11.85
(ii) भारत से बाहर उधार	-	334.25
कुल	**10.48**	**346.10**

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 का
21 अधीनस्थ देयताएं		
(क) परिशोधित लागत पर		
(i) अधीनस्थ – टियर–II बॉन्ड	916.75	916.75
- घटाएं : प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं ब्याज	(172.08)	(172.08)
कुल (क)	**744.67**	**744.67**
(ख) भारत में/भारत से बाहर उधार		
(i) भारत में उधार	744.67	744.67
(ii) भारत से बाहर उधार	-	-
कुल	**744.67**	**744.67**

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 का
22 अन्य वित्तीय देयताएं		
उद्भूत परन्तु बॉण्डों एवं उधारों पर देय नहीं ब्याज	583.61	662.75
प्रतिभूति जमा	15.82	14.84
अप्रदत्त परिपक्व डिबेंचर एवं ब्याज	0.44	0.57
निगम के पास रखा धन		
(क) अनुसूचित जाति क्रेडिट गारंटी वृद्धि योजना (भारत सरकार द्वारा निवेश)	374.23	347.47
(ख) पीएलआई योजना	2,143.90	1,447.91
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि	83.27	104.47
अदावाकृत लाभांश	0.02	0.02
अन्य देयताएं (ट्रेड जमा राशियां और अन्य देय राशियां)	2,193.03	2,461.22
	5,394.34	**5,039.25**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
23 प्रावधान		
तुलन पत्र प्रकटन से परे क्षति प्रावधान	15.02	36.70
कर्मचारी लाभ	88.87	85.49
कुल	**103.89**	**125.13**

कर्मचारी लाभ पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 49 देखें।

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
24 अन्य गैर वित्तीय देयताएं		
अग्रिम से प्राप्त आय	17.55	15.40
सांविधिक देयताएं	0.12	0.06
अन्य	0.09	6.07
	17.76	**21.54**

	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
25 इक्विटी		
अधिकृत		
प्रत्येक 10/– रुपए के 4,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	4,000.00	4,000.00
निर्गमित		
प्रत्येक 10/– रुपए के 2,76,15,61,785 इक्विटी शेयर	2,761.56	2,556.86
	2,761.56	**2,556.86**
अभिदत्त		
प्रत्येक 10/– रुपए के 2,69,56,31,031 इक्विटी शेयर	2,695.63	2,490.93
	2,695.63	**2,490.93**

	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
विवरण	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
इक्विटी शेयर				
अवधि के शुरू में बकाया	2,48,96,13,863	2,489.61	2,19,59,28,107	2,195.93
जोड़ें : भारत सरकार द्वारा किए गए शेयर	20,47,00,468	204.70	29,36,85,756	293.69
अवधि के अंत में बकाया	**2,69,43,14,331**	**2,694.31**	**2,489613863**	**2489.62**
प्रदत्त शेयर पूंजी	**2,69,43,14,331**	**2,694.31**	**2,48,96,13,863**	**2,489.61**

इक्विटी शेयरों की शर्तें/संबद्ध अधिकार :

कम्पनी के पास केवल एक श्रेणी का इक्विटी शेयर है, अर्थात् 10/– रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाला इक्विटी शेयर, जिसके लिए प्रति शेयर एक वोट डालने की पात्रता है।

शेयरधारक जिनके पास 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं।	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1,95,52,77,096	72.57%	1,75,05,76,628	70.32%
	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन	
	2.25%		3.97%	

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
26	**अन्य इक्विटी**		
i	**आबंटन होने तक शेयर आवेदन राशि**		
	आरम्भ शेष	500.00	400.00
	घटाएं : वर्ष के दौरान अंतरण	(1,000.00)	(400.00)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन राशि	500.00	500.00
	अंत शेष	**-**	**500.00**
ii	**आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	926.09	925.84
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अंतरण	2.70	0.24
	अंत शेष	**928.79**	**926.09**
iii	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	136.74	136.74
	अंत शेष	**136.74**	**136.74**
iv	**पूंजी रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	0.85	0.85
	सहयोगी कम्पनियों की बिक्री	-	-
	अंत शेष	**0.85**	**0.85**
v	**प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	1,238.44	1,132.12
	जोड़ें : इक्विटी शेयरों का निर्गम	769.20	106.31
	अंत शेष	**2,007.64**	**1,238.44**
vi	**पूंजी मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	300.05	300.05
	जोड़ें : प्रतिधरित आय से अन्तरण	-	-
	अंत शेष	**300.05**	**300.05**
vii	**डिबेंचर मोचन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	100.58	100.58
	जोड़ें : प्रतिधारित अर्जन से अन्तरण	-	-
	जोड़ें : सामान्य रिजर्व में अन्तरण	-	-
	अंत शेष	**100.58**	**100.58**
viii	**सामान्य रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	571.86	554.05
	जोड़ें :	26.43	17.81
	अंत शेष	**598.29**	**571.86**
ix	**मानित इक्विटी अंशदान**		
	आरम्भ शेष	335.82	335.82
	घटाएं : अधिमान शेयरों का समय–पूर्व मोचन	-	-
	अंत शेष	**335.82**	**335.82**
x	**क्षति–हानि रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	106.39	148.62
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	(1.73)	(42.23)
	आरम्भ शेष	**104.66**	**106.39**
xiii	**अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	(4,385.80)	(4,427.91)
	जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	171.04	103.66
	घटाएं : पूंजी मोचन रिजर्व में अन्तरण	-	-
	घटाएं : आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व में अन्तरण	(2.70)	(0.24)

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
	घटाएं : सामान्य रिजर्व में अन्तरण	(26.43)	(17.81)
	घटाएं : क्षतिपूर्ति रिजर्व में अन्तरण	1.73	42.23
	घटाएं : आकस्मिकता रिजर्व निधि हेतु अन्तरण	(124.95)	(92.50)
	घटाएं : प्रतिभूति प्रीमियम	-	-
	घटाएं : लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)	-	-
	जोड़ें : अन्य	-	6.77
	अंत शेष	**(4,367.11)**	**(4,385.80)**
xii	**अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	6.19	(2.61)
	जोड़े : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	(9.34)	8.80
	अंत शेष	**(3.15)**	**6.19**
xiii	**अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख**		
	आरम्भ शेष	1,943.01	1,792.92
	जोड़ें : प्रतिधारित आय से अन्तरण	-	-
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	3,520.53	150.09
	अंत शेष	**5,463.54**	**1,943.01**
xiv	**पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन**		
	आरम्भ शेष	51.42	53.30
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	0.18	(1.88)
	अंत शेष	**51.60**	**51.42**
xv	**आकस्मिक रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	212.68	120.18
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	124.95	92.50
	अंत शेष	**337.63**	**212.68**
xvi	**विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	1.41	1.30
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य समग्र आय	0.21	0.11
	अंत शेष	**1.62**	**1.41**
xvii	**समामेलन रिजर्व**		
	आरम्भ शेष	(0.60)	(0.60)
	अंत शेष	**(0.60)**	**(0.60)**
	कुल शेष राशि	**5,996.44**	**2,044.63**

आरबीआई अधिनियम की धारा 45 आईसी के तहत रिजर्व

यह रिजर्व आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईसी के अनुसार बनाया गया रिजर्व है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (अपपप) के तहत विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम की धारा 36 (1) **(viii)** द्वारा वित्तीय संस्थानों को उपयुक्त कारोबार, अर्थात दीर्घ अवधि औद्योगिक वित्तपोषण से निवल आय का 20 प्रतिशत लाभ इस रिजर्व निधि में अन्तरण करने की अनुमति दी जाती है और इस पर कर योग्य आय का परिगणन करते समय कटौती करने की अनुमति है। आयकर अधिनियम में वित्त अधिनियम, 1998 में संशोधन करने से वित्तीय वर्ष 1997–98 से सृजित रिजर्व निधि के रखरखाव पर एक शर्त रखी है। किसी भी निकासी पर कर लगाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1996–97 तक पूर्ववर्ती वर्ष में सृजित उक्त रिजर्व निधि के उपयोग पर कर देयता नहीं थी और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 1997–98 के बाद अन्तरित निधि में आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का सृजन किया गया है।

पूंजी रिजर्व

पूंजी रिजर्व में जब्त शेयरों की आय को दर्शाया गया है।

प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व

प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

पूंजी मोचन रिजर्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 55 की अपेक्षा के अनुसार पूंजी मोचन रिजर्व निधि, पूंजी के नए निर्गम के बिना अधिमान शेयरों के मोचन के संबंध में लाभ एवं हानि के विवरण में अधिशेष राशि से अन्तरित राशि को दर्शाती है।

डिबेंचर मोचन रिजर्व

डिबेंचर मोचन रिजर्व निधि का सृजन सार्वजनिक निर्गम की मार्फत आईएफसीआई लि. द्वारा जारी किए गए गैर–संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए कम्पनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18(7) के अनुसार किया गया है। बाद में कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 16.08.2019 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–57 (ई) के द्वारा शेयर पूंजी और डिबेंचर नियमावली (नियम 2014) को संशोधित कर अधिसूचित दिया गया इसलिए मौजूदा बॉण्डों और डिबेंचरों के मामले में न तो बॉण्डों के सार्वजनिक निर्गम हेतु और न ही निजी धारण हेतु किसी अतिरिक्त डिबेंचर मोचन रिजर्व का सृजन किया गया है।

सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व निधि का सृजन प्रयोज्य विनियमों के अनुसार एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए किया गया था।

मानित इक्विटी अंशदान

शेयरधारकों से अधिमान दर उधारों के संबंध में मानित इक्विटी अंशदान।

प्रतिधारित आय

यह कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ के संचित अधिशेष/(घाटे) की तिथि को दर्शाती है।

आकस्मिक रिजर्व

आकस्मिक रिजर्व निधि को उत्पन्न किन्हीं आकस्मिकताओं के मामले में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट रिजर्व निधि पर देय निवल आय के वार्षिक अन्तरण के जरिए सृजित किया गया था।

विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व

विदेशी मुद्रा अन्तरण रिजर्व निधि को प्रस्तुतीकरण करेंसी में विदेशी सहायक कम्पनी के संपरिवर्तन पर उत्पन्न विनिमय अन्तराल में से सृजित किया जाता है।

समामेलन रिजर्व

यह दो अथवा इससे अधिक कम्पनियों के विलयन पर सृजित रिजर्व निधि को दर्शाता है।

अन्य समग्र आय के जरिए ऋण प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय में मान्य ऋण प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है। जब संगत ऋण प्रलेखों को अमान्य किया जाता है तो कम्पनी इक्विटी के ऐसे संघटक से राशि को प्रतिधारित आय में अन्तरित करती है।

अन्य समग्र आय के जरिए इक्विटी प्रलेख

इसमें अन्य समग्र आय से मान्य कुछ अभिज्ञात इक्विटी प्रलेखों के उचित मूल्य में परिवर्तन तथा इक्विटी में संचित राशि शामिल है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन

परिभाषित लाभ देयता (परिसम्पत्ति) के पुनर्मूल्यांकन में बीमांकन लाभ एवं हानियां तथा योजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर) शामिल है।

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
27 ब्याज आय	**अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**	**अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**	**परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर**
ऋणों पर ब्याज	-	227.16	-	393.79
निवेशों से ब्याज आय	107.99	5.71	23.30	70.03
जमा राशियों पर ब्याज	-	101.35	22.14	2.00
अन्य ब्याज आय	-	50.39	-	42.57
कुल	**107.99**	**384.62**	**45.44**	**508.39**

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
28 शुल्क एवं कमीशन आय		
निधि प्रबंधन शुल्क	14.76	13.92
व्यापार सेवा शुल्क एवं कमीशन (गारंटी कमीशन सहित)	580.11	526.05
कुल	**594.87**	**539.96**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
29	**उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)**		
	(क) लाभ अथवा हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों पर निवल लाभ/(हानि)		
	– इक्विटी प्रतिभूति	107.25	144.36
	– प्रतिभूति प्राप्तियां	(22.93)	(40.59)
	– अधिमान शेयर	-	53.20
	– उद्यम पूंजी निधियों की यूनिट	5.32	18.50
	– म्यूचुअल फंड की यूनिट	17.48	32.87
	(ख) अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय प्रलेखों के अस्वीकरण पर निवल लाभ	0.09	3.85
	(ग) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**107.21**	**212.18**
	उचित मूल्य परिवर्तन :		
	– वसूल किए गए	(19.20)	(87.09)
	– वसूल न किए गए	126.40	299.28
	(घ) उचित मूल्य परिवर्तनों पर कुल निवल लाभ/(हानि)	**107.21**	**212.18**

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
30	**अन्य आय**		
	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अमान्य होने पर निवल लाभ/(हानि)	0.25	1.35
	विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	0.46	-
	आयकर वापसी से ब्याज	2.92	1.33
	हानि क्षति का प्रत्यावर्तन	138.36	95.51
	विविध शेष राशि (निवल) बट्टे खाते डाली गई	21.72	-
	सहायक कंपनी द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद पर लाभ	15.84	
	अन्य	8.51	30.04
	कुल	**188.06**	**128.24**

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
31	**वित्त लागत**		
	उधारों पर ब्याज	500.32	563.06
	ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	0.12	0.23
	अन्य ब्याज व्यय	1.74	
	पट्टा देयता उपयोग के अधिकार पर ब्याज	5.31	-
	अन्य वित्त लागत	27.55	7.85
	कुल	**535.04**	**571.13**

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	
32	**वित्तीय प्रलेखों पर क्षति**	अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर	परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर
	ऋण *	(224.32)	1.90	-	(324.67)
	निवेश	-	-	(0.02)	2.04
	संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों हेतु प्रावधान	(2.44)	-	-	28.37
	अन्य परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
	कुल	**(226.76)**	**1.90**	**(0.02)**	**(294.26)**
	* वर्ष के दौरान बट्टे खाते (निवल) सहित		387.10		417.42

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
33 कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	248.49	244.40
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	25.97	33.72
नियोजन के पश्चात् लाभ पर व्यय	17.29	20.12
स्टाफ कल्याण व्यय	19.53	15.49
कुल	-	-
	311.28	**313.73**

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
34 मूल्यह्रास एवं परिशोधन		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	28.77	41.98
निवेश सम्पत्ति का मूल्यह्रास	21.63	6.81
अमूर्त परिसम्पत्ति का परिशोधन	32.94	32.10
कुल	**83.34**	**80.89**

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
35 अन्य व्यय		
किराया	1.22	0.77
दरें एवं कर	6.93	7.42
बीमा	8.45	8.74
मरम्मत कार्य एवं रखरखाव कार्य	-	
- भवन	21.31	15.78
- प्लांट एवं मशीनरी	-	-
- आईटी	17.40	19.17
- अन्य	3.27	2.90
बिजली एवं जल प्रभार		17.62
सुरक्षा व्यय		7.90
लेखापरीक्षकों को भुगतान *		1.20
निदेशक शुल्क एवं व्यय		1.82
प्रकाशन एवं विज्ञापन		5.18
परामर्श एवं कानूनी प्रभार		11.44
यात्रा एवं वाहन		5.32
प्रशिक्षण एवं विकास		9.76
डाक एवं टेलीफोन		11.34
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		15.63
लिस्टिंग/फाइलिंग/अभिरक्षा शुल्क		10.78
पुस्तकालय एवं सदस्यता अंशदान	0.29	0.30
सीएसआर गतिविधियों पर व्यय	3.39	2.65
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों पर क्षति हानि	1.23	
अशोध्य ऋण	-	74.28
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.10	0.13
विदेशी मुद्रा लाभ/हानि	-	12.89
अन्य विविध व्यय	337.41	350.68
कुल	**497.24**	**593.69**
	-	-

* लेखापरीक्षकों को भुगतान के लिए टिप्पणी संख्या 36 को देखें। .

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
36	**लेखा–परीक्षकों को भुगतान**		
	लेखा–परीक्षा शुल्क	149	1.01
	प्रमाणन एवं अन्य सेवाए	0.20	1.14
	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.15	0.05
	कुल	**1.84**	**1.47**
37	**आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया)**		
क.	**आकस्मिक देयताए#**		
(i)	ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे	120.84	124.49
(ii)	वित्तीय गारंटियों को छोड़कर गारंटियां	3.47	3.46
(iii)	ईपीसीजी लाइसेंसों के तहत निर्यात बाधयताएं	-	-
(iv)	कर मामले :		
	आय कर*	105.15	77.60
	सेवा कर/जीएसटी	11.36	6.27
(v)	अन्य	2.66	
	कुल	**243.48**	**211.82**
	*लंबित मुकद्मेबाजी वाले मामलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 31 मार्च, 2025 को वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।		
ख.	**प्रतिबद्धताएं**		
(i)	संविदा की अनुमानित राशि (पट्टा संविदा सहित), जिन्हें पूंजीगत खाते पर निष्पादित किया जाना है (अग्रिमों को घटा कर)	13.48	11.56
(ii)	अनाहरित प्रतिबद्धताएं	2.75	7.17
	कुल	**16.23**	**18.73**
	आकस्मिक परिसम्पत्तियां	शून्य	शून्य

38 कर व्यय

क. लाभ या हानि में मान्य राशियां

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
कर व्यय (क)		
चालू कर व्यय	70.14	54.88
पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित चालू कर व्यय/ (लाभ)	(1.23)	1.15
उप – कुल (क)	**68.91**	**56.03**
आस्थगित कर (ख)		
आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	331.51	453.80
उप – कुल (ख)	**331.51**	**453.80**
कर व्यय (क)+(ख)	**400.42**	**509.83**

ख. प्रभावी ब्याज दर का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	
	%	राशि	%	राशि
कर–पूर्व लाभ		749.03		750.88
समूह की 34.944 प्रतिशत की घरेलू कर दर का उपयोग करते हुए कर	34.94%	261.74	34.94%	262.39
निम्नलिखित का प्रभाव :				
कर से छूट आय	0.00%	-	0.00%	-
कटौती न किए गए व्यय	0.00%	-	0.00%	-
चालू कर के लिए पूर्ववर्ती वर्षों से सम्बन्धित अनुमानों में परिवर्तन	-0.16%	(1.23)	0.15%	
चालू वर्ष का मूल्यह्रास, जिसके लिए किसी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को मान्यता नहीं दी गई	-0.87%	(6.55)	-0.91%	(6.82)
अन्य	19.55%	146.46	33.71%	253.11
प्रभावी कर दर/ कर व्यय	**53.46%**	**400.42**	**67.90%**	**509.83**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

39 ट्रेड से प्राप्य और देय रशियों के अधीन दर्शाई गई कुछ शेष राशियां पुष्टीकरण के अधीन हैं।

40 **आईएफसीआई लिमिटेड के मामले में**

(i) कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी में निवेश हेतु शेयर आवेदन राशि के रूप में 08 मार्च, 2024 को भारत सरकार से 500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। इस संबंध में, निदेशक मंडल ने 18 अप्रैल, 2024 को भारत सरकार को 10 रुपए अंकित मूल्य के 12,39,77,188 इक्विटी शेयर 40.33 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रति इक्विटी शेयर 30.33 रुपए के सुरक्षा प्रीमियम सहित) की दर से आबंटित किए थे।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी में निवेश हेतु शेयर आवेदन राशि के रूप में 28 जनवरी, 2025 को भारत सरकार से 500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस संबंध में, निदेशक मंडल ने 28 फरवरी, 2025 को भारत सरकार को 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,07,23,280 इक्विटी शेयर 61.94 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (प्रति इक्विटी शेयर 51.94 रुपए के सुरक्षा प्रीमियम सहित) की दर से आबंटित किए।

(ii) 31 मार्च 2025 को, आर.बी.आई. प्रूडेंशियल (आई.आर.ए.सी.पी.) मानदंडों (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान, भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत हानि भत्ते से 74.88 करोड़ रु. अधिक है। हालाँकि, चूंकि हानि आरक्षित निधि में मौजूदा शेष राशि 104.67 करोड़ रुपए है, इसलिए आरबीआई अधिसूचना संख्या ''डीओआर (एनबीएफसी) सीसी. पीडी. संख्या 109/22.10. 106/2019–20 दिनांक 13 मार्च, 2020 की आवश्यकताओं के अनुसार, कोई और हानि आरक्षित निधि नहीं बनाई गई है। साथ ही, आरबीआई अधिसूचना के अनुसार 104.67 करोड़ रुपए की मौजूदा हानि आरक्षित निधि को रिवर्स नहीं किया गया है।

(iii) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए चरण 3 की परिसंपत्तियों (आईआरएसी मानदंडों के तहत मानक परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर 106.16 करोड़ रुपए की ब्याज आय की पहचान की है। चूंकि वसूली की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए इसे उसी वर्ष अशोध्य ऋणों के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है। इसलिए, वर्ष के निवल लाभ या हानि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iv) 31 मार्च, 2025 तक पूंजी जोखिम पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (–) 23.04 प्रतिशत है, जो आरबीआई के परिपत्र दिनांक 31 मई 2018 (आरबीआई / 2017–18 / 181डीएनबीआर (पीडी) सीसी. संख्या 092/03.10.001/2017–18) के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों से कम है।

(v) ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 डिवीजन 3 के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है और 11 अक्टूबर 2018 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। आरबीआई या अन्य नियामकों द्वारा जारी किए गए किसी भी आवेदन मार्गदर्शन / स्पष्टीकरण / निर्देशों को लागू किया जाएगा जब वे जारी / लागू होंगे।

(vi) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन 31 मार्च 2025 के बजाय 31 दिसंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

(vii) आईएफसीआई सहायक कम्पनियों में गड़बड़ी से होने वाली हानि (यदि कोई हो) की निवल लागत पर निवेश कर रहा है और इसने प्रभावी तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 2017 को निवेश के अग्रणी मूल्य के रूप में मानी जाने वाली लागत के लिए भारतीय लेखा मानक 101 के तहत एकमुश्त छूट का विकल्प चुना है। कंपनी ने 31 मार्च 2025 तक, अपनी सहायक कंपनी आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) में 27,91,54,700 इक्विटी शेयरों और अन्य सहायक कंपनी, आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईफिन) में 3,93,63,809 इक्विटी शेयरों का निवेश किया है। कंपनी ने आईएफएल और आईफिन के शेयरों का आंतरिक रूप से उचित मूल्यांकन करवाया, जिसके अनुसार, आईएफएल के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 17.31 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया और आईफिन के शेयरों में निवेश का उचित मूल्य 60.90 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया, भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप, ब्रेकअप मूल्य के प्रति सामान्यतः स्वीकृत मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग करना और तदनुसार, होने वाली गड़बड़ियों से होने वाली हानि को लाभ–हानि खाते में डाला गया है।

(viii) कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान, परियोजना और कॉर्पोरेट ऋणों पर ईसीएल प्रावधान के आकलन की कार्यप्रणाली की समीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो से खाता स्तर पर ईसीएल पद्धति में बदलाव हुए। खाता स्तर पर ऋणों की अनुमानित वसूली के आधार पर ईसीएल प्रावधान का आकलन करने से पोर्टफोलियो स्तर पर ईसीएल प्रावधान के आकलन की तुलना में ईसीएल प्रावधान का बेहतर आकलन और प्रस्तुतिकरण प्राप्त होगा। इन परिवर्तनों को भारतीय लेखा मानक 8 (लेखा नीतियाँ, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ) के अनुसार लेखा अनुमान में परिवर्तन माना गया है और इन्हें चालू वित्तीय वर्ष से आरंभ करते हुए भावी दृष्टि से लेखा में शामिल किया गया है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष के लिए ऋणों पर ईसीएल प्रावधान में 290.86 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है और तदनुसार कर–पूर्व लाभ में कमी आई है।

41 भारतीय लेखा मानक 108 – ''परिचालन खंड'' के अनुसार, व्यवसाय / भौगोलिक खंड की रिपोर्टिंग के संदर्भ में, कंपनी के परिचालन में वित्तपोषण का केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 108 के अनुसार कोई रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

42 कंपनी द्वारा जारी किए गए और 31 मार्च 2025 तक बकाया सभी प्रतिभूति बांडों और डिबेंचर पर, कंपनी और/या कंपनी के स्वामित्व वाली सरकारी प्रतिभूतियों के प्राप्य पर फ्लोटिंग चार्ज के माध्यम से मूलधन और ब्याज के प्रति 100 प्रतिशत सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में

43 कंपनी ने वर्ष 2000–01 के दौरान, डीएसक्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 7,20,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए 'कैश ऑन पेआउट' योजना के अंतर्गत कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज (सीएसई) के माध्यम से एक ग्राहक के साथ 2,441 लाख रुपए का लेनदेन किया था। सीएसई द्वारा उक्त लेनदेन की पुष्टि की गई, जिसके आधार पर बाद की दिनांक के चेक जारी किए गए। कंपनी ने चेकों का भुगतान उनकी नियत तिथि से पहले रोक दिया क्योंकि अंतर्निहित व्यापारिक लेनदेन को सीएसई द्वारा अवैध और अस्वीकृत बताया गया था। बैंक ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कंपनी के प्रति माँग नोटिस जारी किया, जिसने उक्त चेकों के प्रति वित्तीय सहायता प्रदान की थी। बैंक ने कंपनी और ग्राहक से चक्रवृद्धि ब्याज सहित राशि की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में भी आवेदन दायर किया। कंपनी ने बैंक के दावे का विरोध किया। डीआरटी में बैंक का आवेदन खारिज कर दिया गया और केवल ग्राहक को ही उत्तरदायी ठहराया गया। बैंक और ग्राहक ने डीआरटी के आदेश के विरुद्ध ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अपील दायर की थी। डीआरएटी के 23 सितंबर, 2011 के आदेश द्वारा अपीलें स्वीकार कर ली गईं, जिसमें कहा गया था कि राशि पर 1 अगस्त, 2001 से 19 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, जिसमें वसूली तक तिमाही ब्याज शामिल होगा और बैंक को ग्राहक और कंपनी दोनों से राशि वसूल करने का अधिकार है। कंपनी ने 30 नवंबर, 2011 को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। इसलिए, कंपनी ने डीआरएटी आदेश, डीआरएटी के आदेश और डीआरटी के पीठासीन अधिकारी और वसूली अधिकारी द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र और मांग के नोटिस पर रोक लगाने की अंतरिम राहत न देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। उच्चतम न्यायालय ने 23 अप्रैल, 2012 के अपने आदेश के माध्यम से वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी और कलकत्ता उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि चार महीने के अंदर पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाए और कंपनी को आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर कलकत्ता उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में 3,000 लाख रुपए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अल्पकालिक जमा के रूप में जमा करने का निर्देश दिया। तदनुसार, कंपनी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में धनराशि जमा कर दी। पुनरीक्षण आवेदन खारिज कर दिया गया। कंपनी ने मई 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 मई, 2015 के अपने आदेश द्वारा निष्पादन कार्यवाही पर रोक लगा दी और कंपनी को रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालय के पास कंपनी के नाम से एक सावधि जमा रसीद जमा करने और रजिस्ट्रार के पक्ष में कम से कम 3,000 लाख रुपए की राशि का समर्थन करने का आदेश दिया। तदनुसार, कंपनी ने जमा राशि जमा कर दी। कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय (3,000 लाख रुपए) और उच्चतम न्यायालय (3,000 लाख रुपए) में जमा की गई 6,000 लाख रुपए की राशि को तुलन पत्र में ''अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां'' शीर्षक के अंतर्गत ''प्रतिभूति और अन्य जमा राशियाँ जिन्हें अच्छा माना जाता है'' उप–शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक को कलकत्ता उच्च न्यायालय में जमा 3,000 लाख रुपए ब्याज सहित निकालने की छूट दी गई थी, जो विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के अंतिम निर्णय के अधीन है। तदनुसार, बैंक को 3,804 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई। इसके अलावा, 12 अक्टूबर, 2015 के एक आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने बैंक को सर्वोच्च न्यायालय में जमा राशि से अर्जित ब्याज सहित 1,500 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि निकालने का निर्देश दिया।

तदनुसार, बैंक को 1,545 लाख रुपए की राशि जारी की गई। विशेष अनुमति याचिका को 8 फरवरी, 2017 को सिविल अपील में परिवर्तित कर दिया गया और मामला अंतिम निपटान के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध है। यह मामला जनवरी 2020 की साप्ताहिक सूची में शामिल था। वर्ष 2020 में कोई सुनवाई नहीं हुई थी और शीघ्र सुनवाई के विकल्प तलाशे गए। हालांकि, बैंक ने 06 दिसंबर, 2021 को मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया और सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को चार सप्ताह के समय में, लगभग 11 जनवरी, 2022 के आसपास सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। यह मामला अप्रैल 2023 की सूची में था और इसे अंतिम बार 19 अप्रैल, 2023 को सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें न्यायालय ने इसे 11 मई, 2023 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। हालाँकि, 11 मई, 2023 को यह मामला न्यायालय के बोर्ड तक नहीं पहुँचा। यह मामला जुलाई 2023 की मासिक सूची में अंतिम रूप से सूचीबद्ध था, लेकिन बोर्ड तक नहीं पहुँचा। मामला वर्तमान में अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।

44 यह पाया गया कि वर्ष 2022 में तीन मौजूदा ग्राहकों (अर्थात डीमैट खाताधारकों) के नाम पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और चुनाव पहचान पत्र जैसे फर्जी/जाली पहचान दस्तावेज उपलब्ध कराकर तीन ट्रेडिंग खाते खोले गए। ट्रेडिंग खाते खोलने के बाद, मौजूदा ग्राहकों के डीमैट खातों में रखे शेयर बेच दिए गए और ट्रेडिंग खाते में पंजीकृत बैंक खातों में भुगतान कर दिया गया। स्टॉक होल्डिंग ने 12 सितंबर, 2023 को पुडुचेरी पुलिस अधिकारियों के पास एक समेकित शिकायत दर्ज कराई है।

निगम द्वारा 22 सितंबर, 2023 को बीमा कंपनियों के समक्ष कुल 55 लाख रुपए की हानि का दावा प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनी स्टॉक होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड ने भी अपनी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया है। कंपनी ने डीपी खाताधारकों को शेयर वापस कर दिए हैं। आवश्यक पुनर्बहाली के लिए शेयरों की खरीद पर हुई 56 लाख रुपए की हानि को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लेखा पुस्तकों में "भुगतान किए गए दावे" के रूप में दर्ज किया गया है। बीमा कंपनी ने एक सर्वेक्षक नियुक्त किया है और दावे का निपटान अभी बाकी है।

45 **स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के मामले में**

(क) कंपनी के महापे परिसर में 11 दिसंबर, 2017 को आग लगने की घटना घटी।

(ख) कंपनी को अपने ग्राहकों से दस्तावेजों के नुकसान के दावे प्राप्त हुए हैं। वास्तविक दावे का पता चलने तक, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक की लेखा बहियों में ऐसे दावे/आकस्मिक देयताएं और संबंधित बीमा दावे की जानकारी/प्रकटीकरण नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी कानूनी कार्रवाई में एक पक्षकार है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं है कि इन कार्रवाइयों के परिणाम उसकी वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। प्रबंधन के कानूनी सलाहकार द्वारा सलाह दी गई है कि कंपनी का मामला गुण–दोष के आधार पर ठोस है और माँगे गए मुआवजे के मिलने की संभावना बहुत कम है। इसलिए ऐसे दावों को भी आकस्मिक देयताओं के रूप में नहीं माना गया है।

(ग) भारी बारिश के कारण कंपनी का विजयवाड़ा परिसर 1 सितंबर, 2024 को भीषण बाढ़ में डूब गया। बाढ़ के पानी से कुछ परिसंपत्तियां और ग्राहक दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो गए। कंपनी को एक ग्राहक से दस्तावेजों के नुकसान का दावा प्राप्त हुआ है। वास्तविक दावे का पता चलने तक, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 तक की लेखा बहियों में ऐसे दावे/आकस्मिक देयताएं और संबंधित बीमा दावे की जानकारी प्रदान/प्रकट नहीं की है।

46 एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड के मामले में, कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81, 193 और 285 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (चौथी अदालत, गिरगांव, मुंबई) की अदालत से 06 मार्च, 2018 को सम्मन प्राप्त हुआ है, जो वित्तीय वर्ष 2008–09 से पहले हुआ था। कंपनी ने 11 सितंबर, 2018 को आरओसी और एनसीटीएल मुंबई के पास कंपाउंडिंग आवेदन दायर किए थे। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81 और 285 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 1.88 लाख रुपए प्रत्येक के कंपाउंडिंग शुल्क और धारा 193 के उल्लंघन के लिए 0.015 लाख रुपए के साथ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से कंपाउंडिंग आदेश प्राप्त हुआ है। सभी शुल्क का भुगतान कर दिया गया है और तुलन पत्र की तारीख पर आगे कोई देय नहीं है।

47 निम्नलिखित के मामले में

क आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) :–

क) कंपनी ने 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, प्रतिभूति रसीदों में अपने 2 निवेश और 3 ऋण परिसंपत्तियाँ अपनी होल्डिंग कंपनी को बेच दीं और इस असाइनमेंट के साथ, आईएफएल ने ऋण खातों/प्रतिभूति रसीदों का अपना पूरा पोर्टफोलियो सौंप दिया है। वर्तमान में, ऋण देने की कोई नई गतिविधियाँ नहीं की जा रही हैं। कंपनी अन्य स्रोतों और राजकोषीय आय से राजस्व अर्जित करना जारी रखे हुए है। आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड के लिए आगे की राह आईएफसीआई समूह की समग्र पुनरुद्धार योजना का हिस्सा है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के विचाराधीन है। इसलिए, कंपनी की एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता उसकी भविष्य की कार्ययोजना पर निर्भर करेगी।

ख आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) :–

क) सोनीपत भूमि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–2 ने गाँव–सेवली, जिला–सोनीपत, हरियाणा में स्थित संपत्ति के लिए पूर्ववर्ती कंपनी, यानी हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड (एचएसजीएल) द्वारा चूक की गई राशि की वसूली का आदेश दिया है। आईआईडीएल ने मेसर्स हरियाणा शीट ग्लास के पीएफ बकाये के बदले में सोनीपत स्थित संपत्ति की बिक्री के लिए ईपीएफओ के रोक आदेश के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की है। आईआईडीएल ने बिक्री विलेख के निष्पादन के लंबित रहने तक नीलामी कार्यवाही में संपत्ति बेची थी। माननीय न्यायालय ने ईपीएफओ द्वारा उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में उठाई गई मांग जमा करने पर संपत्ति की बिक्री और बिक्री विलेख के निष्पादन की अनुमति दी। अब मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

ख) कंपनी को एआईजी स्टाम्प गाजियाबाद से, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थित 21वीं माइलस्टोन रेजीडेंसी परियोजना की जमीन के लिए 150.02 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी कम चुकाने का नोटिस मिला है। माननीय उच्च न्यायालय ने कंपनी के पक्ष में स्थगन आदेश दे दिया है और मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है।

ग) कंपनी गाजियाबाद स्थित अपनी परियोजना 21वें माइलस्टोन रेजीडेंसी से संबंधित कई मामलों को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण/रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण / दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग / राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष लड़ रही है। सुमित गुप्ता के मामले में, रेरा प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया वसूली प्रमाणपत्र, जिसके विरुद्ध कंपनी ने आरईएटी के समक्ष अपील दायर की है। न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार, कंपनी ने 2.02 लाख रुपए की राशि जमा कर दी है। अन्य मामले संबंधित प्राधिकरण / न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

घ) मध्यस्थ ने 21.02.2022 को एक निर्णय पारित किया जिसमें कहा गया कि दावेदार को कुल 442.47 लाख रुपए का पात्र पाया गया है, जबकि आईआईडीएल द्वारा अपने प्रतिदावे के तहत एसबीटीएल से वसूल की जाने वाली राशि 200.61 लाख रुपए थी, जो आईआईडीएल द्वारा किए गए कार्य के लिए मेसर्स एसबीटीएल से उसकी प्रतिधारण राशि से वसूल की जाने वाली राशि और आईआईडीएल के प्रतिदावे के तहत वसूल की जाने वाली परिसमाप्त क्षति के रूप में 100 लाख रुपए थी। उक्त राशि को एसबीटीएल को देय राशि से समायोजित करने पर, एसबीटीएल केवल 141.87 लाख रुपए की राशि का पात्र होगा। तदनुसार, सभी विवादों और विवादों से उत्पन्न दावों व प्रतिदावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए मध्यस्थ द्वारा एसबीटीएल के पक्ष में 141.87 लाख रुपए का अधिनिर्णय पारित किया गया। साथ ही, एसबीटीएल के पक्ष में अधिनिर्णय राशि पर 5.08.2019 से अधिनिर्णय राशि के भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देय होगा। इसके अतिरिक्त, एसबीटीएल को मध्यस्थता कार्यवाही की आनुपातिक लागत 15 लाख रुपए की भी पात्रता होगी। यह राशि एसबीटीएल को 26–07–2022 को भुगतान की जाएगी। मामला जिला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

ङ) कंपनी द्वारा केरल के कोच्चि के पनमपिल्ली नगर में स्थित अपने आईआईडीएल एरी प्रोजेक्ट से संबंधित कई मामलों को केरल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण / केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग / भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा जारी है। ये मामले संबंधित प्राधिकरण / अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ग एमपीकॉन लिमिटेड :–

क) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 30,00,000 रुपए का अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है।

ख) कंपनी ने सीएसआर गतिविधि के रूप में वित्तीय वर्ष 2024–25 में पीएम केयर फंड में 10.78 लाख रुपए का योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी कंपनी पीएम केयर फंड में 6.05 लाख रुपए का योगदान देगी।

ग) जनशक्ति आपूर्ति कार्यों के मामले में, विभाग से प्रमाण पत्र / पुष्टि प्राप्त होने के बाद चालान जारी किए जाते हैं। जब विभाग में व्ययों को दर्ज किया जाता है तो आय को भी संबंधित अवधि में दर्ज किया जाता है।

घ) वर्कआउट देनदारियों के अंतर्गत 0.83 लाख रुपए की राशि दर्शाई गई है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त की गई राशि है, लेकिन प्राप्तियां ज्ञात नहीं हैं।

घ आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड :–

(i) सहायक कंपनी आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड के संबंध में, दुनिया भर में और भारत में कोविड–19 महामारी के प्रकोप ने वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण गिरावट और अस्थिरता और आर्थिक गतिविधियों में मंदी में योगदान दिया है। कोविड–19 के बाद लॉकडाउन के कारण सूचीबद्ध / उद्धृत इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों की कीमतों में कोई खास गिरावट नहीं आई है और शेयरों, म्यूचुअल फंडों और मार्जिन फंडिंग पोर्टफोलियो के खिलाफ ऋण में अंतर्निहित सुरक्षा मूल्य में कोई खास गिरावट नहीं देखी गई है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कंपनी ने उधारकर्ताओं के पिछले दौर के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रावधान बनाया है, तथा ऋण चूक का जोखिम, जो हमारे उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति में संभावित तनाव के कारण हो सकता है। इसके अलावा, महामारी से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण, वास्तविक प्रभाव वर्तमान अनुमानों के अनुरूप नहीं भी हो सकता है। कंपनी महामारी के प्रभाव के कारण भविष्य की आर्थिक स्थितियों में होने वाले किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव पर कड़ी नजर रखेगी। इसके अलावा, प्रभाव मूल्यांकन से कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

ङ आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

क) कंपनी पर आयकर विभाग के साथ कर निर्धारण वर्ष 2017–18 और 2019–20 के लिए दो मुकदमे लंबित हैं। इन मामलों में विवादित राशि क्रमशः 53.04 लाख रुपए और 505.07 लाख रुपए है। ये मामले वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी(ए)) के समक्ष लंबित हैं। हालाँकि, वित्तीय स्थिति पर इनके प्रभाव का अभी प्रकटन नहीं किया जा सकता है।

48 अनुसूची 3 के तहत आवश्यक अन्य अतिरिक्त विनियामक प्रकटीकरण

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) के मामले में

48 क) अचल संपत्ति के स्वामित्व विलेख :

तुलन पत्र में संगत लाइन मद	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	इनके नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या शीर्ष विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर, निदेशक के रिश्तेदार या प्रमोटर, निदेशक के कर्मचारी हैं	संपत्ति धारण करने की अवधि	कंपनी के नाम पर न होने का कारण और क्या संपत्ति विवादग्रस्त है
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	तिलक नगर में 18 फ्लैट – 9216 वर्ग फुट	1.11 करोड़ रुपए	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं	01.05.1993 से	संपत्ति का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है।
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	पंगूरवेल्ल, अरियुर राजस्व गांव, जिला – विल्लनपुर, पुडुचेरी (क्षेत्रफल 21.279 एकड़)	10.01 करोड़ रुपए	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा जारी बिक्री प्रमाण पत्र के माध्यम से)	नहीं	14 वर्ष और 08 महीने	सर्वेक्षण संख्या में से एक मंदिर की भूमि के रूप में चिन्हित की गई है, जिसके कारण पंजीकरण नहीं हो पाया है। आईआईडीएल संबंधित प्राधिकरण के साथ इस मुद्दे को सुलझाने की प्रक्रिया में है।

48 ख) i) पूंजीगत कार्य–प्रगति (एसएचसीआईएल) का आयु विश्लेषण :

करोड़ रुपए

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	मार्च 2025 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशियाँ				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
आईटी हार्डवेयर परिसंपत्तियाँ–डेस्कटॉप / ऐरे नेटवर्क / ओरेकल एक्साडाटा हार्डवेयर	**21.45**	**1.05**	-	-	22.50
कुल	**21.45**	**1.05**	**-**	**-**	**22.50**

Rs. Crores

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	मार्च 2024 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशियाँ				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं :– – शाखा में आंतरिक सज्जा	**0.24**	-	-	-	0.24
आईटी हार्डवेयर परिसंपत्तियाँ–उपकरण और सर्वर	**12.29**	-	-	-	12.29
कुल	**12.53**	**-**	**-**	**-**	**12.53**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ii) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का विवरण, जिसका पूरा होना अतिदेय है या 31 मार्च, 2025 तक इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है :

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
आईटी हार्डवेयर एसेट्स–एरे नेटवर्क	-	**1.05**	-	-

परियोजना का पूरा होना मूल योजना के अनुसार देरी से हुआ है। हालाँकि, परियोजना की लागत मूल योजना से अधिक नहीं हुई है।

पूंजीगत कार्य–प्रगति का विवरण, जिसका पूरा होना अतिदेय है या 31 मार्च, 2024 तक इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है :

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	-	-	-	-

परियोजना का पूरा होना मूल योजना के अनुसार देरी से हुआ है। हालांकि, परियोजना की लागत मूल योजना से अधिक नहीं हुई है।

48 ग) i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का आयु विश्लेषण (एसएचसीआईएल) :

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राशियां				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राशियां				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं : – उत्पाद सॉफ्टवेयर का विकास	-	0.23	-	-	0.23
कुल	-	0.23	-	-	0.23

ii) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण, जिनका पूरा होना विलंबित है या जिनकी लागत 31 मार्च, 2025 तक मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है :

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजनाएं : – उत्पाद सॉफ्टवेयर का विकास	-	**0.23**	-	-

परियोजना का पूरा होना मूल योजना के अनुसार देरी से हुआ है। हालांकि, परियोजना की लागत मूल योजना से अधिक नहीं हुई है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण, जिनका पूरा होना अतिदेय है या जिनकी लागत 31 मार्च, 2024 तक मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है :

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
प्रगति पर परियोजनाएं : – उत्पाद सॉफ्टवेयर का विकास	**0.23**	-	-	-

परियोजना का पूरा होना मूल योजना के अनुसार देरी से हुआ है। हालांकि, परियोजना की लागत मूल योजना से अधिक नहीं हुई है।

48 घ) आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

इन्वेंटरी के संबंध में मात्रात्मक जानकारी

विवरण	खरीद		बिक्री	
	चालू वर्ष			
	यूनिट (स्थान)	राशि	यूनिट (स्थान)	राशि
भूमि एवं भवन	-	-	-	-
मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-
मौजूदा संपत्तियों पर होने वाली अतिरिक्त लागत	-	-	-	-
कच्चा माल, उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.51	-	1.97
	पिछला वर्ष			
भूमि एवं भवन	-	-	-	0.54
मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-
मौजूदा संपत्तियों पर होने वाली अतिरिक्त लागत	-	-	-	-
कच्चा माल, उपभोग्य वस्तुएं और भंडार	-	0.53	-	1.77

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	आरंभिक स्टॉक		समापन स्टॉक	
	चालू वर्ष			
	यूनिट (स्थान)	राशि	यूनिट (स्थान)	राशि
भूमि एवं भवन	-	56.68	-	55.67
मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर	-	12.69	-	12.42
उपभोग्य वस्तुएं एवं भंडार	-	0.19	-	0.22
	पिछला वर्ष			
भूमि एवं भवन	-	57.95	-	69.37
मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-
कार्य प्रगति पर	-	13.21	-	-
उपभोग्य वस्तुएं एवं भंडार	-	0.23	-	0.19

टिप्पणी :

1. भूमि और भवन में विभिन्न क्षेत्रों की इकाइयाँ शामिल हैं, जिनके प्रकार / निर्माण / विकास के चरण के अनुसार अलग–अलग विवरण हैं, जिसके लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण हेतु इसे व्यक्तिगत रूप से वर्णनात्मक बनाना व्यावहारिक नहीं है।
2. उपभोग्य सामग्रियों और भंडारों में विभिन्न खाद्य एवं पेय, हाउसकीपिंग, डीजल और इंजीनियरिंग से संबंधित भंडार शामिल हैं, जिनके लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण हेतु इसे व्यक्तिगत रूप से वर्णनात्मक बनाना व्यावहारिक नहीं है।

48 (ड.) बेनामी संपत्ति :

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई और न ही कोई मामला लंबित है।

48 (च) चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारी

समूह ने वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के विरुद्ध बैंक या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है, सिवाय एसएचसीआईएल के मामले में और एसएचसीआईएल द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर तिमाही रिटर्न या वर्तमान परिसंपत्तियों के विवरण खाता बहियों के अनुरूप हैं।

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में

व्यापार प्राप्य / बही ऋण (वर्तमान परिसंपत्तियां) की प्रतिभूति के लिए उधार :

त्रैमासिक रिटर्न / विवरण का विवरण	बहियों के अनुसार व्यापार प्राप्य (करोड़ रुपए में)	बैंकों / वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत रिटर्न / विवरण के अनुसार व्यापार प्राप्य (करोड़ रुपए में)	मतभेद, यदि कोई हो
तिमाही - I	68.14	68.14	-
तिमाही - II	60.73	60.73	-
तिमाही - III	84.11	84.11	-
तिमाही - IV	54.19	54.19	-

48 (छ) जानबूझकर चूक करने वाले चूककर्ता :

कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

48 (ज) बंद कंपनियों के साथ संबंध :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत केवल मेसर्स हिरधाव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को सॉफ्टवेयर खर्च के रूप में भुगतान की गई 25.49 लाख रुपए की राशि को छोड़कर अन्य बंद की गई संस्थाओं के साथ कोई लेनदेन नहीं किया था। विक्रेता ने कंपनी को सूचित किया है कि उनका मामला माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष है और आगामी अवधि में इसकी स्थिति को नियमित कर दिया जाएगा।

48 (झ) क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण :

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का कोई व्यापार नहीं किया।

48 (ञ) कई स्तर की कंपनियों वाली कंपनियां :

एनबीएफसी होने के कारण कंपनी पर अधिनियम की धारा 2 का खंड (87) लागू नहीं है।

48 (ट) पुनर्गठन–योजना

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 तक के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पुनर्गठन–योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

48 (ठ) उधार ली गई निधियों का उपयोग :

(i) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) को कोई धनराशि उधार नहीं दी है या उनमें निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी(''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से निरूपित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा अथवा अन्तिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी प्रतिभूति या ऐसी ही कोई और गारंटी प्रदान की जाएगी।

(ii) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था(ओं) से कोई निधियां प्राप्त नहीं की है या उनमें निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी(''अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से निरूपित अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर ऋण दिया जाएगा या उनमें निवेश किया जाएगा अथवा अन्तिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी प्रतिभूति या ऐसी ही कोई और गारंटी प्रदान की जाएगी।

48 (ड) अघोषित आय :

वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी ऐसे लेन–देन के रूप में कोई आय प्रकट नहीं की है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य संगत प्रावधान), जब तक कि किसी योजना के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए उन्मुक्ति न हो।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

48 (ढ) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ प्रभार या संतुष्टि का पंजीकरण :

स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मामले में

पंजीकृत किए जाने वाले शुल्कों / शुल्कों की संतुष्टि का विवरण	राशि (रु.)	पंजीकरण की नियत तिथि	विलंबित
1994 में स्टॉक होल्डिंग द्वारा यूटीआई के पक्ष में लगाया गया प्रभार, जो 1998* में चुका दिया गया।	10,00,000.00	30-12-1994	नहीं
एमसीए वेबसाइट** के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक के पक्ष में प्रभार बनाया गया	2,75,000.00	22-09-1988	कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कोई शुल्क नहीं

*शुल्क का भुगतान हो चुका है और कंपनी एमसीए वेबसाइट से शुल्क हटाने की प्रक्रिया में है।

**शुल्क एमसीए वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, हालाँकि कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक के पक्ष में कोई शुल्क नहीं बनाया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसे छोड़कर, वैधानिक अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या शुल्क की संतुष्टि लंबित नहीं है।

49 कर्मचारी हित

कंपनी निम्नलिखित रोजगार पश्चात् योजनाओं का परिचालन करती है।

i. परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी पेंशन के संबंध में मासिक अंशदान करती है जो एक परिभाि ात अंशदान योजना है। कंपनी के पास निर्दिष्ट अंशदान करने के अलावा, कोई अन्य देयता नहीं है। अंशदान; जैसे ही वे प्रोद्भूत होते हैं, लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किए जाते हैं। इस अंशदान के संबंध में व्यय के रूप में मान्य राशि निम्नानुसार है :

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
पेंशन निधि में अंशदान	0.01	0.01
कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान	8.86	8.45
कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि में योगदान	6.34	5.54

ii परिभाषित लाभ योजना

क. ग्रेच्युटी

कंपनी के पास भारत में एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है, जो आईएफसीआई ग्रेच्युटी विनियम, 1968 द्वारा शासित की जाती है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। यह परिभाषित लाभ योजना कंपनी को दीर्घावधि जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम जैसे बीमांकिक जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है। योजना परिसंपत्तियों का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन और ग्रेच्युटी के लिए परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2025 तक किया गया था। परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत और पिछली सेवा लागत, अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके मापी गई थी।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी ग्रेच्युटी योजना और तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	8.50	19.52

(क) निधिकरण

योजना पूरी तरह से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा निधिकृत है। निधिकरण अपेक्षाएं योजना की निधिकरण नीतियों में निर्दिष्ट ग्रेच्यूटी निधि के बीमांकक मूल्यांकन संरचना पर आधारित हैं। योजना की निधि व्यवस्था निधिकरण प्रयोजनों के लिए पृथक बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है जिसके लिए पूर्वानुमान, नीचे भाग ड में दिए गए पूर्वानुमानों से भिन्न हो सकते हैं। कर्मचारी इस योजना में अंशदान नहीं करते।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी योजना में अनुमानित अंशदान 1.25 करोड़ रुपए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाि ात लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/ देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	83.87	64.35	19.52	76.98	70.38	6.60
वर्तमान सेवा लागत	5.54	-	5.54	4.91	0.13	4.79
कर्टेलमेंट लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	1.96	0.07	1.89			
ब्याज लागत (आय)	6.18	(5.57)	0.61	5.87	1.90	3.98
	13.68	**(5.50)**	**8.04**	**10.79**	**2.02**	**8.76**
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्न से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ) :						
– जनसांख्यिकीय अनुमान	0.03	-	0.03	1.07	-	1.07
– वित्तीय अनुमान	2.75	(0.01)	2.76	5.01	(0.01)	5.02
– अनुभव समायोजन	(5.18)	0.55	(5.73)	(0.96)	(0.46)	(0.50)
– योजना परिसम्पत्तियों पर	-	0.05	(0.05)	-	0.10	(0.10)
	(2.40)	**0.59**	**(2.99)**	**5.12**	**(0.38)**	**5.50**
नियोक्ता द्वारा अदा किया गया अंशदान	-	2.84	(2.84)	-	2.98	(2.98)
प्रदत्त लाभ	(8.05)	(7.65)	(0.40)	(9.02)	(10.66)	1.64
	(8.05)	**(4.81)**	**(3.24)**	**(9.02)**	**(7.68)**	**(1.34)**
वर्ष के अन्त में शेष	**87.09**	**78.60**	**8.50**	**83.87**	**64.35**	**19.52**

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
जीवन बीमा निगम के साथ निवेश	100%	100%

समूह द्वारा वार्षिक आधार पर परिसंपत्ति–देयता मिलान अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत समूह देयता जोखिम का प्रबंधन करने के लिए योजना प्रबंधक (बीमाकर्ता) को बीमांकिक देयता में निवल वृद्धि का योगदान देती है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख में प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
छूट दर	6.79%	7.21%
आगामी वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%
निकासी दर		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	60	60
मृत्यु दर	आईएएलएम(2012–14)	आईएएलएम (2012–14)

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी में एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाया गया है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत घट–बढ़)	(11.34)	12.37	(1.06)	1.15
आगामी वेतन वृद्धि (0.50 प्रतिशत घट–बढ़)	12.32	(11.37)	1.15	(1.06)

यद्यपि विश्लेषण में इस योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, इसलिए यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मृत्यु दर एवं निकासियों के कारण संवेदनशीलता महत्वपूर्ण नहीं होती है और इसलिए इसके कारण परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित नहीं किया जाता।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(च) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
0 से 1 वर्ष	0.91	3.68
1 से 6 वर्ष	4.57	6.55
6 वर्ष से अधिक	16.15	14.53
कुल	**21.63**	**24.75**

31 मार्च, 2025 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.88 वर्ष (31 मार्च, 2024 : 12.74 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह समूह निम्नलिखित विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है–

वेतन वृद्धि : वास्तविक वेतन वृद्धि में योजना की देयता बढ़ेगी। आगामी मूल्यांकनों में वेतन वृद्धि दर पूर्वानुमान में वृद्धि से भी देयता बढ़ेगी।

निवेश जोखिम : यदि योजना को निधिकृत किया जाता है तो परिसम्पत्तियां देयताओं में असमानता हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल पिछली मूल्यांकन तारीख को अनुमानित छूट दर से कम हो जाता है, जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु संख्या दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में अनुमानित मामलों में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां : वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों की तुलना में उच्च या निम्न सिद्ध होती हैं, और निकासी दर में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

आईएफसीआई ने अपने कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। योजना के अनुसार, स्वैच्छिक कल्याण योजना (वीडब्ल्यूएस) के सदस्य कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों, उनके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों को दिए जाते हैं और प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता, हालांकि निर्धारित सीमा के अंदर और उस ग्रेड पर आधारित होती है जिसमें कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, इस शर्त के अधीन है कि संबंधित कर्मचारी का जीवनसाथी अपने नियोक्ता से कोई चिकित्सा लाभ, यदि कोई हो, नहीं ले रहा हो। चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति उस केंद्र के कर्मचारियों पर लागू दरों पर की जाती है जहाँ कर्मचारी सेवानिवृत्त के बाद रहता है, जो आईएससीआई द्वारा अपने कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय–समय पर प्रसारित दरों के अनुसार होता है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी चिकित्सा लाभ योजना एवं तुलन पत्र की तारीख को समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियां को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
निवल परिभाषित लाभ देयता	34.99	34.79

(क) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान :

निम्नलिखित सारणी निवल परिभा ित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटनों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखा मिलान को दर्शाती है :

	परिभाषित लाभ देयता	
	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
वर्ष के आरम्भ में शेष	34.79	32.11
वर्तमान सेवा लागत	0.08	0.09
कम किए गए लाभ/हानियों सहित पिछली सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत (आय)	2.51	2.37
	2.59	**2.46**
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)		
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ) :		
– जनसांख्यिकी अनुमान	-	-
– वित्तीय अनुमान	0.78	-
– अनुभव समायोजन	(2.59)	0.68
	(1.81)	**0.68**
प्रदत्त लाभ	(0.57)	(0.46)
	(0.57)	**(0.46)**
वर्ष के अन्त में शेष	**34.99**	**34.79**

(ख) योजना परिसम्पत्तियां

समूह में उक्त सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के संदर्भ में कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं थी।

वार्षिक आधार पर, समूह द्वारा परिसंपत्ति–देयता मिलान अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत समूह देयता जोखिम का प्रबंधन करने के लिए एक प्रतिबंधित निधि में बीमांकिक देयता में निवल वृद्धि का योगदान करता है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ग) बीमांकन अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकन पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
छूट दर	6.79%	7.21%
आगामी चिकित्सा लागत वृद्धि	3.00%	3.00%
निकासी दर :		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष तक	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सेवानिवृत्ति आयु (वर्ष में)	60	60
मृत्यु दर	आईएएलएम(2012–14)	आईएएलएम(2012–14)

(घ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, यह सारणी दर्शाती है कि परिभाि ात लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत घट–बढ़)	(1.15)	1.15	(1.14)	1.14

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(ङ) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
0 से 1 वर्ष	2.71	2.67
1 से 2 वर्ष	2.17	2.16
2 से 3 वर्ष	2.18	2.17
3 से 4 वर्ष	1.92	1.91
4 से 5 वर्ष	2.06	2.05
5 से 6 वर्ष	1.60	1.59
6 वर्ष से अधिक	22.34	22.24
कुल	**34.99**	**34.79**

31 मार्च, 2025 को परिभाि ात लाभ देयता के दौरान भारित औसत 8.27 वर्ष (31 मार्च, 2024 : 7.87 वर्ष) था।

(च) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कंपनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार दर्शाती है :

चिकित्सा लागत वृद्धि : वास्तविक चिकित्सा लागत में प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति में वृद्धि इस योजना की देयता को बढ़ाएगी। सेवानिवृत्त प्रति व्यक्ति पूर्वानुमान दर में वृद्धि से भी चिकित्सा लागत में वृद्धि होगी।

निवेश जोखिम : यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं असमान हो जाती है तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम हो जाता है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यांकनों में छूट दर में कटौती से योजना की देयता बढ़ सकती है।

मृत्यु संख्या एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत देयता से कम अथवा अधिक साबित हो, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां : वास्तविक निकासियां, जो परवर्ती मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च अथवा कम सिद्ध हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

ग. भविष्य निधि

समूह की परिभाषित लाभ भविष्य निधि है जो आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि विनियमनों द्वारा अधिशासित है। भविष्य निधि मासिक अंशदान राजस्व के प्रति प्रभारित किया जाता है। आईएफसीआई संगत वर्ष हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अधिसूचित दर पर भविष्य निधि शेष पर ब्याज अदा कर रहा है। भविष्य निधि को विधिवत रूप से गठित एवं मान्य प्रशासकों के जरिए नियंत्रित किया जाता है। आईएफसीआई कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासकों की समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में पीएफ देयता के प्रति निर्दिष्ट निवेश किए जाने को अनुमोदित किया हैं। इस प्रयोजनार्थ, निवेशों को ईपीएफओ तथा ईपीएफ छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निवेश स्वरूप को अधिसूचित करने सम्बन्धी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसरण में पीएफ देयता के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है।

इस संबंध में प्राप्त बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर निम्नलिखित सारणी भविष्य निधि योजना की स्थिति एवं तुलनपत्र की तारीख में समूह के वित्तीय विवरणों में मान्य राशियों को दर्शाया गया है :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
निवल परिभाषित लाभ देयता / (परिसंपत्ति)	(7.51)	2.77

(क) निधिकरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कम्पनी ने अपने कुछ निवेशों को भविष्य निधि देयता के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों, म्युचूअल फण्ड में निर्दिष्ट किया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भविष्य निधि योजना में प्रत्याशित अंशदान 9.23 करोड़ रुपए है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ख) निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता का लेखा मिलान

निम्नलिखित सारणी निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति) देयता एवं इसके संघटकों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक के लेखा मिलान को दर्शाती है :

	31 मार्च, 2025 को			31 मार्च, 2024 को		
	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता	परिभाषित लाभ देयता	योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	निवल परिभाषित लाभ (परिसम्पत्ति)/देयता
वर्ष के आरम्भ में शेष	88.43	85.66	2.77	86.36	96.26	(9.90)
वर्तमान सेवा लागत	5.58	(5.67)	(0.09)	0.97	-	0.97
ब्याज लागत/(आय)	1.05	-	1.05	1.10	-	1.10
	6.63	**(5.67)**	**0.96**	**2.07**	**-**	**2.07**
पुनर्मूल्यांकन हानि (लाभ)						
– निम्नलिखित से उत्पन्न बीमांकन हानि (लाभ):						
– जनसांख्यिकीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
– वित्तीय अनुमान	-	-	-	-	-	-
– अनुभव समायोजन	(0.46)	-	(0.46)	-	-	-
– योजना परिसम्पत्तियों पर	-	-	-	-	0.97	(0.97)
	(0.46)	**-**	**(0.46)**	**-**	**0.97**	**(0.97)**
अन्य						
कर्मचारी द्वारा अदा किया गया अंशदान	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(29.03)	(29.03)	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	3.32	14.11	(10.79)	-	(11.57)	11.57
निपटान/अन्तरण	-	-	-	-	-	-
	(25.71)	**(14.91)**	**(10.79)**	**-**	**(11.57)**	**11.57**
वर्ष के अंत में शेष	**68.89**	**76.41**	**(7.51)**	**88.43**	**85.66**	**2.77**

(ग) योजना परिसम्पत्तियां

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	100%	100%

समूह द्वारा वार्षिक आधार पर, परिसंपत्ति–देयता मिलान अध्ययन किया जाता है, जिसके तहत समूह एक्चुरियल देयता में निवल वृद्धि को एक पूल में योगदान देती है, जो बदले में देयता जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निवेश करता है।

(घ) बीमांकक अनुमान

सूचना की तारीख को प्रमुख बीमांकक पूर्वानुमान (भारित औसत के रूप में व्यक्त) :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
छूट दर	6.79%	7.21%
खाता बही शेष पर अनुमानित सांविधिक ब्याज दर	8.25%	8.25%
निधि पर ब्याज अर्जन में अनुमानित वर्ष/चालू कमी	0.30%	0.30%
मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
अशक्तता	कोई नही	कोई नही
निकासी दर (आयु से संबंधित)		
30 वर्ष तक	1.00%	1.00%
31 से 44 वर्ष के बीच	1.00%	1.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	60	60

(ङ) महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों का संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित सारणी एक संगत बीमांकन पूर्वानुमान के संवेदी विश्लेषण को दर्शाती है, जिसमें अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखा गया है, इस सारणी में दर्शाया गया है कि परिभाषित लाभ देयता संगत बीमांकन पूर्वानुमानों, जो सूचना की तारीख को उपयुक्त रूप से संभव थे, में परिवर्तनों से कैसे प्रभावित हो सकते हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

	31 मार्च, 2025 को		31 मार्च, 2024 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50 प्रतिशत घट–बढ़)	(0.09)	0.09	(0.09)	0.10

यद्यपि विश्लेषण योजना में प्रत्याशित नकदी उपलब्धता के पूर्ण वितरण को हिसाब में नहीं लिया जाता, यह दर्शाए गए पूर्वानुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान उपलब्ध कराता है। मुद्रास्फीति दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर एवं जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

(च) आगामी वर्षों में परिभाषित लाभ योजना का अनुमानित परिपक्वता विश्लेषण :

	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1 वर्ष	3.05	23.76
2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच	18.99	13.30
6 से 10 वर्ष के बीच	16.45	16.45
10 वर्ष से अधिक	32.54	32.54
कुल	**71.03**	**86.05**

31 मार्च, 2025 को परिभाषित लाभ देयता की भारित औसत अवधि 12.88 वर्ष (31 मार्च, 2024 : 12.74 वर्ष) थी।

(छ) जोखिम प्रकटनों का विवरण

मूल्यांकन कुछेक पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं, जो स्वरूप में गतिशील एवं समयोपरि भिन्न होते हैं। इस तरह कंपनी विभिन्न जोखिमों को निम्नानुसार प्रदर्शित करता है–

निवेश जोखिम : यदि योजना निधिकृत होती तो परिसम्पति देयताएं असमान हो जाती हैं तथा परिसम्पतियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल अंतिम मूल्यांकन तारीख को मानित छूट दर से कम हो जाता है जिससे देयता प्रभावित हो सकती है।

छूट दर : परवर्ती मूल्यंकनों में छूट दर में कटौती योजना की देयता को बढ़ा सकती है।

मृत्यु दर एवं अशक्तता : वास्तविक मृत्यु एवं अशक्तता मामले, जो मूल्यांकन में स्वीकृत देयता में कम अथवा अधिक सिद्ध हों, देयता को प्रभावित कर सकते हैं।

निकासियां : वास्तविक निकासियां, जो बाद के मूल्यांकनों में अनुमानित निकासियों एवं निकासी दरों में परिवर्तन की बजाय उच्च या निम्न सिद्ध हो, योजना की देयता को प्रभावित कर सकती हैं।

iii. अन्य दीर्घ अवधि नियोजन लाभ

समूह अपने कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण लाभ तथा अवकाश किराया रियायत प्रदान करती है, जिसे आगामी वर्षों हेतु आगे बढ़ाया जा सकता है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियों हेतु लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि निम्नानुसार है–

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि		
अवकाश नकदीकरण	1.16	0.74
अवकाश किराया रियायत	10.21	0.89

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

50 सम्बद्ध पक्षकार प्रकटन

i. सम्बद्ध पक्षकार का नाम एवं संबंध का स्वरूप :–

संबंध का स्वरूप	सम्बद्ध पक्षकार का नाम
सहयोगी कम्पनियां *	आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन
	इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट
	बिक्री हेतु धारित सहयोगी कम्पनियां
	– किटको लि.
	– गति इंफ्रास्ट्रक्चर भासमे पावर प्रा. लि.
	– नागाई पावर प्रा. लि.
	– शिगा एनर्जी प्राइवेट लि.
	– वडराज सीमेंट लि.
	– वडराज एनर्जी (गुजरात) लि.

* 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कम्पनियों के खातों का समेकन नहीं किया गया। लेकिन भारतीय लेखांकन मानक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोगी कम्पनियों के नाम सम्बद्ध पक्षकार में दर्शाए गए है।

संयुक्त उद्यम	आईएफसीआई सीकामोर कैपिटल एडवाईजर्स प्रा. लि. (स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन)
सीएसआर क्रियाकलाप के लिए निगमित न्यास	आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	श्री राहुल भावे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (21 मार्च, 2025 से प्रभावी)
	श्री राहुल भावे, उप. प्रबंध निदेशक (21 मार्च, 2025 से पदमुक्त)
	श्री मनोज मित्तल – प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (27 जुलाई, 2024 से पदमुक्त)
	श्री जीतेन्द्र असाति (04 अप्रैल 2024 से प्रभावी)
	श्री सुरजीत कार्तिकेयन (04 अप्रैल, 2024 से प्रभावी)
	श्री सुनीत शुक्ला – मुख्य वित्तीय अधिकारी (11 अगस्त 2023 से प्रभावी)
	सुश्री प्रियंका शर्मा – कंपनी सचिव (16 सितंबर 2021 से प्रभावी)
	प्रो. नारायणस्वामी बालकृष्णन (30 अक्टूबर 2017 से प्रभावी)
	प्रो. अरविंद सहाय (30 अक्टूबर 2017 से प्रभावी प्रभावी)
	श्री सुरेंद्र बेहरा (09 नवंबर 2022 से प्रभावी)
	श्री अरविंद कुमार जैन (09 नवंबर 2022 से प्रभावी)
	श्री उमेश कुमार गर्ग (10 मई, 2023 से प्रभावी)
एक ही सरकार के नियंत्रण में कम्पनियां	कंपनी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। भारतीय लेखांकन मानक 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार कम्पनियां, जिन पर एक ही सरकार का नियंत्रण है अथवा संयुक्त नियंत्रण है अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें रिपोर्टिंग कंपनी और अन्य कम्पनियों को सम्बद्ध पक्षकार के रूप में समझा जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित कम्पनियों के संबंध में उपलब्ध छूट के लिए आवेदन किया है और स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किए हैं।

किटको	(i)	बैठने की फीस प्राप्त हुई	-	0.002
आईएफसीआई सोशल फाउण्डेशन ट्रस्ट	(i)	सीएसआर गतिविधियों के लिए योगदान	-	-
	(ii)	आईएफसीआई द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए वसूला गया / वसूली योग्य वेतन / अन्य अनुमानित व्यय	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ख. एक ही सरकार के नियंत्रण वाली कम्पनियां

सम्बद्ध पक्षकारों का नाम	लेन–देन का स्वरूप	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
सीईजीएसएससी, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन –एससी/एसटी के लिए क्रेडिट गारंटी फंड	0.37	0.34
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	कमीशन–एम सिप्स	4.12	3.45
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक्स	4.61	3.77
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	एजेंसी शुल्क एसपीईसीएस	4.16	5.37
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – बल्क ड्रग्स	0.85	1.23
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – मेडिकल डिवाइस	0.60	0.40
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – बल्क ड्रग्स पार्क	1.90	1.90
रसायन और उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार	योजना प्रबन्धन शुल्क – पीएलआई – मेडिकल ड्रग्स पार्क	0.76	0.76
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार	निगरानी एजेंसी शुल्क	4.29	3.02
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क – आईटी हार्डवेयर	2.03	3.55
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएलआई व्हाइट गुड्स	3.00	3.00
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएलआई ऑटो योजना	2.80	2.00
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएलआई एसीसी योजना	1.00	1.28
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएलआई टेक्सटाइल	3.50	3.50
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबंधन शुल्क –सेमीकंडक्टर फैब्स योजना	1.00	2.75
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबंधन शुल्क – फैब्स योजना प्रदर्शन	1.00	3.00
भारत सेमीकंडक्टर मिशन	योजना प्रबंधन शुल्क – कंपाउंड सेमीकंडक्टर/एटीएमपी/ओएसएटी योजना	2.34	2.91
योजना प्रबंधन शुल्क –पीएम ई–ड्राइव	योजना प्रबंधन शुल्क –पीएम ई–ड्राइव	7.07	-
योजना प्रबंधन शुल्क –ईएमपीएम 2024	योजना प्रबंधन शुल्क –ईएमपीएम 2024	5.35	-
भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसएमईसी)	भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसएमईसी)	4.19	-
केआईटीएस के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी शुल्क	केआईटीएस के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी शुल्क	1.08	-
नगर विमानन मंत्रालय (एमओसीए)	योजना प्रबंधन शुल्क – ड्रोन और ड्रोन घटक	1.96	1.16
भारी उद्योग मंत्रालय	योजना प्रबंधन शुल्क – एफएएमई ।।	-	15.93
एसडीएफ, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार	एजेंसी कमीशन – चीनी विकास कोष	9.35	5.87
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	प्राप्त परामर्श एवं मूल्यांकन शुल्क	0.09	0.09
केंद्र सरकार	जी–सेक और टी बिल पर ब्याज आय	29.67	18.98
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	किराए से आय	3.36	3.37
कंपनी रजिस्ट्रार	किराए से आय	2.26	4.46
ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (पहले पोस्को)	किराए से आय	7.46	7.06
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	किराए से आय	0.29	0.29
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	किराए से आय	0.23	0.24
केनरा बैंक	किराए से आय	0.37	0.38
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	किराए से आय	-	2.88
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	किराए से आय	0.40	-
भारत सेमीकंडक्शन मिशन (डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन)		2.05	0.72

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मुआवजा

अल्पअवधि कर्मचारी लाभ	1.67	2.05
नियोजन के बाद परिभाषित लाभ	-	-
क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-
सेवा समाप्ति लाभ	-	-
बैठक में भाग लेने का शुल्क	0.30	0.26

शर्तें और निबंधन

इन संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन के मूल्य आर्म्सलेंथ आधार पर रखे गए हैं।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

51 पट्टे

क. पट्टेदार के रूप में पट्टा

पट्टे विशेष तौर पर 11 माह की अवधि के लिए होते हैं, इसमें उस अवधि के बाद पट्टे का नवीकरण करने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतानों को बाजार किरायों को दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर पुनः बातचीत की जाती है।

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
i.	**आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान**		
	वर्ष के अन्त में रद्द किए जाने वाले परिचालन पट्टों के आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :		
	(क) एक वर्ष से अधिक नहीं	0.17	0.23
	(ख) एक वर्ष से अधिक, परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	0.15	0.29
	(ग) पांच वर्ष से अधिक	-	-
ii.	**लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ**	4.97	4.84

ख. पट्टादाता के रूप में पट्टे

समूह अपने भवन को (निवेश सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत) परिचालन पट्टा आधार पर देती है। पट्टे सामान्य तौर पर 11 माह से 7 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं, जिसमें उस अवधि के बाद इसे नवीकृत किए जाने का विकल्प होता है। पट्टा भुगतान को बाजार किराए दर्शाने के लिए नियमित अन्तराल पर इसके लिए पुनः बातचीत की जाती है।

		31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
i.	**भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान**		
	वर्ष के अंत में रद्द न किए जाने वाले परिचालन पट्टों के तहत आगामी न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैं :		
	(क) एक वर्ष से अधिक नहीं	37.78	35.15
	(ख) एक वर्ष से अधिक, परन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	55.00	55.68
	(ग) पांच वर्ष से अधिक	11.78	8.17
			-
ii.	**लाभ अथवा हानि में मान्य राशियां**	44.17	42.74

52 प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)

			यूनिट	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
i	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ गणना			
		संगणना लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ			
		घटाएं: अधिमान लाभांश	करोड़ रुपए में	171.04	103.66
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ	करोड़ रुपए में	171.04	103.66
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	संख्या	2,61,48,90,017	2,48,96,13,863
ii	(क)	इक्विटी शेयरधारकों के लिए लाभ संगणना (संभावित शेयरधारकों सहित)			
		लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार निवल लाभ	करोड़ रुपए में	171.04	103.66
		घटाएं: अधिमान लाभांश	करोड़ रुपए में	171.04	103.66
		इक्विटी शेयरधारकों के लिए निवल लाभ (संभावित शेयरधारकों सहित)	संख्या	2,61,48,90,017	2,48,96,13,863
	(ख)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या			
		प्रति शेयर अर्जन			
		(भारित औसत)	रुपए	**0.65**	**0.42**
		मूल	रुपए	**0.65**	**0.42**
		तनुकृत			

53 परिचालन खण्ड

बोर्ड की मुख्य परिचालन निर्णायक (सीओडीएम) के रूप में पहचान की गई है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 108 "परिचालन खण्ड" में परिभाषित है। कंपनी के परिचालन खण्ड समूह के संघटकों के अनुरूप इस प्रकार स्थापित है कि भारतीय लेखांकन मानक 108 "परिचालन खण्ड" में दी गई परिभाषा के अनुसार मुख्य परिचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से इनका मूल्यांकन किया जाता है। समूह मुख्यतया वित्तपोषण करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 108 के अनुसार अंतरण अलग से किया जाने वाला कोई उल्लेखनीय खण्ड नहीं है।

क. उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में सूचना :

समूह केवल एक ही उत्पाद पर कार्य करती है अर्थात कारपोरेट ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। अतः इस पर पृथक प्रकटन किया जाना आवश्यक नहीं है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना :

समूह की सम्पूर्ण बिक्री उन ग्राहकों के लिए की जाती है, जो भारत में रहते हैं। समूह की परिसम्पत्तियां भी भारत में ही स्थित हैं।

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना (बाहरी ग्राहकों से) :

समूह ग्राहकों से राजस्व अर्जित नहीं करती, जो कि समूह के 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक राजस्व को दर्शाता हो।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

54 वित्तीय परिसम्पत्तियों का अन्तरण

सामान्य कारोबार करते हुए, समूह ऐसे लेन देन करती है जो ग्राहकों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के अन्तरण से होता है। टिप्पणी 2 में परिभाषित लेखांकन नीति के अनुसार अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियों को उनकी परिपूर्णता में अथवा कंपनी की निरन्तर अन्तर्ग्रस्तता की सीमा में मान्य किया जाता है अथवा उनकी परिपूर्णता में अमान्य किया जाता है।

समूह उन वित्तीय परिसम्पत्तियों को अन्तरित करती है जो अपनी परिपूर्णता में अमान्य नहीं हैं, जो मुख्यतया परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री के जरिए किया जाता है।

क. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें उनकी परिपूर्णता में अमान्य नहीं किया गया हैं

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण समूह (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री ऐसा लेनदेन हैं, जिनमें समूह गैर समेकित विशेष संस्था को ऋण एवं अग्रिम बेचती है और साथ ही साथ उक्त वाहन द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों के अधिकांश भाग को खरीदती है। प्रतिभूति प्राप्तियां वाहन द्वारा खरीदे गए ऋणों द्वारा संपार्श्विकीकृत होती हैं और इसलिए प्रतिभूति प्राप्तियों का नकद प्रवाह खरीदे गए ऋणों की वसूली पर निर्भर करता है।

समूह ऋणों की सम्पूर्णता में ऋण के उस भाग को निरन्तर मान्यता देती है, जिसके संबंध में समूह द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों का अभिदान किया गया है क्योंकि यह अन्तरित ऋण के उस भाग के संदर्भ में स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं प्रतिफलों को पूर्ण रूप में धारित रखता है। अन्तरित ऋण के भाग, जिसके लिए नकद प्रतिफल प्राप्त होता है, उसे अमान्य किया जाता है।

निम्नलिखित सारणी एक ऐसी अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्ति, जिसे पूरी तरह से अमान्य नहीं किया गया है, की वास्तविक राशि एवं उचित मूल्यों को और उससे जुड़ी देयताओं को दर्शाती है।

	रखरखाव राशि		उचित मूल्य		
	परिसम्पत्तियां– ऋण	देयताएं– उधार	परिसम्पत्तियां– ऋण	देयताएं– उधार	निवल स्थिति
परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री					
31 मार्च, 2025 को	366.83	-	537.24	-	537.24
31 मार्च, 2024 को	65.52	-	245.59	-	245.59

ख. अन्तरित वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें पूरी तरह से अमान्य किया गया हैं।

परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों (एआरसी) को एनपीए ऋणों की बिक्री

समूह ने इंड एएस को अपनाते समय अमान्य करने की छूट ली है और ऋणों को उनकी सम्पूर्णता में अमान्य करती है जिसके संबंध में समूह द्वारा प्रतिभूति प्राप्तियों में अभिदान किया गया है। समूह ने लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर बाद में मूल्यांकित प्रतिभूति प्राप्तियों में उक्त निवेश को वर्गीकृत किया है। 31 मार्च 2025 को प्रतिभूति प्राप्तियों पर उचित मूल्य लाभ/(हानि) (–) 22.93 करोड़ रु. है (31 मार्च 2024 को (–) 40.59 करोड़ रु.)। निम्नलिखित सारणी में उन परिसम्पत्तियों के ब्यौरों को दर्शाया गया है, जो पूरी तरह से अमान्य व अन्तरित की गई परिसम्पत्तियों के साथ समूह को निरन्तर जुड़ाव को प्रदर्शित करती है।

निम्नलिखित तालिका उन परिसंपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है जो हस्तांतरित परिसंपत्तियों के साथ समूह की सतत भागीदारी को दर्शाती है, जिनकी सम्पूर्ण मान्यता समाप्त कर दी गई है।

	रखरखाव राशि	उचित मूल्य	
	परिसम्पत्तियां–प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	परिसम्पत्तियां–प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश	देयताएं
परिसम्पत्ति पुनर्सरचना कम्पनियों (एआरसीज) को एनपीए ऋणों की बिक्री			
31 मार्च, 2025 को	6.32	6.32	-
31 मार्च, 2024 को	60.98	60.98	-

55 वित्तीय प्रलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. श्रेणी के तहत वित्तीय प्रलेख

निम्नलिखित सारणी में वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की रखरखाव राशि एवं उचित मूल्यों को दर्शाया गया है।

	31 मार्च, 2025 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां :			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	659.91
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	-	-	4,855.45
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	210.93
ऋण	-	-	1,361.30
निवेश	1,146.20	14,041.64	134.90
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	1,248.30
	1,146.20	**14,041.64**	**8,470.79**
वित्तीय देयताएं :			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
ट्रेड देयताएं	-	-	428.29
अन्य देय	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	10.48
अधीनस्थ देयताएं	-	-	744.67

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	5,394.34
	-	**-**	**6,577.78**

	31 मार्च, 2024 को		
विवरण	**एफवीटीपीएल**	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:			
नकद एवं नकद समकक्ष	-	-	1,298.10
उपरोक्त के अलावा बैंक शेष	-	-	3,748.28
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-
प्राप्य राशियां	-	-	306.33
ऋण	-	-	1,363.15
निवेश	1,150.40	7,458.75	68.78
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	1,410.28
	1,150.40	**7,458.75**	**8,194.93**
वित्तीय देयताएं :			
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख			-
ट्रेड देयताएं	-	-	462.95
अन्य देय	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	4,276.21
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	-	-	346.10
अधीनस्थ देयताएं	-	-	774.67
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	5,039.25
	-	**-**	**10,899.18**

ख. मूल्यांकन रूपरेखा

संबंधित परिचालन विभाग वित्तीय सूचना के प्रयोजनार्थ तिमाही सूचना अवधि के लिए या तो बाहरी रूप से या फिर आन्तरिक रूप से अपेक्षित वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन तकनीकों का उद्देश्य एक उचित मूल्य माप पर पहुंचना है जो उस मूल्य को दर्शाता है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

समूह निम्नलिखित उचित मूल्य अनुक्रम का प्रयोग करते हुए उचित मूल्यों का मूल्यांकन करती है, जो मूल्यांकन करने में प्रयोग किए गए इनपुट्स के महत्व को दर्शाता है।

स्तर 1 : इनपुट, जो एक जैसी परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में बाजार मूल्यों (असमायोजित) को उद्धृत करता है।

स्तर 2 : वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्य का निर्धारण ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करके किया जाता है, जिनकी सक्रिय बाजार में ट्रेडिंग नहीं की जाती, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप में उल्लेखनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करती है जैसे कि वित्तीय प्रलेखों की पर्याप्त पूर्ण अवधि के लिए सक्रिय बाजारों में एक जैसी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का उद्धृत मूल्य, परन्तु स्तर–1 इनपुट के रूप में मान्य नहीं, है। यदि उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट, जिसमें प्रलेख महत्वपूर्ण हो, प्रलेख को स्तर–2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि एक अथवा एक से अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधरित नहीं होता है, तो प्रलेखों को स्तर–3 में शामिल किया जाता है। अर्थात स्तर–3 इनपुट में उस जोखिम को वहन करने की दिशा में बाजार भागीदारों द्वारा अपेक्षित जोखिम और जोखिम प्रीमियम के बारे में बाजार भागीदारों के पूर्वानुमान शामिल हैं। यह परिस्थितियों में उपलब्ध उत्कृष्ट जानकारी के आधार पर स्तर–3 इनपुट तैयार करता है।

उचित मूल्य अनुक्रम

यह भाग वित्तीय प्रलेखों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए आकलनों एवं अनुमानों को स्पष्ट करता है, जो इस प्रकार हैं :

(क) उचित मूल्य पर मान्य और मूल्यांकित तथा

(ख) परिशोधित लागत पर मूल्यांकित और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता है।

उचित मूल्य के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुटों की विश्वसनीयता के बारे में संकेतन प्रदान करने के लिए समूह ने अपने वित्तीय प्रलेखों का लेखांकन मानक के अधीन निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकरण किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया है।

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2025 को	**स्तर–1**	**स्तर–2**	**स्तर–3**	**कुल**
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-		-
निवेश	278.52	117.27	14,926.96	15,322.75
	278.52	**117.27**	**14,926.96**	**15,322.75**
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-	-	-
	-	-	-	-

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2025 को	परिशोधित लागत	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,361.30			1,361.30	1,361.30
	1,361.30	**-**	**-**	**1,361.30**	**1,361.30**
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	-			-	-
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	10.48		10.48		10.48
अधीनस्थ देयताएं	744.67			744.67	744.67
	755.15	**-**	**10.48**	**744.67**	**755.15**

उचित मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय परिसम्पत्तियां एवं देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मूल्यांकन

31 मार्च, 2024 को	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख	-	-		-
निवेश	791.81	170.59	7,715.53	8,677.93
	791.81	**170.59**	**7,715.53**	**8,677.93**
वित्तीय देयताएं:				
डेरिवेटिव वित्तीय प्रलेख		13.94		13.94
	-	**13.94**	**-**	**13.94**

परिसम्पत्तियां एवं देयताएं, जिन्हें परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसके लिए उचित मूल्यों को प्रकट किया जाता है

31 मार्च, 2024 को	परिशोधन लागत	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां:					
ऋण	1,363.15			1,363.15	1,363.15
	1,363.15	**-**	**-**	**1,363.15**	**1,363.15**
वित्तीय देयताएं:					
ऋण प्रतिभूतियां	4,276.21			4276.21	4276.21
उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	346.10		346.10		346.10
अधीनस्थ देयताएं	744.67			774.67	774.67
	5,366.98	**-**	**346.10**	**5020.88**	**5366.98**

रखरखाव मूल्य पर मूल्यांकित वित्तीय प्रलेख

तुलनपत्र पर कुछेक वित्तीय प्रलेखों का वास्तविक मूल्य उनके उचित मूल्य पर अनुमानित होता हैं। इन वित्तीय प्रलेखों में हस्तगत नकदी, अन्य बैंकों में शेष ट्रेड से प्राप्य, ट्रेड देयताएं तथा कुछेक अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं शामिल हैं। रखरखाव मूल्यों को इन वित्तीय प्रलेखों के संबंध में अनुमानित उचित मूल्यों हेतु स्वीकार किया गया था, क्योंकि वे अल्प अवधि स्वरूप के होते हैं और उनकी अभिलेखबद्ध राशियां अनुमानित उचित मूल्य की होती हैं अथवा मांग पर प्राप्य एवं देय होती हैं।

उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय उपकरण और परिशोधित लागत पर किए गए वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य

प्रकार	मूल्यांकन तकनीक	महत्वपूर्ण अप्रयुक्त इनपुट
अनुद्धृत इक्विटी प्रतिभूतियां	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कंपनी तुलनीय पद्धति / रियायती नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/रियायती दर
अधिमान शेयर	निवल परिसम्पत्ति मूल्य/कंपनी तुलनीय पद्धति / रियायती नकद प्रवाह	पूंजी की भारित औसत लागत/रियायती दर
ऋण	रियायती नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें
ऋण प्रतिभूतियां	रियायती नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें
उधार (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	रियायती नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें
अधीनस्थ देयताएं	रियायती नकद प्रवाह	भावी नकद प्रवाह, रियायती दरें

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

ii) स्तर–3 उचित मूल्य

स्तर–3 उचित मूल्यों का लेखामिलान

निम्नलिखित सारणी में स्तर–3 उचित मूल्यों के संबंध में प्रारम्भिक शेष से अन्त शेष तक लेखामिलान को दर्शाया गया है :

विवरण	वरीयता शेयरों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश
31 मार्च 2024 को शेष	25.05	-	7,690.48
कुल लाभ अथवा हानियां:	-	-	-
– लाभ अथवा हानि में	-	-	7,211.43
– ओसीआई में	-	-	-
खरीद	-	-	-
निपटान	-	-	-
स्तर – 3 में अन्तरित	-	-	-
31 मार्च 2025 को शेष	**25.05**	**-**	**14,901.91**

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है :

विवरण	वरीयता शेयरों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	7,211.43
अन्य राजस्व			
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) – उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	-	-
लाभ अथवा हानि–वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन :			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	7,211.43

विवरण	वरीयता शेयरों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश
31 मार्च 2023 को शेष	3.95	-	**7,273.43**
कुल लाभ अथवा हानियां:	-	-	-
– लाभ अथवा हानि में	21.10	-	389.25
– ओसीआई में	-	-	-
खरीद	-	-	-
निपटान	-	-	27.79
स्तर – 3 में अन्तरित	-	-	-
31 मार्च 2024 को शेष	**25.05**	**-**	**7,690.48**

उपरोक्त सारणी में वर्ष हेतु कुल लाभ अथवा हानियों को लाभ अथवा हानि और ओसीआई के विवरण में निम्नानुसार दर्शाया गया है :

विवरण	वरीयता शेयरों में निवेश	अन्य समग्र आय के जरिए उचित मूल्य पर इक्विटी शेयर	अनकोटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश
लाभ अथवा हानि में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	21.10	-	389.25
अन्य राजस्व			
ओसीआई में मान्य कुल लाभ अथवा हानियां :			
– उचित मूल्य रिजर्व (इक्विटी प्रलेख) – उचित मूल्य में निवल परिवर्तन	-	-	-
लाभ अथवा हानि–वर्ष के अंत में धारित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं से संबंधित अवसूलीकृत लाभ एवं हानि में परिवर्तन :			
– उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय प्रलेखों से निवल उचित मूल्य परिवर्तन	21.10	-	361.46

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

56 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह के क्रियाकलाप मुख्यतया मौजूदा प्रबंधन समिति के प्रबंधन हेतु क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के अधीन होते हैं। समिति का कार्य इन जोखिमों की पहचान करना, मॉनीटर करना, व्यवस्थित करना तथा इन जोखिमों में कमी लाना है। समूह यह भी सुनिश्चित करती है कि यह आन्तरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन करती है, विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करती है और पर्याप्त ऋण प्रलेखन का रखरखाव करती है।

अपने उधार क्रियाकलाप के संबंध में समूह ने जोखिमों को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न सीमाएं और प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित अन्तराल पर तथा तदर्थ आधार पर विभिन्न रिपोर्टें तैयार की जाती है और ये वरिष्ठ प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है, जिससे जोखिम मॉनीटरिंग में मदद मिलती है। कंपनी ने किसी उल्लंघन के मामले में जोखिमों को कम करने के लिए भी प्रक्रियाएं बनाई हैं।

क. जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

जोखिम प्रबंधन संरचना की स्थापना एवं निरीक्षण की पूरी जिम्मेदारी समूह के निदेशक बोर्ड की है। निदेशक बोर्ड ने निदेशकों की जोखिम प्रबंधन एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीडी) बनाई है, जो समूह की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीतियों को तैयार करने और मॉनीटर करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालकों की जोखिम एवं परिसम्पत्ति देयता प्रबंधन समिति (आरएएलएमसीई) द्वारा निरीक्षण कार्य में आरएएलएमसीडी की सहायता की जाती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं की नियमित पुनरीक्षा करता है, जिसके परिणामों की सूचना मासिक आधार पर आरएएलएमसीई को दी जाती है।

ख. क्रेडिट जोखिम

ऋणों एवं अग्रिमों, नकद एवं नकद समकक्ष, ऋण प्रतिभूतियों में निवेश तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में जमा और किसी अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों से क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होते हैं।

क्रेडिट जोखिम, कंपनी को वित्तीय हानि का जोखिम होता है, यदि कोई ग्राहक अथवा वित्तीय प्रलेखों का प्रतिपक्षकार संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहता है और ये मुख्यतया ग्राहकों को कंपनी के ऋणों एवं अग्रिमों से, व्यापार प्राप्यों से, ऋणों एवं ऋण प्रतिभूतियों में निवेशों से उत्पन्न होते हैं।

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

कंपनी के क्रेडिट जोखिम की संभावना मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक/देनदार की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होती है। तथापि, प्रबंधन उन कारकों पर भी विचार करता है, जो इसके ग्राहक आधार के क्रेडिट जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें उद्योग से संबद्ध चूक जोखिम, व्यवसाय विशिष्ट जोखिम, प्रबंधन जोखिम, पारगमन विशिष्ट जोखिम और परियोजना से संबंधित जोखिम शामिल हैं। किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को ''क्रेडिट क्षति'' माना जाता है, जब एक अथवा एक से अधिक घटनाक्रम घटित हो, जिनका वित्तीय परिसम्पत्ति के अनुमानित आगामी नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। साक्ष्य में निम्नलिखित उल्लेखनीय आंकड़े शामिल हैं, जिसकी वित्तीय परिसम्पत्ति क्रेडिट क्षतिपूर्ण है :

- निर्गमकर्ता या ऋणी की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- संविदा का उल्लंघन, जैसे कि चूक
- आर्थिक एवं संविदात्मक कारणों के लिए ऋणी का कर्जदाता, ऋणी की वित्तीय कठिनाई के संबंध में ऋणी को रियायत प्रदान करने, जिस पर ऋणदाता अन्यथा विचार नहीं करेगा।
- यह संभव हो रहा है कि ऋणी दिवालिया होने वाला है या फिर अन्य वित्तीय पुनर्गठन करने वाला है।
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसम्पति के सक्रिय बाजार का विलुप्त होना।
- भारी छूट पर वित्तीय परिसम्पति की खरीद अथवा उद्‌भूत जो उपगत क्रेडिट हानि को दर्शाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति ने एक क्रेडिट नीति बनाई है, जिसके तहत कंपनी के मानक भुगतान से पहले प्रत्येक नए ग्राहक की साख के संबंध में व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करता है और प्रदायगी शर्तों एवं निबंधनों के प्रस्ताव पेश करती है। कंपनी की पुनरीक्षा में न्यूनतम अनंतिम आन्तरिक रेटिंग, बाहरी रेटिंग, यदि वे उपलब्ध हो, पृष्ठभूमि सत्यापन, वित्तीय विवरण, आयकर विवरणी, क्रेडिट एजेंसी सूचना, उद्योग सूचना आदि शामिल है। प्रत्येक ग्राहक के लिए क्रेडिट सीमा निर्धारित की गई है और समय–समय पर इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यक हो, इसमें आशोधन किए जाते हैं। परिभा ित सीमा से अधिक के किसी भी ऋण के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना आवश्यक है।

ख) चूक की संभावना (पीडी)

चूक की संभावना (पीडी) वह संभावना दर्शाती है जिसमें ऋणी भविष्य में अपनी देयताओं में चूक करेगा। भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार ऋणी के स्तर आबंटन के आधार पर 12 माह की अवधि एवं जीवनकालिक अवधि के लिए पृथक चूक संभावना का उपयोग करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक 109 के लिए प्रयुक्त चूक संभावना में संस्थान के भावी राय को दर्शाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए (अर्थात इसमें कोई संरक्षणवाद अथवा आशावाद शामिल नहीं होना चाहिए)।

चूक की संभावना को आईएफसीआई की आंतरिक दायित्व रेटिंग से मैप किया जाता है।

ग) चूक की परिभाषा

चूक को भारतीय लेखाकंन मानक में परिभाषित नहीं किया गया है। कोई भी संस्था चूक की ऐसी परिभाषा का उपयोग करेगी जो उसके आन्तरिक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रयोजनों के अनुरूप हो और जिसे जब भी उपयुक्त हो गुणात्मक संकेतक माना जाए। यदि किसी ऋण को चूकग्रस्त माना जाता है और इसलिए उसे निम्नलिखित मामलों में ईसीएल परिकलनों के लिए स्तर–3 (क्रेडिट क्षतिग्रस्त) माना जाएगा :

- ऋणी के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंग्स का सीआर–9 अथवा सीआर–10 तक ह्रास होना (मूल रेटिंग एवं वर्तमान रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
- आरबीआई के विवेकसम्मत मानदण्डों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जा रही परिसम्पत्ति पर।
- ऋण मूल्य में क्षति वाली परिसम्पत्तियों की पुनर्संरचना पर।
- 90 दिन से अधिक अवधि तक देय परिसम्पत्तियों पर।

घ) चूक पर जोखिम (ईएडी)

चूक पर जोखिम (ईएडी) वित्तीय प्रलेखों की सकल रखरखाव राशि को दर्शाता है जो क्षति परिकलन के अधीन है।

ङ) चूक से हुई हानि (एलजीडी)

एलजीडी, किसी चूक की स्थिति में लेनदेन से होने वाले नुकसान का एक अनुमान है। एलजीडी निकालने के लिए, प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है और उनके वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

च) क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि

प्रत्येक सूचना तारीख को संस्था यह पता लगाएगी कि किसी वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से महत्त्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। यह निर्धारण करते समय संस्था प्रत्याशित क्रेडिट क्षति की राशि में परिवर्तन की बजाय वित्तीय प्रलेख की अनुमानित अवधि पर हुई चूक के जोखिम में परिवर्तन का उपयोग करेगी। यह निर्धारण करने के लिए संस्था रिपोर्टिंग तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम की तुलना आरंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय प्रलेख पर उत्पन्न चूक के जोखिम से करेगी और उचित एवं समर्थनीय सूचना को ध्यान में रखेगी, जो अनुचित लागत अथवा प्रयास के बिना उपलब्ध हैं, जो आरंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि का द्योतक है। चूंकि वित्तीय प्रलेख को रिपोर्टिंग तारीख पर ऋण जोखिम कम निर्धारित किया जाना है, अतः संस्था यह मान लेती है कि वित्तीय प्रलेख पर क्रेडिट जोखिम में आरंभिक मान्यता से विशेष तौर पर वृद्धि नहीं हुई है।

ऋणों एवं अग्रिम राशियों के लिए एसआईसीआर के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखा गया है :

– ऋणियों के आईएफसीआई आन्तरिक संयुक्त रेटिंगों का 3 रेटिंग ग्रेडों तक कम हो जाना (मूल रेटिंग एवं चालू रेटिंग के बीच तुलना की जाए)।
– ऋणियों की रेटिंग का निवेश ग्रेड से कम होना उप–निवेश ग्रेड में आ जाना;
– ऋण मूल्य में क्षति के बगैर परिसम्पत्तियों की पुनर्सरचना पर।
– 60 दिन से अधिक अतिदेय परिसम्पत्तियों पर।

छ) अनुमानित क्रेडिट हानियों हेतु प्रावधान

निम्नलिखित सारणी में चरण–1, 2 और 3 में ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिमों, ऋण प्रतिबद्धताओं, वित्तीय गारण्टियों, व्यापार प्राप्यों तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की अतिदेय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

	31 मार्च, 2025 को				
	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	पीओसीआई	कुल
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1–6 : कम–उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7–8 : उच्च जोखिम	-	80.92	-	-	80.92
ग्रेड 9–10 : हानि	-	-	4,286.05	-	4,286.05
अन्य	-	-	-	-	-
	-	**80.92**	**4,286.05**	-	**4,366.97**
हानि भत्ता	-	**(1.11)**	**(3,028.37)**	-	(3,029.48)
वहन मूल्य	-	**79.81**	**1,257.68**	-	**1,337.49**

परिशोधित लागत पर ट्रेड प्राप्य

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	कुल
6 माह से कम	66.50	0.00	66.50
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	3.25	0.35	3.60
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	14.13	1.51	15.64
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.42	0.16	1.58
3 वर्ष से अधिक	0.00	1.00	1.00
अन्य	-	-	-
	85.30	**3.02**	**88.32**
हानि भत्ता	-	-3.02	(3.02)
वहन मूल्य	**85.30**	**(0.00)**	**85.30**

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	कुल
6 माह से कम	24.11	-	24.11
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.09	-	0.09
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	-	-	-
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	1.22	65.97	67.19
अन्य	-	-	-
	25.42	**65.97**	**91.39**
हानि भत्ता	-	(65.97)	(65.97)
वहन मूल्य	**25.42**	-	**25.42**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	कुल
बीबीबी- से एएए	62.53	-	-	62.53
बीबी- से बीबी+	-	-	-	-
बी- से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	-	-
	62.53	-	-	62.53
हानि भत्ता		-	-	-
परिशोधित लागत	**62.53**	**-**	**-**	**62.53**
उचित मूल्य	**56.67**	**-**	**-**	**56.67**

	31 मार्च, 2025 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	कुल
ऋण प्रतिबद्धताएं और वित्तीय गारंटी संविदा-अन्य					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7-8 : उच्च जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	45.81	-	45.81
	5.71	-	45.81	-	51.52
हानि भत्ता	(0.04)	-	(14.56)	-	(14.60)
वहन मूल्य	**5.67**	**-**	**31.25**	**-**	**36.92**

	31 मार्च, 2024 को				
	स्टेज-1	स्टेज-2	स्टेज-3	पीओसीआई	कुल
परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम					
ग्रेड 1-6 : कम-उचित जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 7-8 : उच्च जोखिम	-	85.75	-	`	85.75
ग्रेड 9-10 : हानि	-	-	3,296.26	-	3,296.26
अन्य	-	-	-	-	-
	-	**85.75**	**3,296.26**	**-**	**3,382.01**
हानि भत्ता	**-**	**(17.84)**	**(2,554.25)**	-	(2,572.09)
वहन मूल्य	**-**	**67.91**	**742.01**	**-**	**809.92**

परिशोधित लागत पर व्यापार ट्रेड

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	कुल
6 माह से कम	76.68	-	76.68
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	14.53	0.77	15.30
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	10.61	0.56	11.17
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	1.82	0.10	1.92
3 वर्ष से अधिक	-	2.16	2.16
अन्य	-	-	-
	103.64	3.59	107.23
हानि भत्ता	-	(3.59)	(3.59)
वहन मूल्य	**103.64**	**-**	**103.64**

परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां

	जीवनकालिक	क्रेडिट क्षतिग्रस्त	कुल
6 माह से कम	39.21	-	39.21
6 माह से अधिक, 1 वर्ष से कम	0.22	-	0.22
1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम	0.03	-	0.03
2 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से कम	2.25	-	2.25
3 वर्ष से अधिक	-	69.72	69.72
अन्य	-	-	-
	41.71	**69.72**	**111.43**
हानि भत्ता	-	(69.72)	(69.72)
वहन मूल्य	**41.71**	**-**	**41.71**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

एफवीटीओसीआई में ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	कुल
बीबीबी– से एएए	561.71	-	-	561.71
बीबी– से बीबी+	-	-	-	-
बी– से बी+	-	-	-	-
सी से सीसीसी+	-	-	-	-
डी	-	-	-	-
	561.71	-	-	561.71
हानि भत्ता	-	-	-	-
परिशोधित लागत	**561.71**	**-**	**-**	**561.71**
उचित मूल्य	**570.54**			**570.54**

	31 मार्च, 2024 को				
	स्टेज–1	स्टेज–2	स्टेज–3	पीओसीआई	कुल
ऋण प्रतिबद्धताएं औरन वित्तीय गारंटी संविदाएं – अन्य					
ग्रेड 1–6 : कम–उचित जोखिम	5.71	-	-	-	5.71
ग्रेड 7–8 : उच्च जोखिम	-	-	-	-	-
ग्रेड 9–10 : हानि	-	-	45.81	-	45.81
	5.71	-	45.81	-	51.52
हानि भत्ता	(0.15)	-	(32.80)	-	(32.95)
वहन मूल्य	**5.56**	**-**	**13.01**	**-**	**18.57**

ज) ऋण और अग्रिम राशियों के संबंध में हानि भत्ते में परिवर्तन

परिशोधित लागत पर ऋण एवं अग्रिम

हानि भत्ते का लेखामिलान	जीवनकालिक प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता			
	12 माह की प्रत्याशित हानियों पर मूल्यांकित हानि भत्ता	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम विशेष वृद्धि हुई और क्रेडिट क्षति नहीं	वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिसके लिए क्रेडिट जोखिम में विशेष वृद्धि हुई और क्रेडिट क्षति हुइ	कुल
31 मार्च, 2023 को हानि भत्ता	**36.12**	**17.25**	**3,488.24**	**3,541.61**
स्टेज–1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज–2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज–3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल मूल्यांकन	(36.12)	0.59	968.13	932.60
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(522.84)	(522.84)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	(211.72)	(211.72)
छूट समाप्त	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को हानि भत्ता	**-**	**17.84**	**3,721.80**	**3,739.64**
स्टेज–1 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज–2 में अन्तरण	-	-	-	-
स्टेज–3 में अन्तरण	-	-	-	-
हानि भत्ते का निवल मूल्यांकन	1.11	(17.84)	(428.79)	(445.52)
उत्पादित अथवा खरीदी गई नई वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
वित्तीय परिसम्पत्तियां, जिन्हें अमान्य किया गया है	-	-	(264.64)	(264.64)
बट्टे खाते डाले गए	-	-	-	-
छूट समाप्त	-	-	-	-
जोखिम पैरामीटरों में परिवर्तन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 को हानि भत्ता	**1.11**	**-**	**3,028.37**	**3,029.48**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

झ) धारित संपार्श्विक एवं अन्य क्रेडिट संवर्धन

सभी ऋणियों को इस बात पर ध्यान दिए बिना कि ऋण प्रतिभूत है, कंपनी की आन्तरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहिए। उपर बताए गए संपार्श्विक प्रतिभूति के अतिरिक्त, कंपनी अन्य प्रकार के संपार्श्विक भी धारित करती है कि जैसे कि द्वितीय प्रभार और प्लवमान प्रभार, जिसके लिए विशेष मूल्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते। कंपनी में विनिर्दिष्ट श्रेणी के संपार्श्विक स्वीकार करने और क्रेडिट जोखिम कम करने की आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संपार्श्विक के प्रकार निम्नानुसार है :

1 अचल सम्पत्तियों का बंधक

2 चल सम्पत्ति का हाइपोथिकेशन

3 बैंक और सरकारी गारंटियां

4 प्रलेखों को गिरवी रखना, जिनकी मार्फत प्रवर्तक का अंशदान परियोजना में दिया गया है।

5 प्रवर्तक शेयरधारिता को गिरवी रखना

6 प्रवर्तकों की निगमित और व्यक्तिगत गारंटियां

ञ) शासन प्रणाली रूपरेखा

भारतीय रिजर्व बैंक की 13 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या डीओआर (एनबीएफसी).सीसी.पीडी.संख्या 109/22.10.106/2019–20 की अपेक्षा के अनुसार जहां मौजूदा आरबीआई बैंक मानदण्डों के अनुसार प्रावधान भारतीय लेखांकन मानकों के अधीन यथापरिकलित ईसीएल से अधिक होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के उपबन्धों के अनुसार पोर्टफोलियो के आधार पर प्रावधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आरबीआई बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार जहां भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन क्षति भत्ता आईआरएसीपी (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के अधीन अपेक्षित प्रावधन से कम होती है तो इसकी अन्तराल राशि को कर–पश्चात् निवल लाभ या हानि से एक अलग 'क्षति रिजर्व' में समायोजित किया जाएगा।

ग. नकदी जोखिम

संस्थान की देयताओं, जब भी वे देय होती हैं, को पूरा करने में असमर्थता की संभावना होने पर नकदी जोखिम होता है। समूह के परिप्रेक्ष्य से, यह मूल रूप से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के परिपक्वता पैटर्न में असमानता से उत्पन्न होता है। नकदी जोखिम के विश्लेषण में संस्थान की सतत् आधार पर सिर्फ नकदी स्थिति का मूल्यांकन करना शामिल नहीं होता बल्कि इस बात की जांच करना भी है कि विलग परन्तु मुश्किल दौर में निधियन अपेक्षाएं कैसे प्रभावित हो सकती हैं। निवल निधिकरण अपेक्षाओं को परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के आगामी स्वरूप के पूर्वानुमानों के आधार पर संस्थान के भावी नकदी उपलब्धता का विश्लेषण करके निर्धारित किया जाता है, जिन्हें परिपक्वता लैडर सुविधा का उपयोग करके विनिर्दिष्ट समय अवधि में वर्गीकृत किया जाता है और तब नकदी निर्धारण हेतु समय सीमा में संचयी निवल उपलब्धता को परिकलित किया जाता है।

वर्तमान में, निवल निधिकरण अपेक्षाओं के मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु, परिपक्वता लैडर तथा चुनिंदा परिपक्वता तारीखों को निधियों के संचयी अधिशेष या घाटे के परिकलन के प्रयोग को मानक टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित एएलएम प्रपत्र को अलग–अलग समय अवधियों में नकदी प्रवाह असमानता के मूल्यांकन हेतु उपयोग किया जा रहा है। नकदी उपलब्धता को परिसम्पत्तियों, देयताओं एवं ऑफ बैलेंस शीट मदों के प्रक्षेपित आगामी स्वभाव के आधार पर अलग–अलग समय अवधियों में रखा जाता है। उपरोक्त नकदी उपलब्धता के अलावा, संस्थान ऋणों की समय पूर्व अदायगियो, देयताओं को समय से पहले समाप्त करना और कुछेक प्रलेखों में दिए गए विकल्पों के उपयोग के प्रभाव का भी पता लगाएगा, जो निर्दिष्ट समय अवधि के बाद पुट/काल विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नकदी, बहिर्प्रवाह को उस तारीख में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिस तारीख को देयताएं देय होती हैं, देनदार पहले की तारीख को जल्दी समय पूर्व अदायगी करने के विकल्प का उपयोग कर सकता है अथवा आरंभिक तारीख की आकस्मिकताओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है।

इसके अलावा, कंपनी निम्नलिखित प्रकार के क्रेडिट श्रृंखलाओं का रखरखाव करती है :
– आईडीबीआई बैंक : 110 करोड़ रु. जो प्रति वर्ष 7.66 प्रतिशत आरओआई के साथ एफडी पर सुरक्षित है–
– एचडीएफसी बैंक : 16 करोड़ रु. जो महीने के आरओआई एमसीएलआर के साथ एमएफ के प्रति प्रतिभूत है।

घ. बाजार जोखिम

बाजार का जोखिम यह है कि वित्तीय साधनों के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा दरों और इक्विटी कीमतों जैसे बाजार कारकों में बदलाव के कारण उतार–चढ़ाव होगा। समूह बाजार जोखिम के जोखिमों को व्यापारिक या गैर–व्यापारिक पोर्टफोलियो में वर्गीकृत करता है और प्रत्येक पोर्टफोलियो का अलग–अलग प्रबंधन करता है। ऐसे जोखिमों का प्रबंधन और निगरानी वीएआर पद्धति के आधार पर की जाती है जो जोखिम चरों के बीच परस्पर निर्भरता को दर्शाती है। गैर–व्यापारिक स्थितियों का प्रबंधन और निगरानी अन्य संवेदनशीलता विश्लेषणों का उपयोग करके की जाती है। ऐसे सभी लेनदेन जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के भीतर किए जाते हैं।

क. बाजार–जोखिम – ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

कंपनी का कोई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो नहीं है।

ख. बाजार जोखिम – नॉन–ट्रेडिंग पोर्टफोलियो

(i) मुद्रा जोखिम

समूह मुद्रा जोखिम के प्रति इस हद तक संवेदनशील है कि जिन मुद्राओं में उधार लिया गया है और समूह की संबंधित कार्यात्मक मुद्राओं के बीच बेमेल है। समूह की कार्यात्मक मुद्रा रुपए है। आज की तारीख में, विदेशी मुद्रा उधार शून्य है।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

(ii) बाजार दर जोखिम

समूह बाजार दर जोखिम को कम करने के लिए फ्लोटिंग दर देयताओं एवं फ्लोटिंग दर परिसम्पत्तियों के अन्तराल को कम करने का प्रयास करती है। इसे फ्लोटिंग दर पर उधार लेने देने से समूह की प्रमुख उधार दर से जुड़ी दरों पर उधार देने से है, जिसे बाद में अन्य के बीच इसकी उधारों की लागत से जोड़ा जाता है। इसके अलावा, समूह की निवल ब्याज आय और समूह की इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव समझने के लिए, बाजार ब्याज दरों में बदलाव के प्रभाव का समय–समय पर विश्लेषण किया जाता है। मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण मासिक आधार पर तैयार किया जाता है और विभिन्न समयावधियों में अंतराल को समझने के लिए उसका विश्लेषण किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का प्रकटन

समूह के ब्याज दर वाले वित्तीय प्रलेखों की ब्याज दर प्रोफाइल, जैसा कि प्रबंधन को सूचित किया गया है, निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
स्थिर दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	35.60	79.46
वित्तीय देयताएं	3,778.06	5,118.62
परिवर्तनीय दर प्रलेख		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	1,337.48	1,306.39
वित्तीय देयताएं	-	334.25

स्थिर दर प्रलेखों हेतु उचित मूल्य संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन का लाभ एवं हानि विवरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सूचना की तारीख को उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा। यह विश्लेषण यह मानता है कि अन्य सभी परिवर्तन विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

परिवर्तनीय दर प्रलेखों हेतु नकदी प्रवाह संवेदी विश्लेषण

सूचना की तारीख को ब्याज दर में 100 आधार बिन्दुओं के उचित रूप से संभाव्य परिवर्तन से नीचे दर्शाई गई राशियों तक इक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि अथवा कमी होगी। इस विश्लेषण में यह माना जाता है कि अन्य सभी परिवर्तन, विशेषतः विदेशी मुद्रा विनियम दरें निरन्तर स्थिर बनी रहेंगी।

	लाभ अथवा हानि		इक्विटी, कर का निवल	
	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी	100 बीपी वृद्धि	100 बीपी कमी
31 मार्च, 2025				
परिवर्तनीय दर प्रलेख	-	-	-	-
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				
31 मार्च, 2024				
परिवर्तनीय दर प्रलेख	3.34	(3.34)	2.17	(2.17)
नकदी प्रवाह संवेदी (निवल)				

(iii) इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम वह जोखिम है जिसमें, इक्विटियों का उचित मूल्य इक्विटी सूचकांकों के स्तर में और व्यक्तिगत स्टॉकों के बाजार मूल्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी आती है। गैर–ट्रेडिंग इक्विटी मूल्य जोखिम प्रकटन उचित मूल्य पर वर्गीकृत इक्विटी प्रतिभूतियों से उत्पन्न होता है। इक्विटी मूल्य जोखिम कारोबार के प्रयोजन से रखी गई प्रतिभूतियों पर अधिक प्रयोज्य होता है। चूंकि कंपनी दीर्घ अवधि निवेशों पर बल देती है और वर्तमान निवेशों को (ट्रेडिंग प्रयोजनों हेतु धारित निवेश) निम्न स्तर रखा जाता है अतः आईएफसीआई में महत्वपूर्ण इक्विटी मूल्य जोखिम की संभावना नहीं हो सकती।

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

57 अन्य संस्थाओं में रुचि

क) सहायक कंपनियों में रुचि

i. 31 मार्च 2025 तक समूह की सहायक कंपनियों की स्थिति नीचे दी गई है। जब तक अन्यथा न कहा जाए, उनकी शेयर पूँजी केवल इक्विटी शेयरों से बनी है जो सीधे समूह के पास हैं, और स्वामित्व हितों का अनुपात समूह के पास मौजूद मताधिकार के बराबर है। निगमन या पंजीकरण का देश ही उनका मुख्य व्यवसाय स्थान भी है।

संस्था का नाम	निगमन देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व		गैर नियंत्रक हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		मुख्य क्रियाकलाप
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	
प्रत्यक्ष सहायक कम्पनियां						
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ)	भारत	98.59%	98.59%	1.41%	1.41%	संस्थागत सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देना
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल)	भारत	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रीयल इस्टेट क्षेत्र
आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल)	भारत	99.90%	99.90%	0.10%	0.10%	फैक्टरिंग सेवाएं, संबद्ध उत्पाद, सामान्य प्रयोज्य ऋण
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएफआईएन)	भारत	94.78%	94.78%	5.22%	5.22%	मर्चेंट बैंकिंग कारोबार
स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)	भारत	52.86%	52.86%	47.14%	47.14%	कस्टोडियन एवं डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट
एमपीकॉन लिमिटेड	भारत	79.72%	79.72%	20.28%	20.28%	परामर्शी सेवाएं
स्टैप डाउन सहायक कम्पनियां						
आईएफआईएन की सहायक कंपनी						
आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड – आईएफआईएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	भारत	94.78%	94.78%	5.22%	5.22%	विनिमय आधारित कमोडिटी ट्रेडिंग
आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड – आईएफआईएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	भारत	94.78%	94.78%	5.22%	5.22%	कोई व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं
आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड – आईएफआईएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	भारत	94.78%	94.78%	5.22%	5.22%	निधियों का विलयन, शेयरों तथा सम्पत्ति के प्रति ऋण एवं प्रोमोटर निधियन
आईआईडीएल की सहायक कंपनी						
आईआईडीएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड – आईआईडीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	भारत	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	रीयल स्टेट
एसएचसीआईएल की सहायक कंपनी						
एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड – एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	भारत	52.86%	52.86%	47.14%	47.14%	दलाली सलाहकारी सेवाएं
स्टॉकहोल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड– एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	भारत	52.86%	52.86%	47.14%	47.14%	प्रत्यक्ष अभिरक्षा सेवाएं, डिजीटाइजेशन और सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री
स्टॉकहोल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड – एसएचसीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	भारत	52.86%	52.86%	47.14%	47.14%	आईएफएससी, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में निवेशको को सेवा समाधान

ii. नीचे प्रत्येक सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी दी गई है, जिसके गैर–नियंत्रक हित समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए प्रकट की गई राशियाँ अंतर–कंपनी परिसमापन से पहले की हैं।

सारांशित तुलन पत्र

विवरण	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित)		एमपीकॉन लिमिटेड	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
चालू परिसंपत्तियां	2,779.03	2,644.48	11.17	16.03
चालू देयताएं	1,936.90	2,144.72	2.81	9.03
निवल चालू परिसंपत्तियां	**842.13**	**499.76**	**8.36**	**7.00**
गैर चालू परिसंपत्तियां	14,629.33	7,669.40	18.28	14.03
गैर चालू देयताएं	2,074.94	1,650.12	5.40	5.55
निवल गैर चालू परिसंपत्तियां	**12,554.40**	**6,019.28**	**12.88**	**8.48**
निवल परिसंपत्तियां	**13,396.52**	**6,519.03**	**21.24**	**5.48**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित)		एमपीकॉन लिमिटेड	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन से राजस्व	706.20	661.48	211.86	236.59
वर्ष के लिए लाभ	373.79	289.14	6.12	5.90
अन्य समग्र आय	6,683.29	375.90	(0.07)	(0.05)
कुल समग्र आय	7,057.08	665.04	6.06	5.85
गैर–नियंत्रित ब्याज के कारण कुल समग्र आय	3,326.71	313.50	1.23	1.19

ख) सहयोगियों और संयुक्त उद्यम में रुचि

i. नीचे 31 मार्च 2025 तक समूह के सहयोगी और संयुक्त उद्यम दिए गए हैं, जो निदेशकों की राय में समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान	स्वामित्व का प्रतिशत	संबंध	सिद्धांत गतिविधियाँ	लेखांकन	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
						वहन मूल्य	उचित मूल्य (यदि उद्धृत किया गया हो)	वहन मूल्य	उचित मूल्य (यदि उद्धृत किया गया हो)
नेतृत्व विकास संस्थान	भारत	शून्य	सहयोगी कंपनी	कौशल विकास प्रदान करना	इक्विटी लेखांकन	शून्य	गैर उद्धृत	शून्य	गैर उद्धृत
आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन	भारत	शून्य	सहयोगी कंपनी	सीएसआर गतिविधियों के लिए आयकर अधिनियम के तहत ट्रस्ट	इक्विटी लेखांकन	शून्य	गैर उद्धृत	शून्य	गैर उद्धृत

ii. नीचे दी गई तालिकाओं में समूह की सहयोगी कंपनियों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान की जाती हैं। प्रकट की गई जानकारी में संबंधित सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों को दर्शाया गया है, न कि उन राशियों में समूह के हिस्से को।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए नीचे दी गई सहयोगी कंपनियों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023–24 और वित्तीय वर्ष 2022–23 की जानकारी प्रबंधन के पास उपलब्ध है और नीचे प्रस्तुत की गई है।

	नेतृत्व विकास संस्थान		आईएफसीआई सोशल फाउंडेशन	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
देयताएं				
निगमित निकाय निधि	1.25	1.25	0.11	0.11
अधिशेष निधि	(7.73)	(7.43)	-	-
निर्दिष्ट निधि	-	-	-	-
सामान्य निधि	-	-	1.20	2.31
आयकर की धारा 11(2) के तहत विशेष निधि	-	-	-	-
कैम्पस और चल परिसम्पतियां निधि	9.88	11.00	-	-
उपदान रिजर्व निधि	-	-	-	-
संचयी अवकाश निधि	-	-	-	-
अन्य निधियां	-	-	-	-
चालू देयता एवं प्रावधान	1.84	1.56	0.01	0.01
	5.24	**6.38**	**1.32**	**2.43**
परिसम्पतियां				
आईएफसीआई एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से निधिकृत परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
अनुदान से निधिकृत परिसम्पतियों से भिन्न परिसम्पतियां	-	-	-	-
निवेश	1.85	1.98	0.98	1.76
गैर–चालू परिसम्पतियां	2.50	2.69	-	-
चालू परिसम्पतियां, ऋण एवं अग्रिम	0.89	1.71	0.34	0.67
एमडीआई–मुर्शिदाबाद	-	-	-	-
	5.24	**6.38**	**1.32**	**2.43**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

लाभ एवं हानि विवरण

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
राजस्व	1.19	2.23	1.17	1.32
कर–पश्चात् लाभ	(0.30)	0.11	-	-
अन्य समग्र आय	-	-	-	-
कुल समग्र आय	(0.30)	0.11	-	-
प्राप्त लाभांश	-	-	-	-

ग) **सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उद्यम, जो समेकित नहीं है, की सूची**

संस्था	समेकन न होने के कारण
सहयोगी	
किटको लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
शिगा इनर्जी प्राइवेट लि.	बिक्री हेतु धारित परिसम्पति के रूप में वर्गीकृत निवेश
संयुक्त उद्यम	
आईएफसीआई सिकामोर कैपीटल एडवाइजर प्रा. लि.	स्वैच्छिक परिसमापन के अधीन

घ) **कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के अधीन अतिरिक्त प्रकटन**

संस्था का नाम	निवल परिसम्पति		लाभ अथवा हानि में हिस्सा		अन्य समग्र आय में हिस्सा		कुल समग्र आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित अन्य समग्र आय का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए)	समेकित कुल समग्र आय का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपए)
मूल कम्पनी								
आईएफसीआई लि.								
31 मार्च 25	**11.51%**	**1,735.59**	**12.56%**	**43.80**	**-0.34%**	**(22.41)**	**0.31%**	**21.39**
31 मार्च 24	15.81%	1,214.20	53.20%	128.24	-12.01%	(40.14)	15.31%	88.10
सहायक कम्पनियां (भारतीय)								
आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लि.								
31 मार्च 25	**0.98%**	**148.43**	**3.83%**	**13.35**	**0.00%**	**0.16**	**0.19%**	**13.51**
31 मार्च 24	2.26%	173.45	0.43%	1.03	0.06%	0.18	0.21%	1.22
आईएफसीआई फैक्टर्स लि.								
31 मार्च 25	**0.12%**	**18.55**	**1.03%**	**3.60**	**0.02%**	**1.04**	**0.07%**	**4.63**
31 मार्च 24	0.18%	13.92	-36.48%	(87.94)	**-0.52%**	(1.73)	-15.58%	(89.67)
एमपीकॉन लि.								
31 मार्च 25	**0.14%**	**21.24**	**1.76%**	**6.12**	**0.00%**	**(0.07)**	**0.09%**	**6.06**
31 मार्च 24	0.20%	15.48	2.45%	5.90	-0.01%	(0.04)	1.02%	5.85
आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लि. (स्टेप–डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31 मार्च 25	**3.42%**	**516.29**	**4.28%**	**14.92**	**0.00%**	**(0.04)**	**0.21%**	**14.88**
31 मार्च 24	6.66%	511.28	4.71%	11.35	0.01%	0.03	1.98%	11.38
स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (स्टेप–डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31 मार्च 25	**88.84%**	**13,396.52**	**107.22%**	**373.79**	**100.32%**	**6,683.29**	**100.66%**	**7,057.08**

(सभी राशियां करोड़ रुपए में हैं, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए)

31 मार्च 24	84.89%	6,519.04	119.95%	289.14	112.43%	375.90	115.58%	665.04
आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (स्टेप–डाउन सहायक कम्पनी सहित)								
31 मार्च 25	**0.97%**	**63.16**	**1.42%**	**(1.22)**	**-0.04%**	**0.12**	**-0.19%**	**(1.11)**
31 मार्च 24	0.97%	64.26	1.42%	(0.76)	-0.04%	0.12	-0.19%	(0.64)
गैर–नियंत्रण हित								
31 मार्च 25	**42.37%**	**6,388.42**	**50.94%**	**177.57**	**47.29%**	**3,150.50**	**47.47%**	**3,328.07**
31 मार्च 24	40.96%	3,145.07	57.00%	137.40	53.00%	177.21	54.68%	314.61
समेकन समायोजन								
31 मार्च 25	**-47.81%**	**(7,209.03)**	**-81.27%**	**(283.32)**	**-47.29%**	**(3,150.49)**	**-48.98%**	**(3,433.81)**
31 मार्च 24	-51.79%	(3,977.38)	-100.94%	(243.31)	-53.00%	(177.20)	-73.08%	(420.51)
कुल								
31 मार्च 25	**100.00%**	**15,079.17**	**100.00%**	**348.61**	**100.00%**	**6,662.09**	**100.00%**	**7,010.70**
31 मार्च 24	100.00%	7,679.31	100.00%	241.05	100.00%	334.33	100.00%	575.38

57.1 **पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप आवश्यकतानुसार पुनः समूहीकृत / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।**

58 पूंजी प्रबंधन

पूंजी पर्याप्तता संरचना का मूल दृष्टिकोण यह है कि, एक वित्तीय संस्थान के पास अपने व्यवसाय में जोखिमों से उत्पन्न होने वाले किसी भी अप्रत्याशित नुकसान के कारण होने वाले झटकों को संभालने के लिए पर्याप्त पूंजी होनी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी–एनडी–एसआई के रूप में आईएफसीआई को जोखिम–भारित परिसंपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम पूंजी बनाए रखना आवश्यक है। पूंजी प्रबंधन में मौजूदा नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुर्लभ पूंजी का इष्टतम उपयोग शामिल है। आईएफसीआई ने एक उपयुक्त जोखिम क्षमता संरचना स्थापित की गई है और मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी आवश्यकताओं और पर्याप्तता की गणना की गई है।

i. समूह, इस समूह का हिस्सा बनने वाली सभी संस्थाओं के लिए न्यूनतम पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात को इकाईवार बनाए रखता है और तदनुसार समूह की सभी संस्थाओं के बीच पूंजी आवश्यकताओं का प्रबंधन करता है।

ii. पूंजी आबंटन

प्रत्येक प्रचालन या गतिविधि के लिए आबंटित पूँजी की राशि जोखिम–समायोजित पूँजी पर प्रतिफल को न्यूनतम करने के उद्देश्य से की जाती है। पूँजी का आबंटन वर्ष की शुरुआत में तैयार की गई वार्षिक व्यावसायिक योजना के आधार पर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता है। पूँजी आबंटन के विभिन्न पहलुओं में मौजूदा परिचालनों और गतिविधियों के साथ तालमेल, प्रबंधन और अन्य संसाधनों की उपलब्धता, और कंपनी के दीर्घकालिक कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ गतिविधि का लाभ शामिल है।

संलग्न टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

कृते **एस मान एंड कंपनी**
सनदी लेखापाल
आईसीएआई फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 000075एन

सीए सुभाष चंदर मान
भागीदार
सदस्यता संख्या : 080500

आईएफसीआई लिमिटेड के निदेशक बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

राहुल भावे
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन : 09077979

उमेश कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन : 00599426

सुनीत शुक्ला
मुख्य महाप्रबंधक व मुख्य वित्तीय अधिकारी

प्रियंका शर्मा
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15 मई 2025

टिप्पणियां

आईएफसीआई के कार्यालय

31 मार्च, 2025 तक

पंजीकृत कार्यालय
आईएफसीआई लिमिटेड
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
फोन : +91-11-4179 2800, 4173 2000
वेबसाइट : www.ifciltd.com
सीआईएन : L74899DL1993GO1053677

क्षेत्रीय कार्यालय

कोलकाता
डीबी-3, सेक्टर-1,
साल्ट लेक,
कोलकाता 700064

हैदराबाद
तारामंडल कॉम्प्लेक्स
(आठवीं मंजिल), 5-9-13, सैफाबाद
पिन-500004

मुंबई
यूनिट संख्या 307/314, तीसरी मंजिल, ट्रेड वर्ल्ड,
सी-विंग, कमला मिल्स कंपाउंड,
लोअर परेल पश्चिम,
मुंबई 400013

रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट्स

इक्विटी शेयरों व फैमिली बॉण्डस के लिए :
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.
179-180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरी मंजिल,
ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज- I,
नई दिल्ली-110020
वेबसाइट : mcsregistrars.com
ई-मेल : helpdeskdelhi@mcsregistrars.com
फोन : +91-11-4140 6149/50/51

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (सीरिज़ I और II) के लिए:
बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसिज प्रा.लि.
बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर,
स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे,
दादा हरसुख दास मंदिर के पास,
नई दिल्ली-110062
फोन : +91-11-2996 1281-83
ई-मेल : ifci@beetalfinancial.com
ifciinfrabonds@gmail.com

इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड (सीरिज़ III, IV व V) और आईएफसीआई एनसीडी (ट्रेंच I और II) के लिए, केफिन टेक्नोलॉजीज लि.

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय :
''केफिन टेक्नोलॉजीस लि.''
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31 और 32, गाची बावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, मंडल,
हैदराबाद-500032
ई-मेल : einward.ris@kfintech.com
फोन : 040-67161589-1672-1678
फैक्स : +91-040-23001153
टोल फ्री नंबर : 1800-309-4001

सबऑर्डिनेट बॉण्डस (सीरिज़ I व III) के लिए :
मुफ्ग इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
सी-101, 247 पार्क,
एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली पश्चिम,
मुंबई-400 083
फोन नंबर : +991-22-49186000
+91-8108116767
ई-मेल : bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com
team.bonds@in.mpms.mufg.com

डिबेंचर ट्रस्टी - इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड सीरिज़ I, II अधीनस्थ बॉन्ड, कर मुक्त बॉन्ड, अन्य नियमित रिटर्न बॉन्ड

पंजीकृत कार्यालय:
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लि.
एक्सिस हाउस
पीबी मार्ग, वर्ली, प्रभा देवी,
मुंबई, महाराष्ट्र-400025

पत्राचार के लिए पताः
ध्यानाकर्षण: मुख्य परिचालन अधिकारी
पताः
द रूबी, दूसरा मंजिल,
एसडब्ल्यू, 29 सेनापति बापत मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई-400028
फोन नंबर : +91-22-62300451
ई-मेल : debenturetrustee@axistrustee.in
compliance@axistrustee.in
वेब : www.axistrustee.in

डेस्क कार्यालय :
द्वितीय तल, 25-पूसा रोड,
करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास,
नई दिल्ली-110005

डिबेंचर ट्रस्टी-इंफ्रास्ट्रक्चर
बॉन्डस सीरिज़ III, IV व V
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
यूनिवर्सल इंश्योरेंस बिल्डिंग,
भूतल, सर पी.एम. रोड,
फोर्ट, मुंबई-400001
फोन नंबर : 022&4080 7000
ई-मेल : itsl@idbitrustee.com
वेब : http://www.idbitrustee.com

डिबेंचर ट्रस्टी-नियमित बॉन्ड
श्रृंखला संख्या 47, 50 व 51
सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :
तीसरी मंजिल (पूर्वी विंग)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमओ बिल्डिंग,
55 एमजी रोड, मुंबई 400 001
फोन : +91-22-2261 6217
वेबसाइट : www.cfsl.in
ई-मेल : info@cfsl.in

सुपुर्दगी न होने पर कृपया निम्नलिखित को लौटाएं:
एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
179-180, डीएसआईडीसी शेड, तीसरा तल,
ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1,
नई दिल्ली -110020